राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 4] ग्यारहवीं विधान सभा के चौथे सत्र का तेरहवां दिवस [संख्या : 8

मंगलवार,

4 अप्रैल, 2000

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री परसराम मदेरणा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रश्न काल। श्री ज्ञानचन्द पारख।

कन्या महाविद्यालय पाली में नवीन विषयों का अध्यापन

215. श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या पूर्ववर्ती सरकार ने नए कन्या महाविद्यालय प्रारम्भ करते समय यह नीति बनाई थी कि महाविद्यालय प्रारम्भ होने के तीन वर्ष बाद प्रत्येक वर्ष एक नया विषय प्रारम्भ करने की स्वीकृति दे दी जाएगी ?

(2) क्या कन्या महाविद्यालय पाली में गत पांच वर्षों में कोई नया विषय प्रारम्भ किया गया है ? यदि हां, तो कौनसा और नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या सरकार कन्या महाविद्यालय पाली में समाज शास्त्र, अंग्रेजी साहित्य, भूगोल एवं अर्थशास्त्र आदि विषय प्रारम्भ करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक ?

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री सी.पी.जोशी) : (1) जी नहीं।

(2) जी नहीं। राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों, क्षेत्रीय आवश्यकता एवं नवीन विषय प्रारम्भ करने के निर्धारित मानदण्डों के आधार पर नवीन विषय प्रारम्भ किये जाते हैं। सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण श्रीमती गुमानीबाई पन्नालाल भंसाली राजकीय कन्या महाविद्यालय, पाली में कोई नया विषय नहीं खोला गया।

(श्री सी. पी. जोशी)

(3) जी नहीं।

श्री ज्ञानचन्द पारख : मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि आप कोई नीति बनाने जा रहे हैं इस संबंध में ? कोई नीति बनी हुई नहीं है नया विषय खोलने की, क्या आप कोई नीति बनाने जा रहे हैं ?

श्री सी. पी. जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने प्रश्न के भाग दो में उत्तर दिया है, विषय खोलने का संबंध मानदण्डों के साथ-साथ वित्तीय संसाधन से भी है। वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के बिना विषय में स्ट्रिक्टली हम मानदण्डों के आधार पर नहीं जा सकते। कालेज खोलने के सम्बन्ध में तो मानदण्ड की बात समझ में आती है किन्तु विषय निर्भर करते हैं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता और स्थानीय आवश्यकता पर। वहां पर यदि महसूस होता है कि उसके आस-पास सब्जेक्ट नहीं है तो प्राथमिकता के आधार पर विषय खोले जाते हैं।

श्री ज्ञानचन्द पारख : मापदण्ड क्या हैं और आपके वित्तीय संसाधन कब तक उपलब्ध हो जाएंगे ?

श्री सी.पी.जोशी : हमारा जो प्रोजेक्शन है, जितना ए.आर.एम. हमें मिल जाएगा उसके आधार पर हम वित्तीय संसाधन की उपलब्धता की बात कर सकते हैं। वित्तीय संसाधन की उपलब्धता के सम्बन्ध में मुझसे ज्यादा जानकारी पिछली सरकार में रहने वाले मंत्रियों को है कि वित्तीय संसाधन की उपलब्धता किस आधार पर होती है। वित्तीय संसाधन हमारा जो प्रोजेक्शन है उसके आधार पर उपलब्ध होते हैं। इस बार का जो बजट हमने प्रस्तुत किया है उसको देखते हुए विषय खोलने की संभावना नहीं है।

श्री ज्ञानचन्द पारख : मंत्री महोदय, पिछली सरकार ने तो पूरा कालेज खोल दिया। वित्तीय संसाधन थे तभी पूरा कालेज खोला उन्होंने। कैसी भी स्थिति रही होगी उन्होंने पाली को नया कालेज दिया है और पाली की बालिकाएं आज आपसे मात्र तीन–चार सब्जेक्ट मांग रही हैं। आपकी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला हैं, प्रदेशाध्यक्ष महिला हैं और महिला की उच्च शिक्षा के मामले में आपने कोई नीति नहीं बनाई, कोई मानदण्ड आपका नहीं है।

जब भी महिला उत्थान का मामला होता है तो आप वित्तीय संसाधनों की कमी बता देते हैं और अपनी जिम्मेदारी से बचने का प्रयास करते हैं। सरकार महिला शिक्षा के लिये कोई विशेष मापदण्ड या नीति कब तक बना देगी, यह आप मुझे बता दीजिए।

श्री सी. पी. जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य विषय की नीति के बारे में पूछ रहे हैं या महिला नीति के बारे में पूछ रहे हैं ?

श्री ज्ञानचन्द पारख : मैं दोनों के बारे में पूछ रहा हूं।

श्री सी. पी. जोशी : महिला नीति का संबंध मुझसे नहीं है। महिला नीति का जो प्रश्न है वह उससे संबंधित विभाग के मंत्री से पूछें। जहां तक विषय की नीति की बात है, खुद माननीय सदस्य को इस बात की जानकारी है कि पाली में जो पी.जी. कालेज है अदर दैन द गर्ल्स कालेज, उसमें चार फैकल्टी हैं और 19 सब्जेक्ट्स वहां पर उपलब्ध हैं। संसाधनों के अनुरूप आज पाली शहर में जो सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिये उतनी सुविधाएं उपलब्ध हैं।

दूसरी जगह पर इतनी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। इसलिए आज यह कहना कि पाली में सुविधा उपलब्ध नहीं है, ठीक नहीं है। जैसा मैंने कहा, पाली में जो दूसरा बॉय कालेज है उसमें चार फैकल्टी और 19 सब्जेक्ट आलरेडी उपलब्ध हैं। इसलिए यह कहना कि छात्राओं के लिये सुविधा उपलब्ध नहीं है, ठीक नहीं है।

श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि यह नीति सम्बन्धी मामला अलग जाता है। क्या शिक्षा विभाग में महिलाओं की शिक्षा के सम्बन्ध में कोई नीति या मापदण्ड नहीं है? दूसरा, जिला हैडक्वार्टर का विद्यालय है इसमें इंग्लिश लिटरेचर का सब्जेक्ट नहीं, होम साइंस का सब्जेक्ट नहीं। जो महिलाओं के महत्वपूर्ण सब्जेक्ट होने चाहिये उसको आप वित्तीय संसाधनों की कमी बता कर टालना चाहते हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय; लगातार जो टालने वाली बात कही जा रही है, मैं सोचता हूं कि महिला शिक्षा के लिये आप का यह उत्तर उचित और उपयुक्त नहीं है। आप कम से कम सदन में यह आश्वासन दीजिए कि होम साइंस या इंग्लिश लिटरेचर जो महत्वपूर्ण सब्जेक्ट हैं, इनको आप जल्दी से जल्दी प्रारम्भ करेंगे।

श्रीमती बीना काक (राज्य मंत्री, पर्यटन) : आप महिलाओं को होम साइंस तक ही क्यों सीमित रखना चाहते हैं? महिलाएं आज हर फील्ड में आगे बढ़ रही हैं, उन्हें सिर्फ होम साइंस तक ही सीमित कर संकुचित न करें।

श्री ज्ञानचन्द पारख : पर आप तो कुछ नहीं देने जा रहे हैं। (व्यवधान) माननीय मंत्री महोदय, क्या आप बताएंगे, पाली शहर की कितनी छात्राएं....(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप (टोडाभीम) : होम साइंस तो अब हमको सीखनी पड़ेगी; आप क्यों सीखेंगी? होम साइंस तो अब हमारे हिस्से में आ गई, यह तो हमको सीखनी है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बैठिये। बीच में क्यों खड़े हो रहे हैं आप? नैक्स्ट क्वेश्चन, श्री अमीन खान।

उत्तम नस्ल की नर भेड़ों का बीमारियों से बचाव

216. श्री अमीन खान (शिव) : क्या भेड़ व ऊन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री अमीन खान)

(1) राज्य में भेड़ों की कितनी नस्ल हैं ? उक्त नस्लों में नर भेड़ों के बचाव हेतु सरकार की ओर से क्या-क्या प्रयास किये गये हैं ?

(2) भेड़ों में कौनसी बीमारियां फैलती हैं और इनके बचाव के लिए सरकार किस प्रकार व कितनी सहायता प्रदान करती है ?

राज्य मंत्री, भेड़ व ऊन (श्री दयाराम परमार) : (1) राज्य में भेड़ों की आठ नस्लें पाई जाती हैं जो मालपुरा, मारवाड़ी, चोकला, नगरा, पुगल, सोनाड़ी, जैसलमेरी एवं नाली के नाम से हैं। उक्त नस्लों के भेड़ों के बचाव हेतु सरकार टीकाकरण करवाती है।

(2) राज्य में भेड़ों में मुख्यतया फिड़किया, चेचक, खुरपका, मुंहपका, आन्तरिक परजीवी (लतिया) बाह्यपरजीवी (खुजली) निमोनिया तथा दस्त आदि रोग पाये जाते हैं। इन रोगों के बचाव के लिए टीके लगाये जाते हैं, दवा पिलाई जाती है एवं दवा का छिड़काव किया जाता है। रोग आने पर भेड़ एवं ऊन प्रसार केन्द्र एवं उप केन्द्रों के माध्यम से सरकार इनकी बीमारियों का निःशुल्क इलाज करवाती है।

श्री अमीन खान : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानकारी चाहता हूं कि जिला बाड़मेर एवं जैसलमेर की जैसलमेरी नस्ल की भेड़ों में इस साल किस बीमारी की आपके पास इत्तला है ? आज भेड़ों की बीमारी की वहां महामारी है या नहीं और इसके लिये आपके विभाग की तरफ से कितनी जगह दवाईयां वितरण की गयीं ? वहां उपलब्ध भेड़ों के डाक्टर, कम्पाउण्डर पूरे हैं या नहीं ?

श्री दयाराम परमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसलमेर जिले में भेड़ों में निमोनिया बीमारी फैलने की सूचना प्राप्त हुई थी। जैसे ही सूचना प्राप्त हुई, विभाग के अधिकारियों को निर्देश दे दिये गये कि तत्काल भेड़ों का इलाज करने की व्यवस्था करें। दूसरे दिन ही अधिकारियों ने जानकारी दी कि सभी भेड़ों की बीमारी का इलाज कर दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय, जहां तक विभाग के कर्मचारियों का सवाल है, सभी जिला स्तरों पर जिस स्तर का स्टाफ लगा हुआ है वह सब वहां पर है और किसी भी प्रकार की बीमारी फैलती है तो उसका तुरन्त इलाज कर दिया जाता है।

श्री अमीन खान : अध्यक्ष महोदय, सही बात यह है कि एक जगह ज्यादा बीमारी फैलने का मैंने खुद मंत्री जी को लिख कर दिया था। उस जगह के लिए मंत्री जी ने टेलीफोन किया, भेड़ विभाग का एक डाक्टर पहुंचा और वह एक जगह इलाज करके आया, यह बात सही है।

परन्तु बाकी जिले में भी भेड़ों की बीमारी फैली है। भेड़ों के चारे की कमी

(श्री अमीन खान)

नहीं है फिर भी हजारों की तादाद में भेड़ें मरी हैं। वहां भेड़ों की दवाई या इनके टीकाकरण या पाउडर छिड़कने की कोई व्यवस्था नहीं है। आपकी अधिकांश पोस्टें खाली पड़ी हैं, क्या यह सही है ? अगर सही है तो भविष्य में इन भेड़ों को बचाने के लिये आपका महकमा गम्भीर है या नहीं है ? उसका इन्तजाम किस तरह से करेंगे ? (व्यवधान)

श्री दयाराम परमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले 4 सालों से विभाग के पशुपालन विभाग में मर्ज होने की बराबर चर्चा चल रही है, इसलिये विभाग के अधिकारी भी ठीक तरह से काम में रुचि नहीं ले पा रहे हैं। सरकार को उस सम्बन्ध में कदम उठाकर सुधारने की व्यवस्था करनी चाहिये, दृढ़ कदम उठाने चाहिये, वह हम उठा रहे हैं। अब यह विभाग जल्दी ही, विदिन टू और थ्री मंथ मर्ज होने जा रहा है इसलिये अब आगे विभाग वाले इसकी व्यवस्था कर देंगे। लेकिन इस साल जहां कहीं भी हमें भेड़ों के बीमार होने की खबर प्राप्त हुई है, विभाग ने उसकी मुस्तैदी से कार्यवाही की है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर प्लीज।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, ये तो खुद मजबूरी कबूल करते हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री गोवर्द्धन कल्ला। (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता प्रतिपक्ष): मुख्य मंत्री जी, आपके राज्य मंत्री ने जो जवाब दिया है उसको आपने सुना होगा, यदि कुछ कहना है तो कह दीजिये। (व्यवधान)

श्री अमीन खान : इनके पास भेड़ों के लिये दवाईयां नहीं हैं। (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप तो बिना निवेदन करे बैठे रहें तो भी सुनेंगे क्योंकि आजकल सुनवाई कम होती है। मैं आपके लिये नहीं कह रहा हूं वो तो मुख्य मंत्री जी के लिए कह रहा हूं। उन्होंने आपको भी सुन लिया, इनको भी सुन लिया, कुछ कहना है तो कह दें। (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : प्रतिपक्ष के नेता महोदय को माननीय मंत्री जी की बात पर विश्वास नहीं है। (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उनकी बात पर विश्वास करके, उनकी मदद के लिये ही कह रहा हूं। ये कहते हैं हमारे विभाग का कहीं कोई पता ही नहीं है, किसमें क्या है, कब मर्ज होगा, अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं, भेड़ें मर रही हैं। इसका कोई जवाब दे सकें तो दे दीजिये। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : हम यह जानना चाहते हैं कि विभाग खत्म किया है या मंत्री जी भी अब नहीं रहेंगे, पशुपालन विभाग के मंत्री हो जाएंगे ? स्थिति तो स्पष्ट हो। इनकी पीड़ा वाजिब है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मंत्री जी।

श्री दयाराम परमार : मैंने यह कहीं नहीं कहा कि विभाग का पता नहीं है। मैंने यह निवेदन किया था कि पिछले दो सालों से उसका प्रोसेस चल रहा है। बल्कि आपकी सरकार में फाइल में लिखा है पूर्व मुख्य मंत्रीजी ने कि इस डिपार्टमैंट को मर्ज कर दिया जाए। उस वक्त इस कारण से भी स्टाफ की कमी रही है, यहां से ट्रांसफर होकर वहां गये। कभी कभार यह होता है, जब भेड़ों का निष्क्रमण होता है तो विभाग से हम हटाकर जहां चैक–पोस्टें हैं वहां पर लगा देते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट स्तर पर पोस्टें खत्म हो सकती हैं, यह मैं निवेदन कर रहा था। इसमें कहीं कमी रही है, कोई पोस्टें खाली होंगी तो उसमें मुस्तैदी से कार्यवाही करके उसको भर देंगे।

जहां तक भेड़ों की बीमारी का सवाल है, जहां कहीं पर भी किसी भी तरह की बीमारी फैली है हमारे पास पर्याप्त मात्रा में टीके की व्यवस्था है, हमने तुरंत टीके वहां पर भेजे और उसका इलाज किया। (व्यवधान)

श्री गोवर्द्धन कल्ला (जैसलमेर) : सही यह है कि हजारों भेड़ें जैसलमेर जिले में मर गई हैं। यह जो कह रहे हैं कि सब जगह दवाई पहुंचाई है, गलत है। इन्होंने कुछ सैक्टर्स बना रखे हैं, केवल उन्हीं सैक्टर्स में भेड़ों को दवाई देते हैं, सारे जिले में नहीं देते हैं। जो सैक्टर में नहीं आते हैं उनको दवाई नहीं पिलाई जाती है। मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि पूरे जिले में जैसलमेर नस्ल की अच्छी नस्ल की भेड़ें हैं, सबको दवाई पिलाई जाए, न कि सैक्टर बनाकर बैठे हैं उन्हीं सैक्टर में दवाई पिलाई जाए। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मंत्री जी।

श्री दयाराम परमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, हम यह कोशिश करते हैं कि सारी भेड़ों को दवाई पिलाई जाए। लेकिन हमारे पास डेढ़ करोड़ भेड़ों की संख्या है और डेढ़ करोड़ भेड़ों को समुचित समय पर सबको दवाई पिलाई जाए, इतना सम्भव नहीं हो सकता। जैसे ही खबर मिलती है, हम वहां पर दवाई पहुंचाने की कोशिश करते हैं। मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अगर किसी तरह की भेड़ों की बीमारी की दवाई नहीं पहुंची है तो अब उनको दवाई पहुंचा दी जाएगी, दवाई पिला दी जाएगी। (व्य–वधान)

श्री अध्यक्ष : श्री वृद्धिचन्द जी जैन।

श्री वृद्धिचन्द जैन : अध्यक्ष महोदय, जैसी स्थिति के बारे में मंत्री महोदय ने जवाब दिया है, स्पष्ट है कि बीमारी से हजारों भेड़ें मर रही हैं और किसी प्रकार की व्यवस्था दवाई की कोई नहीं है। और जैसा मेरे मित्र ने कहा, सैक्टरवाइज थोड़ा-सा प्रबन्ध है, डाक्टरों की कमी है, सारी व्यवस्था खराब है।

अगर इतने फण्ड में व्यवस्था नहीं हो सकती है तो मैं सहायता मंत्रीजी से निवेदन

(श्री वृद्धिचन्द जैन)

करना चाहता हूं कि इनका आप प्रबन्ध करें। पशुओं को बचाने का काम करते हैं वैसे ही भेड़ों को बचाने का काम भी सहायता विभाग करे, यही मेरा निवेदन है। (व्यवधान)

श्री दयाराम परमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, अकाल से प्रभावित क्षेत्रों में भेड़ों को अगर चारा नहीं मिलता है तो फेमिन कोड के अंदर भेड़ों को सम्मिलित नहीं किया हुआ है इसलिये उनका किसी और माध्यम से अकाल के अन्दर व्यवस्था करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता।

लेकिन बीमारी का जहां तक सवाल है, बीमारी के लिये हमारे पास पर्याप्त दवाईयां हैं। बीच में हमारे यहां जयपुर से जो दवाई बनती है उसका एक बैच खराब निकल गया तो उसमें थोड़ा-सा गैप जरूर हो गया था। इस दौरान में कहीं भेड़ों में बीमारी फैली हो और वे मर गई हों तो नहीं कहा जा सकता। हमने पर्याप्त दवाईयां गुजरात से भी मंगाई हैं, हरियाणा से भी मंगाई हैं और समय पर हम दवाईयों की व्यवस्था करते रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अमीन खान : अध्यक्ष महोदय, दवाई है नहीं उस कारण से यह मुसीबत सामने आई है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री राजेन्द्र राठौड़। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): अध्यक्ष महोदय, अभी मंत्री जी ने यह कहा कि इस बार भेड़ों के पर्याप्त इलाज के लिये दवाई इस लिये नहीं आई कि एक पूरा बैच खराब निकल गया।

मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि पूरा का पूरा बैच खराब दवाईयों का निकलने की आपने चर्चा की है वह कितनी राशि की दवाई थी, और बैच खराब निकला उस पर आपने क्या-क्या कार्यवाही की? यह नम्बर एक बात है। नम्बर दो, आपने डेढ़ करोड़ भेड़ों की संख्या बता दी परन्तु....(व्यवधान) आप यह भी बताएं कि पिछले वर्ष भेड़ों के टीकाकरण के लिये कितनी राशि आपको उपलब्ध कराई गई थी और कितनी राशि का आपने उपयोग किया? (व्यवधान)

श्री दयाराम परमार : हम एवरी ईयर 80 लाख की दवाईयां खरीदते हैं और इतनी ही सप्लाई करते हैं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : खराब निकली उन दवाईयों का क्या किया? (व्यवधान) जो आप कह रहे हैं पूरा बैच ही खराब निकल गया, अध्यक्ष महोदय, यह बहुत सीरियस बात है। यह खराब ही नहीं है, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अवधिपार दवाईयां खराब दवाईयां यहां से निकलकर फील्ड में चली गई वो भेड़ों को पिलाई गई। कितनी भेड़ें मरी होंगी। मंत्री महोदय खुद स्वीकार कर रहे हैं कि भेड़ों की दवाईयों का एक पूरा बैच खराब निकल गया, मैं यह जानना चाहता हूं कि जो

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

बैच खराब निकला उस पर आपने क्या क्या कार्यवाही की ? (व्यवधान)

श्री दयाराम परमार : सप्लाई नहीं की। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : नहीं, सप्लाई तो नहीं की लेकिन जिसने सप्लाई की.... (व्यवधान) मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इन्होंने... (व्यवधान) विधिवत रूप से दवाईयों की निविदाएं आमंत्रित की होंगी, एप्रूव्ड लिस्ट में दवाईयां आई होंगी, उसके बाद दवाईयां खरीदी होंगी। उसके बाद जांच में खराबी निकली है तो यह सारी प्रक्रिया में जो दोषी है उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की आपने ? (व्यवधान)

श्री दयाराम परमार : हमारे पास एक ही फर्म है जो भेड़ों की दवाई बनाती है, और कोई फर्म नहीं है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उस फर्म के खिलाफ आपने क्या कार्यवाही की, जिसने गलत दवाईयां, खराब दवाईयां राजस्थान सरकार को भेज दी ? और यह कैसे कह सकते हैं कि वे दवाईयां आगे नहीं गई ? (व्यवधान)

श्री सांवर लाल (भिनाय) : अध्यक्ष महोदय, खराब दवाईयां आ गई उसकी वजह से भेड़ों को समय पर दवाईयां नहीं मिलीं, भेड़ें मर गई। यहां पर जो मध्यप्रदेश से भेड़ें ले जाते हैं वे लोग चक्कर काटते हैं।

मंत्री महोदय, क्या यह आपकी जानकारी में है कि उनको समय पर दवाई नहीं मिली ? कई भेड़पालक मेरे पास आये, मैंने आपके अधिकारियों को टेलीफोन किया। उन्होंने कहा हमारे पास दवाई नहीं है और आप कह रहे हो कि हम निष्क्रमण के मार्गों के ऊपर दवाईयां पहुंचाते हैं। भेड़पालक यहां पर चक्कर काटते हैं उनको भी दवाईयां नहीं मिलतीं तो आप वहां पर क्या दवाईयां पहुंचाते होंगे, बताइये। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह तो बताओ; आपने कितनी राशि खर्च की ? 80 लाख रुपये में से कितनी राशि का व्यय हुआ, यह तो बता दो ? (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : आप जब चिकित्सा मंत्री थे एक्सपायरी डेट हो गई थी वे दवाईयां भी आपने बाजार में रखवाई थी। मैंने क्वेश्चन उठाया था आपका। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपस में बात नहीं करें। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : आपने उसके बावजूद कोई कार्यवाही नहीं की थी। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य रामस्वरूपजी, बैठिये आप।

श्री सांवर लाल : आज हमारे लोगों के पास इसके अलावा आजीविका का कोई धन्धा नहीं है, इसको गंभीरता से लिया जाए। भेड़पालक केवल भेड़ों के सहारे पर जीवन यापन करते हैं।

(श्री सांवर लाल)

मंत्री महोदय कह रहे हैं एक बैंच खराब हो गया, उसमें कोई जिम्मेदार नहीं है। यदि दवाई समय पर नहीं मिलती, कितनी भेड़ें मर गईं, बताइये ? भेड़ें कितने टाइम में मर जाती हैं ? फिड़किया रोग होने के बाद कितने टाइम जिंदा रहती हैं, आप बताइये ? (व्यवधान)

श्री दयाराम परमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां की दवाई का बैंच खराब हुआ है तो हमने गुजरात और हरियाणा से दवाईयां मंगाकर उनको सप्लाई कर दी। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन। श्री मदन लाल वर्मा।

विधान सभा क्षेत्र डग (झालावाड़) की ढाणियों एवं ग्रामों का विद्युतीकरण

217. श्री मदन लाल वर्मा (डग) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) विधान सभा क्षेत्र डग में कितने राजस्व गांव विद्युतीकृत होने शेष हैं ?

(2) उक्त क्षेत्र के शेष रहे गांवों को अब कब तक विद्युतीकृत कर दिया जाएगा ?

(3) क्या उक्त क्षेत्र के मजरे एवं ढाणियों को भी इस वर्ष विद्युतीकृत करने का विचार है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

ऊर्जा मंत्री (डा. चन्द्रभान) : (1) विधान सभा क्षेत्र डग के अन्तर्गत कुल 293 ग्राम हैं जिनमें से माह फरवरी, 2000 तक 250 ग्रामों को विद्युतीकृत घोषित किया जा चुका है। 43 ग्राम विद्युतीकरण हेतु शेष हैं।

(2) विधान सभा क्षेत्र डग के शेष रहे 43 ग्रामों को विद्युतीकरण आवंटित लक्ष्य एवं उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के तहत आगामी वर्षों में शनैः–शनैः किया जाना संभव है।

(3) विद्युत मण्डल की वित्तीय स्थिति को देखते हुए फिलहाल मजरों तथा ढाणियों में विस्तार करना कठिन है।

श्री मदन लाल वर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी से जानना चाहता हूं, नम्बर–एक, कि क्या हर वर्ष स्वीकृत गांवों को उसी वित्तीय वर्ष में विद्युतीकृत कर दिया जाता है ?

नम्बर-दो, क्या ऊर्जा मंत्रीजी जानकारी देने का कष्ट करेंगे कि दिसम्बर, 1995 से 1999 तक स्वीकृत सभी गांवों को विद्युतीकृत कर दिया गया है ?

नम्बर-तीन, आपने कहा कि मजरों, ढाणियों और वीरान राजस्व गांवों को विद्युतीकृत करने का विचार नहीं है, जब कि हजारों किसानों की भूमि उक्त गांवों में है और जो गांवों से दूर मजरों, ढाणियों और वीरान राजस्व गांवों में किसान रहते हैं। बिजली के लिये वे बारबार आते हैं और उनकी हजारों बीघा जमीन वहां पर

(श्री मदन लाल वर्मा)

पड़ी है; विद्युतीकरण नहीं होने की वजह से वे वंचित रह गये हैं।

आपने जवाब दिया है कि शनैः शनैः यह विस्तार करना कठिन है, मैं मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि मजरों, ढाणियों और बेरान राजस्व गांवों को इसी वित्तीय वर्ष में लाभ पहुंचाएंगे तो बहु ज्यादा ठीक रहेगा।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रीजी से एक जानकारी चाहता हूं। मंत्रीजी ने यह कहा है कि ढाणियों और मजरों का विद्युतीकरण करना संभव नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि जब गांवों को इलैक्ट्रिफाई करने की स्कीम बनती है तो उस गांव के नीचे कितनी ढाणियां और मजरे हैं, बड़े–बड़े मजरे हैं, बड़ी-बड़ी ढाणियां हैं। उन सब की कम्पोजिट इलैक्ट्रीफिकेशन स्कीम आर.एस.ई.बी. क्यों नहीं बनाई जा सकती है, मुश्किल क्यों है ? गांव की स्कीम बनाने के साथ–साथ ढाणियों और मजरों को भी उसमें शामिल किया जा सकता है, वह खर्चा आर.एस.ई.बी. का और बढ़ जाएगा। बिजली बोर्ड करता क्या है कि एक गांव को इलैक्ट्रीफाई करने के लिये केवल मुख्य गांव की योजना बनाता है और गांव के मजरे और बड़ी-बड़ी ढाणियां, जो गांव की आबादी से भी ज्यादा है और जो अलग-अलग जगह पर बसी हुई है 50-50, 60-60 की आबादी के अन्दर, उनका कोई ध्यान नहीं रखा जाता है। टैक्निकली एक गांव को इलैक्ट्रिफाई कर दिया, एक लट्टू चास दिया, इससे इलैक्ट्रिफिकेशन गांव का नहीं होता है।

मेरा सुझाव है, अध्यक्ष महोदय, कि जब भी गांव का इलैक्ट्रिफिकेशन हो, सरकार के लिये कोई कठिनाई की बात नहीं है, आप आर.एस.ई.बी. से स्कीम बनवाते हैं तो मजरे और ढाणियां भी उसमें शामिल की जा सकती हैं।

डा. चन्द्रभान : अध्यक्ष महोदय, सामान्यत: जो गांव विद्युतीकृत करने के लिए किसी भी वित्तीय वर्ष में स्वीकृत होते हैं उन्हें उसी वित्तीय वर्ष में स्वीकृत किया जाता है। लेकिन कई बार मैचिंग मैटेरियल की कमी होने के कारण या वित्तीय कारणों से, फिर पूरे प्रदेश में यह काम एक साथ चलता है और दूसरे विकास के काम भी करने पड़ते हैं तो सभी गांव एक साथ नहीं हो पाते हैं।

उदाहरण के तौर पर मैं कहना चाहूंगा कि इस वित्तीय वर्ष 1999-2000 में कुल 700 गांवों को विद्युतीकृत करने का लक्ष्य था जिसमें से मार्च, 2000 तक 540 गांवों को विद्युतीकृत किया जा सका है और शेष का कार्य प्रगति पर है। यह केवल गांवों की बात नहीं है, चाहे एग्रीकल्चर कनेक्शन दूसरे हों। अभी जैसे स्टेंड्स हैं, ये केवल कलकत्ता में बनते हैं। जहाज का जो लोहा होता है उससे बनते हैं। घटिया क्वालिटी का माल आ गया,

(डा. चन्द्रभान)

उसको हमने माना नहीं, इसलिये हमने दुबारा वहां भेजा है। इसलिये थोड़ा समय लग गया। इस वजह से कई बार नहीं हो पाता है। मैं सदन को विश्वास दिलाता हूं कि शेष बचे हुए गांव चाहे वे इस क्षेत्र के हों, चाहे झालावाड़ जिले के हों, चाहे पूरे राज्य के हों उन सब में जल्दी से जल्दी जो टारगेट इस साल का 160 गांवों का बचा है इसको पूरा करेंगे।

दूसरा सवाल, 1995 से 1999, 31 मार्च तक जो गांव स्वीकृत हुए थे उनको विद्युतीकृत किया जा चुका है। तीसरा सवाल माननीय सदस्य ने उठाया कि राजस्व गांव में जो मजरे और ढाणियां हैं उनमें यदि हम कनेक्शन नहीं देंगे तो फिर वहां जो किसानों की जमीन है उनमें एग्रीकल्चर के कनेक्शन कैसे होंगे।

मण्डावा से आने वाले माननीय सदस्य ने भी इस से सम्बन्धित ही सवाल किया है। अध्यक्ष महोदय, जैसा कि आप भी जानते हैं और पूरा सदन जानता है कि 1991 की जनसंख्या के अनुसार राजस्थान में राजस्व गांव 39810 हैं, उनमें से 36553 को अभी तक विद्युतीकृत कर दिया गया है। जो राजस्व गांव विद्युतीकृत हो जाता है उसकी ढाणियों और मजरों में भी नियमानुसार विद्युत तन्त्र का विस्तार किया जाता है, विकास किया जाता है। उसके अलग से नियम बने हुए हैं। एग्रीकल्चर कनेक्शन का जहां तक सवाल है राजस्व गांव के क्षेत्र में जितनी भी भूमि आती है उसमें नियमानुसार कनेक्शन दिये जाते हैं। उसमें ढाणियों और मजरों में यदि विद्युत कनेक्शन नहीं है तो भी दिया जा सकता है।

एक सवाल यह है कि एक गांव को हम विद्युतीकृत करते हैं उसके साथ में उस गांव से जुड़ी हुई ढाणियां और मजरे होते हैं उनको भी विद्युतीकृत कर दिया जाए। यदि मांग होती है तो नियम बने हुए हैं उसके अनुसार उसको किया जाता है। अन्यथा होता क्या है, अध्यक्ष महोदय, कि गांव में ढाई सौ से तीन सौ घर हैं उनको भी विद्युतीकृत करना कोई आसान काम नहीं है राजस्थान में।

आज जैसलमेर, बाड़मेर में विद्युतीकरण का मतलब आप जानते हैं कि कितनी दूरी तय करनी पड़ती है। एक गांव को किया जाता है उसमें एक किलोमीटर में 4 घर हैं, फिर डेढ़ किलोमीटर में 5 घर हैं, तो वह वास्तव में मुश्किल है। लेकिन उस के लिये भी नियम प्रक्रिया है। यदि मांग होती है तो वहां भी विद्युत तंत्र का विस्तार करके वहां पर कनेक्शन दिये जाते हैं।

श्री रामनारायण चौधरी : नहीं, ऐसी बात नहीं है। (व्यवधान)

श्री गोवर्द्धन कल्ला : मेरे जैसलमेर जिले के 87 गांवों में से 4 गांव इलैक्ट्रिफाई हुए हैं।

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न था कि जब गांव को

(श्री रामनारायण चौधरी)

आप इलैक्ट्रिफाई करते हो तो मजरों और ढाणियों की स्कीम भी गांव के साथ ही बननी चाहिए। मंत्री महोदय ने यह जवाब दिया कि नियमानुसार जो रह जाते हैं उनका भी हम इलैक्ट्रिफिकेशन करते हैं। बिजली बोर्ड एक गांव को इलैक्ट्रिफाई कर देता है उसके बाद में उस रेवेन्यू विलेज की पूरी बाउण्ड्री इलैक्ट्रिफाईड मान ली जाती है।

लेकिन उन 25 और 50 घरों की ढाणियों तक लाइन ले जाने के लिये उनको स्वयं का खर्चा वहन करना पड़ता है। वहां एक काश्तकार है उसको कनेक्शन नहीं मिल सकता है, क्यों नहीं मिल सकता ? कि वहां बड़ी लाइन जाने का पूरा खर्चा उस काश्तकार पर आता है। बड़े-बड़े 50-50 60-60 घरों के मजरे हैं उन मजरों को छोड़ देते हैं, मुख्य गांव को जोड़ देते हैं। वहां एक लट्टू चास देते हैं उसको इलैक्ट्रिफिकेशन मान लिया जाता है। वे जो 50 और 60 घरों के मजरे और ढाणियां हैं उनको आने वाले 10 वर्षों तक भी बिजली नहीं मिल पाती है।

श्री अध्यक्ष : श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल।

श्री दुर्गा प्रसाद (गंगापुर) : अध्यक्ष महोदय, जो गांव पहले विद्युतीकृत थे और बाद में आंधी-तूफान के कारण उनके खम्भे गिर गये या बिजली के तार चोरी चले गये उनके लिये सरकार पूरी तत्परता फिर से विद्युतीकरण करने के लिये बरत रही है।

इस सिलसिले में मैंने पहले भी मंत्री महोदय से निवेदन किया था, मेरे यहां एक गांव है कमालपुरा, वहां के रास्ते के 8-10 बिजली के खम्भे तूफान के कारण गिर गये। बाद में तार चोरी चले गये। पिछले 3 साल से ऐसी स्थिति बनी हुई है। वहां पर जब मैंने ए.ईएन. से बात की तो उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को हमने एस्टीमेट भेज दिया है परन्तु राज्य सरकार से वहां पर एस्टीमेट स्वीकृत होकर नहीं पहुंचा है। जनता बहुत ज्यादा परेशान है।

मेरा निवेदन यह है कि कम से कम जो गांव पहले विद्युतीकृत हो गये थे उनमें तो आप फिर फील्ड वायर से पुनः बिजली पहुंचा दें।

श्री अध्यक्ष : भाषण नहीं।

श्री हीरासिंह चौहान : अध्यक्ष महोदय, मेरा माननीय विद्युत मंत्री जी से निवेदन है कि आप एक गांव जो एक लोकेशन में बसा हुआ है उसी को रेवेन्यू गांव मानते हैं क्या ? रेवेन्यू गांव के साथ जुड़े हुए सारे मजरे और सारी ढाणियां उसी रेवेन्यू गांव का पार्ट और पार्सल होते हैं। सब प्रकार की आबादी की गणना करते समय या अन्य प्रकार के राज के सारे कार्यक्रम करते समय उसको रेवेन्यू गांव माना जाता है।

लेकिन केवल विद्युतीकरण करते

(श्री हीरासिंह चौहान)

समय आप केवल एक लोकेशन पर बिजली पहुंचाते हैं और गांव के जितने भी मजरे हैं उन सबको छोड़ देते हैं। इसलिये मेरा भी आपसे निवेदन है कि जब गांव को इलेक्ट्रिफाई करने की आपकी स्कीम होती है उसी समय मजरे और ढाणियां भी इलेक्ट्रिफाइड होने चाहिए, उनके लिये कोई अलग से स्कीम नहीं बननी चाहिए।

श्री हरिश चन्द्र (नावां) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो गांव विद्युतीकृत हो गये हैं उनमें घरों के कनेक्शन करने के लिये 1200 रुपये लेकर कनेक्शन देने का प्रावधान आपने कर रखा है। परन्तु ऐसे कई मामले पेंडिंग पड़े हैं, जिनके घरों में कनेक्शन नहीं किये जा रहे हैं। वे गांव विद्युतीकृत हैं और उनके घरों के कनेक्शन नहीं हो रहे हैं तो क्या फायदा है फिर ?

श्री हरिसिंह (मुख्य सचेतक) : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न डग क्षेत्र से सम्बन्धित है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न तो डग क्षेत्र से सम्बन्धित है पर इसमें 43 गांव बाकी रहे हैं और मजरों और ढाणियों के बारे में भी भाग तीन में जानकारी पूछी थी, वह उन्होंने दे दी है। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (मुख्य सचेतक) : इतनी सूचना मंत्रीजी के पास पूरे राजस्थान की सम्भव भी नहीं है। (व्यवधान)

श्री जीतमल खांट : सारे राजस्थान का प्रश्न है।

श्री जगत सिंह दायमा : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत इम्पार्टेंट विभाग है और इसकी चर्चा मात्र चार–पांच मिनट में नहीं हो सकती, इसके लिए तो कम से कम घंटा, दो घंटा अलग से समय दिया जाए।

श्री जीतमल खांट : माननीय मंत्रीजी जो भी सूचना देते हैं बिलकुल संदिग्ध अवस्था में है। यह हालत पूरे राजस्थान में है। (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : अध्यक्ष महोदय, अगर घंटा नहीं मिले तो आधे घंटे की चर्चा तो इसके ऊपर रखवानी चाहिए।

श्री अध्यक्ष :– माननीय श्री जीतमल जी, विराजिये।

श्री जगत सिंह दायमा : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि प्रश्न-काल में यह पूरा जो एक इम्पार्टेंट विभाग है इसके ऊपर चर्चा नहीं हो सकती। आधा घंटा तो कम से कम इसके ऊपर अलग से चर्चा करें, जब जाकर कोई काम हो सकता है।

श्री अध्यक्ष : कोई आवश्यक नहीं है।

श्री हरिसिंह (मुख्य सचेतक) : आपको खुद को तो प्रश्न लगाने के लिए समय है नहीं और दूसरे माननीय सदस्यों के प्रश्नों को हाइजैक करते हो। (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : मैंने इधर से कहा है, मैं उधर से भी कह सकता हूं, आप थोड़ा ध्यान रखो इस बात का। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, विराजिये। (व्यवधान) बात मत करिये। आपने पूछ लिया यहां पर।

श्री रामस्वरूप : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक प्रश्न है। कागजों के अंदर जो विद्युतीकरण दिखा रखा है आपके अधिकारियों/कर्मचारियों ने, क्या माननीय मंत्रीजी इस बात की जांच करवाएंगे? खाली कागजों में विद्युतीकरण है और मौके पर जाकर देखें तो एक भी लट्ठा नहीं है।

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न नहीं। अलग से अनुपूरक प्रश्न है। प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है, प्रश्न से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री रामस्वरूप : दूसरा मेरा निवेदन है कि हमारे यहां दो लाख के तार चोरी चले गये गुढ़ाचन्द्रजी के अन्दर, आज तक उसका कोई पता नहीं लगाया।

श्री अध्यक्ष : बैठिये।

श्री रामस्वरूप : न उन अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही हुई है। माननीय मंत्रीजी, दो लाख के तार चोरी गये हैं उनके बारे में कोई कार्यवाही करेंगे?

डा. चन्द्रभान : अध्यक्ष महोदय, जहां तक ढाणियों और मजरों में विद्युत तंत्र के विस्तार का सवाल है इसके लिए स्पष्ट नियम बने हुए हैं। रायपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो सवाल किया है कि राजस्व ग्राम आप किसको मानते हैं, राजस्व-ग्राम हम उसी को मानते हैं जिसका आबादी क्षेत्र बाकायदा राजस्व के कानून के अन्तर्गत कटा हुआ होता है। उसके साथ ही कनेक्शन देने में यह व्यवस्था भी की गयी है कि आबादी क्षेत्र से 100-100 मीटर की दूरी में भी यदि कोई ढाणी या गांव या कोई घर बसे हुए हैं उनको भी हम जो 1200 रुपये की स्कीम है उसी में कवर करते हैं।

लेकिन उससे आगे मान लीजिए 10 घर बस गये एक किलोमीटर दूरी पर या आधा किलोमीटर पर, उसके लिए यह व्यवस्था की गयी है कि 100 मीटर तक तो कोई चार्ज नहीं होगा। 100 मीटर के आगे होगा उस पर 80 रुपये मीटर के हिसाब से लाइन का चार्ज होगा, उसके द्वारा कनेक्शन दिये जा सकते हैं।

जहां तक आपने कहा कि 1200 रुपये जमा कर लिये और कनेक्शन नहीं दिये, अध्यक्ष महोदय, हमारी कोशिश तो यह है कि पहले तो 31 मार्च तक और जून तक के जिन लोगों के पैसे जमा हैं सभी लोगों को घरेलू कनेक्शन दे दें। मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि मार्च 31 तक करीब सवा दो लाख लोगों को घरेलू कनेक्शन दिये जा चुके हैं और करीब साठ हजार से ज्यादा लोगों का डिमांड नोट का पैसा जमा है, उन्हें भी जल्दी कनेक्शन देंगे।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन, श्री जनार्दनसिंह गहलोत ।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू) : अध्यक्ष महोदय, बिजली से सम्बन्धित मेरा भी एक प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन ।

राज्य खेल परिषद द्वारा वनवासी संगठन को आवंटित राशि

218. श्री जनार्दन गहलोत (करौली) : क्या खेलकूद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राजस्थान राज्य खेल परिषद को राज्य सरकार ने वर्ष 1991 से फरवरी, 2000 तक कितनी राशि उपलब्ध कराई है ?

(2) उक्त राशि में से प्रति वर्ष कर्मचारियों पर कितनी राशि व्यय की गई है ?

(3) वर्ष 1990 में परिषद में कर्मचारियों/अधिकारियों की संख्या क्या थी ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(4) वर्ष 1991 से फरवरी, 2000 तक वर्षवार कितनी-कितनी राशि खेलों पर व्यय की गई है ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(5) उक्त वर्षों में वर्षवार कितनी राशि की कब-कब क्या खेल सामग्री क्रय की गई ?

(6) उक्त सामग्रियों में से कितनी-कितनी और क्या-क्या सामग्री किन-किन लोगों/संस्थाओं को दी गई ?

(7) वर्ष 1991 से फरवरी, 2000 तक वनवासी संगठन को कितनी राशि कब-कब दी गई ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

राज्य मंत्री, खेलकूद (मास्टर भंवर लाल मेघवाल): (1) वर्ष 1991 से फरवरी, 2000 तक राजस्थान राज्य खेल परिषद को राज्य सरकार द्वारा 27 करोड़ 37 लाख 80 हजार रुपये की राशि उपलब्ध करायी गई ।

(2) उक्त राशि में से 15 करोड़ 68 लाख 54 हजार रुपये की राशि कर्मचारियों पर व्यय की गई । वर्षवार विवरण परिशिष्ट-'क' सदन के पटल पर रख दिया गया है ।

(3) वर्ष 1990 में परिषद में कर्मचारियों व अधिकारियों की संख्या 202 थी । सूची परिशिष्ट-'ख' सदन के पटल पर रखी गई है ।

(4) वर्ष 1991 से फरवरी, 2000 तक खेलों पर रुपये चार करोड़ 46 लाख 84 हजार की राशि व्यय की गई । वर्षवार विवरण परिशिष्ट-'ग' सदन के पटल पर रख दिया गया है ।

(राज्य मंत्री, खेलकूद)

(5) उक्त वर्षों में खरीदी गई खेलों की सामग्री का विवरण परिशिष्ट–'घ' सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

(6) परिषद द्वारा लोगों व संस्थाओं को दी गई खेल सामग्री का विवरण परिशिष्ट-'ङ' सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

(7) वर्ष 1991 से फरवरी, 2000 तक राजस्थान वनवासी कल्याण परिषद को प्रतियोगिता, शिविर एवं स्टेडियम निर्माण इत्यादि के लिए 64,94,251/- रुपये की राशि दी गई। वर्षवार विवरण परिशिष्ट-'च' सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखे गये)

श्री जनार्दन गहलोत : अध्यक्ष महोदय, सही मायने में 1991-92 में जहां 17.018 का व्यय योजना में किया जाता था वह बढ़ते हुए 1998-99 में 40.24 हो गया। ऐसा क्या कारण है कि 1999-2000 में घटकर वह 23.06 हो गया? खेलों का विकास आप आगे बढ़ाना चाहते हैं या घटाना चाहते हैं? योजना व्यय के अन्दर ही नहीं, गैर योजना मद में भी जो पिछले साल 120.7 था और उसके पहले 271.9 था वह घटकर 7.95 हो गया।

इससे ऐसा लगता है कि राज्य सरकार की नीयत राजस्थान में खेलों के विकास की दृष्टि से मद में पैसा बढ़ाने की नहीं है। इसका क्या कारण है कि यह घटता जा रहा है। जहां तक कर्मचारियों का प्रश्न है, 1991-92 में 27.52 और 64.98 था जो बढ़ता हुआ 233.12 पहुंच गया। कर्मचारियों पर तो आपका खर्च बढ़ रहा है। 1991 से लेकर आप देख लीजिए, हर साल में वह खर्च तो बढ़ता जा रहा है लेकिन खेलों के विकास के ऊपर घटता जा रहा है। ऐसी स्थिति के अन्दर खेलों का विकास राजस्थान के अंदर कैसे होगा? पहले प्रश्न का जवाब तो मुझे इस बात का दे दीजिए, मंत्री महोदय।

दूसरा, ऐसा मैंने कभी नहीं देखा, आर एस.एस. से सम्बन्धित संस्थाएं जिनका साम्प्रदायिक संगठन हो, उनको पिछली सरकार ने पैसा दिया है। राजस्थान वनवासी कल्याण परिषद को जितना पैसा दिया, क्या सरकार के नियमों में ऐसी संस्थाओं को मद में पैसा देने का प्रावधान है? ऐसा मैंने पहले कभी नहीं देखा। क्या इस साल आपने उसको रोकने का प्रावधान रखा या नहीं?

तीसरा, मुझे यह पूछना है कि जो खेल सामग्री उपलब्ध करायी गयी, आपका रिकार्ड आप देख लीजिए, आदर्श विद्या मंदिर, सांगानेर, वनवासी कल्याण परिषद, आदर्श विद्या मंदिर, जामडोली, आदर्श विद्या मंदिर, दौसा, आदर्श विद्या मंदिर, बूंदी, आदर्श विद्या मंदिर, कोटा, आदर्श, विद्या मंदिर, जोधपुर, आदर्श विद्या मंदिर, बारां, आदर्श विद्या मंदिर, हनुमानगढ़, आदर्श विद्या मंदिर, जयपुर ऐसी संस्थाएं जो कि आर.एस.एस. के द्वारा चलायी

(श्री जनार्दन गहलोत)

जाती हैं, उन संस्थाओं को पैसा राज्य सरकार देती रही है। क्या राज्य सरकार ने अब इन संस्थाओं को पैसा देना, सामग्री देना बंद किया है या नहीं? यह मुझे जवाब दे दीजिए।

मास्टर भंवरलाल मेघवाल : अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि 1991–92 से लेकर 2000 तक आयोजना मद के अंदर व्यय राशि घटी है। यह भी बात सही है कि आयोजना व्यय के जो दूसरे मद हैं उसमें कर्मचारियों/अधिकारियों पर राशि बढ़ी है। माननीय सदस्य का यह कहना भी सही है कि खेलों के विकास के लिए जो राशि दी जाती है वह राशि हर साल कम होती जा रही है। इस सम्बन्ध में वित्त विभाग से इस साल चेष्टा की जाएगी। बजट रखा है 29 तारीख को, मुझे आशा है कि माननीय सदस्य 30 तारीख को इस बात पर अपने विचार रखेंगे तो खेल विभाग की राशि बढ़ाने की बात कहेंगे।

दूसरा प्रश्न आपका कि राजस्थान वनवासी कल्याण परिषद को 64 लाख 94 हजार 251 रुपये की राशि पिछले 9 वर्षों में दी गयी है। यह राशि 1994 के अंदर 16 लाख, 1995 के अंदर 24लाख 98 हजार 403, 1996 के अन्दर 1 लाख 16 हजार, 1997-98 में 4 लाख, 1998-99 में 5 लाख, इस प्रकार कुल राशि 64 लाख 94 हजार 251 है। पिछले साल यानि नई सरकार के बनने के बाद एक पैसे की राशि भी नहीं दी गयी है।

लेकिन पहले यह राशि दी गयी है और इस राशि में से 5,59,652 की राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र अभी कौंसिल को प्राप्त नहीं हुआ है। बाकी की राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र कौंसिल को प्राप्त हो चुका है। यह जो राशि है इस राशि का या तो जल्दी उपयोगिता प्रमाण-पत्र कौंसिल को मिल जाएगा अन्यथा रिकवरी की कार्यवाही कर ली जाएगी।

श्री जनार्दन गहलोत : खेल सामग्री का नहीं बताया कि आपकी नीति आर.एस.एस. और साम्प्रदायिक संस्थाओं वाली संस्थाओं को पहले देने की जो रही है, क्या अब आपने बंद की है या नहीं? बहुत जरूरी बात है।

श्री जगत सिंह दायमा : आपका सवाल पूरा हो गया? अध्यक्ष महोदय, मेरा एक सवाल है, ओलम्पिक्स में कितनी टीमें गयी हैं और उस पर कुल कितना खर्चा राजस्थान खेल परिषद का हुआ?

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये। उधर नहीं, आसन की तरफ देखिये।

श्री जगत सिंह दायमा : राजस्थान खेल परिषद का कितना पैसा उसमें लगा है अभी तक, यह मैं पूछ रहा हूं। इसमें कहां दूसरा है? इससे जुड़ा हुआ सवाल है यह।

मास्टर भंवरलाल मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान वनवासी कल्याण परिषद हो चाहे आदर्श विद्या मंदिर या

(मास्टर भंवरलाल मेघवाल)

अन्य संस्था हो, उनको पिछले वर्षों में जो राशि दी गयी है वह जिलेवार समानता के हिसाब से नहीं दी गयी है। न ही खेल सामग्री का वितरण समानता के आधार पर किया गया है।

मैं अब सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो राशि कौंसिल को प्राप्त होगी वह नियमानुसार समानता के आधार पर खेल संस्थाओं को और ऐसी खेल गतिविधियां जो परिणाम अच्छे दे सकें, उनको देने की कार्यवाही की जाएगी।

श्री जनार्दन गहलोत : अध्यक्ष महोदय, सिर्फ एक सवाल। राजस्थान के मुख्य मंत्री युवा मुख्य मंत्री हैं और वे सदन में सौभाग्य से बिराजमान हैं। मुझे कहना है कि अन्य प्रान्तों के मुकाबले में राजस्थान के अन्दर खेलों पर जितना पैसा आना चाहिए, वह नहीं आया है। खिलाड़ी जो अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर जीतकर आते हैं, उनको नौकरियों में भर्ती के मामले में पिछली सरकार में मुख्य मंत्री भैरोंसिंहजी थे। इन्होंने बढ़-चढ़कर घोषणाएं की थीं कि मैं रोजगार दूंगा, भर्ती करूंगा, एक नहीं दे पाए।

क्या युवा मुख्य मंत्री उनको रोजगार देने की मंशा रखते हैं? जो ओलम्पिक और एशियाड में जीतकर आते हैं उन खिलाड़ियों को राजस्थान नहर पर या मकान की सुविधा या किसी प्रकार की और सुविधा जैसी दूसरे प्रान्तों में देते हैं उस प्रकार की देते हैं तो राजस्थान के अन्दर निश्चित तौर से खेलों का विकास होगा।

मुख्य मंत्रीजी यहां मौजूद हैं, युवा मुख्य मंत्री हैं और राजस्थान के अन्दर खेलों को बढ़ावा देना चाहते हैं, मैं चाहूंगा दो शब्द मुख्य मंत्री जी कहें ताकि राजस्थान में खेलों का विकास हो सके।

श्री जगत सिंह दायमा : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो भी खेल होता है उसमें करौली से आने वाले माननीय विधायकजी जाते हैं और उन पर सारा खर्चा होता है राजस्थान खेल परिषद का। मुझे यह पूछना है कि आपने अब तक कितने खेल खुद ने खेले? कौनसा खेल आप जानते हो? पटाखा खेल जानते हो या कुश्ती का जानते हो या हाकी जानते हो या क्रिकेट जानते हो? आये बार आप जाते हो।

मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि राजस्थान खेल परिषद का चाहे एशियाड का हो या ओलम्पिक का हो, इसका भी कोई पैसा लगा है या नहीं लगा? नहीं लगा है तो मना कर दें।

श्री जनार्दन गहलोत : ऐसा है, मैं इसका भी जवाब देता हूं, एक मिनट। मैं आपसे कहना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय के माध्यम से कि राजस्थान खेल परिषद के पैसे से जनार्दन सिंह गहलोत ने एक बार भी पैसा नहीं लिया है। न राजस्थान सरकार का पैसा लेकर दौरे किये हैं।

(श्री जनार्दन गहलोत)

दूसरी बात और कह दूं कि राजस्थान सरकार की ओलम्पिक में टीम भेजने के प्रावधान में 30-35 हजार रुपये कभी दो साल में दिये होंगे तो दिये होंगे, भैरोंसिंह जी ने जो परम्परा डाली वही यह सरकार दे रही है। कोई नया कुछ नहीं किया है।

हमारी मांग है कि कुछ ज्यादा दें। और जो खेलों की बात कर रहे हैं कि मैं कौनसा खेल जानता हूं; आप जो भी खेल मुझसे खेलना चाहते हो उस खेल में मैं आपसे खेलने के लिये तैयार हूं। चाहे कोई भी खेल खेलना चाहते हों, दोनों हाथ से मुकाबला करने को तैयार हूं।

श्री रामस्वरूप : आप तो राजनीति का खेल खेलते रहो, और को छोड़ो।

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये।

श्री जगत सिंह दायमा : मैं तो आपसे पहले से ही हार मान रहा हूं। आपको मैं नहीं हरा सकता।

श्री अध्यक्ष : ओलम्पिक का अलग से प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन। श्री हरजीराम बुरड़क।

जिला नागौर में संचालित केन्द्रों पर चयनित कर्मी

219. श्री हरजीराम बुरड़क(लाडनूं): क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जिला नागौर में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा क्या-क्या योजनाएं किस-किस क्षेत्र में कब-कब से चल रही हैं ?

(2) उक्त जिले में इस विभाग के कहां-कहां पर कार्यालय हैं, उनमें कौन-कौन से कर्मचारी कब-कब से कार्यरत हैं और उनमें ठेके के और विभाग के अलग–अलग कितने हैं ?

(3) ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कहां-कहां पर इनके केन्द्र चलाये जा रहे हैं ? उक्त पर कौन-कौन कर्मचारी कार्यरत हैं तथा कहां पर कब से स्थान रिक्त है ?

(4) ग्रामीण/शहरी क्षेत्रों के केन्द्रों पर कर्मचारियों की नियुक्ति के लिये क्या प्रक्रिया अपनायी जानी चाहिये थी और क्या अपनायी गयी ? इस सम्बन्ध में जारी आदेशों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती जकिया) : (1) जिला नागौर में महिला विकास कार्यक्रम जिला महिला विकास अभिकरण नागौर के माध्यम से चलाए जा रहे हैं। जिला महिला विकास अभिकरण की स्थापना दिनांक 30-3-96 को की गयी है।

नागौर जिले की 9 पंचायत समितियों में समेकित बाल विकास सेवा कार्यक्रम चलाया जा रहा है। जिसका विवरण निम्नानुसार है :–

(श्रीमती जकिया)

क्र. सं.	बाल विकास परियोजना मुख्यालय	प्रारंभ वर्ष
1.	डेगाना	1982-83
2.	जायल	1987-88
3.	मेड़तासिटी	1987-88
4.	डीडवाना	1987-88
5.	मूंडवा	1987-88
6.	रिया	1989-90
7.	मकराना	1994-95
8.	परबतसर	1994-95
9.	लाडनूं	1995-96

(2) नागौर जिले में परियोजना निदेशक, जिला महिला विकास अभिकरण, नागौर एवं क्षेत्रीय उप निदेशक (बाल विकास), नागौर के जिला स्तरीय एवं 9 बाल विकास परियोजनाओं के कार्यालय उपरोक्तानुसार कार्यरत हैं। इनमें कार्यरत कर्मचारियों का विवरण परिशिष्ट-'अ' पर संलग्न है। जिले में विभाग की विभिन्न योजनाओं के अधीन 183 पद स्वीकृत हैं जिनमें 29 पद ठेके के व 154 विभाग के हैं। ठेके के सभी पद रिक्त हैं।

(3) महिला विकास कार्यक्रम में कोई केन्द्र संचालित नहीं है। समेकित बाल विकास सेवा योजना के अधीन जिले के लिये 1454 केन्द्र स्वीकृत हैं। इनमें से 1372 केन्द्र ग्रामीण क्षेत्र में एवं 6 केन्द्र शहरी क्षेत्र लाडनूं में चलाये जा रहे हैं। शेष 76 केन्द्र रिक्त हैं। इन केन्द्रों पर विभागीय कर्मचारी कार्यरत नहीं हैं अपितु मानदेय सेवा पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका के रूप में महिलाएं कार्यरत हैं। आंगनबाड़ी केन्द्रों पर कार्यरत महिलाओं की सूची परिशिष्ट-'ब' पर एवं रिक्त केन्द्रों की सूचना परिशिष्ट-'स' पर उपलब्ध है।

(4) आंगनबाड़ी केन्द्र संचालन हेतु वर्तमान में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका के चयन में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया ही अपनायी गयी है। इस सम्बन्ध में विभाग द्वारा जारी आदेशों की प्रति परिशिष्ट-'द' पर अंकित है।

(सूचना विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

श्री हरजीराम बुरड़क : अध्यक्ष महोदय, जैसा सरकार ने उत्तर दिया है, नागौर जिले में 9 पंचायत समितियों में यह स्कीम चलायी जा रही है और 183 कर्मचारी व अधिकारी कार्यरत हैं। जो इसके साथ सूची दी गयी है उसमें लाडनूं पंचायत समिति में एक सांख्यिकी सहायक के अलावा कोई कर्मचारी नियुक्त नहीं है। सूची में सैंकड़ों केन्द्र गांवों में चलाये जाने का बता रहे हैं परन्तु उनको कोई देखने वाला नहीं, उनको कोई सम्भालने वाला नहीं। आपने भी सुना होगा कि गांव-गांव में ये शिकायतें आ रही हैं कि इन केन्द्रों

(श्री हरजीराम बुरड़क)

पर जो सामग्री वितरित की जाती है उसका न कोई हिसाब है, न कोई देखने वाला। इस एक कर्मचारी से यह साबित हो जाता है कि इतने बड़े एरिए में एक सांख्यिकी सहायक के अलावा वहां न कोई बाबू है, न कोई चपरासी है; न कोई अधिकारी है, न कोई अकाउंटेंट है, कुछ भी नहीं है।

दूसरा, आपने गांव में आंगनबाड़ी केन्द्रों में कार्यकर्ताओं के चयन के सम्बन्ध में सर्कुलर की कॉपी इस प्रश्न के उत्तर के साथ में दी है। उसकी कोई पालना नहीं होती है। उदाहरण के तौर पर, इसमें लिखा है कि उसके चयन के लिये ग्राम सभा में उसकी एप्रूवल होगी। किसी भी जगह, किसी भी ग्राम सभा में कोई एप्रूवल नहीं हुई।

अधिकारियों और कर्मचारियों ने मिल कर भयंकर रूप से गांवों में भ्रष्टाचार कर के पैसे ले-ले कर नियुक्तियां की हैं। यह मेरा सीधा आप पर आरोप है। अगर आप इसमें कोई जांच करा कर साबित करना चाहते हैं तो आप निष्पक्ष रूप से जांच करा लें। मेरा पुनः यह निवेदन है कि इसमें कुछ पोस्टें ठेके की बतायी हैं, ठेके वाली तो खाली पड़ी हैं और 183 आपके डिपार्टमेंट की पोस्ट है उसमें इतने कर्मचारी लगे हुए हैं फिर भी लाडनूं क्षेत्र में एक कर्मचारी के अलावा कोई भी नहीं है। ऐसा क्यों है ?

श्रीमती जकिया : माननीय अध्यक्ष महोदय; मैं माननीय सदस्य को पहले तो यह बताना चाहूंगी कि हमारे ठेके 29 फरवरी को खतम हो चुके हैं। वित्त विभाग को इसकी स्वीकृति के लिए भेज दिया गया है, जैसे ही वहां से स्वीकृत होकर आएंगे वे फिर रिन्यू कर दिये जाएंगे।

दूसरा सवाल कि आंगनबाड़ी केन्द्र पर हम महिलाओं को रिश्वत लेकर भर्ती करते हैं, तो माननीय सदस्य, राजस्थान में महिलाओं की साक्षरता का आंकड़ा 22 प्रतिशत है। यहां हम आठवीं पास महिला मांगते हैं, इसमें मिलना ही मुश्किल हो जाता है। मैंने आपको पढ़ कर सुनाया है कि अभी भी 74 जगह खाली हैं, अगर रिश्वत ही लेकर लेना होता तो खाली क्यों छोड़ते ? वहां रिश्वत नहीं लेते ? देखिये, आप लोग जो भी सवाल करें उसमें थोड़ा-सा ध्यान रख कर करें। आफिसर्स को ह्यूमिलिएट करना सदन का काम नहीं है।

मैं आप से निवेदन करना चाहती हूं कि यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं किया जा रहा है। हम लोग खुद भी बहुत बड़ी परेशानी में आते हैं जब महिलाओं के चयन की प्रक्रिया आती है। इसमें एक शर्त लगा दी गयी है कि या तो वह विवाहित हो या वह विधवा हो। विवाहितों को उनके पति निकलने नहीं देते और विधवाएं ससुराल वालों के डर से नहीं निकलतीं। (व्यवधान)

अब आप एक मिनट मेरी सुन लें पहले, फिर जो कुछ आप कहेंगे मैं आपकी सुनना चाहूंगी।

(श्रीमती जकिया)

जब वहां सलेक्शन के लिए जाते हैं तो इतनी मुश्किलें आती हैं। आपने इसमें यह कहा कि रिश्वत लेकर हम लगा देते हैं, अब इसमें कितनी सच्चाई है मुझे पता नहीं। अगर आप यह समझ रहे हैं तो मैं तो आपको ही यह जिम्मेदारी देती हूं कि जो 74 पोस्टें खाली पड़ी हुई हैं उनमें आप हमारी मदद कर दें।

श्री अध्यक्ष : 76

श्रीमती जकिया : मुझे तो जो जवाब देना था वह आपको दे चुकी हूं। आप और कुछ भी पूछेंगे तो भी जवाब दूंगी मगर मैं एक बात जानना चाहती हूं सदस्य से कि सदस्य कोई पर्टीकूलर क्वेश्चन पूछना चाहते होंगे लाडनूं के बारे में, पूरे डिस्ट्रिक्ट के बारे में पूरे केन्द्रों की संख्या पूछने के पीछे क्या औचित्य हो सकता है? अध्यक्ष महोदय, इतनी लम्बी एक्सरसाइज।

श्री अध्यक्ष : आपने दे दी है सब सूचना तो। (व्यवधान)

श्री रतनाराम चौधरी (रानीवाड़ा) : अध्यक्ष महोदय, यह कोई लाडनूं या नागौर की नहीं है। (व्यवधान) हर जिले में....(व्यवधान)

श्री हरजीराम बुरड़क : माननीय मंत्री महोदया, प्रश्न में क्या सूचना पूछनी है क्या नहीं पूछनी है, यह डाइरेक्शन देने का राइट नहीं है। यह अध्यक्ष महोदय का अधिकार क्षेत्र है। माननीय अध्यक्ष महोदय ने अनुमति दी है तब यह क्वेश्चन इसमें लगा है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, बात नहीं करें।

श्री यशवन्त सिंह (रामू) (नदबई) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदया से पूछना चाहता हूं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैंने आपको अनुमति नहीं दी है, आप बिराजिये।

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : विधान सभा में कैसे आ जाती है विवाहित औरत फिर?

श्रीमती जकिया : फिर से बोलिये।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्ता।

श्री हरजीराम बुरड़क : ठेके की अवधि आपने बता दी कि समाप्त हो गयी लेकिन 154 पद आपके विभाग के और 9 पंचायत समितियों में आपकी योजना चल रही है तो 154 में से लाडनूं में एक ही कैसे लगा रखा है? आपने इसका कोई जवाब नहीं दिया।

श्रीमती जकिया : मैं आपको पूरा विश्वास दिलाती हूं कि पद भरने की प्रक्रिया शुरू हो गयी है, आपको शायद एक महीने के अन्दर ये सारी शिकायतें दूर मिलेंगी।

श्री हरजीराम बुरड़क : मैं यह नहीं पूछ रहा हूं। मैं यह पूछ रहा हूं कि 154 में से 9 पंचायत समितियों में आपने लाडनूं में एक कैसे लगा रखा है ? यह बता दें, नम्बर एक।

दूसरी बात, आपने कहा कि गांवों में मिलते नहीं हैं, तो आप जांच करा लीजिये कितनी-कितनी एप्लीकेशन्स एक-एक केन्द्र के लिए आयी हैं और उसमें से कैसे सलेक्शन किया ? आप इसकी जांच करा लीजिये।

श्रीमती जकिया : मैं इसकी जांच करवा लेती हूं कि ऐसा क्यों हुआ है, आप के लाडनूं के साथ यह नाइंसाफी क्यों हुई है ? बाकी यह विश्वास दिला रही हूं कि विदिन वन मंथ हम पूरा रिक्रूटमेंट कर रहे हैं उसमें आपके यहां कर देंगे।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन। (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : अध्यक्ष महोदय, एक महत्वपूर्ण सवाल है।

अध्यक्ष महोदय, विश्व बैंक से इस वर्ष महिला-बाल विकास कल्याण के लिए कितनी राशि का प्रावधान किया गया था? क्या उस राशि का उपयोग आपने इस वर्ष में किया है या उस राशि को बिना किसी प्रकार के व्यय के छोड़ दिया गया है ? यह बता दीजिये।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न नागौर के सम्बन्ध में है। (व्यवधान) अलग से प्रश्न है।

श्री हीरासिंह चौहान : यह विभाग से सम्बन्धित है, अध्यक्ष महोदय। करोड़ों रुपये लैप्स हो गये, यह राशि काम में नहीं ली गयी है। आज के ही राजस्थान पत्रिका में इसका सम्पूर्ण विवरण आया है कि उन्होंने उस राशि का किसी प्रकार से उपयोग नहीं किया। यह महत्वपूर्ण सवाल है। विश्व बैंक से राशि उपलब्ध की गयी। एक भी ऐसी पंचायत समिति नहीं रहती जहां पर महिला विकास आंगनबाड़ी केन्द्र खोले जा सकते थे लेकिन इन्होंने उस राशि का भी कोई उपयोग नहीं किया और सारी राशि को लैप्स कर दिया पिछले वर्ष में।

श्री अध्यक्ष : श्री राजेन्द्र सिंह राठौड़।

उदयपुर में पर्यटन विकास कार्यों पर व्यय राशि

220. श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) (श्री गुलाब चन्द कटारिया (बड़ी सादड़ी) के स्थान पर) : क्या पर्यटन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या उदयपुर पर्यटन की दृष्टि से राजस्थान और भारत में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है ? यदि हां, तो राज्य सरकार द्वारा इसके विकास के लिए दिसम्बर, 1998 से फरवरी, 2000 के मध्य कितना-कितना वित्तीय प्रावधान रखा गया तथा उसके विकास में कितनी राशि व्यय की गयी ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

(2) उदयपुर में पर्यटन आवास सुविधा के अन्तर्गत गत एक वर्ष में राज्य सरकार द्वारा किस-किस प्रकार की सुविधाओं को उपलब्ध करवाया गया है ?

(3) क्या यह सही है कि उदयपुर का अधिकांश व्यापार पर्यटन पर आधारित है ? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा किसी स्थान विशेष को पर्यटन बाजार के रूप में विकसित करने की कोई योजना भविष्य में विचाराधीन है ?

राज्य मंत्री, पर्यटन (श्रीमती बीना काक) : (1) जी हां । पर्यटन विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 1998-2000 के मध्य उदयपुर जिले में पर्यटन की दृष्टि से विकास कार्यों हेतु किये गये प्रावधान एवं व्यय की सूचना परिशिष्ट-'क' पर संलग्न है ।

(2) गत एक वर्ष में उदयपुर के कजरी पर्यटक विभाग गृह के छः कमरों का जीर्णोद्धार किया गया है । इसके अतिरिक्त पेइंग गेस्ट आवास योजना के तहत उदयपुर में वर्ष 1999 में 59 पेइंग गेस्ट आवासों के अनुज्ञापत्रों का नवीनीकरण किया गया तथा 12 नये अनुज्ञापत्र जारी किये गये । राज्य पूंजी विनियोजन अनुदान योजना, 1993 के अन्तर्गत 3 होटलों को कैपिटल सब्सिडी दी गयी ।

(3) जी हां । वर्तमान में कोई योजना विचाराधीन नहीं है ।

(सूचना के लिए कृपया परिशिष्ट-1 देखें)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदया ने उत्तर में यह तो माना है कि पर्यटन की दृष्टि से उदयपुर का बहुत बड़ा महत्व है लेकिन पिछले एक वर्ष में आपने जो राशि व्यय की है वह 7 लाख 81 हजार है, क्या यह राशि पर्याप्त है ? नम्बर एक ।

नम्बर दो, मेवाड़ काम्प्लेक्स योजना जिसकी चर्चा राजस्थान और राजस्थान के बाहर भी बहुत हुई है, इसका ऐतिहासिक महत्व, सामरिक महत्व मैं समझता हूं, आप बहुत अच्छी तरह समझते हैं । इसके लिए 1998-99 में जितना प्रावधान था 45 लाख का और 1999-2000 में जो प्रावधान था 11 लाख का, इसमें से आप राशि खर्च कर रही हैं 3 लाख 77 हजार और 14 लाख 46 हजार ।

मैं आपसे यह जानना चाहूंगा कि यह जो राशि बची हुई है क्या इस राशि को इसी महाराणा प्रताप के समाधि स्थल, छतरी और चावंड विकास पर खर्च करेंगे ? खर्च करेंगे तो कब तक और इसमें विलम्ब हुआ तो क्यों ?

क्या उदयपुर को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने के लिए और कोई योजना आपकी प्रस्तावित है ? इस बार वित्तीय वर्ष में कोई प्रावधान है क्या ?

श्रीमती बीना काक : अध्यक्ष महोदय, मैं चूरू से आने वाले माननीय सदस्य की बात से सहमत हूं कि उदयपुर को बहुत महत्व देने की जरूरत है और राजस्थान

(श्रीमती बीना काक)

में उदयपुर एक बहुत महत्वपूर्ण जगह रखता है क्योंकि वहां पर डोमेस्टिक और फोरेन, दोनों पर्यटक काफी मात्रा में आते हैं।

अध्यक्ष महोदय, हालांकि यह छोटी सादड़ी से आने वाले माननीय सदस्य का प्रश्न है और मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहती थी क्योंकि जब से सदन शुरू हुआ है, मेरे प्रश्नकाल में करीब-करीब रोज उनका एक सवाल आ रहा है और वे बहुत ट्यूरिज्म फ्रैंडली हो रहे हैं। लेकिन चूंकि आपने इसका जवाब मांगा है....

श्री अध्यक्ष : मैंने अनुमति दी है जब मांगा है।

श्रीमती बीना काक : मैं मानती हूं कि इस बार वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण पर्यटन विकास सम्बन्धी कार्यों की गति में कमी आयी है लेकिन पूर्णतः रोक नहीं लगी है। अध्यक्ष महोदय, जैसे-जैसे फंड्स रिलीज होते जाएंगे हम कार्य करवा सकेंगे।

मेवाड़ काम्प्लेक्स का जितना दर्द चूरू से आने वाले माननीय सदस्य को है उतना ही उदयपुर के लोगों को और अन्य माननीय सदस्यों को भी है। मेवाड़ काम्प्लेक्स योजना में करीब 12 करोड़ की योजना बनी है और उसमें 11 लाख रुपये सेंक्शन हुए थे जिसमें 3.77 का जैसा कि आप कह रहे हैं, बारादरी का और सड़क का काम चावंड में किया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय, मैं एक चीज माननीय सदस्य को बिलकुल क्लीयर कर देना चाहती हूं कि यह योजना जब शुरू हुई थी तो हल्दीघाटी के महत्व को देख कर हल्दीघाटी पर कन्सनट्रेट करने का किया गया था। पिछले वर्षों में जब आपकी सरकार थी, माननीय सदस्य, करोड़ों रुपया वहां पर लगाया गया। मैं खुद कुछ महीने पहले इसको देखकर आयी थी; चावंड गयी थी... (व्यवधान)...हां, ताली बजा लीजिये लेकिन जो वहां पर जनता के धन का दुरुपयोग हुआ है, आज वहां पर बंशियां टूटी हुई

(12.00 बजे)

मिलीं। वहां पर जो शिलालेख लगाये हुए हैं उनको उतारने की कोशिश की गयी। वहां पैसा खर्च किया गया लेकिन वहां पर्यटक कैसे जाएगा, इसके लिए कोई योजना नहीं बनायी गयी। वहां पर कौन उसका ध्यान रखेगा, उसके लिए कोई योजना नहीं बनायी गयी। यहां तक कि वहां के जो गांववासी हैं, उन्होंने भी उस स्मारक का कोई ध्यान नहीं रखा। हम अभी कंसोलिडेट करना चाहते हैं, जहां हमारी अहमियत है। जहां हम चाहते हैं कि वह चीज सुरक्षित रह सकती है उसको पहले हम तबज्जोह देंगे और थोड़ा-सा कंसोलिडेट करके पहले हल्दीघाटी के विकास का कार्य किया जाएगा। (व्यवधान)

एक मिनट, एक प्रश्न और आपका था कि आगे आपकी क्या योजनाएं हैं। उदयपुर बहुत महत्वपूर्ण है, मैं आपको बता देना चाहती हूं कि माननीय मुख्य मंत्रीजी

(श्रीमती बीना काक)

के निर्देशानुसार पूरे राजस्थान में खास तौर से जहां पर क्राफ्ट बेस विलेजेज हैं, उनको महत्व देकर हाई वेज पर मार्केट डवलप करने की योजना बना रहे हैं। लेक्स में राइड बोट्स और हाउस बोट्स डालकर आवास की सुविधाएं देना चाहते हैं। ईको ट्यूरिज्म और रूरल ट्यूरिज्म बेस योजनाएं बनाकर पर्यटन को रोजगारोन्मुखी बनाना चाहते हैं लेकिन, माननीय सदस्य, इसमें वक्त लगेगा।

श्री जगत सिंह दायमा : उदयपुर के अलावा भी कहीं लगा रहे हैं या नहीं ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : माननीय मंत्री महोदया, आपकी चर्चा राजस्थान में और राजस्थान के बाहर है कि आपने बिल क्लिंटन के साथ काफी समय व्यतीत किया, उनके साथ रहीं। क्या बिल क्लिंटन से आपने राजस्थान के ट्यूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए कोई बात की है ? (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : बिल क्लिंटन के लिए किये हैं, बीस हजार के इन्होंने नये कपड़े पहने हैं।

श्रीमती बीना काक : माननीय सदस्य, बिल क्लिंटन यहां आये थे राजस्थान की हैरिटेज को देखने, हम भीख का कटोरा उनके पास मांगने के लिए नहीं खड़े थे।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक महत्वपूर्ण विषय मजदूरों की यूनियन को कुचला जा रहा है और मजदूरों को निकाला जा रहा है भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र में, मैं उस पर चर्चा चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : ज्ञानदेवजी, बैठिये। प्रश्नकाल समाप्त।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न नहीं है। मेरा यह निवेदन है कि इस बारे में थोड़ा-सा समय दें।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट-2 देखें)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

प्रश्न संख्या 281

(स्थगित)

राजस्थान क्रीड़ा परिषद विभाग का पदोन्नति प्रकरण

282. श्री हरचन्द सिंह सिद्धू (पीलीबंगा) : क्या खेलकूद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राजस्थान क्रीड़ा परिषद में अनुभाग अधिकारी स्तर के कितने पद हैं और उनमें से कितने पद रिक्त हैं ?

(श्री हरचन्द सिंह सिद्धू)

(2) क्रीड़ा परिषद में डी.पी.सी. की मीटिंग कब हुई थी तथा अब कब तक होने की उम्मीद है ?

(3) क्रीड़ा परिषद में अधिकारियों की पदोन्नति की श्रृंखला क्या है और कितने वर्षों के अनुभव के बाद पदोन्नति दी जाती है ? पदवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि गत 10 वर्षों से विभाग में कोई पदोन्नति नहीं दी गई ? यदि हां, तो सूची पद एवं वरिष्ठता क्रम सहित सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह भी सही है कि लम्बे समय से एक ही पद पर बने रहने से अधिकारियों को मानसिक एवं आर्थिक कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या ऐसी स्थिति में ऐसे पद विशेष को सरकार अपग्रेड करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

(6) क्या यह सही है कि जयपुर मुख्यालय में पदस्थापित अधिकारियों के पास जिला स्तर के अधिकारियों से अधिक कार्य है जबकि समान पद के अधिकारियों का चार्ज सम पदाधिकारी के पास ही है ? क्या अधिकारी का पद उच्च होना चाहिए या फिर विशेष वेतन भत्ता दिया जाना चाहिए ? क्या सरकार इस पर विचार करने का कोई इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद में अनुभाग अधिकारी का कोई पद स्वीकृत नहीं होकर इसके समकक्ष एक पद प्रशासनिक अधिकारी का स्वीकृत है, जो वर्तमान में रिक्त है।

(2) क्रीड़ा परिषद में डी.पी.सी. की मीटिंग दिनांक 24-7-98 को हुयी थी। क्रीड़ा परिषद के गठन के पश्चात ही डी.पी.सी. की बैठक आयोजित किया जाना सम्भव होगा।

(3) परिषद में अधिकारियों के दो प्रकार के पद हैं। खेल अधिकारी एवं प्रशासनिक अधिकारी। उक्त दोनों पदों पर पदोन्नति अधिनस्थ कर्मचारियों/प्रशिक्षकों में से की जाती है। खेल अधिकारी के पद पर नियुक्ति निर्धारित योग्यता के आधार पर 50% सीधी भर्ती से एवं 50% प्रशिक्षक ग्रेड प्रथम कि वरिष्ठता के आधार पर 7 वर्ष का अनुभव होने पर की जाती है। प्रशासनिक अधिकारी के पद पर पदोन्नति कार्यालय अधीक्षक से की जाती है।

परिषद में प्रशासनिक अधिकारी एवं खेल अधिकारी के बाद पदोन्नति का प्रावधान नहीं है। पदवार सूची परिशिष्ट-'क' सदन के पटल पर रख दी गयी है।

(4) जी नहीं, परिषद में पदोन्नति समय समय पर दी गयी है। सूची पद एवं वरिष्ठता क्रम सहित परिशिष्ट-'ख' सदन के पटल पर रख दी गई है।

(राज्य मंत्री, खेलकूद)

(5) जी नहीं, क्रीड़ा परिषद से पद विशेष को क्रमोन्नत करने हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुये हैं। प्रस्ताव प्राप्त होने पर गुणावगुण के आधार पर विचार किया जाना सम्भव होगा।

(6) क्रीड़ा परिषद से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण राज्य स्तर पर विचाराधीन नहीं है।

(सूचियों के लिए कृपया परिशिष्ट-3 देखें)

जिला धौलपुर के विचाराधीन खेल स्टेडियम हेतु राशि

283. श्री शिवराम सिंह कुशवाह (धौलपुर) : क्या खेलकूद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या राज्य के अन्य जिलों की भांति जिला धौलपुर में भी खेल स्टेडियम बनाने का प्रस्ताव विचाराधीन है? यदि हां, तो उसकी मन्जूरी कब तक होगी और उसकी अनुमानित व्यय राशि कितनी होगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त जिले के स्टेडियम के लिए जगह उपलब्ध होने के बावजूद भी सरकार द्वारा अब तक कोई भी राशि निर्माण कार्य हेतु आवंटित नहीं की गई है? यदि हां, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। केन्द्र सरकार द्वारा जारी नये दिशा निर्देशानुसार विधिवत प्रस्ताव प्राप्त होने पर ही आगे कार्यवाही सम्भव हो सकेगी।

(2) जिला धौलपुर में स्टेडियम निर्माण हेतु जिला कलेक्टर से भूमि आवंटन के सम्बन्ध में कोई सूचना प्राप्त नहीं है। भूमि आवंटन की सूचना प्राप्त होने के पश्चात एवं विधिवत प्रस्ताव प्राप्त होने पर ही कोई कार्यवाही किया जाना सम्भव होगा।

कैदियों की फरारी में लिप्त कर्मियों के विरुद्ध कार्यवाही

284. श्री गुलाब चन्द कटारिया (बड़ी सादड़ी) : क्या कारागार राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) दिसम्बर, 1998 से 15 मार्च, 2000 तक राज्य की विभिन्न जेलों से कितने कैदी फरार हुए? सूची जिलेवार सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त व्यक्तियों के फरार होने के कारणों का पता लगाने के लिए विभाग द्वारा क्या कोई जांच की गई? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त रिपोर्ट के आधार पर किन किन अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

उत्तर

(1) वर्ष दिसम्बर, 1998 से 15 मार्च, 2000 तक की अवधि में दो फरारी की घटनाओं में चार बंदी कारागृहों से एवं दो फरारी की घटनाओं में दो बंदी राज्य के बंदी खुले शिविरों से फरार हुये हैं। (सूची परिशिष्ट-'ए' संलग्न)

(2) उक्त बंदियों के फरार होने के कारणों का पता लगाने के लिए विभाग द्वारा जांच कार्यवाही की गई है। जांच रिपोर्ट संलग्न है। (संलग्न परिशिष्ट–'बी')

(3) उक्त फरारी की प्राथमिक जांच रिपोर्ट के आधार पर दोषी पाये जाने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट-'सी' पर संलग्न है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

बूंद–बूंद सिंचाई में भारत सरकार से प्राप्त अनुदान में कमी

285. डा. रतनलाल जाट (सहाड़ा) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) जिला भीलवाड़ा में सरकार ने कितनी योजनाएं चला रखी हैं ?

(2) उक्त योजनाओं में उक्त जिले में कितने किसान लाभान्वित हुए हैं ? तहसीलवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त जिले में उक्त योजना के तहत कितने लोगों को अनुदान राशि दी गई है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या उक्त जिले में 'मिनी किट्स' का वितरण किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों और हां, तो कितना ?

(5) क्या यह सही है कि बूंद-बूंद सिंचाई योजना के अनुदान पर राज्य सरकार ने रोक लगा रखी है ? यदि हां, तो क्यों ?

(6) क्या यह भी सही है कि उक्त योजना के लिए राज्य सरकार द्वारा अपना अनुदान अंश नहीं लगाने के कारण केन्द्र सरकार से मिलने वाले अनुदान से राज्य सरकार वंचित रही है ?

उत्तर

(1) जिला भीलवाड़ा में सरकार ने कृषि विभाग की वर्तमान में 8 योजनाएं तथा उद्यान विभाग की 12 योजनाएं चला रखी हैं :–

कृषि विभाग

1. तिलहन उत्पादन कार्यक्रम
2. दलहन उत्पादन कार्यक्रम
3. समन्वित धान्य विकास कार्यक्रम (मोटे अनाज)
4. सघन कपास कार्यक्रम

(कृषि मंत्री)

5. त्वरित मक्का विकास कार्यक्रम

6. अन्य केन्द्रीय प्रवर्तित योजना

7. कृषि विकास परियोजना

8. राज्य योजना

उद्यान विभाग

(अ) राज्य योजना

1. पौध संरक्षण रसायनों पर अनुदान

(ब) कृषि विकास परियोजना

2. नर्सरी पर मातृ पौधों का रखरखाव

3. नर्सरी पर फलदार पौधे तैयार करने पर व्यय

4. युवा कृषकों का सघन प्रशिक्षण सात दिवसीय

5. स्टाफ प्रशिक्षण

(स) केन्द्रीय प्रवर्तित योजना

6. प्रचार-प्रसार

7. सब्जी मिनिकिट वितरण

8. मसाला विकास

9. कृषि में प्लास्टिक का उपयोग

10. शुष्क क्षेत्रों में फलों का समेकित विकास

11. मशरूम की खेती

12. ग्रामीण पोषाहार कार्यक्रम के अन्तर्गत फलदार पौधों की इकाईयां लगाना

(2) उक्त कृषि विभाग की योजनाओं से उक्त जिले में वर्ष 1999-2000 में 79,088 किसान तथा उद्यान विभाग की योजनाओं के तहत 2802 किसान लाभान्वित हुये। तहसीलवार व विभागवार सूची क्रमशः परिशिष्ट-1 एवं 2 पर सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(3) उक्त जिले में कृषि विभाग की योजनाओं के तहत वर्ष 1999-2000 में 79,088 लोगों को तथा उद्यान विभाग की योजनाओं के तहत 2802 लोगों को अनुदान राशि से लाभांवित किया गया। विभागवार सूची परिशिष्ट-1 एवं 2 पर सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(4) जी हां, उक्त जिले में वर्ष 1999-2000 में कृषि विभाग के द्वारा 12,369 तथा उद्यान विभाग के द्वारा 1,796 मिनीकिट्स का वितरण किया गया है।

(5) राज्य सरकार ने पूर्व में उद्यान विभाग की राज्य योजना की सीमा कम निर्धारित किये जाने के कारण बूंद-बूंद सिंचाई योजना पर रोक लगा दी गई थी, परंतु अब विभाग की योजना बढ़ाते हुए राज्यांश स्वीकृत कर दिया गया है।

(कृषि मंत्री)

(6) केन्द्र सरकार से कुल उपलब्ध अनुदान अंश राशि (90%) रु. 206.46 लाख के एवज में राज्य सरकार ने राज्यांश (10%) रु. 22.94 लाख का प्रावधान कर दिया है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

सदर चिकित्सालय धौलपुर में बाल रोग विशेषज्ञ की नियुक्ति

286. श्री शिवराम सिंह कुशवाह (धौलपुर) : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला धौलपुर में डाक्टरों के कितने पद कब-कब से रिक्त हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) धौलपुर के सदर चिकित्सालय में बाल रोग विशेषज्ञ का पद कब से रिक्त है और इस पद को कब तक भर दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) जिला धौलपुर में वरिष्ठ विशेषज्ञ (शिशुरोग) का एक पद माह जुलाई, 99 से तथा कनिष्ठ विशेषज्ञ (पैथोलोजी) का एक पद माह मई, 99 से रिक्त है।

(2) धौलपुर के सदर अस्पताल में वरिष्ठ विशेषज्ञ (बाल रोग) का पद 19 जुलाई, 99 से रिक्त है।

इस पद पर राज्यादेश दिनांक 19-7-99 द्वारा डा.सी.बी.दास गुप्ता, वरिष्ठ विशेषज्ञ (शिशुरोग) का पदस्थापन किया गया था, परन्तु उक्त चिकित्सक ने कार्यग्रहण नहीं किया फलस्वरूप उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

जिला नागौर के उप-स्वास्थ्य केन्द्रों के रिक्त पद

287. श्री मोहन लाल चौहान (परबतसर) : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला नागौर के उप-स्वास्थ्य केन्द्रों में कितने पद स्वीकृत हैं और उनमें से कितने पद रिक्त हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जिला नागौर में कुल 542 उप-स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत हैं जिनमें स्वीकृत कार्यरत व रिक्त पदों का विवरण निम्न प्रकार है :—

(राज्य मंत्री, चिकित्सा)

क्र.सं.	पद नाम	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
1.	नर्स श्रेणी-प्रथम	2	2	—
2.	नर्स श्रेणी-द्वितीय	42	26	16
3.	म.स्वा.कार्यकर्ता	540	454	86
4.	स्वा.का. (पुरूष)	9	—	9
5.	वार्ड बॉय	8	8	—

(2) जी हां, नर्स श्रेणी-द्वितीय, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रिक्त पदों को राज्य स्वीकृति प्राप्त होने पर भरा जाना संभव हो सकेगा तथा स्वास्थ्य कार्यकर्ता (पुरुष) के रिक्त पदों को प्रशिक्षित अभ्यार्थी उपलब्ध होने पर एवं राज्य स्वीकृति प्राप्त होने पर भरा जाना संभव हो सकेगा।

अजमेर के चिकित्सालयों में आवश्यक सुविधायें

288. डा. के.सी.चौधरी (ब्यावर), श्री नाथूराम (किशनगढ़) एवं श्री गोविन्द सिंह (नसीराबाद) : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जिला अजमेर में किस–किस श्रेणी के कितने अस्पताल हैं ? क्या उनमें श्रेणी अनुसार स्टाफ व अन्य सुविधाएं उपलब्ध हैं ?

(2) राज्य सरकार के अस्पतालों के ग्रेडिंग के क्या मानदण्ड हैं ?

(3) उक्त मानदण्डों के अनुसार किशनगढ़ का यज्ञ नारायण अस्पताल किस श्रेणी में है ?

(4) स्थापित मानदण्डों के अनुसार यज्ञ नारायण अस्पताल किशनगढ़ में कब तक वर्गीकृत कर वर्गानुसार उचित पद व सुविधाएं उपलब्ध करा दी जायेंगी ?

उत्तर

(1) जिला अजमेर में श्रेणीवार अस्पताल निम्नांकित हैं :–

1. श्रेणी प्रथम (ए) — 1
2. श्रेणी तृतीय (सी) — 2
3. श्रेणी चतुर्थ (डी) — 3
4. श्रेणी पांच (ई) — 9

उक्त अस्पतालों में सामान्यतया: आवश्यक स्टाफ एवं सुविधाएं उपलब्ध हैं।

इसके अतिरिक्त अजमेर शहर में जवाहर लाल नेहरू आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, अजमेर के अधीन एक जवाहर लाल नेहरू चिकित्सालय है और यह अस्पताल भी 'ए' श्रेणी का है। इसमें निर्धारित श्रेणी अनुसार अभी निम्नांकित पद रिक्त हैं :–

(राज्य मंत्री, चिकित्सा)

1. आचार्य	—	2
2. सह आचार्य	—	4
3. सहायक आचार्य	....	16
4. वरिष्ठ प्रदर्शक	—	7

(2) राज्य सरकार के अस्पतालों के ग्रेडिंग शैय्याओं की संख्या के आधार पर की जाती है। जो निम्न प्रकार है :-

1. श्रेणी प्रथम (ए)	—	300 व उससे अधिक
2. श्रेणी द्वितीय (बी)	—	150 से 299 तक
3. श्रेणी तृतीय (सी)	—	100 से 149 तक
4. श्रेणी चतुर्थ (डी)	—	50 से 99 तक
5. श्रेणी पांच (ई)	—	30 से 49 तक
6. श्रेणी छः (एफ)	—	10 से 29 तक

(3) किशनगढ़ का यज्ञ नारायण अस्पताल श्रेणी तृतीय (सी) के अन्तर्गत आता है।

(4) यज्ञ नारायण अस्पताल किशनगढ़ में वर्गानुसार स्थापित स्वीकृत पदों के अनुसार 2 वरिष्ठ विशेषज्ञ, एक कनिष्ठ विशेषज्ञ का पद कम है इन पदों का सृजन समुचित वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर किया जाना संभव हो सकेगा।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र जवाजा (अजमेर) में रिक्त पद

289. डा. के. सी. चौधरी (ब्यावर) : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) पंचायत समिति जवाजा मुख्यालय पर स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर कितने पद चिकित्सा अधिकारियों के विभिन्न श्रेणियों के रिक्त हैं ? उक्त पदों को कब तक भर दिया जायेगा ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में कितने पद पैरा मेडिकल स्टाफ के रिक्त हैं और उन्हें कब तक भर दिया जायेगा ?

(3) उक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर लगी हुई एक्स-रे मशीन कब से खराब है ? उक्त एक्स-रे मशीन को कब तक ठीक कर दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) ब्लाक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जवाजा में एक वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी एवं एक चिकित्सा अधिकारी का पद रिक्त है। वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी का रिक्त पद विभागीय पदोन्नती समिति द्वारा चयनित अभ्यार्थी एवं चिकित्सा अधिकारी का रिक्त पद राजस्थान लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यार्थी उपलब्ध होने के उपरान्त ही भरा जाना संभव हो सकेगा।

(राज्य मंत्री, चिकित्सा)

(2) उक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में पैरा मेडिकल स्टाफ के निम्नांकित पद रिक्त हैं :-

1.	मैल नर्स श्रेणी-प्रथम	एक
2.	मैल नर्स श्रेणी-द्वितीय	तीन
3.	बी.एच.एस.मैल	एक

मैल-नर्स श्रेणी-प्रथम एवं बी.एच.एस. मैल. के रिक्त पदों को विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा चयनित एवं मैल नर्स श्रेणी द्वितीय के रिक्त पदों को राज्य सरकार द्वारा स्थानान्तरण/नियुक्ति से प्रतिबंध हटाये जाने पर भरा जाना संभव हो सकेगा।

(3) उक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की एक्स-रे मशीन दिनांक 17-6-98 को खराब हुई। एक्स-रे मशीन को संबंधित फर्म द्वारा ठीक करवाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

विधान सभा क्षेत्र पुष्कर की क्षतिग्रस्त सड़कें

290. श्री रमजान खान (पुष्कर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या विधान सभा क्षेत्र पुष्कर की पीसांगन से करनोस, पीसांगन से गोला, पीसांगन से भांवता की सड़कें खराब हो रही हैं ?

(2) क्या उक्त सड़कों के पेच व पोट-होल भरने के लिये समय-समय पर अधिशाषी अभियन्ता ग्रामीण खण्ड अजमेर को कई बार अनुरोध किया गया है ? यदि हां, तो अभी तक सड़कों की मरम्मत क्यों नहीं करवाई ?

(3) अब कब तक उक्त सड़कों की मरम्मत करवा दी जावेगी ?

उत्तर

(1) पीसांगन से करनोस, पीसांगन से गोला एवं पीसांगन से भावंता सड़क पर वर्तमान में पेचेज एवं पोट होल्स हैं।

(2) जी हां। उक्त सड़कों में से, उपलब्ध सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण, पीसांगन से करनोस एवं पीसांगन से गोला सड़क पर वर्ष 1999-2000 में आंशिक रूप से साधारण मरम्मत का कार्य किया गया है, व पीसांगन से भावंता सड़क पर साधारण मरम्मत का कार्य नहीं करवाया जा सका है।

(3) उक्त सड़कों पर शेष साधारण मरम्मत का कार्य उपलब्ध वित्तीय संसाधनों एवं पारस्परिक प्राथमिकताओं के आधार पर वर्ष 2000-2001 में पूर्ण करवाये जाने का प्रयास किये जायेंगे।

राज्य के सड़क विहीन पंचायत मुख्यालय

291. श्री अमीन खान (शिव) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री अमीन खान)

(1) राज्य में ऐसे कितने पंचायत मुख्यावास हैं जो अभी तक पक्की सड़क से नहीं जुड़े हैं ? जिलेवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) राज्य में 1000 से अधिक आबादी के कितने गांव अभी तक पक्की सड़क से नहीं जुड़े हैं ? जिलेवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) राज्य में कुल 9184 पंचायत मुख्यालय हैं जिनमें से अभी तक 7885 पंचायत मुख्यालय डामर सड़क से जुड़े हैं । शेष 1299 पंचायत मुख्यालय जो कि डामर सड़क से जुड़े हुये नहीं हैं उनकी जिलेवार संख्या की सूची संलग्न परिशिष्ट 'अ' में सदन की मेज पर प्रस्तुत है ।

(2) राज्य में 1991 की जनगणना अनुसार 1000 से अधिक आबादी के कुल 10766 गांव हैं जिनमें से अभी तक 8706 गांव डामर सड़क से जुड़े हैं । शेष 2060 गांव जो कि डामर सड़क से जुड़े हुये नहीं हैं उनकी जिलेवार संख्या की सूची परिशिष्ट–'अ' में सदन की मेज पर प्रस्तुत है ।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-4 देखें)

कस्बा इटावा (कोटा) में विचाराधीन सब-डिविजन कार्यालय

292. श्री रामगोपाल बैरवा(पीपल्दा): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा के कस्बा इटावा में सब-डिविजन कार्यालय खोलने के प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब से और कब तक खोल दिया जावेगा ?

उत्तर

जी नहीं । राज्य सरकार के पास विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा के कस्बा इटावा में उपखण्डीय कार्यालय खोलने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

कनिष्ठ अभियन्ता देसूरी (पाली) के विरुद्ध प्राप्त शिकायत

293. श्री कुबेर सिंह (फलासिया) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि उपखण्ड देसूरी, जिला-पाली में पदस्थापित कनिष्ठ अभियन्ता केवल वेतन लेने के लिए ही देसूरी आता है ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त

(श्री कुबेर सिंह)

कनिष्ठ अभियंता बिना इजाजत हैड क्वार्टर छोड़कर फालना (पाली) में रहता है ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त कनिष्ठ अभियंता केवल सहायक अभियंता, सादड़ी पाली की मिलीभगत से विश्राम-गृह देसूरी के रख-रखाव के नाम पर फर्जी बिलों का भुगतान उठाता रहा है ?

(4) क्या उक्त कनिष्ठ अभियन्ता के विरुद्ध शिकायत अतिरिक्त मुख्य अभियंता, जोधपुर को पेश की गई है ? यदि हां, तो कब ? उक्त शिकायत की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(5) क्या सरकार उक्त कनिष्ठ अभियंता के विरुद्ध कोई कार्यवाही कर उसे हटाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं ।

(2) जी नहीं ।

(3) जी नहीं ।

(4) जी हां । श्री पोकर लाल परिहार पूर्व विधायक, देसूरी द्वारा अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, जोधपुर को श्री सुरेन्द्र कुमार कनिष्ठ अभियन्ता, देसूरी के खिलाफ एक शिकायती पत्र दिनांक 16-12-99 को प्रस्तुत किया गया । शिकायती पत्र की प्रतिलिपि संलग्न है ।

(5) जी नहीं । विभाग द्वारा श्री पोकर लाल परिहार पूर्व विधायक द्वारा प्रस्तुत शिकायती पत्र की जांच करवा ली गई है । जांच में यह तथ्य उभर कर आया है कि शिकायत तथ्यहीन एवं निराधार है । इस संबंध में वर्तमान में श्री सुरेन्द्र कुमार शर्मा, कनिष्ठ अभियन्ता के विरुद्ध कोई कार्यवाही विचाराधीन नहीं है ।

(प्रतिलिपि विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

जिला बूंदी के न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम के अपूर्ण कार्यों हेतु स्वीकृत राशि

294. श्री घासीलाल मेघवाल (पाटन) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या बूंदी जिले में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम वर्ष 1995-96 के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यों में से अब तक के पूर्ण/अपूर्ण कार्यों का ब्योरा विभाग के पास उपलब्ध है ? यदि हां, तो अब तक व्यय की गई राशि का संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या उक्त कार्यों में मेटल सड़क का डामरीकरण करने बाबत स्वीकृत किये गये कार्य पूर्ण करवाये जा चुके हैं ? यदि हां, तो कब और नहीं, तो उक्त कार्य अब

(श्री घासीलाल मेघवाल)

कब तक पूर्ण करवा दिये जावेंगे ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या वर्ष 1995-96 में मेटल सड़क के डामरीकरण के लिये स्वीकृत कार्यों में से शेष रहे कार्यों के लिये राशि आवंटित की जानी है ? यदि हां, तो राशि कब तक स्वीकृत करके शेष कार्य पूर्ण करवा दिये जावेंगे ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी हां । बून्दी जिले में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (सामान्य) के अंतर्गत वर्ष 1995-96 में स्वीकृत कार्यों में से पूर्ण/अपूर्ण कार्यों का ब्योरा एवं व्यय की गई राशि का विवरण क्रमशः संलग्न परिशिष्ट-'अ' व 'ब' में सदन की मेज पर प्रस्तुत है ।

(2) जी हां । उक्त कार्यों में मेटल सड़क के डामरीकरण करने बाबत स्वीकृत किये गये कार्य पूर्ण करवाये जा चुके हैं जिनका विवरण परिशिष्ट-'स' पर संलग्न है ।

(3) जी नहीं । वर्ष 1995-96 में मेटल सड़क के डामरीकरण के समस्त कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं ।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट–5 देखें)

कार्यभार आकलन के मानदण्ड

295. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या विभाग में कई अधिकारियों/कर्मचारियों के पद समाप्त किये गये हैं ? यदि हां, तो क्यों तथा कितने–कितने, कौन कौन से पद, कब-कब से समाप्त किये हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह सही है कि कार्यभार के हिसाब से अब भी विभाग में अधिकारियों/कर्मचारियों की संख्या अधिक है ? यदि हां, तो कितने-कितने पद तथा नहीं, तो किस प्रकार से आकलन किया गया ?

(3) कार्यभार का आकलन किस आधार पर किया जाता है तथा इसका फार्मूला क्या है ?

उत्तर

(1) जी हां । मंत्री मण्डल की गठित उप समिति की सिफारिश के आधार पर कुल 54 अधिकारियों के पदों को समाप्त किया गया है । समाप्त किये गये पदों का विवरण यथा पद का नाम, पदों की संख्या एवं समाप्ति का दिनांक इत्यादि का विवरण संलग्न परिशिष्ट-'क' में दर्शाये गये हैं ।

(2) जी नहीं । कार्यभार (वर्कलोड) के हिसाब से विभाग में अधिकारियों/कर्म-

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

चारियों की संख्या अधिक नहीं है। पदों की संख्या का आंकलन वित्त विभाग द्वारा जारी नोर्मस के आधार पर किया जाता है।

(3) राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत बजट विभाग द्वारा कराये जाने वाले अन्य विभागों के डिपाजिट कार्य, विश्व बैंक/एशियन डवलपमेंट बैंक द्वारा स्वीकृत धन-राशि एवं केन्द्रीय सरकार द्वारा आवंटित राशि इत्यादि का संकलन कर कार्यभार का आंकलन किया जाता है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-6 देखें)

बांदीकुई उपखण्ड मुख्यालय (दौसा) में डाक बंगले का निर्माण

296. श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि बांदीकुई (दौसा) उपखण्ड मुख्यालय है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त उपखण्ड मुख्यालय पर डाक बंगला बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

जी हां। यह सही है कि बांदीकुई (दौसा) उपखण्ड मुख्यालय है। बांदीकुई में डाक बंगला का निर्माण कार्य राज्य के उपलब्ध वित्तीय संसाधनों व प्राथमिकताओं पर निर्भर करेगा।

विधान सभा क्षेत्र राजगढ़ (अलवर) की क्षतिग्रस्त सड़कें

297. श्री जौहरी लाल (राजगढ़) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र राजगढ़ (अलवर) में अनावड़ा से नया गांव, प्रतापपुरा डेरा से भनेडा नई सड़क बनाने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

(2) क्या उक्त विधान सभा क्षेत्र में रैणी से गढ़ी सवाई राम व अन्य सड़कों की स्थिति खराब है? क्या सरकार उक्त सड़कों की मरम्मत कराने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या सरकार अब रैणी रामपुरा से धूमडा, माचाडी से गढ़ बिनजारी, राजगढ़ से धमरेड वाली, बसवा से नीमला मोतीबाडा व राजपुर सड़क की मरम्मत कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक ?

(4) क्या सरकार देवती से राजपुर बड़ा सड़क नवीन बनाने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र राजगढ़(अलवर) में अनावडा से नया गांव प्रतापपुरा सड़क मार्ग पर स्थित गांव अनावडा तक सड़क

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

का निर्माण कृषि उपज मण्डी समिति द्वारा किया जा रहा है एवं अनावडा के आगे स्थित गांव नया गांव प्रतापपुरा की 1991 की जनगणना अनुसार आबादी 721 है जोकि 1000 से कम है एवं पंचायत मुख्यालय भी नहीं है, अतः अनावडा से नया गांव प्रतापपुरा सड़क का निर्माण सड़क विकास नीति के अंतर्गत नहीं आता है। डेरा से भजेडा मार्ग पर स्थित गांव डेरापूर्व में ही डामर सड़क से जुड़ा हुआ है। ग्राम भजेडा के लिये रैणी से सड़क का निर्माण सा.नि. विभाग द्वारा 2.700 कि.मी. लम्बाई में एवं कृषि उपज मण्डी समिति द्वारा 2.800 किमी. लम्बाई में कराया जा रहा है। इस सड़क निर्माण के पूर्ण होने पर ग्राम भजेडा, रैणी पंचायत समिति से डामर सड़क से जुड़ जायेगा। डेरा से भजेडा नई सड़क का निर्माण सड़क विकास नीति के अन्तर्गत नहीं आता है।

(2) विधान सभा क्षेत्र राजगढ़(अलवर) में डामर सड़कों की कुल लम्बाई 232 कि.मी. है। जिसमें से 65 कि.मी. सड़क लम्बाई बिल्कुल ठीक हालत में है एवं यातायात सुचारू रूप से चल रहा है। वर्ष 1999-2000में योजना एवं गैर योजना मद में इस विधान सभा क्षेत्र की 13 किमी. सड़क लम्बाई में 34.00 लाख रुपये की लागत से सुदृढ़ीकरण एवं नवीनीकरण का कार्य स्वीकृत है। इस स्वीकृति के विरुद्ध 4 किमी. सड़क लम्बाई में नवीनीकरण का कार्य पूर्ण कराया जा चुका है शेष कार्य सीमित बजट आवंटन के कारण नहीं कराया जा सका है। वित्तीय वर्ष 2000-2001 में इस शेष कार्य को उपलब्ध बजट आवंटन अनुसार पूर्ण कराये जाने के प्रयास किये जावेंगे। इसके अतिरिक्त गैर योजना मद में इसी विधान सभा क्षेत्र में 106 किमी. सड़क लम्बाई में साधारण मरम्मत का कार्य वर्ष 1999-2000 में करवा दिया गया है। शेष रही सड़क लम्बाई में साधारण मरंमत का कार्य आगामी वित्तीय वर्ष 2000-2001 में उपलब्ध बजट आवंटन अनुसार पूर्ण कराये जाने के प्रयास किये जायेंगे।

(3) जी हां। रैणी रामपुरा सड़क से थूमडा (लम्बाई 4 किमी.) मावाडी से गढ़ बिनजारी(लम्बाई 9 किमी.)राजगढ़ से धमरेड (लम्बाई 5 किमी.) बसवा से राजपुर बड़ा (लम्बाई 5 किमी.)कुल 23 किमी. सड़क लम्बाई में से वर्ष 1999–2000 में उपलब्ध बजट आवंटन अनुसार 10 किमी. सड़क लम्बाई में साधारण मरंमत का कार्य पूर्ण करवाया जा चुका है तथा शेष रही सड़क लम्बाई में आगामी वित्तीय वर्ष 2000-2001 में उपलब्ध बजट आवंटन अनुसार साधारण मरम्मत के कार्य कराये जाने का प्रयास किये जावेंगे। बसवा से नोमला एवं बसवा से मोतीवाडा ग्रेवल सड़कें हैं।

(4) जी नहीं। ग्राम देवती एवं राजपुर बड़ा (पंचायत मुख्यालय) पूर्व में ही अन्य डामर सड़कों से जुड़े हुये हैं। अतः देवती से राजपुर बड़ा सड़क निर्माण का कार्य राज्य की सड़क विकास नीति की प्रथम वरियता में नहीं आता है।

भवानी मण्डी-दुधालिया सड़क की मरम्मत

298. श्री मदन लाल वर्मा (डग) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या विधान सभा क्षेत्र डग में भवानी मंडी से दुधालिया तक राजमार्ग नं. 19 क्षतिग्रस्त है? क्या सरकार उक्त सड़क का नवीनीकरण एवं मरंमत कार्य चालू वर्ष में करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी हां। इस वर्ष अत्यधिक वर्षा होने के कारण विधान सभा क्षेत्र डग में भवानी मण्डी से दुधालिया तक राजमार्ग नं. 19 क्षतिग्रस्त है।

विधान सभा क्षेत्र डग में भवानी मंडी से दुधालिया तक (किमी.128/0 से 205/400) 77/400 किमी. लम्बी सड़क है। वर्ष 1999-2000 में 31 किमी. लम्बाई में साधारण मरंमत का कार्य किया गया था। वर्ष 2000-2001 में सड़क नवीनीकरण एवं मरम्मत कार्य उपलब्ध वित्तीय संसाधनों व प्राथमिकताओं पर निर्भर करेगा।

पिड़ावा-सूलिया सड़क की मरम्मत

299. श्री मानसिंह चौहान (पिड़ावा): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र पिड़ावा की सूलिया से पिड़ावा तक सड़क क्षतिग्रस्त है?

(2) क्या सरकार उक्त सड़क का निर्माण/मरम्मत चालू वर्ष में कराने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। इस वर्षा ऋतु में अत्यधिक वर्षा होने के कारण विधान सभा क्षेत्र पिड़ावा की सूलिया से पिड़ावा तक की सड़क क्षतिग्रस्त हो गई है।

(2) जी हां। विधान सभा क्षेत्र पिड़ावा की सूलिया से पिड़ावा तक 35 कि.मी. लम्बी सड़क है, वर्ष 1999-2000 में योजना मद के उक्त सड़क के कि.मी. 1, 2, 3 एवं 6 से 10 (7 कि.मी.) में सुदृढ़ीकरण एवं नवीनीकरण रु. 21.00 लाख की लागत से स्वीकृत किया गया एवं संवेदक को कार्यादेश दिया जा चुका है। अब वर्ष 2000-2001 में इस कार्य को पूर्ण करवाना बजट प्रावंटन व धन राशि की उपलब्धता पर निर्भर करेगा। इसके अतिरिक्त इस सड़क पर वर्ष 1999-2000 में 5 कि.मी. सड़क लम्बाई में साधारण मरंमत का कार्य करवाया गया है शेष सड़क लम्बाई में वर्ष 2000-2001 में साधारण मरंमत का कार्य उपलब्ध बजट प्रावंटन अनुसार करवाया जाना प्रस्तावित है।

सरकारी/निजी छात्रावासों के वार्डन्स को प्रदत्त अधिकारों में एक रूपता

300. श्री बाबूलाल नागर (दूदू) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) सरकारी/निजी छात्रावासों में पदस्थापित वार्डन्स को क्या-क्या अधिकार प्रदत्त हैं ? क्या सभी सुविधायें समान हैं ? यदि नहीं, तो उनमें किस-किस प्रकार के अधिकारों एवं सुविधाओं में भिन्नता है ?

(2) सरकारी छात्रावासों के वार्डन्स को प्रदत्त अधिकार और सुविधाएं क्या अनुदानित छात्रावासों के वार्डन्स को भी उपलब्ध कराई हुई हैं ? यदि नहीं, तो उन में क्या-क्या भिन्नताएं हैं ?

(3) क्या सरकार उनके अधिकारों और सुविधों में एकरूपता लाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) माध्यमिक, तकनीकी एवं उच्च शिक्षा विभाग के अन्तर्गत संचालित राजकीय शिक्षण संस्थानों के छात्रावासों में पृथक से वार्डन का पद सृजित नहीं है। छात्रावास की व्यवस्था की देखभाल एवं आवासियों में अनुशासन बनाये रखने की दृष्टि से संबंधित संस्था प्रधान द्वारा संस्था के ही किसी शिक्षक को वार्डन मनोनीत कर दिया जाता है, जो संस्था प्रधान के नियंत्रण एवं निर्देशन में उक्त कार्य संपादित करते हैं। उच्च शिक्षा निदेशालय को छोड़कर इनके अधिकार के सम्बन्ध में कोई औपचारिक आदेश विभाग द्वारा निर्गत नहीं किये गये हैं, परंतु सामान्यतया इनके कर्तव्य व अधिकार सम्बन्धित संस्था प्रधान द्वारा जारी मनोनयन आदेश में स्पष्ट कर दिये जाते हैं। उच्च शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी नियमों की प्रति परिशिष्ट-'अ' पर संलग्न है। इसके अतिरिक्त सामान्यतया इन्हें छात्रावास परिसर में या इसके समीप निःशुल्क आवासीय सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। उच्च शिक्षा निदेशालय के अन्तर्गत आवास सुविधा उपलब्ध न कराये जाने की स्थिति में अधिकतम 50/- रुपये प्रतिमाह भत्ता प्रदान किया जाता है। निजी छात्रावासों में वार्डन के अधिकार एवं कर्तव्य सम्बन्धित संस्था के नियमानुसार निर्धारित किये जाते हैं।

(2) जहां तक अनुदानित गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओं का प्रश्न है, इनके छात्रावासों के वार्डन के अधिकार एवं सुविधाओं के सम्बन्ध में अनुदान नियमों में कोई प्रावधान नहीं है किन्तु सामान्यतया इनके छात्रावासों का प्रबंध राजकीय व्यवस्था के अनुरूप ही होता है।

(3) उच्च शिक्षा विभाग में छात्रावासों का संचालन विभागीय नियमावली के आधार पर व माध्यमिक तथा तकनीकी शिक्षा विभाग में प्रश्न के भाग-1 के उत्तर में वर्णित परम्परा के आधार पर होता है, जबकि अनुदानित गैर सरकारी शिक्षण

(शिक्षा मंत्री)

संस्थाओं में छात्रावास के वार्डन के अधिकार व सुविधायें सम्बन्धित संस्था के नियमानुसार निर्धारित किये जाते हैं जिनमें कोई विशेष अन्तर नहीं है। अतः एकरूपता लाने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

(प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

कोटा इन्जिनियरिंग कालेज में फर्जी नियुक्ति प्रकरण

301. श्री मदन दिलावर (अटरू) : क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जुलाई, 99 में कोटा इन्जिनियरिंग कालेज में फर्जी नियुक्ति पत्र का मामला सामने आया था? यदि हां, तो क्या इसकी जांच कराई गई? यदि नहीं, तो क्यों?

(2) उक्त जांच में क्या तथ्य सामने आये? जांच प्रतिवेदन की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। दो युवक उपरजिस्ट्रार के पास नियुक्ति पत्र लेकर आये थे। नियुक्ति पत्र महाविद्यालय द्वारा जारी नहीं थे तथा महाविद्यालय के किसी अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित नहीं थे। अतः इस सूचना पर युवक तुरन्त चले गये। फिर भी प्रथम सूचना रिपोर्ट थाने में दिनांक 10-7-99 को दर्ज करवा दी गई थी।

(2) युवकों का पूरा पता न होने के कारण मिलना सम्भव नहीं हो रहा है, पुलिस द्वारा तलाश जारी है। थानाधिकारी थाना दादाबाड़ी, कोटा नगर द्वारा प्रेषित रिपोर्ट संलग्न कर दी गई है।

(प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट-7 देखें)

रवीन्द्र मंच को व्यावसायिक रूप में काम में लेने वाली संस्थाओं के विरुद्ध कार्यवाही

302. श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल): क्या कला एवं संस्कृति राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि रवीन्द्र मंच, जयपुर विभिन्न संस्थाओं को रियायती दर पर आवंटित किए जाने के लिए कोई नियम बनाए गये हैं? यदि हां, तो नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त मंच को अक्टूबर, 1999 से जनवरी, 2000 तक रियायती दर पर किन-किन संस्थाओं को आवंटित किया गया?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त मंच जिन संस्थाओं को रियायती दर पर आवंटित किया जाता है वह इसे व्यावसायिक रूप से काम में नहीं ले सकती? यदि हां,

(श्री भंवरलाल शर्मा)

तो जिन्होंने रियायती दर पर लेकर व्यावसायिक उपयोग किया उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) रियायती दर पर आवंटन सामान्यतः कला एवं संस्कृति से सम्बन्धित लोकहितकारी/कल्याणकारी कार्यक्रमों के लिए किया जाता है तथा इस बाबत पूर्ण क्षेत्राधिकार रवीन्द्र मंच सोसाइटी में निहित है।

(2) सूची संलग्न है।

(3) इस सम्बन्ध में कोई नियम निर्धारित नहीं है कि रियायती दर पर आवंटित होने पर मंच पर व्यवसायिक कार्यक्रम नहीं हो सकते। अतः ऐसे प्रकरण में कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-8 देखें)

काश्तकारों द्वारा विद्युत कनेक्शनों का शिफ्टिंग करने पर जुर्माना राशि

303. श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या राज्य में काश्तकार, अपने सिंचाई के साधन ओपन कुएं (विद्युतीकृत) में पानी का जलस्तर सूख जाने पर उसी कुएं के पास 40-50 फीट की दूरी पर दूसरा सिंचाई का साधन ट्यूब वैल आदि खोद देने पर विद्युतीकृत कनेक्शन शिफ्टिंग करवा सकता है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या काश्तकार को वर्तमान में इसके लिए प्राप्त हो रहे डिमाण्ड नोटिस जुर्माना राशि प्रति हार्स पावर 1700/- रु. नियमानुसार भरने आवश्यक हैं ?

(3) क्या उक्त विषय में विद्युत मंडल द्वारा काश्तकारों के हित में कोई कार्य योजना बनाई गई है ? यदि हां, तो क्या ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राज्य में काश्तकार के विद्युतीकृत ओपन कुएं में पानी का जल स्तर सूख जाने पर उसी कुएं के पास, उसी खेत में, दूसरा सिंचाई का साधन ट्यूब वैल आदि खोद देने पर विद्युत कनेक्शन स्थानांतरित किये जाने का प्रावधान है जिसमें परिवर्तित कुएं के स्थान का मालिकाना हक अपरिवर्तनीय है।

(2) ऐसे प्रकरणों में जहां जांच के दौरान स्वीकृत भार से अधिक का भार पाया गया हो व बिना स्वीकृति के अन्य स्थान पर विद्युत का उपभोग किया जा रहा हो, से नियमानुसार रु. 1500/- प्रति हार्स पावर जुर्माना राशि व 700/- रु. प्रति हार्स पावर बढ़े हुए लोड की स्वीकृति हेतु वसूलने का प्रावधान है।

(3) ऐसे काश्तकार जो अपने कुएं का कनेक्शन प्राकृतिक आपदावश शिफ्ट करवाना चाहते हैं उन्हें नियमानुसार आवेदन पत्र सहित आवश्यक मांग पत्र की राशि

(ऊर्जा मंत्री)

जमा कराने पर कनेक्शन शिफ्ट करने की स्वीकृति दिये जाने का प्रावधान है। परंतु कई मामलों में यह देखा गया है कि शिफ्टिंग की आड़ में कुछ लोग एक के बजाय दो कुओं पर कनेक्शन चालू कर लेते हैं अतः ऐसे मामलों को हतोत्साहित करना पड़ता है।

विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली में नर्सरी योजना के तहत विद्युत कनेक्शन

304. डा. रघुवीर सिंह गौड़ (कोटपूतली) क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली में कितने व्यक्तियों ने नर्सरी योजना के तहत विद्युत कनेक्शन की मांग की है और उनमें से कितने व्यक्तियों को कनेक्शन मिल चुके हैं तथा कितने व्यक्तियों को कनेक्शन क्यों नहीं मिल पाये हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) अब उक्त कनेक्शन कब तक मिल जावेंगे ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली में कृषि कनेक्शन की नर्सरी योजना के तहत 502 आवेदन प्राप्त हुए थे। मांग पत्र की राशि जमा करवाने वाले 457 आवेदकों में से 430 आवेदकों को कनेक्शन जारी किये जा चुके हैं व शेष रहे 27 आवेदकों को कनेक्शन दिये जाने की कार्यवाही की जा रही है। जिनकी सूची परिशिष्ट-'अ' पर सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) शेष रहे आवेदकों को सामान की उपलब्धतानुसार शीघ्र कनेक्शन जारी कर दिये जायेंगे।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–9 देखें)

तहसील चूरू में लम्बित विद्युत कनेक्शन

305. श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) तहसील चूरू में घरेलू उपभोक्ता विद्युत सम्बन्ध के कितने आवेदन शहरी/ग्रामीण क्षेत्र के कब-कब से लम्बित हैं तथा उन्हें कब तक कनेक्शन दिये जाने का विचार है ?

(2) तहसील चूरू व रतननगर कस्बे में कितने विद्युत कार्य स्ट्रीट लाईट से सम्बन्धित नगरपालिका द्वारा राशि जमा करवाये जाने के पश्चात भी नहीं करवाये गये ? उक्त कार्य अब कब तक करवा दिये जायेंगे ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) तहसील चूरू में पूर्व में स्वीकृत 33 के. वी. ग्रिड सब-स्टेशन धांधू व घोरासर के निर्माण के लिए राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल ने कितनी राशि स्वीकृत की थी ? उक्त निर्माण के लिए कितनी

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

धन राशि व्यय हुई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) माह सितम्बर, 1999 से फरवरी 2000 तक तहसील चूरू के किसानों को कितनी-कितनी बिजली किस ग्रिड सब-स्टेशन से वितरित की गयी ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) तहसील चूरू में घरेलू कनेक्शन हेतु कुल 527 आवेदन पत्र लम्बित हैं। इनमें से शहरी क्षेत्र के 386 माह अक्टूबर 1999 तथा ग्रामीण क्षेत्र के 141 माह मई, 1999 से लम्बित हैं। लम्बित आवेदकों को सामान की उपलब्धता के अनुसार शीघ्र कनेक्शन देने की कार्यवाही की जा रही है।

(2) तहसील चूरू के रतननगर कस्बे के वार्ड नं.13 व 7 में स्ट्रीट लाईट कार्य के लिए राशि जमा करवाई गई थी जिसमें से वार्ड नं.-13 का कार्य माह अक्टूबर, 1999 में ही पूरा किया जा चुका है तथा वार्ड नं.-7 का कार्य प्रगति पर है तथा इसे जल्द ही पूरा करने के प्रयास किये जा रहे हैं।

(3) तहसील चूरू में पूर्व स्वीकृत 33 के.वी. सब-स्टेशन धांधू व धीरासर के लिए स्वीकृत व खर्च की गई राशि का विवरण परिशिष्ट-'अ' पर सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(4) तहसील चूरू के किसानों को माह सितम्बर, 1999 से माह फरवरी, 2000 तक चूरू तहसील में स्थित 33 के.वी. सब स्टेशनों से दी गई बिजली का विवरण परिशिष्ट-'ब' पर सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-10 देखें)

जिला करौली, सवाई माधोपुर एवं दौसा के लम्बित विद्युत कनेक्शन

306. डा. किरोड़ी लाल (बामनवास): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार ने किसी भी तरह के बिजली कनेक्शन के लिए डिमांड नोटिस की राशि जमा होने पर 30 दिनों में कनेक्शन दे दिये जाने की घोषणा की है ? यदि हां, तो जिला सवाई माधोपुर, करौली एवं दौसा में इस तरह के कितने–कितने कृषि/घरेलू कनेक्शन दिये गये ? पंचायत समितिवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि डिमांड नोटिस की राशि जमा हो जाने के 30 दिन बाद भी कृषि/घरेलू कनेक्शन अभी तक उपभोक्ताओं को नहीं दिये गये ? जिला करौली, सवाई माधोपुर व दौसा के ऐसे लम्बित कनेक्शनों की संख्या सूची पंचायत समितिवार सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य सरकार द्वारा घोषित औद्योगिक नीति अनुसार केवल 60 हार्स पावर तक के औद्योगिक कनेक्शनों जिनमें आगुमेंटेशन का कार्य नहीं हो, उनको मांग पत्र की राशि जमा होने के पश्चात 30 दिन में कनेक्शन देने के आदेश दिये हुए हैं। इसके अतिरिक्त किसी भी श्रेणी में कनेक्शन 30 दिन में दिये जाने की कोई घोषणा नहीं की हुई है।

(2) कृषि व घरेलू श्रेणी में डिमांड नोट की राशि जमा हो जाने के 30 दिन बाद भी जिन आवेदकों को कनेक्शन नहीं दिये गये हैं उनकी पंचायत समितिवार/जिलावार (जिला करौली, सवाई माधोपुर व दौसा) संख्या सूची परिशिष्ट-'अ' सदन के पटल पर रख दी गई है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-11 देखें)

पंचायत समिति बौंली (सवाई माधोपुर) के ग्रामों का विद्युतीकरण

307. डा. किरोड़ी लाल (बामनवास): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जिला सवाई माधोपुर की पंचायत समिति बौंली के गांव मांगरोल, सामोली, मोहम्मपुरा, रघुवंटी गोलपुर, डूंगरी, बाढ़ बिलोली, बिलोली नाडी आदि गांवों की लाइन काफी समय से क्षतिग्रस्त है ?

(2) क्या सरकार उक्त गांवों को विद्युतीकृत करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(3) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा पंचायत समिति बौंली को कागजों में शत प्रतिशत विद्युतीकृत दर्शा रखा है ? यदि हां, तो अविद्युतीकृत गांवों को बिजली उपलब्ध कराने की क्या योजना है ?

उत्तर

(1) जिला सवाई माधोपुर की पंचायत समिति बौंली के प्रश्न में वर्णित गांवों में से ग्राम गोलपुर व डूंगरी में लाइन सही है व इन गांवों में कृषि कनेक्शनों को विद्युत आपूर्ति जारी है। ग्राम मांगरोल, सामोली, मोहम्मदपुरा, रघुवंटी बासड़ा, बाढ़ बिलोली व बिलोली नदी की लाइन क्षतिग्रस्त है।

(2) लाइन की लागत ज्यादा आने के कारण ऐसे गांवों का विद्युतीकरण नहीं हो पा रहा है।

(3) जी हां। वित्तीय संसाधनों की उपलब्धि अनुसार शनैः शनैः ही क्षतिग्रस्त विद्युत लाइनों को पुनः खींच पाना संभव हो सकेगा।

ग्राम खराड़ी (पाली) का विचाराधीन 33 के.वी. ग्रिड सब स्टेशन

308. श्री सुरेन्द्र गोयल (जैतारण) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री सुरेन्द्र गोयल)

(1) क्या विधान सभा क्षेत्र जैतारण (पाली) की ग्राम पंचायत डिगरना के ग्राम खराड़ी में 33 के.वी.ग्रिड सब स्टेशन का निर्माण करवाने का प्रस्ताव सरकार के समक्ष स्वीकृति हेतु विचाराधीन है ? यदि हां, तो इस पर कितनी लागत आयेगी तथा कितनी किलोमीटर लम्बी लाइन खींची जायेगी ?

(2) क्या सरकार इसी वित्तीय वर्ष में उपरोक्त ग्रिड सब स्टेशन के निर्माण करवाये जाने की स्वीकृति जारी करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां, विधान सभा क्षेत्र जैतारण (पाली) की ग्राम पंचायत डिगरना के ग्राम खराड़ी में 33 के.वी.ग्रिड सब-स्टेशन का निर्माण करवाने का प्रस्ताव स्वीकृति हेतु विचाराधीन है। प्रस्ताव के सम्बन्ध में कुछ और आंकड़े एवं जानकारियां सम्बन्धित क्षेत्रीय अधिकारियों से मांगी गयी हैं। वांछित जानकारी प्राप्त होने के बाद ही प्रस्ताव की तकनीकी एवं आर्थिक साध्यता की जांच की कार्यवाही की जा सकेगी। प्राप्त प्रस्ताव के अनुसार 7.5 कि.मी. की 33 के.वी. लाइन खींचने का प्रावधान है एवं 61.63 लाख रु. की अनुमानित लागत है।

(2) वांछित आंकड़े एवं जानकारी प्राप्त होने पर तकनीकी/आर्थिक साध्यता की जांच करने के पश्चात इस प्रस्ताव की स्वीकृति होने पर, इन सब-ट्रांसमिशन प्रोग्राम में सम्मिलित कर, वित्तीय संसाधनों की उपलब्धतानुसार निर्माण कार्य किया जाना संभव हो सकेगा।

ग्राम नीमराना (तहसील बहरोड़) की 11000 के.वी. लाइन शिफ्ट प्रकरण

309. श्री भरोसी लाल (हिण्डौन) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे–

(1) क्या यह सही है कि ग्राम नीमराना तहसील बहरोड़ जिला अलवर में ग्राम के ऊपर से जा रही 11000 के.वी. विद्युत लाइन के तार टूटने व स्पार्क होने से आग लगने से ग्राम में कई बार जन-धन की हानि हो चुकी है ? यदि हां, तो उक्त लाइन स्थापित होने से अब तक कितनी बार मरम्मत/तार बदली की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त विद्युत लाइन को गांव के बाहर से शिफ्ट करने बाबत ग्रामवासियों द्वारा विभाग को समय-समय पर प्रार्थना पत्र भेजकर निवेदन किया गया है ? यदि हां, तो विभाग द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या अब सरकार जनहित में उक्त लाइन को गांव के बाहर शिफ्ट करवाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं। ग्राम नायसराना तहसील बहरोड़ जिला अलवर में ग्राम में से जा रही 11 के.वी. लाइन के टूटने व स्पार्क होने से किसी प्रकार की जन-धन की हानि का मामला प्रकाश में नहीं आया है। लाइन स्थापित होने के पश्चात अब तक तार टूटने पर दो बार तार बदले गये हैं।

(2) जी नहीं। उक्त लाइन को शिफ्ट करने हेतु ग्रामवासियों द्वारा सम्बन्धित सहायक अभियन्ता (पवस), शाहजहांपुर कार्यालय को कोई लिखित रूप में प्रार्थना पत्र नहीं दिया गया है। अतः कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(3) उक्त लाइन खेंचने के समय लाइन के पास कोई मकान नहीं था परंतु बाद में ग्रामवासियों द्वारा लाइन के पास-पास मकान बना लिये गये। अतः लाइन शिफ्टिंग में होने वाले खर्च को मकान बनाने वालों को वहन करना होगा। शिफ्टिंग की लागत की 50 प्र.श. राशि जमा करवाने पर विद्युत मण्डल द्वारा लाइन शिफ्ट करने की कार्यवाही की जा सकेगी। इसमें आधी राशि राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल द्वारा वहन करने का प्रावधान किया गया है।

किसानों को सिंचाई हेतु अस्थाई विद्युत कनेक्शन

310. श्री मदन लाल वर्मा (बग) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार किसानों को सिंचाई के लिये अस्थायी विद्युत कनेक्शन देने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों? क्या इसके बदले में कोई वैकल्पिक व्यवस्था करने का विचार है?

उत्तर

जी नहीं। अस्थाई विद्युत कनेक्शन केवल उन परिस्थितियों में ही दिया जाता है जहां कनेक्शन कुछ समय के लिए या निर्माण कार्य के लिए ही चाहिए और उस के बाद उसकी आवश्यकता समाप्त हो जाये। चूंकि कृषि कनेक्शन की आवश्यकता कुछ समय बाद समाप्त नहीं होती है अतः यदि किसानों को अस्थाई कनेक्शन दिया जाए तो उसके लिए बिछाए गये विद्युत तंत्र (33 के.वी. लाइन, सब स्टेशन, ट्रांसफार्मर) आदि पर विद्युत मण्डल का निवेश निष्फल हो जाएगा तथा इससे विद्युत मण्डल को अतिरिक्त हानि होगी। इसके अतिरिक्त अस्थाई विद्युत कनेक्शन देने से लम्बे समय से इन्तजार करने वाले किसानों में भी असंतोष होगा। इसके बदले में वैकल्पिक व्यवस्था करने का कोई विचार नहीं है।

जिला जालोर के छात्रावासों का निरीक्षण

311. श्री गणेशी राम मेघवाल (जालोर) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला जालोर में अनुसूचित जाति/

(श्री गणेशी राम मेघवाल)

जनजाति के छात्रावास कहां-कहां पर हैं ?

(2) उक्त छात्रावासों में कितने-कितने छात्र रहते हैं और प्रवेश के समय छात्र संख्या क्या थी तथा इस समय छात्र संख्या क्या है ?

(3) सरकार द्वारा प्रत्येक छात्र को क्या-क्या सुविधा दी जाती है ?

(4) उक्त छात्रावासों को उच्चाधिकारियों द्वारा कितनी बार निरीक्षण किया गया और निरीक्षण के दौरान क्या-क्या कमियां पाई गई ?

(5) क्या उक्त कमियों के सुधार हेतु कोई कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जिला जालोर में संचालित अनु. जाति/जनजाति के छात्रावासों का विवरण निम्न प्रकार है :-

क्र.सं.	नाम छात्रावास व स्थान	योजना
1.	कन्या छात्रावास, जालोर	अनुसूचित जाति
2.	बालक छात्रावास, बागरा	अनु. जाति
3.	बालक छात्रावास, सायला	अनु. जाति
4.	बालक छात्रावास, सांचोर	अनु. जाति
5.	बालक छात्रावास, जालोर	अनु. जनजाति
6.	बालक छात्रावास, भीनमाल	अनु. जनजाति
7.	बालक छात्रावास, रानीवाड़ा	अनु. जनजाति

(समाज कल्याण मंत्री)

(2) उक्त छात्रावासों में प्रवेशित आवासीय छात्रों की स्थिति निम्न प्रकार है :-

क्र.सं.	नाम छात्रावास	योजना	स्वीकृत छात्र संख्या	प्रवेशित छात्र संख्या	वर्तमान में आवासीय छात्र संख्या
1.	राजकीय कन्या छात्रा. जालोर	एस.सी.	25	25	24
2.	राज.बालक छात्रा. बागरा	एस.सी.	25	25	24
3.	राज. बालक छात्रा. सायला	एस.सी.	25	25	24
4.	राज. बालक छात्रा. सांचोर	एस.सी.	50	50	50
5.	राज. बालक छात्रा. आहोर	एस.टी.	50	50	50
6.	राज. बालक छात्रा. भीनमाल	एस.टी.	35	35	35
7.	राज. बालक छात्रा. रानीवाड़ा	एस.टी.	25	25	25

(3) प्रवेशित छात्र/छात्राओं को नियमानुसार निम्न सुविधायें दी जाती है:–

1. भोजन पोशाक; तेल, साबुन; जूते; मोजे, बाल कटिंग, बिजली पानी, पत्र-पत्रिकाओं हेतु 75/- रुपये प्रति छात्र प्रतिमाह दिया जाता है ।

2. कक्षा 9से 12 तक के छात्रों को 60/- रुपये प्रति छात्र प्रति सत्र एवं कक्षा 6 से 8 तक के छात्रों को 40/- रुपये प्रति छात्र प्रति सत्र पुस्तक एवं स्टेशनरी हेतु नकद भुगतान किया जाता है ।

3. वर्ष में चार माह नवम्बर से फरवरी तक गणित; अंग्रेजी; विज्ञान जैसे कठिन विषयों के लिये विशेष कोचिंग हेतु प्रति विषय प्रति माह 200/- रुपये उपलब्ध कराये जाते हैं ।

4. आवास, बर्तन एवं बिस्तर इत्यादि की सुविधायें उपलब्ध कराई जाती है ।

(4) जिलाधिकारी द्वारा उक्त छात्रावासों में किये गये निरीक्षण में सामान्य कमियां पाई गई ।

(समाज कल्याण मंत्री)

(5) पायी गई सामान्य कमियों का सुधार कर लिया गया है।

कोटा संभाग की जिला परिषदों/ पंचायत समितियों में रिक्त पद

312. श्री मदन दिलावर (अटरू) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) कोटा संभाग की जिला परिषदों व पंचायत समितियों में कब से कौन-कौन सा पद रिक्त है तथा उनको कब तक भर दिया जावेगा ?

(2) उक्त रिक्त पदों के कारण कौन–कौन सा कार्य प्रभावित हुआ ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) कोटा संभाग की जिला परिषदों एवं पंचायत समिति में पदों की रिक्तियों का विवरण परिशिष्ट–'अ' के अनुसार संलग्न है।

रिक्तियों में मुख्यत: प्रसार अधिकारी एवं कनिष्ठ लेखाकार के पद रिक्त हैं, जो प्रतिनियुक्ति के पद हैं। विभागों से कार्मिक उपलब्ध होने पर भरे जा सकेंगे। ग्राम सेवकों एवं अध्यापकों के पदों को सतत प्रक्रिया के तहत निरंतर भरा जाता है।

(2) उक्त रिक्त पदों के कारण पर्य-वेक्षकीय कार्य प्रभावित हुआ जिसे कम करने के लिये अतिरिक्त कार्यभार देकर वैकल्पिक व्यवस्था की गई।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

ग्राम ध्याबा (नागौर) के माध्यमिक विद्यालय की चार दीवारी निर्माण में अनियमितता की जांच

313. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं): क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत ध्याबा पंचायत समिति लाडनूं जिला नागौर के पूर्व सरपंच ने ग्राम ध्याबा के माध्यमिक विद्यालय की चार दीवारी निर्माण में अनियमितता करके सरकारी राशि का दुरुपयोग किया था ? यदि हां, तो कितनी राशि का ?

(2) उक्त अनियमितता की जांच करके पंचायत समिति लाडनूं की ओर से जिला ग्रामीण विकास अभिकरण व जिला परिषद को कब रिपोर्ट भेजी तथा उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? जांच रिपोर्ट व की गई कार्यवाही की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही किसके विरुद्ध कब तक की जायेगी ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) विकास अधिकारी, पंचायत समिति, लाडनूं ने उक्त प्रकरण की जांच करके अपनी रिपोर्ट दिनांक 9-6-99 को भेजी। रिपोर्ट की प्रति अधिशाषी अभियन्ता, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण नागौर को भेजकर पुनः जांच करवाई गई।

जांच रिपोर्ट की प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है।

(3) जांच रिपोर्ट के अनुसार उक्त प्रकरण में कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

(प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट-12 देखें)

विकास अधिकारी, भिनाय (अजमेर) द्वारा अनियमितता प्रकरण

314. श्री सांवर लाल (भिनाय) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या विकास अधिकारी भिनाय (अजमेर) को राज्य सरकार ने मौखिक/लिखित आदेश/निर्देश दे रखे हैं कि प्रधान पंचायत समिति, साधारण सभा, पंचायत समिति स्थायी समिति प्रशासन, वित्त व अन्य द्वारा पारित प्रस्तावों को लागू नहीं करना है ? यदि नहीं, तो फिर उक्त अधिकारी जन प्रतिनिधियों के आदेशों का उल्लंघन क्यों कर रहा है ?

(2) क्या सरकार उक्त अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ? स्थाई समिति प्रशासन के बिना अनुमोदन व मना करने पर भी विकास अधिकारी राशि व्यय कर अपने अधिकार का दुरुपयोग कर रहा है ?

(3) क्या सरकार ऐसी व्यय की गई राशि को सम्बन्धित अधिकारी से वसूल कर संबंधित के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं। पंचायत समिति या किसी स्थाई समिति द्वारा पारित संकल्प नियमों के विपरीत होने पर राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 44 (2) के अंतर्गत विकास अधिकारी अनापत्ति टिप्पणी लगाने हेतु सक्षम है।

(2) इस संबंध में शिकायत प्राप्त होने पर विभाग द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

(3) प्रकरण प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

सरपंच ग्राम पंचायत ककोड़ (टोंक) के विरुद्ध दर्ज प्रकरण

315. श्री दिग्विजय सिंह (उनियारा): क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(श्री दिग्विजय सिंह)

(1) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत ककोड़ पंचायत समिति उनियारा के सरपंच पद पर श्री हुकमचन्द जैन चुने गये हैं ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त सरपंच द्वारा जो निरर्हता प्रमाण पत्र भर के दिया है उसमें उनके विरुद्ध थाना बनेठा में मुकदमें दर्ज हैं और उनमें से कुछ में चालान प्रस्तुत हो चुका है जिनका उल्लेख नहीं कर तथ्यों को छिपाया है ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त सरपंच के विरुद्ध सरकारी सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाने का मुकदमा थाना बनेठा में दर्ज होकर चालान प्रस्तुत किया जा चुका है ? यदि हां, तो कब और क्या इसमें कम से कम पांच वर्ष की सजा का प्रावधान है ?

(4) क्या यह सही है कि पंचायत चुनावों में सरकार द्वारा यह स्पष्ट किया गया था कि किसी भी मुकदमें की धाराओं में कम से कम पांच साल की सजा का प्रावधान है तो वह व्यक्ति चुनाव लड़ने योग्य नहीं है ?

(5) क्या सरपंच ककोड़ ने जान बूझकर यह तथ्य छिपाया है ? क्या सरकार उनकी जांच कर पंचायत अधिनियम 1992 के अन्तर्गत कार्यवाही करेगी ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) यदि सरपंच ने घोषणा पत्र में तथ्यों को छिपाया है, तो उनकी निरर्हता का फैसला चुनाव याचिका दायर होने पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ही कर सकते हैं।

(3) जी नहीं।

(4) जी हां।

(5) इसका फैसला चुनाव याचिका दायर होने पर सत्र न्यायाधीश ही कर सकते हैं।

विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी के विद्यालयों में अध्यापकों के रिक्त पद

316. श्री गुलाब चन्द कटारिया (बड़ी सादड़ी) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी में कितने प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक विद्यालय तथा उच्च माध्यमिक विद्यालय कार्यरत हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त कार्यरत विद्यालयों में कितने पद स्वीकृत हैं ? श्रेणीवार उनमें से कितने पद कब से रिक्त हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि ग्रामीण तथा दूरस्थ क्षेत्र में बालकों की संख्या की तुलना में स्वीकृत पद कम हैं और उनमें से भी कुछ पद रिक्त हैं ? ऐसी स्थिति में ग्रामीण शिक्षा का स्तर कैसे सुधारा जा सकेगा ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी में प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों की संख्या इस प्रकार है :—

प्राथमिक विद्यालय	145
उच्च प्राथमिक विद्यालय	84
माध्यमिक विद्यालय	19
उच्च माध्यमिक विद्यालय	11

विद्यालय की सूची सदन की मेज पर रख दी है ; परिशिष्ट-'क'

(2) उक्त विद्यालयों में अध्यापकों के स्वीकृत एवं रिक्त पदों का श्रेणीवार विवरण संलग्न है । परिशिष्ट -'क'

(3) जी नहीं । वर्तमान में नियुक्ति पर पूर्ण प्रतिबंध है । समानीकरण नीति में अधिशेष अध्यापकों को ग्रामीण क्षेत्रों में रिक्त पदों पर समायोजन किया गया ।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

जिला जालौर के विद्यालयों में अध्यापकों के रिक्त पद

317. श्री गणेशीराम मेघवाल(जालौर): क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला जालौर में तृतीय वेतन श्रृंखला अध्यापकों के कितने पद प्राथमिक; उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में रिक्त हैं ?

(2) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों पर बेरोजगार प्रशिक्षित अध्यापकों को नियुक्ति देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जालौर जिले के अन्तर्गत, प्राथमिक उच्च प्राथमिक; माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालयों में तृतीय वेतन श्रृंखला अध्यापकों के 395 पद रिक्त हैं ।

(2) वर्तमान में नियुक्तियों पर प्रतिबंध है ।

ग्राम पंचायतों में ग्राम सेवकों की नियुक्ति

318. श्री सुरेन्द्र गोयल (जैतारण) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि राज्य की सभी ग्राम पंचायतों में ग्राम सेवकों की नियुक्ति कर दी गई है ? यदि नहीं, तो कौन-कौन सी ग्राम पंचायतों में अभी तक ग्राम सेवक नहीं लगाये गये हैं ? संख्या सूची सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

जी नहीं। ग्राम पंचायतों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

विधान सभा क्षेत्र खारची के आंगनबाड़ी केन्द्र

319. श्री केसाराम चौधरी (खारची) : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) विधान सभा क्षेत्र खारची में कुल कितने आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित किये जा रहे हैं ? संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) गत पांच वर्षों में उक्त आंगन-बाड़ी केन्द्रों को कितनी राशि प्रदान की गई है ? वर्ष वार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) गत पांच वर्षों में उक्त आंगन-बाड़ी केन्द्रों द्वारा कितने व्यक्तियों को प्रशिक्षित व लाभान्वित किया गया है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र खारची में कोई आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित नहीं किया जा रहा है। पंचायत समिति खारची में वर्ष 2000-2001 में बाल विकास परियोजना खोली जानी प्रस्तावित है, जिसके अधीन 155 आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने का प्रावधान है।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता।

(3) प्रश्न ही नहीं उठता।

पंचायत समिति बांदीकुई (दौसा) के आंगनबाड़ी केन्द्र

320. श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई) : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जिला दौसा की पंचायत समिति क्षेत्र बांदीकुई में आंग-नबाड़ी केन्द्र चल रहे हैं ? यदि हां, तो कहां-कहां व उनमें से कितने चालू/बंद हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त क्षेत्र में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका कहां-कहां, कौन-कौन है ? नाम/स्थान सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त पंचायत समिति क्षेत्र में वर्तमान में आंगनबाड़ी केन्द्र अब और कहां-कहां खोले जा रहे हैं और इन्हें कब तक खोल दिया जावेगा ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। पंचायत समिति क्षेत्र

(महिला एवं बाल विकास मंत्री)

बांदीकुई के लिए स्वीकृत बाल विकास परियोजना के अधीन 190 आंगनबाड़ी केन्द्र स्वीकृत हैं। वर्तमान में 182 केन्द्र संचालित हैं एवं एक केन्द्र बालाहेड़ा (बाढावास) बन्द है। शेष 7 केन्द्रों को खोलने के लिए ग्रामों की जनसंख्या कम होने के कारण ग्रामों के कलस्टर बनाकर केन्द्र खोलने की कार्यवाही चल रही है। संचालित केन्द्रों की सूची परिशिष्ट-'अ' पर संलग्न है।

(2) आंगनबाड़ी केन्द्रवार कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका का विवरण परिशिष्ट-'अ' पर संलग्न है।

(3) पंचायत समिति क्षेत्र बान्दीकुई में 7 आंगनबाड़ी केन्द्र खोले जाने हैं। इसके लिए कम आबादी के ग्राम शेष रह जाने के कारण ग्रामों के कलस्टर बनाकर प्रस्ताव क्षेत्रीय अधिकारियों से मांगे गये हैं। इन्हें शीघ्र ही प्रारंभ करने का प्रयास किया जा रहा है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-13 देखें)

जनजाति उपयोजना क्षेत्र के अति-रिक्त अन्यत्र रहने वाली जनजाति के व्यक्तियों की स्थिति

321. श्री गुलाब चन्द कटारिया (बड़ी सादड़ी) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में जनजाति उपयोजना क्षेत्र के अलावा किन-किन क्षेत्रों में कितनी कितनी आबादी जनजाति की है ? उदयपुर संभाग की पंचायत समितिवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा कभी उनकी आर्थिक स्थिति, शिक्षा एवं रोजगार के बारे में कोई जानकारी करने का प्रयास किया है ? यदि हां, तो वस्तुस्थिति क्या है ?

(3) क्या यह सही है कि जनजाति क्षेत्रों में रहने वाली जनजाति की स्थिति उपयोजना क्षेत्र की जनजाति से निम्न स्तर की है ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार इनके उत्थान के लिए कोई कार्य-क्रम बनाने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) राज्य के जनजाति उपयोजना क्षेत्र के अतिरिक्त जनजातियों की जनसंख्या निम्नानुसार है:-

क्षेत्र	जिलों की सं.	कुल जनसंख्या (लाखों में)	जनजाति की जनसंख्या
1	2	3	4
1. माडा क्षेत्र	17	22.52	12.49

(जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री)

1	2	3	4
2. माडा कलस्टर क्षेत्र	9	0.83	0.45
3. बिखरी जनजाति	30	379.54	17.31
4. सहरिया परियोजना क्षेत्र	1	1.91	0.48

उदयपुर संभाग की पंचायत समितिवार कुल जनसंख्या एवं जनजाति की जनसंख्या का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) यद्यपि जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा जनजातियों की आर्थिक, शैक्षणिक एवं रोजगार की स्थिति के बारे में कोई अधिकारिक सर्वेक्षण/अध्ययन नहीं किया है परन्तु समय-समय पर जनजातियों की स्थिति की समीक्षा कर विभिन्न शैक्षणिक कार्यक्रम तथा आश्रम छात्रावासों का निर्माण, उच्च व्यावसायिक तथा महिला शिक्षा हेतु सहायता, प्रतिभावान छात्रों को छात्रवृति, छात्रावास किराया, परीक्षा शुल्क का पुनर्भरण आदि प्रोत्साहन दिये गये। जनजातियों के लिए रोजगार के अधिक अवसर सृजत करने हेतु बी. एड. एसटी.सी.,सी.पी.एड., कम्प्यूटर प्रशिक्षण, लघु औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से प्रशिक्षण की विशेष व्यवस्था की गयी है। आर्थिक स्थिति सुधारने हेतु लघु सिंचाई कार्यक्रम यथा कुओं को गहरा कराना, डीजल पम्पसैटों का वितरण, एनीकट, जलोत्थान सिंचाई योजनाओं का निर्माण कराया जा रहा है।

(3) जनजाति उपयोजना क्षेत्र के बाहर रहने वाली जनजातियों की स्थिति जनजाति उपयोजना क्षेत्र की जनजातियों की स्थिति से निम्नतर नहीं है; केवल सहरिया परियोजना क्षेत्र की जनजातियां इसका अपवाद है। सहरिया परियोजना क्षेत्र की जनजातियों के उत्थान हेतु विभाग के माध्यम से अनेक कार्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है। जिनका विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-14 देखें)

भू-संरक्षण विभाग द्वारा सहाड़ा (भीलवाड़ा) में कराये गये कार्य

322. डा. रतन लाल जाट (सहाड़ा) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) गत 10 वर्षों में विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा जिला भीलवाड़ा में भू-संरक्षण

(डा. रतन लाल जाट)

विभाग द्वारा क्या-क्या कार्य किस-किस मद में कराये गये ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त में से कुछ कार्य अपूर्ण हैं ? यदि हां; तो कौन-कौन से ? अब सरकार इन्हें कब तक पूर्ण कराने का विचार रखती है ?

(3) क्या उक्त कार्यों के बारे में सरकार को कोई शिकायत प्राप्त हुई है ? यदि हां; तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या जल ग्रहण के कार्यों हेतु गांव की यूजर कमेटी का गठन किया जाता है ? यदि हां; तो कब-कब कहां–कहां कमेटी गठित की गई ?

(5) क्या उक्त प्रक्रिया की सूचना ग्रामवासियों को दी गई ? यदि हां, तो किस माध्यम से ? गठन के समय कहां-कहां कौन-कौन ग्रामवासी उपस्थित था ?

उत्तर

(1) जल ग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण विभाग द्वारा पिछले 10 वर्षों में विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा के अन्तर्गत निम्न कार्य करवाये गये :—

क्र.सं.	कार्य का नाम	मद/योजना का नाम
1.	चारागाह विकास; गलोमावड़ी पंचायत समिति, रायपुर	जवाहर रोजगार योजना
2.	चारागाह विकास चमरिया खड़ा पं.स., सहाड़ा	जवाहर रोजगार योजना
3.	नाड़ी कार्य पालड़ा पं.स., रायपुर	अकाल राहत योजना
4.	समाण ज.ग्र.वि. कार्य पं.स., रायपुर	रा.ज.ग्र.वि.योजना
5.	चावण्डिया जग्रवि. कार्य पं.स., सहाड़ा	रा.ज.ग्र.वि.योजना
6.	पालरा ज.ग्र.वि. कार्य पं.स., रायपुर	रा.ज.ग्र.वि.योजना
7.	सूरजपुर ज.ग्र.वि कार्य पं.स., सहाड़ा	रा.ज.ग्र.वि.योजना

(कृषि मंत्री)

(2) जी हां; उपरोक्त वर्णित कार्यों में से दो कार्य पालरा एवं सूरजपुर अपूर्ण हैं। उक्त कार्य वर्ष 2001-2002 में पूर्ण कर लिये जावेंगे।

(3) जी नहीं, उक्त कार्यों के विरुद्ध इस विभाग को कोई भी शिकायत अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

(4) हां, इस क्षेत्र में 27 यूजर्स समितियों का गठन किया गया है जिसका विवरण अनुसंलग्नक-1 पर उपलब्ध है।

(5) जी हां, यूजर्स समिति के गठन हेतु बैठक की सूचना ग्रामवासियों को मुनादी करवाकर, सार्वजनिक स्थानों पर बैठक नोटिस चस्पा कर एवं व्यक्तिगत रूप से सम्पर्क कर दी गई। यूजर्स समिति के गठन हेतु बैठक की कार्यवाही का विवरण तैयार कर उपस्थित ग्रामवासियों से हस्ताक्षरित करवाये गये हैं, विस्तृत विवरण अनुसंलग्नक-2 पर उपलब्ध है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

अनुपस्थिति अनुमति

श्री सुरेन्द्र गोयल को 3 अप्रैल से 12 अप्रैल, 2000 तक

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि श्री सुरेन्द्र गोयल, सदस्य, विधान सभा ने स्वयं की अस्वस्थता के कारण दिनांक 3 अप्रैल, 2000 से 12 अप्रैल, 2000 तक सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति चाही है।

क्या सदन की अनुमति है कि माननीय सदस्य को सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई।

सभापति तालिका

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 9(1) के अन्तर्गत नयी सभापति तालिका में निम्नांकित सदस्यों को मनोनीत किया गया है :—

(1) श्री रामनारायण चौधरी

(2) श्री हीरासिंह चौहान

(3) श्री शिवनाथ सिंह

(4) श्री दिग्विजय सिंह।

बधाई एवं शुभकामना

श्री बलवन्त सिंह मेहता को शतायु होने पर

माननीय सदस्यगण, सदन को यह

(श्री अध्यक्ष)

सूचित करते हुए मुझे अत्यन्त हर्ष हो रहा है कि संविधान सभा के सदस्य श्री बलवन्त सिंह मेहता राजस्थान के एकमात्र ऐसे सदस्य हैं जिन्होंने 8 फरवरी, 2000 को अपनी आयु के 100 वर्ष पूरे किये हैं। आयु की दृष्टि से ही नहीं अपितु व्यक्तित्व और कृतित्व की दृष्टि से भी वरिष्ठतम राजनैतिककर्मी श्री मेहता ने संविधान निर्मात्री सभा के सदस्य के रूप में स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों और आकांक्षाओं के प्रति भारत के संविधान को मूर्त रूप देने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। वर्ष 1951-52 में जयनारायण व्यास के नेतृत्व में बनी राजस्थान की अन्तरिम सरकार में मंत्री रहे श्री मेहता ने प्रथम लोक सभा में उदयपुर संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है। श्री मेहता के शतायु होने पर मैं उनके दीर्घ और स्वस्थ जीवन की कामना करते हुए अपनी ओर से तथा इस सदन के समस्त सदस्यों की ओर से उन्हें बधाई देता हूं।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :–

(1) प्रो.सांवर लाल, सदस्य की ओर से बीसलपुर जल परियोजना क्षेत्र के किसानों को उचित मुआवजा नहीं देने से उनमें व्याप्त आक्रोश के सम्बन्ध में।

(2) डा. किरोड़ी लाल, एवं छः अन्य सदस्यों की ओर से जिला दौसा के ग्राम मगलाई थाना नांगल राजावतान में तीन मासूम बच्चों की हत्या करने के मामले को पुलिस द्वारा भूत-प्रेत व्याधा बताने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जाएगा।

(12.06 बजे)

(श्री देवेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

नियम 295 के तहत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

(1) श्री दिग्विजय सिंह, सदस्य की ओर से रणथम्भौर बाघ परियोजना में 20 बाघों की मृत्यु होने के अमरीकी राष्ट्रपति के कथित वक्तव्य से अभयारण्य की सुरक्षा पर प्रश्नचिन्ह लगने के सम्बन्ध में।

(2) श्री भैराराम चौधरी, सदस्य की ओर से मारवाड़ जंक्शन स्थित समाज कल्याण छात्रावास की अव्यवस्था के सम्बन्ध में।

(3) श्री ज्ञानचन्द पारख, सदस्य की ओर से पाली नगर परिषद क्षेत्र में गरीबी की रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले चयनित परिवारों का पुनः सर्वे करने के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

(4) श्री रामस्वरूप मीणा; सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम की सड़कों की हालत दयनीय होने के सम्बन्ध में ।

(5) श्री ज्ञानदेव आहूजा; सदस्य की ओर से अलवर जिला सदर थाना में दर्ज एफ.आई.आर. संख्या 354/96 में उचित कार्यवाही करने के सम्बन्ध में ।

(6) श्री रमजान खां; सदस्य की ओर से नगर पालिका पुष्कर के बोर्ड की दिनांक 24-3-2000 को हुई बैठक में पारित प्रस्ताव नगरपालिका अधिनियम के अन्तर्गत नहीं होने के सम्बन्ध में ।

(7) डा. किरोड़ी लाल मीणा, सदस्य की ओर से सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा स्वीकृत सड़कों के कार्य आदेश शीघ्र जारी करने के सम्बन्ध में ।

(8) श्री वृद्धिचन्द जैन; सदस्य की ओर से बाड़मेर जिले के विद्यालयों में विज्ञान विषय के व्याख्याताओं का पदस्थापन करने के सम्बन्ध में ।

(9) श्री अमीन खां, सदस्य की ओर से बाड़मेर जिले की तहसील बायतु की कतिपय ढाणियों में पीने का पानी उपलब्ध करवाने के सम्बन्ध में ।

(10) डा. रघुवीर सिंह गौड़, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र कोटपुतली में पेयजल की समस्या के सम्बन्ध में ।

(11) श्री गोवर्द्धन कल्ला; सदस्य की ओर से जैसलमेर जिले के मोहनगढ़ गांव में उपनिवेशन विभाग द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में ।

(12) श्री मोहन लाल मोदी; सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र नीमकाथाना में पेयजल की गंभीर समस्या के सम्बन्ध में ।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गई सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी ।

श्री दिग्विजय सिंह ।

डा. किरोड़ी लाल (बामनवास) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जो स्थगन प्रस्ताव दिया है वह बड़ी गम्भीर प्रकृति का स्थगन प्रस्ताव है । एक नहीं, तीन-तीन बच्चों की हत्या हुई है । (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : स्थगन प्रस्ताव आपका था लेकिन आप उपस्थित नहीं थे । माननीय अध्यक्ष महोदय आपको बुलवाना चाहते थे ।

डा. किरोड़ी लाल : उपाध्यक्ष महोदय, यह मामला गम्भीर दूसरी तरह से है । पुलिस के यह कह दिये जाने के कारण कि यह तो भूत–प्रेत का मामला है; पूरा गांव खाली हो गया ।

श्री उपाध्यक्ष : तो फिर और किसी तरह से लाइये बात। आपकी अनुपस्थिति में अध्यक्ष महोदय व्यवस्था दे चुके। आप को बुलवाना चाहते थे, आप उपस्थित ही नहीं थे।

डा. किरोड़ी लाल : मैं नहीं था।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं थे। मैं खुद वहां बैठा हुआ था, कैसे थे आप?

डा. किरोड़ी लाल : जिस समय अध्यक्ष महोदय ने यह....

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : अब तो, उपाध्यक्ष महोदय, आपने दूसरा बिजनेस ले लिया।

श्री उपाध्यक्ष : इसलिए अब प्रश्न ही नहीं उठता है। काल अपान कर लिया इसलिए अब प्रश्न ही नहीं उठता। आर्डर प्लीज। श्री दिग्विजय सिंह।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, हम 21वीं सदी की तरफ जा रहे हैं। तीन तीन बच्चों की हत्या....(व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, पूरा का पूरा गांव खाली हो गया।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, सदन किसी नियम से चलता है। ऐसे बोलने से थोड़े ही चलता है।

डा. किरोड़ी लाल : पुलिस यह कहकर आ गयी कि भूतों का मामला है, भूतों से जाकर इलाज कराओ। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : अंकित नहीं हो।

डा. किरोड़ी लाल : ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ×××

श्री मदन दिलावर : ×××

श्री उपाध्यक्ष : रिकार्ड ही नहीं हो रहा। आप अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझते हो, आप अनुपस्थित रहते हो। बिजनस दूसरा ले लिया फिर आप कह रहे हो कि बोलूंगा।

श्री मदन दिलावर : ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ×××

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, दूसरा बिजनस काल अपान हो गया; आप बिराजें प्लीज। आप कोई और तरीके से उठा लेना।

श्री रामस्वरूप (टोडाभीम) ×××

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामस्वरूपजी, विराजिये। आप समझिये, दूसरा काल अपान हो गया, अब थोड़े ही बोल सकते हैं। श्री दिग्विजय सिंह।

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

डा. किरोड़ी लाल : ×××

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, आप नहीं थे। मैं स्वयं बैठा था न वहां।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

श्री उपाध्यक्ष : श्री दिग्विजय सिंह।

अमरीकी राष्ट्रपति के कथित वक्तव्य से रणथम्भोर बाघ परियोजना की सुरक्षा पर प्रश्नचिन्ह

श्री दिग्विजय सिंह (उनियारा) : उपाध्यक्ष महोदय, अमरीका के माननीय राष्ट्राध्यक्ष भारत के दौरे पर गत सप्ताह पधारे थे और उसी क्रम में उनकी राजस्थान प्रदेश की भी तीन दिवसीय यात्रा थी। हमें गर्व है कि अमरीकी राष्ट्राध्यक्ष ने इस यात्रा के दौरान जहां–जहां यात्रा की, उस को उन्होंने मुक्त कण्ठ से प्रशंसा की और राजस्थान के संस्मरण एक याददाश्त के रूप में लेकर वे गये हैं।

यही नहीं उन्होंने हमारी भारतीय नारी की राज्य में भागीदारी की सराहना की। विशेष कर जब वे ग्राम नायला पहुंचे और उन्होंने ग्राम पंचायत व 'डेयरी' सहकारी समिति के सदस्यों से वार्ता की और जानकारी ली, उससे प्रभावित होकर, एक अनूठा उदाहरण मानते हुए उसका जिक्र जब वे हैदराबाद व मुम्बई पधारे तब भी बार बार किया और हमारे प्रदेश की सराहना की।

अपनी राजस्थान की यात्रा के अन्तिम चरण में वे विश्व विख्यात रणथम्भोर बाघ अभयारण्य पहुंचे। वहां भ्रमण करते समय दो बाघों को देखने का उन्हें सौभाग्य प्राप्त हुआ। जिस तरह का दृश्य उन्होंने देखा उससे वे अभिभूत हो गये और प्रशंसा करते नहीं चूके।

इतना सब कुछ होते हुए भी अभयारण्य क्षेत्र के निदेशक व उपनिदेशक को उनकी यात्रा का जिम्मा नहीं सम्भलाया गया। यही नहीं, हमारे माननीय वन मंत्री जी को भी उनके साथ जाने की अनुमति नहीं दी गयी, बल्कि पूर्व निदेशक श्री फतेह सिंह को उनके साथ जाने और अभयारण्य में घूमते समय साथ रहने की स्वीकृति दी गयी। इससे यह स्पष्ट है कि वर्तमान में हमारे बाघ परियोजना निदेशक व उप निदेशक को इस योग्य नहीं माना गया कि उनको अमरीकी राष्ट्रपति जी के साथ रहने व घूमने की स्वीकृति दी जाए। जहां इस अभयारण्य की सराहना की गयी, उसी के साथ–साथ बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि अमरीकी राष्ट्रपति ने मुम्बई व हैदराबाद की यात्रा के समय अपने विचार प्रकट करते हुए अफसोस जाहिर किया कि उन्हें वहां पर एक आदमी ने बताया कि इस अभयारण्य में बीस बाघों

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री दिग्विजय सिंह)

की मृत्यु हो गयी। यह बात उन्होंने हैदराबाद में औद्योगिक परिषद में टी. वी. में अपने भाषण के समय कही।

मैं इस सम्बन्ध में राज्य सरकार व राज्य सरकार के माननीय वन मंत्री को कहना चाहूंगा कि उनके रणथम्भौर अभयारण्य की जहां ख्याति और बढ़ी है वहीं हमारे इस अभयारण्य की सुरक्षा पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। इस प्रकार की सूचना किसने उपलब्ध करायी, उसकी सम्पूर्ण जांच होना आवश्यक है क्योंकि ऐसी ही खबर 'राजस्थान पत्रिका' में भी दिनांक 25 मार्च, 2000 को प्रकाशित हुई है।

अतः मैं राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया के नियमों के नियम 295 के माध्यम से विशेष उल्लेख करते हुए माननीय वन मंत्री जी से मांग करता हूं कि इसकी जांच करायी जाए।

उपाध्यक्ष जी, इस सम्बन्ध में यह 'पत्रिका' में जो प्रकाशित हुआ है मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य।

श्री दिग्विजय सिंह : एक मिनट, बहुत आवश्यक है। बम्बई में उन्होंने कहा है इस बात को।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, 295 में यह नहीं होता है। आप बिराजें, होता नहीं है। आप पढ़ सकते हो, You cannot refer to this.

श्री दिग्विजय सिंह : एक मिनट का मौका दें। आप रामस्वरूपजी को तो बोलने का मौका देते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : You cannot refer to it.

श्री दिग्विजय सिंह : मैं आपकी बात मानकर बैठ जाऊंगा, पर आप रामस्वरूप जी को बोलने देते हो।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजें प्लीज।

श्री केसाराम चौधरी।

मारवाड़ जंक्शन समाज कल्याण छात्रावास में अव्यवस्था

श्री केसाराम चौधरी (खारची) : उपाध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत मारवाड़ जंक्शन समाज कल्याण छात्रावास में अव्यवस्था के सम्बन्ध में विशेष उल्लेख का प्रस्ताव है।

महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र खारची जिला पाली में समाज कल्याण छात्रावासों की दुर्दशा का वर्णन करना मेरे बस की बात नहीं है, फिर भी मैं कुछ एक ऐसी अनियमितताएं बता रहा हूं जिनको सुनकर आपका भी दिल दहल जाएगा।

(श्री केसाराम चौधरी)

मारवाड़ जंक्शन छात्रावास की हालत यह है कि बच्चों को भोजन नहीं दिया। छात्रावास की बिजली महीने भर से कट जाने के कारण बच्चे घर भाग गये। तीन बच्चे विवश होकर चिमनी के धुंए व प्रकाश में अध्ययन करते हुए मुझे दिनांक 24-3-2000 को रात में 8.00 बजे मिले।

वर्ष में चार माह कठिन विषयों के लिए विशेष कोचिंग हेतु निर्धारित प्रति विषय प्रति माह 200/- रुपये किसी को नहीं दिये गये हैं। आप स्वयं जानते हैं कि दिनांक 23-3-2000 से बच्चों की बोर्ड की परीक्षा आरम्भ हो गयी। मेरे द्वारा जिला स्तर की बैठक में दिनांक 11-3-2000 को जिला समाज कल्याण अधिकारी को अव्यवस्था के बारे में बताया गया। दिनांक 25-3-2000 को पुनः बैठक में अधिकारी को कोई सुधार न होने पर अवगत कराया फिर भी कोई सुधार नहीं हो पाया।

छात्रावास के चारदीवारी भी बनी हुई नहीं है। बच्चों को जंगली जानवरों व चोरों का डर बना रहता है। चपरासी स्वयं नेतागीरी करता घूमता रहता है। छात्रावास में कई माह से ड्यूटी नहीं दे रहा है तथा वेतन हर माह आकर अधिकारियों की मिलीभगत से उठा लेता है। ऐसा ही पाली जिले के सभी छात्रावासों में अव्यवस्था का आलम छाया हुआ है, अतः यह गम्भीर चिन्ता का विषय है। ऐसे लोक महत्व के विषय पर समाज कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री ज्ञानचन्द पारख।

पाली नगर परिषद में चयनित परिवारों का पुनः सर्वे

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली) : प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत पाली नगर परिषद क्षेत्र में चयनित परिवारों का पुनः सर्वे कराने के क्रम में माननीय स्वायत्त शासन मंत्री जी से निवेदन है कि लगभग दो वर्ष पूर्व नगर परिषद पाली क्षेत्र में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों का सर्वे कर उन्हें चयनित परिवारों की सूची में सम्मिलित किया गया था।

व्यापक प्रचार न किये जाने के कारण ऐसे कई परिवार जो अत्यन्त निर्धन हैं, उन्हें उसकी जानकारी नहीं होने के कारण वे अपना नाम सर्वे सूची में दर्ज नहीं करवा सके। चयनित परिवारों के सर्वे हेतु जो शिविर लगाये गये वह भी एक वार्ड में एक शिविर एक स्थान पर ही लगाया गया अतः वार्ड का क्षेत्र लम्बा होने के कारण वहां के निवासियों को इन शिविरों की जानकारी नहीं हो सकी।

कई परिवार रोजी-रोटी हेतु अन्यत्र गये हुए थे वे भी इस योजना में लाभान्वित होने से वंचित रह गये। सर्वे हेतु लगाये गये अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने भी सर्वे में शिथिलता बरती।

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

इन सभी कारणों से गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार जो बहुत बड़ी संख्या में हैं, सर्वे सूची में आने से वंचित रह गये। इन परिवारों को चयनित परिवारों की सूची में सम्मिलित किया जाना अति आवश्यक है ताकि सरकार द्वारा इनके उत्थान हेतु चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का लाभ इन्हें भी मिल सके और इनका जीवन स्तर ऊंचा उठ सके।

माननीय स्वायत्त शासन मंत्री महोदय, मैंने पूर्व में दो बार आपसे एवं माननीय मुख्य मंत्री महोदय जी से पुनः सर्वे हेतु पत्र लिखकर एवं व्यक्तिगत रूप से भी निवेदन किया था। पुनः आपसे निवेदन है कि जो परिवार सर्वे सूची में आने से वंचित रह गये, पुनः जांच कराकर उनका नाम भी चयनित परिवारों की सूची में दर्ज कराया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामस्वरूप मीणा।

टोडाभीम में सड़कों की मरम्मत व सहायक अभियन्ता कार्यालय की स्थापना

श्री रामस्वरूप (टोडाभीम) : उपाध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत टोडाभीम क्षेत्र की सड़कों एवं सहायक अभियन्ता कार्यालय खोलने के विषय में निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में सड़कों की हालत इतनी दयनीय हो गयी है कि एक फीट तक के गड्ढे सड़कों में पड़ गये हैं।

इसी सदन में जब मैं विपक्ष में बैठता था तब से लगातार मांग करता आया हूं कि मेरे क्षेत्र की सड़कों की मरम्मत करा दो, पर भाजपा शासन ने मेरी एक भी सड़क की मरम्मत नहीं कराई तो जनता ने उनकी मरम्मत कर दी और टोडाभीम से उनके प्रत्याशी की जमानत जब्त हो गयी।

अब मेरी सरकार आ गयी है, एक वर्ष से भी अधिक समय हो गया पर मेरी एक भी सड़क ठीक नहीं हुई। सड़क ठीक कराने के साथ साथ, माननीय मंत्री जी, जो सहायक अभियन्ता का कार्यालय टोडाभीम में भाजपा शासन में तोड़ दिया था।

मेहरबानी करके उसको आप पुनः टोडाभीम में खुलवाएं। आपका कोई भी खर्चा इसमें नहीं होने वाला है। सहायक अभियंता प्रोजेक्ट लगा रखा है उसका कोई भी काम नहीं है, विश्व बैंक के सारे कार्य खत्म हो गये हैं। स्टाफ भी मौजूद है, भवन भी पहले से मौजूद है, केवल आपको विधान सभा में घोषणा करनी है और मेरी सड़कों की समस्या हल हो जाएगी। आप बहुत अच्छे मंत्री हैं फिर मेरे इस कार्य में क्यों देर लगा रहे हैं?

मैंने कई बार आपसे विनम्र निवेदन भी कर दिया है पर आपने कहा जल्दी कर रहा हूं। शुभ कार्य है, आप मेरे रास्ते ठीक करोगे तो ईश्वर आपके रास्ते ठीक करेगा।

(श्री रामस्वरूप)

मेरे क्षेत्र के महान तीर्थ स्थान मेंहदी–पुर बालाजी के बाई पास का कार्य बंद पड़ा है, उसे चालू करावें। श्री महावीर जी से टोडाभीम सड़क कार्य पूर्ण हो गया, मात्र डेढ़ किलोमीटर का टुकड़ा शेखपुरा से पहाड़ी के बीच बचा है, जिसके कारण आपका 40 लाख रुपया बेकार पड़ा है और जनता परेशान है।

आप मेरे क्षेत्र की अधूरी सड़कों को जल्दी पूर्ण कराने का कष्ट करेंगे एवं सहायक अभियंता का कार्यालय खोलेंगे, इसी आशा के साथ धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री ज्ञानदेव आहूजा।

सदर थाना, अलवर में दर्ज एफ. आई. आर. संख्या 354/96 पर कार्यवाही

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विधान सभा प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के तहत अलवर जिला सदर थाना की रिपोर्ट नं. 354/96 पर विशेष उल्लेख के अन्तर्गत निवेदन है कि अलवर जिले में सदर थानांतर्गत एक एफ.आई.आर क्रमांक 354/96 दर्ज प्रार्थी श्री सांवलमल पुत्र बसरमल सिंधी द्वारा दर्ज हुई है।

इस एफ.आई.आर. में प्रार्थी की लड़की सोनू के साथ कई लोगों द्वारा बलात्कार, सोना-चांदी के जेवर इत्यादि गायब करने संबंधी रिपोर्ट है। आई.पी. सी. की धारा 363, 366, 376 जैसी रिपोर्ट एवं बहुत संगीन धाराएं होने के बावजूद आज तक लगभग पांच वर्ष होने के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

प्रार्थी थाने से लेकर डी.जी.पी. साहब तक रोता रहा, फरियाद करता रहा पर आज तक उसे कोई न्याय नहीं मिला है, क्योंकि इस एफ.आई.आर. में प्रभावशाली लोगों का नाम है। यहां तक कि पुलिस के अधिकारी एवं अध्यापकों सहित सरकारी कर्मचारी भी इस एफ.आई.आर में दर्ज हैं।

लगभग 15 हजार के जेवरात भी गायब हैं जो लड़की से मंगवाये गये हैं। प्रार्थी पर इस केस का पीछा करने के कारण कई बार हमले हो चुके हैं एवं उसे हत्या की धमकियां दी जा रही हैं।

मैं विधान सभा में नियम 295 के माध्यम से इस रिपोर्ट पर उचित कार्यवाही हेतु निवेदन करता हूं। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रमजान खां।

नगर पालिका पुष्कर के बोर्ड की साधारण सभा दिनांक 24-3-2000 की कार्यवाही

श्री रमजान खान (पुष्कर) : उपाध्यक्ष महोदय, कार्य संचालन नियमों के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख है कि दिनांक 24–3–2000 को नगर पालिका पुष्कर के बोर्ड की साधारण सभा का विधिवत एजेण्डा जारी कर बैठक आहूत की गई थी।

(श्री रमजान खान)

इस बैठक में 14 सदस्य उपस्थित हुए थे जिसमें 6 सदस्य चेयरमैन के पक्ष के तथा 8 सदस्य विपक्ष के उपस्थित थे । एजेन्डे में कुल17 विषय विचारार्थ रखे गये थे ।

बैठक समय पर 1.00 बजे 14 पार्षदों की उपस्थिति में विधिवत् प्रारम्भ हुई । सत्ता पक्ष के दो सदस्य एक्सीडेंट की वजह से राजकीय चिकित्सालय में थे । सत्ता पक्ष के दोनों सदस्यों के बैठक में आने की पूरी उम्मीद थी एवं प्रयास भी चल रहे थे, यहां तक कि नगरपालिका पुष्कर की गाड़ी (जीप) भी अजमेर भेजी गई थी ।

इस बात को ध्यान में रखते हुए सत्ता पक्ष ने बैठक प्रारम्भ कर दी एवं प्रस्ताव संख्या 1 से 4 पर बहस कर सर्वसम्मति से पास कर दिया । इसी बीच जीप गाड़ी से एक कांग्रेसी समर्थक आया और उसने अध्यक्ष एवं पार्षद चांदमल उदय को यह खबर दी कि दोनों पार्षद अस्पताल से नहीं आ सकते हैं । सभी सत्ता पक्ष के पार्षद सकते में आ गये । अल्पमत में रहते हुए प्रस्ताव संख्या 5 जो इस एजेन्डे का मुख्य एवं महत्वपूर्ण प्रस्ताव था; सहवृत सदस्यों का मनोनयन और समितियों का गठन करना नामुमकिन समझकर सारे अधिकार हाथ से जाते देखकर अध्यक्ष श्रीमती अन्नी देवी एवं पार्षद दिनेश कुमार शर्मा ने मेरे से उलझना चाहा एवं जैसे-तैसे बैठक को स्थगित हंगामे के आधार पर करना चाहा, लेकिन वे सफल नहीं हो सके ।

अध्यक्ष ने पूर्व नियोजित कार्यक्रम के अनुसार बिना किसी हंगामे एवं झगड़े के नियमों की अनदेखी करते हुए तीन विपक्षी पार्षदों श्री ईश्वर पाराशर, जीवनचंद महावर एवं सत्यनारायण रामावत को निलम्बित करने की घोषणा कर मीटिंग से बाहर जाने के लिए कहा । ऐसा करने से सत्ता पक्ष के समर्थकों में 6 पार्षद एवं विपक्षी पार्षद संख्या 5 हो जाने से अपने प्रस्ताव अपने पक्ष में पारित करने का प्लान किया; लेकिन श्रीमती अन्नी देवी इस घटनाक्रम को सही सम्भाल नहीं सकीं एवं कुछ समय के लिये मीटिंग स्थगित कर दी गई।

पुनः मीटिंग शुरू की एवं श्रद्धांजलि श्री वीर कुमार; पूर्व सभापति अजमेर नगरपालिका को देकर मीटिंग हाल से बाहर केवल सत्ता पक्ष के सदस्य निकल गये । अधिशासी अधिकारी द्वारा मीटिंग कार्यवाही शुरू की गयी जो विधिवत चल रही थी। कुछ समय तक अध्यक्ष श्रीमती अन्नी देवी के नहीं आने से विपक्षी आठ पार्षदों ने अपने में से श्रीमती रामकंवरी देवी को अध्यक्ष चुनकर ऐजेन्डे में बाकी रहे प्रस्तावों पर चर्चा शुरू की ।

इसी दौरान कांग्रेसी समर्थक मीटिंग हाल में आये एवं मीटिंग रजिस्टर, पेपर एवं अन्य संबंधित सामग्री अधिशासी अधिकारी से छीनकर ले गये । अधिशासी अधिकारी फिर भी बैठे रहे । पुनः कांग्रेस समर्थक मीटिंग हाल में आये एवं रिवाल्वर के जोर पर अधिशासी अधिकारी का हाथ पकड़कर सीट से उठाकर नीचे ले गये एवं

(श्री रमजान खान)

उसे डराया, धमकाया। विपक्षी पार्षदों ने अधिशासी अधिकारी को पुन: मीटिंग में आने का निर्देश दिया लेकिन जब तक वे बुरी तरह डर चुके थे। ऐसा देख कर एक पार्षद द्वारा मीटिंग कार्यवाही लिखी गई एवं अधिशासी अधिकारी को उसी समय कार्यालय में कार्यवाही रजिस्टर में लिखने के लिये प्रति दी गई जिसे अधिशासी अधिकारी ने स्वीकार किया।

अन्त में मेरे सहित सभी आठ पार्षदों ने क्षेत्रीय उप निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, अजमेर, जिलाधीश, अजमेर को सम्पूर्ण जानकारी दी। अधिशाषी अधिकारी ने भी इस दुर्भाग्यपूर्ण घटित घटना के बारे में निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर, उप निदेशक, क्षेत्रीय स्वायत्त शासन विभाग, अजमेर एवं जिलाधीश अजमेर को अवगत करा दिया।

अत: इस घटनाक्रम की सम्पूर्ण जांच कराकर बैठक में पारित प्रस्ताव संख्या 1 से 17 तक को कार्यवाही रजिस्टर में लिखने एवं क्रियान्वित करने के आदेश न्यायहित में नगरपालिका अधिनियम के अन्तर्गत दिलवाने तथा इस प्रकार की दुर्भाग्यपूर्ण घटना कारित करने के आरोप में भारतीय प्रजातंत्र को मखौल बनाने एवं स्वार्थवश कार्य करने के लिये अध्यक्ष श्रीमती अन्नी देवी को पदमुक्त करने के आदेश पारित करें ताकि भविष्य में राजस्थान के किसी भी नगरपालिका क्षेत्र में इस प्रकार की दुर्भाग्यपूर्ण घटना की पुनरावृत्ति रोकी जा सके।

श्री उपाध्यक्ष : डा. किरोड़ी लाल।

सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा स्वीकृत सड़कों के कार्य आदेश

डा. किरोड़ी लाल (बामनवास) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन है कि सरकार द्वारा आर.आई.डी.एफ फिफ्थ फेज संकिण्ड के तहत दिनांक 18-12-99 को 281.36 किलोमीटर लम्बाई की 92 सड़कें करीबन 22 करोड़ रुपये की स्वीकृत की गयी थीं, जिसकी नाबार्ड द्वारा भी दिनांक 7-3-2000 को स्वीकृति प्रदान कर दी गयी थी।

मार्केटिंग बोर्ड द्वारा आर.आई.डी.एफ फिफ्थ फेज-संकिंड की उक्त सभी सड़कों की निविदाएं भी निकाल दी गयीं।

राजस्थान के करीबन बीस विधान सभा क्षेत्रों की अत्यन्त ही लोक महत्व की सड़कें सरकार द्वारा स्वीकृत तो कर दी गयीं किन्तु अभी तक कार्य आदेश नहीं देने के कारण भ्रम की स्थिति बनी हुई है। सुना गया है कि सरकारी तंत्र की पत्रंगेबाजी के कारण अब इन सड़कों का कार्य आदेश दिया जाना मुश्किल लगता है। कुछ अधिकारियों का कहना बताया कि इन सड़कों के निर्माण हेतु केयर टेकर बैंक नाबार्ड द्वारा दिये गये ऋण का शत प्रतिशत री-पेमेंट (अदायगी) बोर्ड को ही करना पड़ेगा तब ही कार्य आदेश दिये जाएंगे।

(डा. किरोड़ी लाल)

आर.आई.डी.एफ फिफ्थ फेज-फर्स्ट की करीब 86 करोड़ की राशि की 275 सड़कों का कार्य प्रारम्भ हो चुका है जिसके लिये 80 परसेंट ऋण का री-पेमेंट(अदायगी) बोर्ड अपनी आय से नाबार्ड को करेगा।

बताया जाता है कि आर.आई.डी.एफ. फिफ्थ फेज-सैकिंड की सड़कों के बारे में शत-प्रतिशत राशि का भुगतान बोर्ड द्वारा किया जाना किसी भी स्थिति में संभव नहीं है जिसके कारण कार्य आदेश नहीं दिये जा रहे हैं। कई सड़कों के कार्य आदेश की निर्धारित तिथि 7 अप्रैल, 2000 को समय सीमा समाप्त हो रही है।

आर.आई.डी.एफ. फेज-फर्स्ट में री-पेमेंट की नीति एवं आर.आई.डी.एफ. फिफ्थ फेज-सैकिंड की सड़कों के री-पेमेंट की नीति में दोहरा मापदण्ड अपनाया जाना किसी भी तरह से न्यायोचित प्रतीत नहीं होता।

अब तक राज्य सरकार द्वारा आर. आई.डी.एफ. फेज-फर्स्ट, सैकिंड, थर्ड और फोर्थ की सड़कों का निर्माण कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा करवाया गया; जिसके ऋण का शत-प्रतिशत री-पेमेंट नाबार्ड को राज्य सरकार द्वारा किया गया था। जबकि मार्केटिंग बोर्ड आर.आई.डी. एफ. फिफ्थ के फेज-फर्स्ट और फेज सैकिंड की सड़कों के ऋण की 20 प्रतिशत अदायगी देने को सहमत है।

अभी सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा आर.आई.डी.एफ. सिक्सथ भी तैयार किया जा रहा है जिसमें भी राज्य सरकार द्वारा नाबार्ड के ऋण एवं ब्याज की शत-प्रतिशत अदायगी की जाएगी। इस प्रकार राज्य सरकार द्वारा दोहरे मापदण्ड अपनाकर कार्य करना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः आपके द्वारा आर.आई.डी.एफ. फिफ्थ के फेज-सैकिंड के अन्तर्गत स्वीकृत करीब 22 करोड़ की सड़कों के कार्य आदेश जनहित में शीघ्र जारी करवाये जाने का श्रम करें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री वृद्धिचन्द जैन।

बाड़मेर जिले के विद्यालयों में विज्ञान विषय के व्याख्याताओं का पदस्थापन

श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 295 के अंतर्गत निम्न महत्वपूर्ण विषय पर शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित कर रहा हूं।

बाड़मेर जिले में कुल 29 छात्र उच्च माध्यमिक विद्यालय व 5 छात्रा उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं, जिनमें से बाड़मेर, सिवाना, समदड़ी एवं बालोतरा में विज्ञान संकाय का अध्ययन चल रहा है। प्रारम्भ में बाड़मेर जिले में इन पांच उच्च माध्य-

(श्री वृद्धिचन्द जैन)

मिक विद्यालयों के अलावा चौहटन, धोरीमन्ना व सिणधरी में चल रहे विज्ञान संकाय भी व्याख्याताओं के अभाव में छात्र संख्या न्यून हो जाने से इस ग्रामीण क्षेत्र के छात्र विज्ञान संकाय के अध्ययन से वंचित कर दिये गये हैं ।

वर्तमान में भी पांच विद्यालय जिनमें विज्ञान विषय होने को तो हैं मगर व्याख्याताओं के पदस्थापन पूरे न होने से बायतु, सिवाना, समदड़ी, बालोतरा (छात्रा), बाड़मेर (छात्रा) में छात्रों/छात्राओं की संख्या न्यून होती जा रही है व आने वाले वर्षों में इन विद्यालयों में विज्ञान संकाय हटा दिये जाने की संभावना है ।

इस प्रकार सीमावर्ती जिले में समस्त व्याख्याताओं, विशेषकर विज्ञान के व्याख्याताओं का पदस्थापन न करके पिछड़े क्षेत्र के छात्रों को विज्ञान विषय के अध्ययन से वंचित किया जा रहा है ।

वर्तमान में बाड़मेर जिले में भी अनेक छात्र विज्ञान विषय के अध्ययन के इच्छुक हैं । जिन विद्यालयों में विज्ञान संकाय चल रहा है वहां पर प्रयोगशालाओं व उपकरणों का पर्याप्त प्रबंध नहीं होने से वे भी सुचारु रूप से नहीं चल रहे हैं । बाड़मेर जिले में कार्यरत योग्यताधारी वरिष्ठ अध्यापकों की शीघ्र पदोन्नति की जाए तो कुछ समस्या का समाधान हो सकता है ।

राज्य सरकार के शिक्षा विभाग को उन वरिष्ठ विज्ञान अध्यापकों की पदोन्नति किये जाने के लिये शीघ्रातिशीघ्र कदम उठाना चाहिये । बकाया व्याख्याताओं को राजस्थान के दूसरे जिलों से स्थानान्तरण किया जाए ताकि बाड़मेर जिला शिक्षा की दृष्टि से प्रगति की ओर अग्रसर हो ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री अमीन खान ।

बायतु तहसील की कतिपय ढाणियों में पेयजल की उपलब्धता

श्री अमीन खान (शिव): कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख है कि जिला बाड़मेर की तहसील बायतु के ग्राम फतूम्बोया, मदो की ढाणी, धोरानीयों की ढाणी, साइयों की ढाणी, मोमानीयों की ढाणी, जुगतानियों की ढाणी, पूनीयो की ढाणी-राठेल नाड़ी, हुबो की ढाणी व ग्राम कसुम्पला–पहुचान में जोरानीयो की ढाणी कसुम्बला फाटा आदि स्थान हैं ।

उपरोक्त स्थानों पर होदियों में पानी पिछले 6 माह से नहीं आया है । आज से पूर्व का समय सर्दी का था जो लोगों ने मजबूरी में वक्त गुजारा है परन्तु अब गर्मी का समय आ गया है और वहां पर लोगों को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है ।

अतः मैं आपको व सदन को मार्फत जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्रीजी से गुजारिश करना चाहूंगा कि उपरोक्त स्थान पर रोजाना पानी पहुंचाने का विभाग को आदेश दें ।

श्री उपाध्यक्ष : डा. रघुवीर सिंह गौड़।

कोटपूतली विधान सभा क्षेत्र में पेयजल समस्या का निराकरण

डा. रघुवीर सिंह गौड़ (कोटपूतली) : विधान सभा प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत कोटपूतली विधान सभा क्षेत्र में पेयजल समस्या का विशेष उल्लेख प्रस्ताव है कि वर्षा कम होने के कारण कोटपूतली विधान सभा क्षेत्र में पेयजल की भीषण समस्या उत्पन्न हो गयी है। क्षेत्र में 1270 हैंड पम्प हैं जिसमें 123 हैंड पम्प नाकारा हो चुके हैं। शेष 1147 हैंड पम्पों में से 400 खराब पड़े हुए हैं जिनकी मरम्मत की कोई व्यवस्था नहीं हो रही है। जलदाय विभाग 400 पम्पों को शीघ्र सुधारने की स्थिति में नहीं है। धनाभाव के कारण आवश्यक उपकरण उपलब्ध नहीं है।

स्टाफ का कथन है कि एक दिन में 4-5 से अधिक हैंड पम्प नहीं सुधारे जा सकते। ऐसी स्थिति में आगामी दिनों में 400 हैंड पम्प किस प्रकार ठीक हो सकेंगे, यह एक विचारणीय प्रश्न है। इस क्षेत्र में नये हैंड पम्प भी बहुत कम लगाये गये हैं। वर्ष 1998-99 में मात्र 61 हैंड पम्प स्वीकृत किये गये थे उनमें केवल 31 ही लग सके हैं। अभी 12 हैंड पम्प लगाये जाने के वर्क आर्डर दिये गये उनमें से भी केवल 5 ही लग सके हैं। शेष पाइप सप्लाई न किये जाने के कारण नहीं लग सके। कोटपूतली विधान सभा क्षेत्र में जिले में सबसे कम पाइप सप्लाई किये गये हैं।

इसी प्रकार गांव नवरंगपुरा में एक माह से अधिक समय से मोटर जली पड़ी है लेकिन इतना समय बीत जाने पर भी न तो मोटर बदली गयी, न ठीक करवायी गयी। दूसरा जल स्रोत प्रारम्भ न किये जाने के कारण नारेहड़ा की मीणा बस्ती, सुंदरपुरा ढाढा तथा पिथाणी में पानी बहुत कम दबाव पर थोड़ा-थोड़ा आता है।

इन स्थानों पर नवीन अतिरिक्त स्रोत शीघ्र प्रारम्भ किया जाना अति आवश्यक है। बूचारा में काम प्रारम्भ कर बीच में तकनीकी कारणों से बन्द कर दिया गया है, वह पुनः शीघ्र चालू किया जाना चाहिये। पानी के लिये जनता में बहुत व्यग्रता है। यदि शीघ्र इंतजाम नहीं हुआ तो जनता में भयंकर आक्रोश उत्पन्न होकर आंदोलन का रूप ले लेगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि कोटपूतली विधान सभा क्षेत्र में पेयजल समस्या निवारण के लिये शीघ्र आवश्यक कदम उठाये जाएं। धन्यवाद।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : उपाध्यक्ष महोदय, बहुत ही गंभीर संकट है पेयजल का, शिव से आने वाले माननीय सदस्य ने भी कहा है। आश्वासन दिये जाते रहे हैं। मैं जानना चाहूंगा माननीय मुख्य मंत्री जी से कि उन गांवों की क्या हालत है? टेल एंड के ऊपर लोग प्यासे मर रहे हैं, बरसात नहीं हुई, इस हालत में निकट कहीं भी किसी तरह का कोई सोर्स नहीं है, कहां से पानी लाएं?

श्री उपाध्यक्ष : मंत्री जी बोल रहे हैं ना।

श्री देवीसिंह भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, हम लोग मुख्य मंत्री जी से चाहेंगे कि वे अपनी योजना बताएं। बिजली की कटौती हो रही है; तलाइयों में पानी नहीं है। पेयजल की किसी भी योजना में टेल एंड पर पानी नहीं पहुंच रहा है। आखिर होगा क्या ?

श्री मोहन लाल मोदी : उपाध्यक्ष महोदय, ये किस संबंध में बोल रहे हैं ? यह 295 चल रहा है। (व्यवधान) इनका 295 में है क्या ?

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये; माननीय सदस्य।

श्री देवीसिंह भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, अकाल राहत कार्य के लिए इनके पास पैसा नहीं है। जो योजनाएं बनी हुई हैं उनके टेल एण्ड पर पानी नहीं पहुंचे; आपके हैण्ड पम्प ठीक नहीं हों....

श्री उपाध्यक्ष : काहे पर बोल रहे हैं ?

श्री देवीसिंह भाटी : काहे पर ? पानी के ऊपर बोल रहा हूं। (व्यवधान)+++ जो इस सदन के अंदर बैठे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : पूछें तो सही कि बोलना चाहता हूं। हमसे इजाजत लो ना आप।

श्री देवीसिंह भाटी : क्या बोलें ? (व्यवधान) इस हाउस के अंदर आखिर विषय आता है....

श्री उपाध्यक्ष : मंत्री जी जवाब दे रहे हैं।

श्री देवीसिंह भाटी : उपाध्यक्ष महोदय; जवाब कई बार यहां दिया जा चुका है। हम मुख्य मंत्री जी से चाहेंगे; सदन के नेता हैं आखिर उनकी जिम्मेदारी है।

श्री उपाध्यक्ष : यह जरूरी नहीं है कि मुख्य मंत्री जी ही बोलें। (व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : हमारे लोग प्यासे मर रहे हैं; पशुधन मर रहा है। आखिर होगा क्या ? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : उनका जवाब सुनिये न आप। बोल रहे हैं मंत्री जी। (व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : आते ही यहां हर दिन बस एक वक्तव्य दे दिया; एक आश्वासन दे दिया। अकाल पर यहां चेयर की व्यवस्था हुई थी; उसके ऊपर चर्चा हुई ?

श्री उपाध्यक्ष : चर्चा होगी ना।

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री देवीसिंह भाटी : क्या +++ चर्चा होगी। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : जब बी.ए.सी. तय करेगी....(व्यवधान)

श्री मोहन लाल मोदी : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा भी 295 पानी के बारे में है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य; आर्डर; आर्डर। माननीय सदस्य, बिराजें। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : मैं यह कह रहा हूं कि भाषा और शैली तो संयमित रखिये। आप यह +++ शब्द बोल रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य; कृपया बिराजें।

श्री रामसिंह विश्नोई (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय; कोटपूतली से आने वाले माननीय सदस्य तथा और माननीय सदस्य जो विधान सभा के अंदर बैठे हैं, सब जगह पानी की किल्लत है, यह बात सही है। पाइप नहीं हैं या हैण्ड पम्प ठीक नहीं हो रहे हैं, यह बात भी करीब–करीब सही थी।

लेकिन अभी-अभी 30-40 करोड़ रुपये राज्य सरकार ने मंजूर किये हैं, हमने सब जगह पाइपों की व्यवस्था कर दी है; सब जगह पाइप भेज दिये हैं। हैण्ड पम्पों की रिपेयरिंग का कार्य युद्ध स्तर पर प्रारम्भ कर दिया गया है और मेरे ख्याल से 4-5 दिन में आप लोग जब गांव पधारेंगे अपने क्षेत्र में तो आपको महसूस हो जाएगा कि पानी की व्यवस्था है। जो पानी बहुत नीचे चला गया है वहां हम पानी निकाल तो नहीं सकते, उसका तो संभव नहीं है। जहां पानी है ही नहीं, वहां सम्भव नहीं है।

लेकिन अगर कहीं पानी है, मीठा पानी है तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम शीघ्र व्यवस्था करने जा रहे हैं, हैण्ड पम्पों के माध्यम से, ट्यूब वैलों के माध्यम से। और जहां हो ही नहीं सकता वहां पर ट्रांसपोर्ट के द्वारा। कलेक्टर की अध्यक्षता में कमेटी बनी हुई है, 4-5 दिन के अन्दर विधान सभा सत्र जो चल रहा है उसके अंतिम दिनों तक पानी की व्यवस्था सही ढंग से हो जाएगी; इस बात का विश्वास दिलाता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गोवर्द्धन कल्ला। पांच दिन की तसल्ली रखें, पांच दिन की ही तो बात कह रहे हैं। (व्यवधान) श्री गोवर्द्धन कल्ला।

जैसलमेर जिले के मोहनगढ़ गांव में अतिक्रमण हटाने से उत्पन्न स्थिति

श्री गोवर्द्धन कल्ला (जैसलमेर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं विधान सभा नियम 295

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री गोवर्द्धन कल्ला)

के अन्तर्गत उपनिवेशन मंत्री का ध्याना-कर्षित करना चाहता हूं कि जैसलमेर जिले के उपनिवेशन क्षेत्र के गांव मोहनगढ़ में दिनांक 30-3-2000 को अतिक्रमण हटाने के नाम से विभाग के अधिकारियों ने गांव के आबादी क्षेत्र में सड़क चौड़ी करने का आदेश निकाल कर पूरे व्यावसायिक क्षेत्र को तहस-नहस कर दिया। उपनिवेशन क्षेत्र घोषित करने से पूर्व यह क्षेत्र गांव का आबादी क्षेत्र था जहां पुश्तैनी कुए आदि बने हुए थे। गत 50 वर्षों से गांव में कोई आबादी तथा व्यावसायिक क्षेत्र का विस्तार नहीं हुआ। उक्त क्षेत्र में गांव वाले दुकानें बनाकर व्यापार कर रहे थे। पूरे बाजार को ध्वस्त करना न्यायसंगत नहीं है। विभाग ने नियमन के वर्षों से आश्वासन दिये थे।

निवेदन है कि जिन व्यावसायियों की दुकानें उजाड़ी गयी हैं उन्हें आवंटन करवाने की व्यवस्था कराएं। गांव के सरपंच को आवंटन के अधिकार दिये जाएं तथा भूमि का रेट भी उपनिवेशन विभाग के नियमानुसार किया जाए। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मोहन लाल मोदी।

नीमकाथाना विधान सभा क्षेत्र में पेयजल समस्या

श्री मोहन लाल मोदी (नीमकाथाना) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं विधान सभा के प्रक्रिया नियम 295 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षित करना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र नीम-काथाना में भयंकर अकाल है। अकाल के कारण पेयजल की बहुत गंभीर समस्या बनी हुई है।

मेरा विधान सभा क्षेत्र अधिकतर पहाड़ी क्षेत्र है जिसमें हैण्ड पम्पों के द्वारा पेयजल मिलता है। बारिश की कमी के कारण जल स्तर नीचे चला गया है, सारे हैण्ड पम्प सूख गये हैं। इसलिए युद्ध स्तर पर हैण्ड पम्पों को ठीक कराकर गहरा कराएं और पेयजल की व्यवस्था कराएं।

मेरे क्षेत्र के रामपुरा, बेगा का नांगल, बोपया; राजपुरा; कैरवाली; कावरड़ा, पुराना बास की ढाणियों में व सिरोही की ढाणियों में पेयजल का गंभीर संकट बना हुआ है। उपरोक्त ग्रामों के पेयजल के प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन हैं।

कृपया उनकी स्वीकृति जल्द से जल्द प्रदान करें ताकि ग्रामीण जनता को राहत मिल सके।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मदन दिलावर।

पर्चों के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

हाड़ौती क्षेत्र में पीलिया प्रकोप

श्री मदन दिलावर (अटरू) : उपाध्यक्ष महोदय, पूरे हाड़ौती क्षेत्र में पीलिया रोग बहुत तेज गति से फैल रहा है।

श्री उपाध्यक्ष : आज आप इतने धीमे कैसे बोल रहे हैं ?

श्री मदन दिलावर : उपाध्यक्ष महोदय; हाड़ौती में पीलिया रोग बड़ी तेज गति से फैल रहा है। कोटा में मेडिकल कालेज का छात्रावास है और उस छात्रावास में 30 छात्र रहते हैं, उसमें से लगभग 20 विद्यार्थियों को पीलिया रोग हो चुका है। वहां एक ट्यूब वैल है; उस ट्यूब वैल का जो पानी है; वह पीले रंग का आता है। लगातार डेढ़ साल से इतना गंदा पानी लोग पी रहे हैं। पास में ही सीवर लाइन है जो 25-30 फीट टूटी हुई है, उसके कारण से काफी बच्चे पीलिया रोग से ग्रसित हो चुके हैं। बूंदी में भी लगभग डेढ़ सौ से ज्यादा पीलिया रोगी तो अस्पताल में इन्द्राज हो चुके हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, क्या नैनवा, क्या हिंडोली, क्या बूंदी शहर को लें, सब जगहों पर पीलिया रोगियों की संख्या बढ़ती जा रही है लेकिन सरकार का ध्यान इस ओर नहीं है; सरकार इसको गंभीरता से नहीं ले रही है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोटा में गोविन्द नगर बस्ती में पानी में से जिन्दा कीड़े निकल रहे हैं। दो जनवरी को इतने कीड़े निकले कि यदि लोगों को उसका पता नहीं चलता और उस पानी का सेवन होता तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता। मुझे पता नहीं यदि कुछ लोगों ने उसका पानी पीया भी हो। जिस प्रकार से अस्पताल में पीलिया के रोगी आ रहे हैं; शायद उससे भी प्रभावित हुए हैं।

उपाध्यक्ष महोदय; इटावा का आपको बताना चाहता हूं कि इतना बड़ा कीड़ा नल में निकला है। पी.एच.ई.डी. और चिकित्सा प्रशासन बार-बार यह कहते आ रहे हैं कि हमने पुख्ता व्यवस्था कर ली है; शुद्ध पानी हम दे रहे हैं। इतने-इतने बड़े कीड़े निकल रहे हैं लेकिन उनको ओर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है।

मेरे विधान सभा क्षेत्र के कलाई में कई दिनों से पानी नहीं है, लगभग पांच हजार की आबादी वाला गांव है। तीन ट्यूब वैल खराब हैं, एक ट्यूब वैल का बिजली का कनेक्शन नहीं कराया जा रहा है; एक में मोटर नहीं बदली जा रही है और एक में पता नहीं किन कारणों से खराबी है। बिजली वहां मिलती नहीं है। जितने समय बिजली मिलती है उसमें भी ट्यूब वैल नहीं चलते क्योंकि खराब हैं। इसलिए लोगों को गंदला पानी पीना पड़ रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, किशनपुरा-मसालदाना अटरू विधान सभा क्षेत्र का एक गांव है, वहां मैं शनिवार को होकर आया हूं। वहां पी.एच.ई.डी. के लोग हैण्ड पम्प ठीक करने गये, एक हैण्ड पम्प ठीक करके आये और दो के ऊपर ताम-झाम लटका कर के आ गये। बाहर निकालकर ऐसे खड़े करके जैसे कि तम्बू तानते हैं, वैसे करके आ गये। कई महीनों से लोग उसका गन्दा पानी पी रहे हैं। जब मैंने जोरदार तरीके से कहा तब जाकर एक हैण्ड पम्प ठीक करके आये। गन्दे तालाब का और बावड़ी का पानी पीकर लोग रोगी हो रहे हैं। दांता और मोतीपुरा में पानी की बूंद नहीं है।

(श्री मदन दिलावर)

एम.एल.ए कोटे से पैसा देने के बावजूद भी वहां पर पानी की व्यवस्था नहीं की जा रही है।

मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि आखिर यह सरकार क्या करना चाहती है? पिछले साल का पता नहीं है जब खानपुर में चार-चार काबिना मंत्री गये और झाड़ोती में लगभग 150 लोग पीलिया रोग से मर गये थे और 10 हजार लोग पीलिया के रोगी थे। खानपुर में मैं अभी शनिवार को होकर आया हूं माननीय उपाध्यक्ष महोदय।

चार-चार केबिनेट मंत्री गए थे, उनकी घोषणा का कुछ नहीं हुआ आज तक। तोड़ फोड़ की कि हम यहां पाइप लाइन डालेंगे, कुछ करेंगे, मलबा वहीं का वहीं पड़ा हुआ है, बल्कि पानी की नालियों में मिलकर पाइप लाइनों में जा रहा है। गंदा पानी पी रहे हैं, आज तक कुछ भी नहीं हुआ।

मुझे बहुत दुःख होता है कि सरकार के चार-चार मंत्री जाएं जोरदार घोषणा करके आएं, लोगों को परेशान करें कि आप यहां से हटा दो, इसके कारण से गंदगी होती है, इस मकान को तोड़ दो, इससे गंदगी होती होगी, लेकिन आज वह वहां का वहां पड़ा हुआ है, यह सरकार ध्यान नहीं दे रही है।

राजपुर पहाड़ी गांव है शाहबाद का, दिसम्बर में वहां जोरदार पीलिया फैला। पूरे गांव के लोग पीलिया से प्रभावित हो गए और वहां के जिला कलेक्टर बैठे-बैठे कहते रहे कि हमने सारी व्यवस्था कर ली है, हम स्वच्छ पानी दे रहे हैं, अब ऐसा नहीं होगा।

मैं एक नमूना बताना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजपुर पहाड़ी गांव से पानी लाया हूं। इस प्रकार का गंदा पानी राजपुर पहाड़ी गांव के लोग पी रहे हैं। यह तालाब का गन्दा पानी राजपुर पहाड़ी गांव के लोग पी रहे हैं। (व्यवधान) हां, यह पानी है। यह खून है या पानी है, पता नहीं लेकिन मैं पानी लाया हूं। यह तालाब का पानी है, इस प्रकार का पानी हम राजस्थान की जनता को पिलाना चाहते हैं। हम जनता के साथ क्या करना चाहते हैं? क्या इस जनता के स्वास्थ्य की चिंता हमको नहीं करनी चाहिए?

उपाध्यक्ष महोदय, इस सरकार के बारे में क्या कहूं? क्या मितव्ययिता बरतने के कारण सरकार ऐसा कर रही है? क्या पैसा नहीं है इसलिए लोगों को मरवाना चाहते हैं? क्या इस प्रकार का पानी पिलाकर लोगों को मरवाना चाहते हैं ताकि इनके पैसों का, राशि का समाधान हो जाए?

मैं बहुत गम्भीरता से कह रहा हूं कि राजस्थान की जनता को इस प्रकार से मरवाने का षड्यंत्र यह सरकार कर रही है। मैंने ऐसा कभी नहीं सुना, औरंगजेब और बाबर के जमाने में भी नहीं सुना। उन्होंने भी तलवार से मारा था लेकिन ये

(श्री मदन दिलावर)

धीमा जहर दे देकर लोगों को मार रहे हैं। यह पानी आप चाहें तो मैं टेबल कर सकता हूं, इसकी जांच करवा लेना कि किस प्रकार का पानी लोग पी रहे हैं।

मैं इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि मंत्री महोदय वक्तव्य दें और बताएं कि क्या हुआ।

श्री रामसिंह बिश्नोई (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, यह मनगढंत बात है, ऐसा पानी कोई पीता है ?

श्री मदन दिलावर : उपाध्यक्ष महोदय, यह मनगढंत बात हुई तो मैं इस विधान सभा से इस्तीफा दे दूंगा। राजपुर पहाड़ी के लोगों के पास चलकर पूछिए, उन्होंने अपने हाथों से मेरे सामने पानी भरकर दिया है। आप कहें तो आज ही इस्तीफा दे दूं।

यदि हमारी बात असत्य हो जाए तो मैं आज ही इस्तीफा दे दूंगा। गैरजिम्मेदाराना वक्तव्य माननीय मंत्री महोदय दें, यह हाड़ौती की जनता की भावनाओं का अपमान है, मेरी भावनाओं का अपमान है और पोलिया रोगियों का अपमान है। हाड़ौती की जनता का अपमान मैं कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता। माननीय मंत्री महोदय इस प्रकार का वक्तव्य दें, यह गैरजिम्मेदाराना वक्तव्य है।

श्री उपाध्यक्ष : विराजिये प्लीज, इसकी जांच करवा लेंगे शीशी का रंग कोई दूसरा अंकित करता है। शीशी को यहां रख दें। श्री अमरारामजी।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने भी पर्ची दी थी पोलिया रोग के सम्बन्ध में।

श्री उपाध्यक्ष : आ जाएगा नम्बर से, आ जाएगा। नम्बर से आ रहा है।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : इनके साथ मेरा भी लगा हुआ ही मामला है, इतनी देर में तो मेरी बात ही खतम हो जाएगी।

श्री उपाध्यक्ष : आपका अगर इसमें है तो आ जाएगा।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : मेरा निवेदन है कि हमारे छबड़ा और छीपा-बड़ौद में भयंकर रूप से पोलिया फैला हुआ है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर-आर्डर, काहे पर बोल रहे हैं आप ? क्या हुआ ? किस पर बोल रहे हैं ?

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : पोलिया भयंकर रूप से फैला हुआ है।

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजें प्लीज। आप कल दे देना न पर्ची। कल बोल लेना। (व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : पर्ची दी हुई

(श्री प्रताप सिंह सिंघवी)

है । 20-25 लोग रोज आ रहे हैं अस्पताल में, दो-तीन लोग मर भी चुके हैं । स्वास्थ्य मंत्रीजी यहां बैठे हुए हैं, मेरा यही निवेदन है कि आप यहां से जांच टोली रवाना करें; कोटा से, बारां से भेजें और तुरंत व्यवस्था करें । पोलिया भयंकर रूप से फैल रहा है; उसको रुकवाने का कष्ट करें । धन्यवाद ।

श्री उपाध्यक्ष : विराजिये । अमराराम जी ।

सरदारशहर में सामूहिक बलात्कार के दोषी लोगों व उनको बचाने वाले पुलिस कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही

श्री अमराराम (धोद) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार और सदन का ध्यान ऐसी घटना की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जो समाज के लिए और सरकार के लिए भी कलंक है ।

सरदारशहर में 20 साल की विवाहिता अमरी देवी के साथ कुछ पैसे वाले लोगों ने योजना बनाकर उसके पति की मौजूदगी में सामूहिक व्यभिचार पूरी रात भर किया । 12 फरवरी की घटना है । थाने में रिपोर्ट लिखवाने के बाद उन तीनों कल्प्रिट लोगों को थाने में गिरफ्तार कर लिया गया । उनमें से एक पवन कुमार भी अपराधी है जिसके सिनेमा हाल में बैठकर यह योजना बनाई गई ।

उसके पति को अत्यधिक शराब पिलाकर बेहोश किया गया और बेहोशी के बाद उसकी पत्नी के साथ पूरी रात भर तीन लोगों द्वारा सामूहिक व्यभिचार किया गया । उसे और उसके पति को मारने की धमकी दी गयी । व्यभिचार करने वालों को जब पुलिस लेकर गई तो वहां के इंचार्ज ने पैसे वालों से बड़ी रकम लेकर और उच्चाधिकारियों से मिलकर थाने से छोड़ दिया ।

इस पर पांच हजार की आक्रोशित जनता ने 22 तारीख को पूरे सरदारशहर थाने को घेर लिया । इस पर चूरू के एडीशनल एस.पी. ने जनता के बीच जाकर उसे यह विश्वास दिलाया कि जिस सी. आई. ने छोड़ा है उसको हम तुरंत गिरफ्तार कर लेंगे और पैसे लेकर ऐसे लोगों को जिसने छोड़ने का काम किया है, उसके खिलाफ हम कार्यवाही करेंगे, उसको सस्पैण्ड करेंगे ।

उपाध्यक्ष महोदय, आज की तारीख तक न तो वह अपराधी पकड़ा गया है और न एडीशनल एस. पी. ने पांच हजार लोगों को जो विश्वास दिलाया था, उसे पूरा किया गया है । ऐसे पुलिस अधिकारी जो रक्षक हैं, और जिन्होंने अपराधियों के साथ मिलकर भक्षक का कार्य किया है; ऐसे पुलिस अधिकारियों को आज की तारीख तक सस्पैण्ड भी नहीं किया गया है । ऐसे लोगों का प्रोटेक्शन उच्चाधिकारियों के बिना हो नहीं सकता ।

एफ.आई.आर. में मुलजिम का नाम

(श्री अमराराम)

है, उसके सिनेमा हाल में बैठकर कार्यवाही शुरू होती है। उसके पति को उसके सिनेमा-हाल में शराब पिलाई जाती है। उस औरत को पुलिस और उसी सी.आई. द्वारा प्रताड़ित किया जाता है, डराया जाता है कि तुमने अगर इसका नाम फिर लिया तो मैं तेरे को, तेरे पति को, तेरे भाई को, पूरे परिवार को जेल के अंदर बंद कर दूंगा।

इस प्रकार के पुलिस अधिकारी और शासन को सरकार दण्डित नहीं करेगी और उन व्यभिचारियों को खुला खेलने को प्रोत्साहन देने का काम अगर पुलिस अधिकारी करेंगे तो न कानून बचेगा और न व्यवस्था बचेगी। पांच हजार आक्रोशित लोग थाने पर आए थे, उनको उच्चाधिकारियों ने जो विश्वास दिलाया उस पर आज तक कार्यवाही नहीं कर पाये हैं।

इसलिए मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि ऐसे अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाए जिससे किसी और पुलिस अधिकारी की हिम्मत न हो, ऐसे व्यभिचारी और समाज को कलंक लगाने वाले लोगों को प्रोत्साहन न मिले, उनको सजा मिले, एक शिक्षा मिले। आने वाले समय में कोई भी पुलिस अधिकारी इस तरह की हिमाकत नहीं कर सके, इसकी व्यवस्था करें अन्यथा गुस्सा और असंतोष पूरे सरदारशहर तहसील में फैल रहा है।

पुलिस अधिकारी मुलजिम को छूट दे रहे हैं। जो आक्रोशित पांच हजार लोग आए, उनके विरुद्ध ऐसे घृणित पर्चे सरदार शहर में बांटे जा रहे हैं कि ये लोग जबरदस्ती मुझे फंसाने की व्यवस्था कर रहे हैं। ऐसे कार्यों से बचाने के लिए सरकार काम करेगी और ऐसे व्यभिचारियों को बचाने वाले पुलिस अधिकारी को सजा दिलाने का सहकार काम करेगी, यही बात कहना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री राजेन्द्र राठौड़।

चूरू जिले के रामपुरा और बनगोठडी गांव के कारगिल युद्ध में शहीद हुए वीरों के नाम पर की गयी घोषणा का कार्यान्वयन

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय की इस बात के लिए प्रशंसा करता हूं कि कारगिल के युद्ध में जिन लोगों ने देश की सीमा की रक्षा करते हुए अपने प्राणों को न्यौछावर किया, उनके परिजनों को ढांढस बंधाने आप करीब-करीब सब स्थानों पर पधारे।

परन्तु, मुख्य मंत्रीजी, मैं आपका ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाना चाहता हूं, आपको याद होगा कि चूरू के रामपुरा गांव में 28 जून को सतवीर सिंह नाम के व्यक्ति ने सीमा पर अपनी जान न्यौछावर की थी। दिनांक 2-7-1999 को उसकी अन्त्येष्टि हुई और दिनांक 9-7-1999 को आप उनके परिवार को ढांढस बंधाने

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

पहुंचे। उस समय उसके परिजनों और गांव वालों के बीच जाकर आपने घोषणा की थी कि गांव के विद्यालय का नाम सतवीर सिंह के नाम से कर दिया जाएगा। गांव वालों ने आपको बार-बार यह बात याद दिलाई, उसके बाद शहीद के पिता ने आपको दो-तीन पत्र लिखे और यह कहा कि आप घोषणा करके आए थे उस घोषणा के अनुरूप विद्यालय का नामकरण शहीद के नाम से नहीं हुआ है। उसके पश्चात भी कोई कार्यवाही नहीं हुई।

(13.00 बजे)

उपाध्यक्ष महोदय, बड़े कष्ट के साथ मैं निवेदन करना चाहता हूं कि शहीद के पिता ने पत्र लिखा है मुख्य मंत्रीजी को 18 मार्च को। शहीद के पिता रामावतार सिंह कह रहे हैं कि यदि आपने अपनी घोषणा के अनुरूप उस विद्यालय जिस विद्यालय में शहीद ने शिक्षा प्राप्त की थी; नामकरण नहीं किया तो मैं अप्रैल माह के अन्दर विधान सभा के सामने अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ जाऊंगा। बात छोटी-सी है मुख्य मंत्रीजी; पर बात भावनात्मक है।

आपने जो पैकेज अनाउंस किया वो तो ठीक बात है, लेकिन इस तरह की कमी नहीं रह जाए इसके लिए आपको उस परिवार का जिस परिवार ने अपना रत्न खोया है देश की सीमा के लिए, सम्मान करना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय; मैं दूसरा निवेदन करना चाहता हूं। यह पहली घटना नहीं है....

डा. चन्द्रभान (ऊर्जा मंत्री) : माननीय सदस्य, मैं थोड़ी जानकारी आपसे चाहूंगा। यह प्रकरण मैं चूक गया था दौरे में, उस समय भी आया था। उस गांव में कोई दूसरा शहीद भी हुआ था क्या ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपकी केबिनेट ने जो निर्णय लिया....

डा. चन्द्रभान : कहीं उसके नाम से पहले से शाला का नाम नहीं है ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मेरा निवेदन सुनिए। आपको जानकारी नहीं है तो आप जानकारी पूरी प्राप्त कर लें। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जिस दिन घोषणा की थी कि विद्यालय का नाम शहीद सतवीर सिंह के नाम से नामांकित कर दिया जाएगा, उस दिन तक किसी दूसरे शहीद की बात वहां नहीं थी।

अगर कोई दूसरा शहीद वहां हुआ था और उसके नाम से भी विद्यालय का नामकरण आप कहीं करें तो उसमें एतराज नहीं है। शहीद चाहे कोई हो, कहीं का हो; हम सबके लिए आदरयोग्य है, सम्मान योग्य है। मुख्य मंत्री महोदय, यह बात एक ही नहीं है, कई इस तरह की बातें हैं। आपने जिस तरह का कार्यक्रम शहीदों की शहादत के लिए सम्मान का किया उसमें कहीं न कहीं, कोई न कोई कमी है।

इसी तरह का मैं एक निवेदन और

(श्री राजेन्द्र राठोड़)

करूंगा। बनगोठड़ी, झुंझुनूं में शहीद हुए थे उनका नाम है कंवरपाल सिंह। 26-6-99 को कारगिल में शहीद हुए। उनके शहीद होने के पश्चात 17-7-99 को ग्राम पंचायत ने प्रस्ताव पास किया कि जिस गांव का शहीद रहने वाला है उस गांव के विद्यालय को शहीद के नाम से नामांकित कर दिया जाए। 28-8-99 को जिला सैनिक बोर्ड पत्र लिखता है और 21-10-99 को जिला कलेक्टर रिकमण्ड करता है कि शहीद के नाम से नामकरण कर दिया जाए।

उसके पश्चात 19-11-99 को उप शासन सचिव, शिक्षा लिखते हैं कि इस विद्यालय का नाम शहीद के नाम से कर दिया जाए। परंतु इन सबके बावजूद जिला कलेक्टर महोदय एक पत्र लिखते हैं 19-11-99 को और कहते हैं कि गांव में विवाद पैदा हो गया इसलिए जो पूर्व में सरकार ने आदेश जारी किये थे शहीद के नाम से विद्यालय का नामकरण करने के वे सारे आदेश स्थगित किये जाते हैं। यह किस तरह का मजाक है ? आज कोई भी ऐसा गांव, कोई ऐसी जगह नहीं होगी जहां शहीद की शहादत को लोग नमन नहीं करते।

मुख्य मंत्रीजी, सौभाग्य से आप विराजमान हैं संवेदनशीलता का परिचय दें। इस तरह के और भी बहुत–से प्रकरण होंगे। जिन्होंने अपनी जान गंवा दी, उन की शहादत को नमन करने के लिए, उनसे प्रेरणा लेने के लिए, कि वे प्रेरणा के स्रोत के रूप में समाज में विद्यमान रहें, विद्यालय का नामकरण करने की घोषणा आपने स्वयं ने की थी। एक पूरा पैकेज अनाउंस किया था, उस सारे पैकेज को जो-जो शहीद हुए, उनके परिजनों को भेजा भी था।

मैं कहता हूं कि आपकी जितनी अच्छी भावना थी उस भावना के अनुसार काम नहीं हो रहा है। इस पूरे प्रकरण में मैंने भी आपको पत्र लिखा था। आपका जवाब भी आया था कि मैं दिखवा रहा हूं। अब आपने क्या दिखवाया ? मेरा निवेदन है कि इस गम्भीर और संवेदनशील प्रकरण के बारे में, मुख्य मंत्री जी समय रहते आप उचित निर्णय करें।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसलिए इस बात को रखना चाहूंगा कि रामपुरा मेरा ननिहाल है, मैं स्वयं भी वहां गया था सतवीर सिंह के परिवार से मिलने के लिए। उस समय आपके वक्फ मंत्रीजी भी वहां पधारे थे, उन्होंने उस अंत्येष्टि के अंदर शामिल होकर सम्मान दिया था और वहां आश्वासन दिया था। जैसी राज्य सरकार की घोषणा थी वैसे पैकेज का अनाउंसमैंट हुआ था।

उपाध्यक्ष महोदय, एक नीति तय कर दी गई, जिस गांव का शहीद हुआ हो उस की शहादत को नमन करने के लिए राज्य सरकार ने एक अच्छा निर्णय लिया। अब

(श्री देवीसिंह भाटी)

राज्य सरकार से घोषणा हो जाए और उनकी भावना को ठेस पहुचे तो आप कल्पना कर सकते हैं; उस पूरे गांव में किस तरह का वातावरण है। पूर्व में यदि कोई भी ऐसी शहादत हुई हो उसके नाम से किसी विद्यालय का नामकरण कर दें; नया विद्यालय खोल दें; किसी को एतराज नहीं है, लेकिन जब राज्य सरकार की ओर से घोषणा हो जाए और इतना आक्रोश हो कि उनके पिता यहां पर आकर विधान सभा के सामने आकर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल करेंगे तो मैं कल्पना करता हूं, सरकार को भी उस समय शर्मसार होना पड़ेगा मुख्य सड़क के ऊपर ऐसा प्रदर्शन होता है तो जो आपकी सरकार की भावना है और उस गांव के लोग जिस प्रकार से बार-बार चिट्ठियां लिख रहे हैं, आपसे मिल रहे हैं तो मैं चाहूंगा कि इस प्रकार को यदि कहीं भी आपके पास थोड़ी-बहुत भी गुंजाइश है तो आप नया विद्यालय खोल दें।

चाहे बनगोठड़ी का विषय आता हो, चाहे रामपुरा का आता हो, आप उन शहीदों की शहादत के साथ खिलवाड़ न करें। कृपया आप इस बारे में कोई निर्णय लें क्योंकि बार-बार उस परिवार के लोग भटक रहे हैं, आपको चिट्ठियां लिख रहे हैं। आखिर आप क्या करना चाहते हैं? हम चाहते हैं कि राज्य सरकार की ओर से ऐसा आश्वासन मिले कि हम इस प्रकार का कोई भी विषय हो उसका निस्तारण करेंगे और उनको पूरा सम्मान देंगे।

डा. किरोड़ी लाल : उपाध्यक्ष महोदय, यह पैकेज है इसमें लिखा है....

डा. चन्द्रभान : आप सुनिए तो सही।

डा. किरोड़ी लाल : इसमें लिखा है– A School will be renamed with the name of the soldier. यह पैकेज में है सरकार का।

श्री उपाध्यक्ष : उसको डिमाई नहीं कर रहे हैं, वे बोल रहे हैं ना।

डा. चन्द्रभान : उपाध्यक्ष महोदय, राज्य का यह शेखावाटी क्षेत्र ऐसा है जहां सही बात है कि एक-एक गांव में एक नहीं, एक से ज्यादा शहीद हुए हैं।

मैं अभी चूरू व झुंझुनूं गया था पूर्व सैनिकों की रैली थी; एक जगह शहीद स्मारक का उद्घाटन किया था और एक जगह शिलान्यास किया था। वहां भी इन शहीदों के परिजन मुझसे मिले थे। यह बात सही है कि वहां शहीद दो–दो हो गए और गांव में एक विवाद हो गया। बनगोठड़ी में कैप्टन जयदेव सिंह 1971 की लड़ाई में शहीद हो गये थे और रामपुरा में एक और शहीद हुए हैं, इसलिए एक विवाद है।

लेकिन इस पर हमारे विभाग में विचार हो गया है और करीब-करीब यह तय हो गया है कि जहां एक स्कूल आप कह रहे हैं वहां तो एक का ही नाम होगा। वहां दूसरी स्कूल हुई तो दूसरे शहीद का नाम करेंगे और यदि स्कूल नहीं होगी तो

(डा. चन्द्रभान)

दूसरा कोई पशु चिकित्सालय या अन्य सरकारी भवन होगा उसमें उस शहीद का नाम लिखा जाएगा।

श्री देवीसिंह भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार की ओर से जो घोषणा हुई थी कि कारगिल युद्ध के अन्दर शहीद हुए हैं....

श्री उपाध्यक्ष : हो गई ना बात।

श्री देवीसिंह भाटी : उनके नाम से नामकरण होगा।

श्री उपाध्यक्ष : एग्री कर लिया ना।

श्री देवीसिंह भाटी : एग्री कहां हुए, बात वो की वो है।

श्री उपाध्यक्ष : और क्या है ?

श्री देवीसिंह भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, बात को घुमा दिया गया है।

श्री उपाध्यक्ष : कह दिया है उन्होंने।

श्री देवीसिंह भाटी : हम चाह रहे थे कि सरकार की ओर से यह घोषणा हो.... (व्यवधान) उनका सम्मान किया जाए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मुख्य मंत्री जी खुद जाकर कहते हैं....

श्री उपाध्यक्ष : हो गया ना। वे समझ रहे हैं।

श्री देवीसिंह भाटी : यदि रामपुरा के अंदर ओमप्रकाश की शहादत हुई है तो वह 1998 के अंदर हुई थी।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री देवीसिंह भाटी : आपने कारगिल पैकेज के अन्दर यह किया है, आपने उनके परिवार को आश्वस्त किया है, पूरे गांव को आश्वस्त किया है....

श्री उपाध्यक्ष : उन्होंने एग्री कर लिया ना।

श्री देवीसिंह भाटी : कहां हुआ है ? (व्यवधान) सरकार की ओर से जो उत्तर आया उसमें बिलकुल घुमाकर बात कही गई है। (व्यवधान) सरकार की ओर से जो पैकेज हुआ था उसमें यह घोषणा की थी कि कारगिल के अंदर जो शहीद हुए हैं....

श्री उपाध्यक्ष : उसी के लिए कह रहे हैं ना वो।

श्री देवीसिंह भाटी : नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, रामपुरा में ओमप्रकाश की शहादत 1998 के अंदर हुई थी। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आपने शायद पूरी बात सुनी नहीं। (व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : सुन ली।

श्री उपाध्यक्ष : उन्होंने यह कहा है कि जो घोषणा हुई है उसका क्रियान्वयन करेंगे और दूसरा कोई व्यक्ति शहीद हुआ तो

(श्री उपाध्यक्ष)

उसका और जगह नाम रखेंगे। बात हो गई ना।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप सीधे–सीधे कह दीजिए ना, सतवीर सिंह और कंवर पाल सिंह के नाम से उनके गांव के विद्यालय का नामकरण करेंगे, बात खतम हो गई। (व्यवधान) मुख्य मंत्रीजी की घोषणा का अनुसरण करेंगे, सीधा कह दीजिए।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

डा. चन्द्रभान : उपाध्यक्ष महोदय, जो दोनों जगह के आपने यहां पर मामले रखे रामपुरा और बनगोठड़ी के, इन दोनों को मैं व्यक्तिगत स्तर पर देखूंगा और जल्दी ही कोई समाधान करेंगे। मुख्य मंत्रीजी ने जो घोषणा की है वह निश्चित रूप से लागू की जाएगी। लेकिन एक सवाल खड़ा होता है।

अभी माननीय वित्त मंत्रीजी के बजट भाषण को आपने बहुत ध्यान से सुना होगा पूरे राज्य में कारगिल के शहीदों के लिए तो बहुत अच्छे पैकेज दिये गये और इसकी देश भर में सराहना भी हो रही है, लेकिन कारगिल की लड़ाई से पहले देश की खातिर जो शहीद हुए उन लोगों में उसकी जो प्रतिक्रिया हुई, सरकार ने उस पर ध्यान दिया।

इसीलिए आपने देखा कि जो 300 रुपये का सम्मान भत्ता उन विधवाओं को मिलता था, उसको एक साथ सरकार ने बढ़ाकर 750 रुपये कर दिया। अब गांवों में सब लोग इकट्ठा होकर यह कहें कि उस शहीद का भी सम्मान होना चाहिए तो ऐसी स्थिति आती है।

लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। अब बनगोठड़ी में माननीय सुमित्रा सिंहजी भी जानती हैं कि कैप्टन जयदेव सिंह शहीद हुए उस समय से यह मांग चली आ रही थी और वो बनगोठड़ी प्रोपर के थे। जो कंवरपाल सिंह हैं उनका गांव पास में है इसलिए एक विवाद हो गया। व्यक्तिगत स्तर पर देखकर इसका समाधान करेंगे, आप निश्चिंत रहिए।

यदि जरूरत पड़ेगी तो सरकार दूसरी स्कूल भी खोल सकती है, और दूसरा कोई सरकारी भवन होगा उस पर नामकरण कर दिया जाएगा, लेकिन शहीद का सम्मान जरूर होगा।

श्री देवीसिंह भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, सवाल यह है कि सरकार की तरफ से एक दफे घोषणा हो जाए, उस भावना को तरफ देखिए।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, एक मिनट।

श्री देवीसिंह भाटी : एक दफे वहां पर मंत्री महोदय जाकर उस बात की घोषणा कर दें, मुख्य मंत्रीजी आश्वासन दे दें उसके बाद में इस तरह के विवाद हों, उसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है ? बन-

(श्री देवीसिंह भाटी)

गोठड़ी का सवाल है, राज्य सरकार की ओर से उप शासन सचिव ने आदेश जारी कर दिये, कलेक्टर ने निर्णय ले लिया और उसके बाद प्रेशर में आकर बदल देते हैं। ऐसे शहीदों के साथ आप खिलवाड़ करते हो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : कलेक्टर ने निर्णय ले लिया।

श्री देवीसिंह भाटी : ऐसे विषय आपके सामने आते हों तो आप ठण्डे दिमाग से सोचकर सही निर्णय लीजिए और उन लोगों की भावनाओं की कद्र कीजिये। इस प्रकार आप दबाव में आकर निर्णय न लें।

श्री उपाध्यक्ष : एक मिनट, माननीय मंत्री जी। (व्यवधान) प्रश्न यह है कि माननीय मुख्य मंत्री जी वहां पधारे और उन्होंने घोषणा की कि रामपुरा स्कूल को माननीय शहीद के नाम पर करेंगे। उस माग को आप क्रियान्वित करेंगे कि नहीं, यह सीधी-सी बात है।

डा. चन्द्रभान : नहीं, नहीं, उसे तो निश्चित रूप से क्रियान्वित करेंगे। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा, पूरे सदन की जानकारी में ही लाऊंगा कि ऐसे विषय कोई दो-चार गांवों में ही आते हैं, बाकी तो एक गांव में एक का शहीद होना भी बड़ी बात है। तो इनको व्यक्तिगत स्तर पर देखकर इसका समाधान कर लेंगे, उनके परिजनों से बातचीत करके सब को संतुष्ट करेंगे।

श्री देवीसिंह भाटी : वे आपके यहां आकर भूख हड़ताल पर बैठेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामस्वरुप मीणा। एक मिनट, आर्डर, आर्डर।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय सदस्यों ने मेरा ध्यान आकर्षित किया, कारगिल के शहीदों के परिवारजनों के यहां पर जब हम लोग गये उस वक्त हमारे मंत्री भी और कई माननीय सदस्य भी मिले थे। जब कभी गांव में कोई शहीद हों तो उनके सम्मान में मैं समझता हूं कि उस गांव के ही नहीं बल्कि आसपास के 20-30-40 गांव वाले इकट्ठा हुआ करते थे और सारे लोगों को इस बात का गर्व होता था कि हमारे गांव के नोजवान शहीद हुए हैं। गांव वालों की मांगें कई तरह की हुआ करती थीं आप सब को जानकारी है। यह कोशिश होती थी कि अधिकांश उनकी मांगें माननी चाहिए।

यही कारण था कि हमने इस पैकेज में जो दिया है उसकी प्रशंसा पूरे देश के अन्दर हुई है। सरकार की मंशा स्पष्ट है कि राजस्थान के ऐसे सपूत जिन्होंने कारगिल के वक्त में देश के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया, उनका पूरी तरह से सम्मान हो गांव में और पूरे इलाके के अन्दर।

अब सवाल यह उठता है कि आपने बनगोठड़ी की बात की है, मेरे पास भी वहां से डेलीगेशन आये थे। जिस स्कूल को

(श्री अशोक गहलोत)

मांग की जा रही है, मेरी जहां तक जान–कारी है उस स्कूल में पहले से ही दूसरे शहीद की मूर्ति लगी हुई है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : स्कूल में नहीं लगी हुई है।

श्री अशोक गहलोत : कोई बात नहीं, मालूम कर लेंगे। मूर्ति लगी हुई है। अब जब एक मूर्ति लगी हुई है तो, मैंने उनको भी समझाया कि यह आपके भी हित में नहीं है कि मूर्ति किसी और शहीद की हो और नामकरण किसी और शहीद के नाम से हो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : स्कूल में नहीं है। स्कूल में हो तो आप कर दो। दो स्पेसि-फिक मामले उठे हैं एक रामपुरा का और एक बलगोठड़ी का, दोनों स्कूलों में किसी शहीद की पहले मूर्ति लगी हो तो हम लोग भी माला पहनाएंगे, उन्हीं के नाम से कर दो आप। (व्यवधान)

श्री अशोक गहलोत : मैंने खुद ने उस वक्त भी सुझाव दिया था और मैं आप सबसे भी इस बात के लिए सहयोग चाहूंगा क्योंकि 70 के आसपास शहीद हुए हैं राजस्थान के अन्दर। 50-55 के यहां मैं खुद गया हूं, मेरी भावना जुड़ी हुई है उन लोगों से।

हमें फख्र है कि इतने ज्यादा शहीद हमारे प्रदेश के लोग हुए। अगर तीन-चार जगह ऐसी घटनाएं या कोई विवाद है तो मैं समझता हूं कि ऐसा कोई बहुत बड़ा विवाद नहीं है। अगर आप सब लोग सह-योग करें और सैनिक कल्याण मंत्री जी के साथ बैठकर रास्ता निकालें तो रास्ता निकल सकता है।

मैं नहीं चाहूंगा कि इन छोटी-छोटी बातों को लेकर पूरे गांव का वातावरण जातिवाद के आधार पर बन जाए। यह कोई अच्छी बात नहीं रहेगी, मैं आपसे अपील करना चाहता हूं।

श्री देवीसिंह भाटी : मुख्य मंत्री महो-दय, हमको इस बात का एतराज है, आप घुमाकर जिस प्रकार की दिशा बता रहे हैं वह बिलकुल गलत है। कोई जातिवाद की बात नहीं है, शहीदों की बात हुई है। जो भी विषय आपके सामने आये, हमारे सामने आये वह मुद्दा हम जरूर रखेंगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : शहीद की कौन–सी जाति है, मुख्य मंत्री जी ?

श्री देवीसिंह भाटी : सवाल यह है कि एक दफा राज्य सरकार निर्णय ले ले; उसको जब बदलते हैं तो चाहे एक मामला हो, लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचती है। आपने जब निर्णय ले लिया, क्या ऐसा कारण था कि उसको बदल दिया गया ?

राज्य सरकार के स्तर पर और कलेक्टर के स्तर पर; जब मंत्री महोदय, मुख्य मंत्री महोदय घोषणा करें तो सारा विषय देखा जाता है, जानकारी ली जाती है प्रशासन

(श्री देवीसिंह भाटी)

से और उसके बाद में घोषणा की जाती है। इस प्रकार से न घुमाएं मुख्य मंत्री महोदय, यह जातिवाद का जहर न फैलाएं।

श्री अशोक गहलोत : माननीय सदस्यों की जानकारी में नहीं है ऐसी कोई घोषणा। आप इस बात से सहमत होंगे कि उस वातावरण में ऐसी कोई घोषणा नहीं की जाती है, उस वक्त तो गांव वाले खुद ही घोषणा कर देते हैं। मेरे मुंह से यह बात नहीं कहलवाएं। वह वातावरण इतना गमगीन होता है कि जब गांव वाले 3-4-5 हजार इकट्ठा होते हैं तो गांव वालों की मंशा रहती है। स्कूल की हो, अस्पताल की हो या शहीद की मूर्ति लगाने की बात हो गांव के अंदर, वह बात संभव भी नहीं होती है उस वक्त। आपको और हमको, सबको उस माहौल में एक संवेदना व्यक्त करने के लिए इकट्ठा होना पड़ता है बजाय कि हम उसके विवाद में पड़ें।

इसलिए ऐसी कोई बात नहीं हैं। मैंने आपको कह दिया कि प्रायोरिटी उनको मिलेगी। अगर मुख्य मंत्री के मुंह से और मंत्री, सैनिक कल्याण के मुंह से कोई बात निकली है तो आप मानकर चलें, प्रायोरिटी उसी को मिलेगी, यह मैं कहना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामस्वरुप मीणा।

श्री मोहन लाल चौहान (परबतसर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक अग्निकांड का गम्भीर मसला है मेरे विधान सभा क्षेत्र परबतसर का।

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिये, बैठिये।

श्री मोहन लाल चौहान : यह बहुत ही गम्भीर मामला है, मैंने पर्ची भी दी थी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से दो मिनट का समय लेना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिये, बैठिये।

डा. किरोड़ी लाल : उपाध्यक्ष महोदय, शहीदों के मामले में यहीं से राज्य सरकार का आदेश है जिसको कलेक्टर ने चेंज कर दिया।

श्री उपाध्यक्ष : हो गयी न यह बात तो।

डा. किरोड़ी लाल : निर्देशानुसार राजकीय सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय का नामकरण शहीद कंवरपाल सिंह राजकीय सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय बनगोठड़ी तथा तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनूं के....

श्री उपाध्यक्ष : हो गयी न यह बात तो कि एक्जामिन करवा लेंगे। मुख्य मंत्री महोदय ने कह दिया, फिर क्या बात है? यह बता चुके।

डा. किरोड़ी लाल : विद्यालय की स्वीकृति एतद्द्वारा दी जाती है।

श्री उपाध्यक्ष : यह राजेन्द्र राठौड़ जी कह चुके। माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने कह दिया, इसको एग्जामिन करवा लेंगे। जो कुछ अगर इनके मुंह से निकली है तो उसके नाम से होगा, फिर क्या बहस है ? What is the dispute now ?

डा. किरोड़ी लाल : साहब, इसको डिस्प्यूट की संज्ञा दी जा रही है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह कलेक्टर ने किस आधार पर कर दिया ?

श्री उपाध्यक्ष : मान लिया न उन्होंने, कह दिया न उन्होंने।

डा. किरोड़ी लाल : कलेक्टर ने चेंज कर दिया; साहब।

श्री उपाध्यक्ष : इसको एग्जामिन करवा लेंगे; कह तो दिया।

डा. किरोड़ी लाल : आदेश कलेक्टर ने चेंज कर दिया।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये प्लीज। माननीय रामस्वरूप जी।

अग्निकाण्ड से पीड़ित काश्तकारों व कुटीर उद्यमियों को दी जाने वाली सहायता राशि में वृद्धि

श्री रामस्वरूप (टोडाभीम) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत ही गम्भीर मसले की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। वैसे तो सारे राजस्थान में ऐसी घटनाएं होती रहती हैं लेकिन मेरे विधान सभा क्षेत्र में किसानों के कई खलिहान जले हैं। एक किसान है नारायणलाल उसकी 50 हजार रुपये की सरसों जलकर खाक हो गयी। इसी प्रकार कमल कोली जो बीजलवाड़ का था टोडाभीम में; उसके घर में आग लग गयी। उसका सारा सामान, अनाज वगैरह जो भी था और एक गाय जिन्दा उसमें जल गयी।

तीसरी घटना अभी हुई है मायड़ी ग्राम पंचायत के अंदर; खादी ग्रामोद्योग के जितने भी कुटीर उद्योग थे, वहां पर सारे कुटीर उद्योग जलकर खाक हो गये। सरकार की जो नीति है उसके अनुसार सहायता राशि भी बहुत कम है। किसी को 500 रुपये दिया जाता है, किसी को हजार रुपये दे देते हैं जबकि 50-50 हजार; एक एक लाख, दो-दो लाख का नुकसान काश्तकारों को हुआ है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय; माननीय मुख्य मंत्री जी यहां विराजमान हैं; मुख्य मंत्री सहायता कोष राशि भी हमारे यहां आयी है; ऐसे किसान जिनकी लाखों रुपये की फसल नष्ट हो जाए कम से कम उनको राशि और बढ़ायी जाए ताकि किसानों को इसका लाभ मिल सके। कोई फसल बीमा योजना चलायी जाए। किसानों के साथ प्राकृति आपदा आ पड़ती है और उन को भारी नुकसान हो जाता है।

आज उनके आंसू नहीं थम रहे हैं। इस कोली का तो घर बार सब कुछ ही

(श्री रामस्वरूप)

जल गया। ये कुटीर उद्योग वाले गरीब कोली थे, इनके भी सारे कुटीर उद्योग जल गये जो खादी ग्रामोद्योग के जरिये सहायता राशि से चल रहे थे।

मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि इस राशि को और बढ़ाया जाए और किसानों के लिए बीमा योजना इस प्रकार की लागू की जाए ताकि ऐसी आपदा में इनको भी मदद हो सके। माननीय मुख्य मंत्री महोदय बहुत अच्छे हैं, इन्होंने शहीदों के लिए खूब मदद की है, सारा हिन्दुस्तान आज इनसे प्रेरणा ले रहा है, मेरा भी विनम्र निवेदन है कि इन किसानों की ओर माननीय मुख्य मंत्री जी जरूर ध्यान दें और इस राशि को बढ़ाएं। आपने समय दिया उसके लिए धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : बजट पर वाद-विवाद। माननीय श्री जुगल जी काबरा। आर्डर, आर्डर।

श्री मोहन लाल चौहान : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से बोलना चाहता हूं। एक मेरे विधान सभा क्षेत्र का अग्निकांड का गम्भीर मसला है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : श्री जुगल जी काबरा।

श्री मोहन लाल चौहान : मेरे विधान सभा क्षेत्र परबतसर में अग्निकांड का गम्भीर मसला है।

डा. किरोड़ी लाल : उपाध्यक्ष महोदय, भास्कर का मामला जिसमें पुलिस घुस गयी थी, इस मामले में गृह मंत्री जी ने.... (व्यवधान)

श्री मोहन लाल चौहान : मेरे विधान सभा क्षेत्र में ग्राम बडू तहसील परबतसर में....(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज मंत्री जी वक्तव्य देने वाले थे। (व्यवधान)

श्री मोहन लाल चौहान : मेरे विधान सभा क्षेत्र में ग्राम बडू में गिवारिया जाति, बंजारा जाति के कम से कम 60–70 परिवार रहते हैं... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर, माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री मोहन लाल चौहान : मैं आपकी आज्ञा से बोलना चाहता हूं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिये। (व्यवधान) आप बिराजिये प्लीज। माननीय अध्यक्ष जी ने यह कहा है कि सरकार की जांच होकर, जांच आ जाने के बाद मंत्री जी से वक्तव्य दिलाएंगे। (व्यवधान) वह आ रही है, जांच हो रही है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : जांच क्यों बैठायी ?

श्री उपाध्यक्ष : जब एनलिस्ट हो

(श्री उपाध्यक्ष)

आएगा तो जवाब भी आएगा। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : इतना बड़ा मामला हो गया, उपाध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : क्या चाहते हो आप ? (व्यवधान)यह कब कहा है कि आज होगा? बिराजो, बिराजो। श्री जुगल जी काबरा। (व्यवधान) हो गया है न आपका, बैठ जाओ।

श्री मदन दिलावर : उपाध्यक्ष महोदय, पत्रकारों पर हमला हो रहा है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय अध्यक्ष महोदय ने कहा कि यह एनलिस्ट होगा, आप को इसका जवाब मिलेगा। सरकार जानकारी कर रही है। फिर क्या बात है ? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : कब मिलेगा ? समय दे दें। (व्यवधान) आज देंगे ?

श्री उपाध्यक्ष : यह कब कहा कि आज होगा ? यह थोड़े ही कहा कि आज होगा? अध्यक्ष जी ने कब कहा कि आज होगा ? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : फिर कब होगा ? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : जब अध्यक्ष जी चाहेंगे तब होगा; बिराजो। माननीय जुगल जी काबरा।

श्री जुगल काबरा (जोधपुर शहर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय; माननीय वित्त मंत्री जी ने वर्ष 2000-2001 के लिए जो बजट अनुमान प्रस्तुत किये हैं....

श्री मदन दिलावर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पत्रकारों के साथ हमले हो रहे हैं। (व्यवधान) अखबार वालों के साथ अन्याय हो रहा है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : हो गया न वह। (व्यवधान) विराजो।

श्री जुगल काबरा : यह निश्चित तौर पर स्वागत योग्य है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : कब करेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष : कर देंगे।

श्री हीरासिंह चौहान : निर्देश दिये जाने चाहिए। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : इनको समझाओ। (व्यवधान)

श्री मोहन लाल चौहान : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र परबतसर में बड़ू ग्राम में गिवारिया जाति के, पिछड़ी जाति के परिवारों के मकान जलकर नष्ट हो गये हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्लीज

(श्री उपाध्यक्ष)

विराजिये । हो गया न । (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : सरकार के इशारे पर पुलिस उनके यहां जाकर हमले करती है । (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : सरकार की ओर से कोई स्टेटमेंट आ जाना चाहिए कि क्या स्थिति है और क्यों जाना पड़ा वहां पर । (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : लोकतंत्र पर हमला है; प्रेस पर हमला है और मुख्य मंत्री जी उठकर चले गये । उपाध्यक्ष महोदय; यह नहीं चलने वाला है । प्रेस को.... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : क्या चलने वाला नहीं है ?

श्री मदन दिलावर : यह प्रेस पर हमला है । (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : पुलिस घुस जाए और घुसकर... (व्यवधान) गृह मंत्री जी की उपस्थिति में पुलिस का अधिकारी....(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : वास्तविकता बताने वाले पर हमला है । (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : जब वहां प्रतिनिधि मंडल आ रहा था तो उस प्रेस वाले को पुलिस ने रोका और जिसको जे.सी. हो गयी थी उसको नहीं छोड़ा । (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : यह सब बात आप पहले कह चुके हो ।

डा. किरोड़ी लाल : उसको थाने पर यातना दी गयी । (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : अध्यक्ष महोदय कह चुके कि सरकार जानकारी प्राप्त करके उत्तर देगी । (व्यवधान) फिर क्या चाहते हो आप ? (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : उपाध्यक्ष महोदय; जवाब दें । (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : ....यह और बता देना चाहता हूं; उपाध्यक्ष महोदय, गृह मंत्री जी कार्यवाही चाहते थे । इस मामले में कार्यवाही होनी चाहिए । मेनिपुलेशन चल रहा है, कार्यवाही करने नहीं देना चाहते । (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : गृह मंत्री जी कार्यवाही करना चाहेंगे तो उनको कौन रोकेगा ? उनको कोई नहीं रोकेगा । (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : रोका जा रहा है । (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ....राजस्थान के गृह मंत्री असहाय बनकर बैठे हैं ।

श्री मदन दिलावर : ....बगरु का बलात्कार कांड उसने उजागर किया ।

श्री उपाध्यक्ष : हो गया न, अब तो विराजो।

श्री मदन दिलावर : उस पत्रकार को धमकाया। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : हो गया न, अब तो विराजो। माननीय जुगल जी काबरा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ...फिर आप किस बात के हो ? किस काम के हो ?

डा. किरोड़ी लाल : उपाध्यक्ष महोदय, अभी जो जांच के आदेश सम्भागीय आयुक्त को दिये हैं वे तो क्या हैं ? हमने जो मांग की है उसकी आप जांच करवाएंगे, हमने जो कल मांग रखी थी कि भास्कर कार्यालय में घुस गये ? हमने मांग तो यह रखी और सम्भागीय आयुक्त से मांग करवायी जा रही है केवल आपरेटरों ने जो ज्ञापन दिया उसके आधार पर।

श्री उपाध्यक्ष : आपने स्वयं ने कहा था। अध्यक्ष जी ने भी आपको यह कहा है कि मैं इसकी जानकारी प्राप्त कर रहा हूं। फिर क्या बात है ? उसमें इतना क्यों उत्तेजित हो रहे हो ? (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बगरु का जो कांड हो गया और जो छापा ....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : हो गया न। बहुत हो गया। माननीय जुगल जी काबरा।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : उपाध्यक्ष महोदय, नागौर जिले में अग्निकांड का मामला हो गया और आप दो मिनट का समय नहीं दे रहे हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : क्या हुआ ? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : एक समाचार पत्र को कुचलने का प्रयास हो रहा है।

श्री मदन दिलावर : पत्रकारों में, अखबार वालों में भय पैदा किया जा रहा है। (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : ....जिसके घर में घुसे हैं उन्हीं के खिलाफ मुकदमें...

श्री मदन दिलावर : महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे हैं उनको मत छापो नहीं तो... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बैठो। हो गया, बहुत हो गया। विराजो प्लीज।

श्री मोहन लाल चौहान : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ इन्फार्मेशन।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : ...आप दो मिनट का समय भी नहीं दे रहे हो मान-नीय सदस्य को।

श्री उपाध्यक्ष : क्या चाह रहे हो आप ?

परबतसर तहसील के ग्राम बडू में अग्नि पीड़ित बणजारा परिवारों का पुनर्वास

श्री मोहन लाल चौहान : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र

(श्री मोहन लाल चौहान)

परबतसर में 31-3-2000 को अभी चार दिन पहले अनुसूचित जाति के बणजारा परिवारों के 22 मकान जल कर नष्ट हो गये हैं, पूरे बर्बाद हो गये हैं। कोई सामान बचा नहीं और दो बकरियां भी मर गयीं। वे बेघर हो गये, उनके पास कोई सामान नहीं बचा न खाने का सामान बचा है, न कपड़े बचे हैं, न उनके झोपड़े बचे हैं। उनके कच्चे मकान थे। इनकी बुरी हालात है।

मेरे विधान सभा क्षेत्र में 22 बणजारा गरीब परिवार हैं, अनुसूचित जाति के परिवार हैं, इन लोगों को तत्काल सहायता के लिए, उनको पुनः बसाने के लिए, उनके मकान की व्यवस्था करने के लिए, उनको कपड़े दिलाने के लिए, उनको खाने-पीने का सामान लेने के लिए सरकार से तत्काल मदद दिलाने की मैं मांग करता हूं।

आप उनकी यह व्यवस्था करिये। हमारे बड़े गांव बहुत बड़ा ग्राम है, वहां अनुसूचित जाति के लोग हैं। परबतसर उपखण्ड मुख्यालय और परबतसर तहसील गरीब इलाका है, वहां के लोग ढाणियों में बसते हैं। उनके मकान जल जाते हैं। परबतसर एस.डी.ओ. मुख्यालय है...

श्री उपाध्यक्ष : हो गया।

श्री मोहन लाल चौहान : ...उसमें फायर ब्रिगेड का आफिस कायम किया जाए ताकि वहां पर वह तुरन्त पहुंच सके।

श्री उपाध्यक्ष : धन्यवाद।

श्री मोहन लाल चौहान : मकराना में जो फायर ब्रिगेड है वह खराब है और अजमेर से फायर ब्रिगेड आता है तो दो घंटे लगते हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि परबतसर उपखण्ड मुख्यालय पर फायर ब्रिगेड का सब स्टेशन कायम किया जाए। इसके अलावा गरीब परिवारों को अधिक से अधिक सहायता दिलाने की व्यवस्था कराएं। जय हिन्द।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जुगल जी काबरा।

आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद

श्री जुगल काबरा (जोधपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज हम 2000-2001 के बजट प्रस्तावों पर विचार विमर्श कर रहे हैं। प्रदेश की जो आर्थिक स्थिति है वह हम लोगों से छिपी हुई नहीं है। प्रदेश में गम्भीर वित्तीय स्थिति बनी हुई है उसके बावजूद भी माननीय वित्त मंत्री महोदय ने बहुत सूझबूझ के साथ में ये संतुलित बजट प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं और यह प्रयास किया है कि पूरे राजस्थान का समग्र विकास हो, राजस्थान का आधारभूत ढांचा मजबूत बने तथा समाज के सभी वर्गों को आगे बढ़ने का समान अवसर प्रदान किया जाए।

ये जो आर्थिक हालात पैदा हुए इसके पीछे क्या कारण रहे, इस पर चिंतन नितांत

(श्री जुगल काबरा)

आवश्यक है। पूर्ववर्ती सरकार द्वारा जो आर्थिक स्थिति छोड़ी गयी और उसके बाद जब कांग्रेस की सरकार ने शासन सम्भाला उस समय के हालात हमें देखने होंगे। पूर्ववर्ती सरकार ने राजस्व आय में बढ़ोतरी का कोई प्रयास नहीं किया तथा राजस्व व्यय में बराबर बढ़ोतरी करती रही जिसका दुष्परिणाम यह रहा कि पूरा प्रदेश कर्ज के बोझ से डूब गया और आज उस कर्ज के ब्याज को चुकाने के लिए भी कर्ज लेने की आवश्यकता बन पड़ी है।

(13.28 बजे)

(श्री शिवनाथ सिंह, सभापति, पदासीन)

यह गम्भीर स्थिति है; इस पर विचार किया जाना नितांत आवश्यक है। अगर यही अर्थव्यवस्था निरंतर जारी रही तो वह दिन दूर नहीं कि प्रदेश के अन्दर विकास कार्यों के लिए कोई भी धनराशि बाकी नहीं रहेगी। पुराने कर्ज के ब्याज को चुकाने, मूल को चुकाने तथा सरकारी अमले के वेतन भुगतान के अन्दर ही राज्य का पूरा कोष खर्च हो जाएगा। इसलिए यह जरूरी है कि जो आर्थिक स्थिति है उस पर चिंतन किया जाए; आर्थिक संतुलन कायम किया जाए, आर्थिक अनुशासन बनाया जाए और यह कोशिश हो कि आने वाले समय में इस तरह का कर्जे का बोझ प्रदेश पर नहीं बढ़े।

मान्यवर, जब नवीं पंचवर्षीय योजना बनायी गयी थी तो उसका आकार बढ़ा-चढ़ाकर रखा गया था। पूर्ववर्ती सरकार ने ढेर सारी घोषणाएं की थीं और कहा था कि नवीं पंचवर्षीय योजना के माध्यम से पूरे प्रदेश का कायाकल्प कर दिया जाएगा। उस पंचवर्षीय योजना का जो पहले साल का प्लान बना उसमें मात्र 3200 करोड़ रुपये खर्च किये गये।

दूसरे साल में मात्र 3400 करोड़ रुपये खर्च किये गये और 27650 करोड़ रुपये की नवीं पंचवर्षीय योजना को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया। यह लक्ष्य किस तरह से पूरा होता, यह समझ में आने वाली बात नहीं है। जब शुरुआत ही इतनी कमजोर की गई तो फिर आने वाले समय में इस लक्ष्य की पूर्ति किस तरह से होती?

मान्यवर, प्रदेशों में जब भी वित्तीय संकट आता है, केन्द्र सरकार आगे आकर उस संकट के निराकरण में मदद करती है। जब कभी भी किसी प्रदेश में प्राकृतिक आपदा उपस्थित होती है; केन्द्र सरकार आगे आकर प्राकृतिक आपदा का मुकाबला करने के लिए राज्य सरकारों को मदद करती रही है। पूर्व में जब भी केन्द्र में कांग्रेस की सरकारें रहीं, उन्होंने इन परम्पराओं का निर्वहन किया। पूर्व के वित्त मंत्रीजी और माननीय मुख्य मंत्रीजी को भी शासन संभालने के बाद यह विश्वास था कि जो हालात बने हुए हैं राजस्थान में विषम आर्थिक परिस्थितियों के, उनमें केन्द्र सरकार हमारी मदद करेगी।

(श्री जुगल काबरा)

माननीय सभापति महोदय, मैं याद दिलाना चाहूंगा कि राजस्थान में पिछले विधान सभा चुनावों के बाद जब कांग्रेस ने शासन संभाला, उसके बाद दिल्ली में प्रधान मंत्रीजी ने और वित्त मंत्रीजी ने सभी प्रदेशों के मुख्य मंत्रियों को और वित्त मंत्रियों को एक बैठक आयोजित की थी। उसमें प्रदेशों की आर्थिक स्थिति पर चर्चा हुई थी। उसमें सभी प्रदेशों के मुख्य मंत्रियों ने प्रधान मंत्रीजी और वित्त मंत्रीजी पर यह दबाव डाला था कि प्रदेशों की आर्थिक स्थिति पांचवे वेतन आयोग के बाद बहुत खराब हो गई है इसलिए केन्द्र को आगे आकर मदद करनी चाहिए।

विधान सभा के चुनावों के पहले की सरकारों ने जो बड़ा ओवरड्राफ्ट छोड़ा था उस ओवरड्राफ्ट की पूर्ति के लिए हमारे पास संसाधन नहीं हैं, इसलिए आगे आकर आपको मदद करनी चाहिए। राजस्थान के अलावा पश्चिमी बंगाल, मध्य प्रदेश तथा अन्य कई प्रदेशों ने भी इस तरह की मांग रखी।

उसके बाद में प्रधान मंत्रीजी और केन्द्रीय वित्त मंत्रीजी ने यह विश्वास दिलाया कि जो भी ओवरड्राफ्ट हैं उस को मीडियम टर्म लोन में कन्वर्ट कर दिया जाएगा और इस तरह से यह संदेश देने का प्रयास किया कि भारत सरकार राज्यों को पूरी तरह से मदद करेगी। किन्तु जब अकाल का मामला आया और राजस्थान की सरकार ने अपना प्लान रखा तो किसी तरह की मदद नहीं दी गई। 960 करोड़ रुपये के मुकाबले केवल 21 करोड़ रुपये थमा दिये गये।

इस साल भी वही स्थिति बनी हुई है। अकाल दुबारा पड़ जाने के बाद में राजस्थान की सरकार ने अकाल से मुकाबला करने के लिए अपनी योजना पेश की। दिल्ली से अध्ययन दल आया, पूरे प्रदेश के सभी इलाकों में घूमकर यहां की अकाल की स्थिति का जायजा लिया। सभी जन प्रतिनिधियों से जहां कहीं भी वह अध्ययन दल गया, उसने मुलाकात की, अधिकारियों से मुलाकात की। क्षेत्रों के अन्दर प्रभावित इलाकों का अध्ययन किया।

यह उम्मीद की जाने लगी थी कि इस बार शायद भारत सरकार अध्ययन दल के माध्यम से पूरी जानकारी ग्रहण करके यह कोशिश करेगी कि राज्य को मदद दी जाए; किन्तु बड़े दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज तक मुकम्मिल आर्थिक सहायता का कोई भी आश्वासन कार्य रूप में परिणत नहीं हुआ है और स्थिति बड़ी विकट होती जा रही है।

इसी सदन में माननीय सदस्य बार-बार कह रहे हैं कि अकाल की विभीषिका गम्भीर होती जा रही है, पेयजल संकट चारों तरफ गहरा रहा है, पशुओं का पलायन हो रहा है। ऐसे हालात के अन्दर केन्द्र सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वह प्राकृतिक आपदा से ग्रस्त राज्यों को

(श्री जुगल काबरा)

मदद करे। राजस्थान भी यह अपेक्षा करता है क्योंकि हालात विकट बने हुए हैं और स्थिति गम्भीर से गम्भीरतम होती जा रही है।

मान्यवर; राजस्थान की सरकार सीमित संसाधनों के बावजूद अकाल का मुकाबला करने के लिए बराबर प्रयास पिछले साल भी करती रही और इस साल भी कर रही है किन्तु इसका बोझ राजकोष पर पड़ रहा है, राजस्थान की योजनाओं में कटौती हो रही है। पिछले साल भी केन्द्र सरकार द्वारा पर्याप्त सहायता नहीं मिलने के कारण राज्य की सरकार को अपना योजना का आकार घटाना पड़ा।

इस बार 10 वें वित्त आयोग द्वारा सिफारिशें की गई हैं; जिसके लिए संसद में संविधान संशोधन विधेयक पेश कर दिया गया; वह अभी तक पारित नहीं हुआ है। 10वें वित्त आयोग द्वारा जो सुझाव दिया गया था कि ग्रास टैक्स रेवेन्यू का 29 प्रतिशत राज्यों को दिया जाएगा; उसकी अभी तक कोई पूर्ति नहीं हो पाई है।

यही स्थिति 11वें वित्त आयोग की है। एक काम चलाऊ फार्मूले के आधार पर 11वें वित्त आयोग से सिफारिशें गई हैं किन्तु कितना पैसा राज्यों को मिलेगा, यह अभी तक स्पष्ट नहीं है। ऐसे हालात के अन्दर यह बजट प्रस्तुत किया गया है। हम नहीं सोच पा रहे हैं कि आयकर का हिस्सा तथा अन्य करों का हिस्सा जो राज्यों को केन्द्र सरकार से मिलने वाला है, वह राजस्थान को कितना मिल पाएगा और उससे हम लोग अपने विकास की योजनाओं को किस तरह से कितना पूरा कर पाएंगे।

इन सारी परिस्थितियों के बावजूद वित्त मंत्रीजी ने यह प्रयास किया कि राज्य के विकास कार्यों के लिए विभिन्न मदों के अन्दर पर्याप्त धनराशि मुहैया कराई जाए ताकि हम अपने पूरे प्रदेश का सर्वांगीण विकास कर सकें।

साथ ही साथ मैं मुख्य मंत्रीजी और राज्य के मंत्रिमण्डल को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने स्वानुशासन का परिचय दिया। सबसे पहले मंत्रिमण्डल के सदस्यों ने अपने खर्चों में कटौती की, प्रशासकीय खर्चों में कटौती की और हवाई यात्रा, विदेश यात्रा; स्टाफ कार; टेलीफोन खर्चीले समारोह तथा अन्य सब तरह के अनप्रोडक्टिव खर्चों में कमी करने का मंत्रिमण्डल ने प्रयास किया।

इसके साथ ही साथ सरकार ने यह कोशिश की कि राज्य के ऊपर जो कर्मचारियों की अधिक संख्या का भार है उन अधिशेष कर्मचारियों को चिन्हित किया जाए और दूसरे विभागों में; अन्य स्थानों पर उनका उपयोग लिया जाए ताकि कर्मचारियों का सही उपयोग किया जा सके।

मान्यवर; पिछली सरकार ने जहां

(श्री जुगल काबरा)

5वें वेतन आयोग के माध्यम से इस प्रदेश के ऊपर कर्मचारियों के वेतन का बोझ डाला, उसके साथ ही साथ 9-18-27 वर्षों की सेवा पर पदोन्नति देकर संस्थापन व्यय के अंदर भी अत्यधिक वृद्धि की। मान्यवर, चुंगी समाप्त करने का मामला पिछले कई वर्षों से प्रदेश के अन्दर चल रहा था किन्तु इसके क्या परिणाम होंगे, इस बात को पिछली सरकार ने सोचा नहीं और चुंगी समाप्ति की घोषणा आनन-फानन में कर दी गई। इसका बोझ कितना कहां पड़ने वाला है और इससे विकास कार्यों में कितनी रुकावट होने वाली है, इसके ऊपर भी पिछली सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया।

जिसका परिणाम यह रहा कि सेल्स टैक्स के ऊपर सरचार्ज लगा देने के बावजूद भी जो अनुदान राशि नगरपालिकाओं नगर परिषदों और नगर निगमों को दी जाती है, वह पूरी नहीं हो रही है।

एक तरफ सारे प्रदेश के कस्बों के अंदर विकास का काम ठप्प पड़ा हुआ है, चुंगी इकट्ठी करने वाला सरकारी अमला दफ्तरों में खाली बैठा हुआ है, उसका बोझ नगरपालिकाओं के ऊपर पड़ रहा है; विकास का काम रुका हुआ है और दूसरी तरफ सरचार्ज लगाकर जनता के ऊपर यह बोझ डाल दिया गया है। ऐसे हालात बना दिये कि स्थिति बहुत गम्भीर हो गई है और विकास की कहीं भी कोई गुंजाइश नजर नहीं आ रही है।

माननीय सभापति महोदय, पिछली सरकार ने चुंगी समाप्ति के बाद में नगरपालिकाओं को जो अनुदान राशि आवंटित की उसमें भी भेदभाव किया गया। कई तरीके से यह प्रयास किया गया कि इसको संतुलित किया जाए किन्तु फिर भी छोटी नगरपालिकाओं को ज्यादा पैसा दे दिया गया, बड़ी नगरपालिकाओं को कम पैसा दिया गया, छोटे नगर निगमों को ज्यादा आवंटित कर दिया गया, बड़े नगर निगमों को कम धनराशि दी गई। इस तरह का जो भेदभाव पिछली सरकार ने किया उससे भी प्रदेश के कस्बों में, नगरों में, शहरों में विकास की गति कम हुई है।

माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्रीजी तथा राज्य सरकार से यह अनुरोध करना चाहूंगा कि चुंगी समाप्ति की नीति पर पुनर्विचार किया जाए। आज पूरे प्रदेश के लोग यह चाहते हैं कि उनकी नगरपालिकाएं सक्षम बने, नगर परिषदें सक्षम बने, नगर निगम विकास के काम करे और उनके अपने आय के स्रोत बने। ये स्रोत चुंगी के द्वारा ही बन सकते हैं, इसलिए मैं यह चाहूंगा कि इसके ऊपर पुनर्विचार किया जाना चाहिए और नगर निगमों तथा नगरपालिकाओं को सक्षम बनाने के लिए इन सारी स्थितियों पर गम्भीरतापूर्वक चिंतन किया जाना चाहिए।

सभापति महोदय, राज्य सरकार ने गम्भीर आर्थिक हालात को देखकर आर्थिक सुधार कार्यक्रम लागू करने का प्रयास किया है और माननीय वित्त मंत्रीजी ने स्वयं यह मंजूर किया है कि जो राजस्व घाटा है

(श्री जुगल काबरा)

उसकी बढ़ोतरी निश्चित तौर पर उचित नहीं है। उन्होंने विश्वास दिलाया है इस सदन में कि आने वाले तीन सालों में राजस्व घाटे को समाप्त करने का प्रयास किया जाएगा ताकि हमारी लड़खड़ाती हुई अर्थव्यवस्था ठीक हो सके और राज्य के अंदर जो विकास की योजनाएं हैं, वे समय पर पूरे तरीके से लागू की जा सकें।

मान्यवर; राज्य सरकार ने राज्य के सकल घरेलू उत्पादन का पिछले वर्ष 8.84 प्रतिशत राजकोषीय घाटे का अनुमान किया था किन्तु जो संशोधित अनुमान माननीय वित्त मंत्रीजी ने प्रस्तुत किये उनसे यह अंदाजा लगाया जाता है कि अब यह राजकोषीय घाटा घटकर 8.51 प्रतिशत हो जाएगा। मान्यवर, जो चालू वर्ष का बजट पेश किया गया है 2000-2001 का, उसमें यह उम्मीद की गई है कि राजकोषीय घाटा और अधिक घट कर 7.46 प्रतिशत हो जाएगा।

आने वाले दो-तीन वर्षों में इसे और अधिक सीमित करने का प्रयास करके इसे चार प्रतिशत तक ले जाने का प्रयास किया जा रहा है। इसी तरह से अन्य मदों के अन्दर भी यह प्रयास किया जा रहा है कि हमारे राजस्व घाटे को किसी तरह से कम किया जाए, संसाधन बढ़ाये जाएं और राज्य के अन्दर खुशहाली के वातावरण को पैदा किया जाए।

मान्यवर, राजस्थान सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं तथा स्थानीय निकायों को प्रभावशाली बनाने के लिए दूसरा राज्य वित्त आयोग बनाया है। हम आशा करते हैं कि इस वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर जहां एक तरफ हमारी पंचायती राज व्यवस्था मजबूत होगी, वहीं दूसरी तरफ स्थानीय निकाय भी प्रभावशाली तरीके से राज्य के विकास में भूमिका अदा कर सकेंगे।

मान्यवर, राजस्थान कृषि प्रधान प्रदेश है और इस कृषि प्रधान प्रदेश में वर्षा बहुत बड़ी भूमिका अदा करती है। आज रबी और खरीफ का उत्पादन आशा के अनुरूप नहीं हुआ है जिसके कारण राज्य की आर्थिक स्थिति चालू साल में बहुत कमजोर रही है। किंतु इस सबके बावजूद माननीय वित्त मंत्रीजी ने यह प्रयास किया है कि कृषि क्षेत्र के अन्दर पर्याप्त निवेश हो। कृषि विभाग की गतिविधियों के लिए उन्होंने 129.10 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा है।

जल ग्रहण, बूंद-बूंद सिंचाई पद्धति, ग्रामीण विकास कार्यक्रम, मगरा क्षेत्रीय विकास इन कार्यक्रमों के ऊपर काफी धन राशि उन्होंने आवंटित की है। इसके साथ ही साथ सहकारी विभाग के द्वारा किसानों को खाद-बीज और कीटनाशक के लिए अल्पकालीन फसली सहकारी ऋण के लिए एक हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। दीर्घकालीन सहकारी ऋण के लिए भूमि विकास बैंक के माध्यम से 257.50 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है।

(श्री जुगल काबरा)

राज्य के सिंचाई प्रबन्धन को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए 332.69 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के सिंचित क्षेत्र को विकसित करने के लिए 120 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

इसी तरह की अन्य योजनाओं के माध्यम से, माननीय सभापति महोदय, राज्य के विकास के लिए बहुत कुछ प्रावधान किये गये हैं। पेयजल पर माननीय वित्त मंत्रीजी ने पूरा ध्यान दिया है। उद्योग विकास, पर्यटन विकास, नगरीय विकास, इन सारी बातों पर पूरा ध्यान दिया गया है।

विद्युत उत्पादन के लिए हमारी सरकार ने पूरा प्रयास किया है कि हम इन आने वाले तीन–चार सालों के अन्दर विद्युत का उत्पादन बढ़ाएं उसका प्रबंध सही तरीके से हो, विद्युत तंत्र को मजबूत किया जाए। इसके लिए इस साल में 925 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

मान्यवर, चिकित्सा के क्षेत्र के अन्दर कुछ प्रावधान और अधिक करने की आवश्यकता है। हमारी संवेदनशील सरकार शिक्षा और चिकित्सा पर पूरा ध्यान दे रही है किंतु चिकित्सा के लिए प्रावधान की और अधिक आवश्यकता है। बड़े अस्पताल हैं उनके अलावा छोटे अस्पतालों में भी चिकित्सा उपकरणों की आवश्यकता होती है, उन व्यवस्थाओं के लिए मैं माननीय चिकित्सा मंत्रीजी से अनुरोध करूंगा कि वे यह प्रयास करें कि छोटे अस्पतालों को क्रमोन्नत किया जाए।

माननीय सभापति महोदय, जोधपुर में बड़े अस्पतालों के अलावा छोटे अस्पतालों की बहुत बड़ी आवश्यकता है। बहुत बड़ी आबादी में कई दूर तक अस्पताल नहीं है इसलिए जो छोटे अस्पताल हैं उनको क्रमोन्नत करने की व्यवस्था की जाए। मैं माननीय वित्त मंत्रीजी से अनुरोध करूंगा कि वे इस पर अपना सकारात्मक दृष्टिकोण रखें।

श्री सभापति : कृपया समाप्त कीजिये।

श्री जुगल काबरा : जी हां।

इसी तरीके से, मान्यवर, शिक्षा के क्षेत्र के अन्दर भी विशेष ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है। समानीकरण के माध्यम से शिक्षकों को शहरों से गांवों के अन्दर भेजा गया है, बहुत अच्छी बात है, किन्तु इसके लिए युक्तिसंगत नीति बननी चाहिए। शहरों के अन्दर लम्बे अरसे के बाद में जो अध्यापक आये थे उनको वापस गांव के अन्दर भेज दिया गया है और जो लोग लम्बे समय से शहर के अन्दर अध्यापन कर रहे थे वे लोग वहीं के वहीं बैठे हुए हैं। इस नीति पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए और छात्रों की संख्या के अनुपात के अन्दर उन छात्रों को पढ़ाने के लिए पर्याप्त अध्यापक दिये जाने चाहिए।

मान्यवर, अगर राजकीय शिक्षा के ऊपर पूरा ध्यान नहीं दिया जाएगा तो

(श्री जुगल काबरा)

निजी शिक्षण संस्थाएं फैलने लगेंगी। पिछली सरकार ने यही किया। जो सरकारी विद्यालय थे उन विद्यालयों को बंद कर दिया गया या जिन इमारतों में सरकारी विद्यालय चल रहे थे उन इमारतों को खाली कर दिया गया। एक ही इमारत में दो-दो, तीन-तीन विद्यालय चालू कर दिये गये और उन इमारतों को उनके मालिकों को सौंप दिया गया ताकि वहां बड़े भवन बनाये जा सकें, उन लोगों को लाभ दिया जा सके।

एक ही इमारत के अन्दर दो-तीन विद्यालय चलने से वहां पर छात्रों की संख्या घट गई। इस तरह की नीति अब नहीं चालू की जानी चाहिए। जो प्राइवेट स्कूल हैं उनको इस तरह से सहयोग नहीं दिया जाना चाहिए। सरकार का यह दायित्व बनता है कि राजकीय विद्यालयों को पूरी तरह से इमदाद दी जाए और उन के माध्यम से यह प्रयास किया जाए कि हम गरीब तबके के लोगों को पूरी शिक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराएं।

माननीय शिक्षा मंत्री जी ने राजीव गांधी विद्यालयों के माध्यम से गांवों में जो शिक्षण योजना प्रारंभ की है, उसका मैं स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि माध्यमिक क्षेत्र में, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में वे इसी तरह की योजनाओं को क्रियान्वित करेंगे। उसके लिये पर्याप्त बजट अनुमान रखा गया है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, सहयोग कीजिये।

श्री जुगल काबरा : ....उसका भी मैं स्वागत करता हूं।

अन्त में, मान्यवर, बिक्री कर के बारे में मैं निवेदन करना चाहूंगा। बिक्री कर सरलीकरण के लिए माननीय वित्त मंत्रीजी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा किन्तु 18 ए फार्म एक ऐसा फार्म है जिससे पूरा व्यवसाय जगत परेशान है।

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। 18 ए फार्म को निरस्त किया जाए। केन्द्र सरकार ने जो समान बिक्री कर की योजना लागू की है उसको भी दृष्टिगत रखें कि केवल राजस्थान के ऊपर इसका भार नहीं पड़े। आस-पास के प्रदेशों के अन्दर बिक्री कर को देखते हुए हमारे यहां भी बिक्री कर उसी तरह का होना चाहिए। अगर वहां ज्यादा है और हम बढ़ा देते हैं तो राजस्थान में व्यवसाय घटेगा। वहां पर कम है तो हमको कम करना चाहिए, उनके हिसाब से हमको अपना बिक्री कर नहीं बढ़ाना चाहिए।

मैं आशा करता हूं कि इन सारी बातों के ऊपर माननीय वित्त मंत्री जी ध्यान देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय वित्त मंत्रीजी द्वारा प्रस्तुत बजट प्रस्तावों का स्वागत करता हूं। धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापति : माननीया श्रीमती रमा पायलट ।

श्रीमती रमा पायलट (हिण्डोली) : माननीय सभापति महोदय, इस साल के बजट पर मैं सबसे पहले वित्त मंत्री जी को बधाई देना चाहती हूं कि उन्होंने राजस्थान के स्थापना दिवस के तहत होने वाले समारोहों को एक साल के लिये और बढ़ाया। इस एक साल के बढ़े हुए समय में जिन प्रतिभाशाली व्यक्तियों को सम्मानित करने का उन्होंने जो उद्देश्य रखा है, जो प्रस्ताव रखा है मैं उसकी सराहना करती हूं।

मैं उनको बधाई देना चाहती हूं कि उन्होंने छोटे और बड़े राज्य के सभी लोगों का सम्मान किया है, आदर किया है कि जो भी जिस तरह की प्रतिभा रखते होंगे उनको वे इस एक साल के समय में सम्मानित करेंगे। मैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगी।

मैं फिर धन्यवाद देना चाहती हूं वित्त मंत्री जी को कि उन्होंने निजी निवेश के लिए उदारीकरण का परिचय दिया है। इसमें भी बोट, बूट और बूम की जो पद्धति अपनाई है इसकी मैं पुरजोर शब्दों में सराहना करती हूं, उनको बधाई देती हूं।

इस पद्धति के द्वारा यही नहीं कि हमारे कुछ कार्य होंगे, हमारे बाई पास, पुल और सड़क बनेंगे बल्कि इस पद्धति के द्वारा हमारी सरकार को एक जवाबदेही प्रणाली का भी सहयोग मिलेगा। आज तक जो हमारे बाई पास, सड़क और पुल बनते रहे उसमें हम अपने विभागों के द्वारा कार्य करवाते रहे। उनकी जवाबदेही एक व्यक्ति या एक समूह की न होकर सरकारी विभागों में ऊपर से नीचे तक बहुत सारे व्यक्तियों की होने से हमें कोई उत्तर ढंग से नहीं मिल पाता था।

आज यदि हम इनको निजी निवेश के द्वारा पूरा करवाते हैं तो उस निजी निवेशकर्ता की इसमें पूरी-पूरी जिम्मेदारी होती है, वह उसका जवाबदेह होता है। वरना आज तक की हमारी सड़कों की हालत पूरे राज्य को पता है।

खासकर पंचायत समितियों में जो सड़कें बनाई जाती रही हैं विभाग के द्वारा, उन सड़कों का जिस दिन प्रारम्भीकरण हो रहा है और जिस दिन वे अन्तिम छोर पर जाती हैं, अन्तिम छोर समाप्त करने के बाद प्रारम्भिक जगह जो सड़क थी उसको जाकर देखते हैं तो वहां सड़क का नामोनिशान खतम हो जाता है। इतनी दुर्व्यवस्था और इतनी दुर्दशा हमारी सड़कों की सरकारी यंत्र के द्वारा बनाने पर होती थी।

इस तरह से हमारे बड़े—बड़े कार्य खास तौर से पुल और सड़कें जो कि राज्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, उनका काम निजी निवेशकों को दिया गया है, उनसे बहुत अच्छा ढांचा और बहुत अच्छी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों की हमें आशा और उम्मीद है। मैं इस बात के लिए वित्त मंत्री जी को और सरकार को धन्यवाद देना चाहती हूं।

मैं धन्यवाद देना चाहती हूं इस बात

(श्रीमती रमा पायलट)

का भी कि उन्होंने हमारे वीर सपूत जो शहीद हुए हैं, उनकी विधवाओं की पेंशन दुगनी से भी ज्यादा कर दी है। 300 से बढ़ा कर 750 रुपये की पेंशन उन विधवाओं के लिए की है जिन्होंने अपने पतियों को सरहद पर भेजा है और अपने बच्चों को पालने की जिम्मेदारी स्वयं ली अपने घर को रखने की, संवारने की जिम्मेदारी स्वयं ली और अपने माता–पिता को, सास-ससुर को देखने की जिम्मेदारी भी ली।

ऐसी महिलाओं को यह जो इंसेंटिव सरकार की तरफ से दिया गया है, मैं इसकी सराहना तो करती हूं लेकिन मैं मांग भी करती हूं पुरजोर शब्दों में कि ऐसी महिलाएं जो अपनी मांग के सिन्दूर को, माताएं अपने बच्चों को सरहद पर इस देश और राज्य की रक्षा करने के लिए भेजती हैं ऐसी कितनी महिलाएं और ऐसे कितने नौजवान हैं जो आगे आते हैं और अपने-आपको हंसते-हंसते बलिदान कर देते हैं। यह दृश्य मैंने खुद देखा है कश्मीर में जाकर।

कारगिल के जो शहीद और उनके परिवारजन थे, उनसे मिलने के बाद पता चला कि उनका हौसला हमसे कहीं ज्यादा बुलंद है। ऐसे-ऐसे घायल सैनिक अस्पताल के अन्दर थे जिनके कम से कम एक-एक फीट की लम्बी लोहे की राड शरीर के अन्दर इस तरफ से लगी और उस तरफ निकल गई लेकिन उसके बावजूद वे अस्पताल में पड़े हैं और पूछने पर बताते हैं कि मैं चौकी से बस थोड़ा-सा रह गया था। अगर पांच मिनट का मुझे और वक्त मिलता तो मैं उस चौकी को ले लेता।

इस तरह के जिन वीरों ने इस राज्य के लिए, इस देश के लिए अपने जीवन का बलिदान किया है, अपने जीवन की कुर्बानी दी है उनके परिवारों को देखने की जिम्मेदारी पूर्णतया सरकार की होनी चाहिए। उनके बच्चों को रखने और उनकी शिक्षा का प्रबन्ध सरकार के द्वारा होना चाहिए, मैं पुरजोर शब्दों से सरकार से मांग करती हूं और उम्मीद भी करती हूं कि वह शायद देश की खातिर, राज्य की खातिर और इतनी आबादी के अपने बहन और भाईयों की खातिर इस बात पर गौर करेगी।

मैं वित्त मंत्री जी को फिर धन्यवाद देना चाहती हूं इस बात के लिए कि उन्होंने शायद महिलाओं से प्रभावित होकर माता, पत्नी, बहन, पुत्री, पुत्रवधू को सम्पत्ति के गिफ्ट टैक्स में केवल मात्र आधा प्रतिशत टैक्स रखा है, 10% से घटाकर 5% कर दिया है। यहां तो मैं यहां तक भी कहना चाहूंगी कि पुरुषों की बहुतायत आज सदन में भी है और वैसे भी है।

बहुत–सी प्रतिभाशाली महिलाएं आगे आने के बावजूद दे'यर इज ए मैन्स वर्ल्ड, आज भी पुरुषों का संसार है। सब पुरुष अपने हृदय में थोड़ी-सी संवेदना लेकर आएंगे, महिलाओं के प्रति उदार होंगे और वे पहले से कहीं ज्यादा महिलाओं को गिफ्ट करने से हिचकिचाएंगे नहीं बल्कि और

(श्रीमती रमा पायलट)

ज्यादा बढ़ेंगे; मेरी ऐसी उम्मीद है ।

मैं फिर धन्यवाद देना चाहती हूं सरकार को और वित्त मंत्री जी को कि उन्होंने ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों को जिन्होंने इस देश की आजादी में अपना बहुत-सा जीवन का समय गुजारा और अपने जीवन का समय अपने बच्चों के लिए नहीं बल्कि इस देश के लिए दिया है, उनकी अचल सम्पत्ति पर भूमि एवं भवन कर हटा दिया है, उससे मुक्त रखा है । मैं सराहना करती हूं इस बात की ।

इस बात से हमारे स्वतंत्रता सेनानी ही नहीं बल्कि आज जो सैनिक और सैनिकों के बच्चे हैं उनको बहुत ज्यादा बल मिलेगा और उनका मनोबल बहुत ऊंचा होगा । यह सरकार के उदारीकरण का एक परिचय है।

पर्यटन के मामले में बहुत से इंसेंटिव सरकार ने दिये हैं । यह भी एक महत्वपूर्ण कदम सरकार ने उठाया है क्योंकि पर्यटन में सुधार करने से हमारे राज्य का सौंदर्यीकरण होता है; हमारे राज्य की सुन्दरता बढ़ती है । राजस्थान राज्य का संसार में पर्यटन के मामले में उदाहरण दिया जाता है । रंग-बिरंगा रंगीला यह राजस्थान राज्य अन्तरराष्ट्रीय नक्शे के ऊपर है ।

पर्यटन में बहुत-सा सुधार इस सरकार ने किया है, पर्यटन में सुधार करने से न केवल हमारे राज्य की सुंदरता ही बढ़ती है, न केवल हमारे राज्य का नाम ही अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर आता है बल्कि हमें विदेशी मुद्रा भी प्राप्त होती है जोकि हमारे राज्य के लिये और हमारे देश के लिये बहुत ही महत्वपूर्ण है । मैं इस बात का भी धन्यवाद देना चाहती हूं और मैं इसका स्वागत करती हूं ।

(14.00 बजे)

मैं सरकार को एक और बधाई देना चाहती हूं कि जो भी योजनाएं सरकार ने आज तक रखीं इस बजट के तहत उन योजनाओं को उन्होंने बहुत फैलाया नहीं । उनको बहुत लंबे-चौड़े तरीके से और नहीं बढ़ाया उसको कंसोलिडेशन की स्थिति में रखा । मैं इस बात की सराहना करती हूं क्योंकि मैं इसके हक में हूं ।

कोई भी योजना अगर चलाई जाती है तो उस योजना की अच्छी तरह से देखभाल और उस योजना का पूर्ण होना बहुत आवश्यक है । इस तरह करने से हमारी योजनाएं यूं ही नहीं पड़ी रहेंगी बल्कि उनकी देख-भाल, उनका रख-रखाव अच्छा होगा । सम्पूर्ण तरीके से कंट्रोल में रहते हुए उसके परिणाम अच्छे निकलेंगे । मैं इस बात के लिये धन्यवाद देना चाहती हूं ।

सभापति महोदय; हमारा जो राजकोषीय घाटा है वह किसी से भी छुपा हुआ नहीं है लेकिन मैं इस बात के लिये सरकार को धन्यवाद देना चाहती हूं कि वित्त मंत्री जी ने बजट को इस तरह से रखा कि पहले से राजकोषीय घाटा नीचे आया है । ऐसी कुछ योजनाएं, ऐसी कुछ पद्धतियां

(श्रीमती रमा पायलट)

और कुछ कार्य इस बजट के तहत उन्होंने संजोकर रखे हैं जिनसे कि आने वाले वर्षों में यह घाटा चार प्रतिशत तक ले जाने की उनकी आशा है । मैं इस बात का तहे दिल से स्वागत करती हूं ।

बहुत-सी बातें इस बजट में रह गई । छोटी-छोटी तो रह ही जाती हैं लेकिन मोटी-मोटी भी बहुत-सी बातें रह गई । सबसे बड़ी कमी जो बजट में रही वह किसान जो राज्य की रीढ़ की हड्डी होता है; उसकी अवहेलना रही । किसान की अवहेलना तो इतने मोटे तरीके से रह गई; अगर कोई कहे कि किसान की हालत कैसी है, अन्धे से पूछा जाए तो वह भी जवाब देगा कि किसान की हालत बद से बदतर है ।

मुझे दुःख है इस बात का कि न मालूम सरकार ने इस तरफ करवट कैसे नहीं ली और इस तरफ कैसे नहीं झांका । आज राज्य का किसान शहरों में सभी का पेट पालता है । धरती का पेट चीरता है; अपने बच्चों का पेट भरता है और हम सब शहर में रहने वालों का पेट भरता है; लेकिन बावजूद इसके उसको अनदेखा कर दिया गया; इस बात का मुझे दुःख है ।

उसके लिये ऋण का जो प्रावधान रखा है वह सहूलियत देने के लिये रखा है, लेकिन ब्याज की दर इतनी ऊंची रखी गयी है कि उसको बर्दाश्त करना किसान के तो शायद दूर की बात है; व्यवसायी के भी बस की बात नहीं है । केवल मात्र 25 हजार रुपये का अगर किसान ऋण लेता है तो उसको 12 प्रतिशत ब्याज की दर चुकानी पड़ती है ।

अगर तीन लाख तक लेता है तो उस को 13 प्रतिशत ब्याज की दर चुकानी पड़ती है और अगर तीन लाख से ऊपर लेता है तो उसको 16 प्रतिशत ब्याज की दर चुकानी पड़ती है । एक ट्रैक्टर यदि किसान लेने जाता है तो उसको वह 4-5 लाख रुपये से कम नहीं पड़ता है ।

इसका मतलब यह हुआ कि किसान अगर अपना एक वाहन; यह यन्त्र; अपनी रोजी-रोटी का सहारा खरीदने जाता है तो अतिशः उसको लोन लेना पड़ता है। उस ऋण पर उसको इतनी बड़ी ब्याज की दर देनी पड़ती है तो उस बेचारे को पसीना आ जाता है ।

बैंक की तरफ तो बढ़ता है लेकिन उसकी हिम्मत नहीं पड़ती कि वह बैंक में आकर मैनेजर से इस बात के लिये दरख्वास्त दे दे। पुरानी कहावत है, सबको पता है कि हाथी तो कोई भी खरीद लेता है लेकिन उसका पेट भरना बहुत मुश्किल हो जाता है और यही कहावत किसान के ट्रैक्टर खरीदने पर चरितार्थ होती है। ट्रैक्टर का ब्याज ही नहीं, बेचारे को बिजली भी इतनी कम मिलती है कि उसके खेतों का कार्य नहीं चलता है । आज की खेती बिजली के ऊपर बहुत निर्भर है ।

श्री अमराराम चौधरी : किसान बेचारा नहीं है ।

श्रीमती रमा पायलट : किसान बहुत बेचारा है। जब आपका नंबर आए तो बता देना कि क्या है। किसान इतना बेचारा है कि उसको यदि खाद; बीज व कीटनाशक दवाइयां भी सरकार मुफ्त दे तब भी वह बेचारा ही कहलाएगा। लेकिन दुःख की बात है कि उसको खाद बीज और कीटनाशक दवाइयों के लिये भी लोन लेना पड़ता है और लोन की हालत यह है जो मैंने आपको अभी बताई। वह बेचारा नहीं है तो और क्या है ?

उसकी बात छोड़ दीजिए। आप अगर गांवों में विद्युतीकरण के हिसाब से जाएं; बिजली मंत्रीजी अभी यहां नहीं हैं, वे होते तो अच्छा रहता, आज भी ऐसे तहसील मुख्यालय हैं जिनके पास केवल 10 के. वी. बिजली प्राप्त है और उस 10 के. वी. में भी अधिकारियों के ऊपर गांव वालों को निर्भर रहना पड़ता है।

अगर अधिकारी कोई अच्छा है, वह चाहता है गांव वालों का भला हो तो प्रतिशत के हिसाब से तहसील मुख्यालय और गांव में बांट देता है। अगर वह नहीं चाहता तो उसकी मर्जी आएगी वैसे प्रतिशत में बांटेगा। मैं अपना देखा हुआ उदाहरण आपको बता देना चाहती हूं। तहसील हिण्डोली में सिर्फ 10 के.वी. बिजली है और उसमें भी वहां के एक्स.ईएन. का कहना है कि वह एक प्रतिशत गांवों को देगा और नौ प्रतिशत शहर में रखेगा।

अब बताइए; किसान बेचारा नहीं कहलाएगा तो और क्या होगा ? आज किसान को बिजली देना कोई विलासिता की बात नहीं है, आज किसान को बिजली देना आवश्यकता की बात है। कभी होती होगी विलासिता की बात लेकिन आज वह उसकी आवश्यकता है और ऐसी आवश्यकता है कि उस आवश्यकता के बिना वह अपने बच्चों का पेट नहीं भर सकता।

आज बेचारे किसान के पास न बिजली है; न पैसा है; न पानी है; न बीज है, न खाद है; न ऋण है। वह जाए तो कहां जाए ? इतनी बिजली देने के बावजूद भी उसको पूरी बिजली नहीं मिल रही है। जो मिल रही है उसके ऊपर भी दो पैसे प्रति यूनिट उसके बिल में बढ़ोतरी कर दी गई है।

मैं इस बढ़े हुए बिल के सख्त खिलाफ हूं और अपने पुरजोर शब्दों में सरकार की आलोचना करती हूं। यूरिया के दाम तो केन्द्र सरकार ने थोप दिये, केन्द्र सरकार ने डीजल के दाम थोप दिये और ऋण का हिसाब-किताब यहां रखा नहीं। किसान बेचारा नहीं हुआ तो कौन बेचारा रह गया।

बेचारे की बात तो मैं और आगे बता देना चाहती हूं कि आज किसान के ऊपर कर लगाया गया दो पैसे प्रति यूनिट, जो धरती का पेट चीरता है, रात-दिन इतनी मेहनत करता है, उसके बीबी-बच्चे रात-दिन खेत में रहते हैं। वे कभी बिजली की तरफ से; कभी पानी की तरफ से आसमान की तरफ देखते हैं। मेंढक की तरह ऊपर देखते हैं कि कब बरसात आएगी, कब हमारा पूरा

(श्रीमती रमा पायलट)

पड़ेगा और कब हमारे बच्चों का पेट भरेगा।

शहर में जो सिनेमा घर चल रहे हैं उनमें विलासिता की चीजों को बढ़ावा देने के लिये; उनके सौंदर्यीकरण के लिये; उनके सुदृढ़ीकरण के लिये कर से छूट मिल जाती है। ऐसे व्यक्ति को कर में छूट मिल रही है जहां विलासिता का सामान है, जहां हम आप और शहरी लोग जाते हैं और सिनेमा देखते हैं। ऐशोआराम से ठंडे में रहते हैं, ए.सी. चलते हैं। वहां कोई पूछताछ नहीं कि कितनी बिजली जलाई। इतनी बिजली तक जला सकते हो; इतने के आगे नहीं जला सकते हो।

कोई 200 दिखा रहा है; कोई 400 दिखा रहा है, कोई 600 दिखा रहा है। उस पर कोई रोक-टोक नहीं है लेकिन किसान के लिये यहां पर भी रोक-टोक है कि इतने घण्टे ही आएगी; इतने घण्टे नहीं आएगी। किसान बेचारा नहीं है तो और क्या है ? आप देखिए, कैसी विडम्बना है; मनोरंजन पर कर मुक्त और पेट भरना कर युक्त। यह बहुत विडम्बना की बात है; बड़े आश्चर्य की बात है।

मैं चाहूंगी सरकार इस तरफ ध्यान दे और इस बात का मनन करे; सलाह करे मीटिंग करे और इसमें थोड़ा बदलाव लाए। किसान के ऊपर फालतू का दो पैसे यूनिट का भार लाद दिया गया है, उसको हटाने की कृपा करें। मुझे इस सरकार से बहुत उम्मीद है।

श्री सभापति : कृपया समाप्त करने की चेष्टा करें।

श्रीमती रमा पायलट : पहली सरकार आठ साल तक यहां राज करती रही, उन्होंने किसानों को कह दिया कि हम किसानों के भले में नहीं हैं। हर जगह पूरे राज्य में यह हो गया कि कांग्रेस की सरकार आएगी और कांग्रेस की सरकार किसानों की माई-बाप होगी। कांग्रेस की सरकार की तरफ मुंह बाये देख रहे थे। लेकिन बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि जब कांग्रेस की सरकार आई तो उन्होंने भी उलटे उसी पर मार लगाई।

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

श्रीमती रमा पायलट : दो मिनट और। मैं यहां अपने कुछ सुझाव सरकार को देना चाहती हूं।

राजकोष का घाटा, हालांकि सरकार ने और वित्त मंत्री जी ने कोशिश और मेहनत करके ऐसा बजट रखा है हमारे सामने कि हम अगले आने वाले वर्षों में उस राजकोषीय घाटे को कम से कम प्रतिशत की तरफ ले जाएं; लेकिन मैं सदन को याद दिलाना चाहती हूं पिछले साल के भाषण में भी मैंने सरकार को अपने सुझाव रखे थे कि अगर हमारे यहां सहकारिता, डेयरी, दुग्ध उत्पादन की तरफ ध्यान दिया जाए तो हम लोग काफी आगे बढ़ सकते

(श्रीमती रमा पायलट)

हैं, अपने किसानों को आगे बढ़ा सकते हैं। बात इतनी-सी है कि सरकार को पहले इनीशिएटिव लेना पड़ेगा।

मैं चाहूंगी कि कोई हाई-लेवल कमेटी बने हमारी सरकार की तरफ से और महाराष्ट्र की जो सहकारिता दुग्ध उत्पादन की डेयरियां हैं उनका अध्ययन करे। महाराष्ट्र और गुजरात में इतनी सफतापूर्वक वे डेयरियां चल रही हैं कि आज वहां का किसान 15 साल के अंतराल में कृषक नहीं बल्कि व्यवसायी की कैटेगरी में आता है। कुछ दिन सरकार ने उसको इनीशियेटिव दिया, उसके बाद से वह आज स्वतंत्र रूप से अपने में सफल है और अपना कार्य-भार अपने आप चलाया हुआ है पूरे किसानों ने।

मैं चाहूंगी कि सरकार इस तरफ ध्यान दे, इस परियोजना की तरफ बहुत बारीकी से देखे और इस तरह की कोई कमेटी बनाकर वहां स्टडी के लिये भेजे ताकि इसमें हम कुछ कारगर कदम ले सकें।

एक बात और कहना चाहूंगी। पहले तो इस बार उच्च शिक्षा के लिये कालेज की कोई घोषणा ही नहीं है इस बजट के अंदर। उसके अलावा भी एक और दुःख-दायी बात है कि 10 साल के अंतराल में उच्च शिक्षण संस्थानों में एक भी नियुक्ति नहीं हुई है। क्या 10 साल के बाद हमारे छात्र-छात्राओं की संख्या उसी लेवल पर है जो पिछले 10 साल में थी? एक शिक्षक अगर 50 छात्रों को पढ़ाता है तो क्या आज छात्र बढ़कर 500 नहीं हो गये होंगे? क्या यह सरकार समझती है कि एक शिक्षक 500 बच्चों को पढ़ाने के काबिल है? हम शिक्षा को बढ़ावा दे रहे हैं, हमारी सरकार राजीव स्वर्ण जयंती स्कूल के नाम से और कई प्राथमिक शिक्षाएं दे रही हैं, बहुत अच्छी बात है, सराहनीय बात है।

मैं दरख्वास्त करना चाहती हूं और पुरजोर शब्दों में यह मांग करना चाहती हूं कि उच्च शिक्षण संस्थानों में नई नियुक्तियां की जाएं। विद्यालयों में जहां एक डैस्क के अंदर तीन की क्षमता है और कम से कम 10 बच्चे बैठे हैं, उस स्थिति को भी सम्भालें। वहां नये शिक्षण संस्थान खोलें और नियुक्तियां करके उन बच्चों को ऐसी पढाई पढ़ाएं ताकि वह उनके भविष्य में काम आ सके।

हर बच्चा एम.ए. और बी.ए. कर लेता है और विधायक और मंत्रियों के पास चक्कर लगाता रहता है। कहता है, साहब, मैं तो बहुत गरीब हूं, मुझे कहीं नौकरी पर लगा दो। नौकरी पर क्या लगाओगे जब तक उसके अच्छे मार्क्स नहीं आते, नम्बर नहीं आते? अच्छे मार्क्स क्यों नहीं हैं? क्योंकि उसको अच्छी तरह से शिक्षा नहीं दी जाती है।

इसलिये मैं सरकार से प्रार्थना करती हूं कि मेरी बातों की ओर ध्यान दिया जाए। मैं इतना ही कहकर अपना स्थान ग्रहण करती हूं। धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री रमजान खान जी।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : सभापति महोदय, एक छोटी-सी बात कहूं। बजट की बहस बहुत महत्वपूर्ण होती है, मैंने कई बार देखा है वित्त मंत्रीजी की बात नहीं है, बजट की बहस के समय फाइनेंस डिपार्टमेंट के सीनियर आफिसर्स की उपस्थिति यहां पर एक आवश्यकता भी है और परंपरा भी है। लेकिन मुझे लगता नहीं।

हमने देखा है कि एफ.एस. यहां तीन दिन तक बैठा करते थे। यहां तो डिप्टी सैक्रेटरी, स्पेशल सैक्रेटरी, या दूसरे आफिसर्स नजर नहीं आ रहे हैं। इसलिए कृपया फाइनेंस डिपार्टमेंट की यहां उपस्थिति अनिवार्य करवाइये।

श्री सभापति : आपका कहना बिलकुल उचित है, मैं चाहूंगा कि सरकार आपके कहे अनुसार ध्यान दे।

श्री रमजान खान।

श्री रमजान खान (पुष्कर) : माननीय सभापति महोदय, सदन में वर्ष 2000-2001 के बजट पर बहस चल रही है, उसमें मैं भी अपने आपको शामिल करते हुए कुछ तथ्य आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी के सम्मुख रखना चाहूंगा। बधाई देता हूं, जल्दी घण्टी मत बजाना।

श्री सभापति : 15 मिनट तो कुछ नहीं होगा। 15 मिनट के बाद बजेगी, पहले नहीं बजेगी।

श्री रमजान खान : मेरा आपसे यह अनुरोध है कि बहुत ही महत्वपूर्ण बहस चल रही है। इस बहस के दौरान माननीय वित्त मंत्री जी को हाउस में रहना चाहिये था, परन्तु मैं देख रहा हूं करीब दो घण्टे हो गये, वित्त मंत्री जी यहां पर नहीं हैं। (व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा मायाराम (राज्य मंत्री, आयुर्वेद) : माननीय सभापति महोदय, मैं यहां मौजूद हूं। वे बिजनस की मीटिंग में गये हैं मैं इसलिये यहां मौजूद हूं।

श्री सभापति : माननीय राज्य मंत्री महोदया, आपने लक्ष्मण सिंह जी की बात सुनी होगी, उस पर भी ध्यान दीजिये।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : जी, उस पर पूरा ध्यान देंगे और अभी हम इस बात पर वित्त मंत्री जी के आते ही चर्चा करेंगे। (व्यवधान)

श्री रमजान खान : माननीय सभापति महोदय, जहां तक इस बजट का प्रश्न है यह बजट....

एक माननीय सदस्य : अभी उनको संदेश देकर बुलाया जाना उचित है।

श्री रमजान खान : राजस्थान की जनता को भ्रमित करने वाला बजट है।

श्री सभापति : सदन की भावना वहां तक पहुंच गई है और वे कार्यवाही करेंगे।

श्री रमजान खान : राजस्थान की जनता इस बजट के लिये जो आस लगाये बैठी थी, यह उनकी आशाओं पर पानी फेरने वाला बजट है। कांग्रेस के माननीय सदस्य गण वाह-वाही कर रहे हैं, इसके लिये तो उनको धन्यवाद है।

परन्तु मैं यहां पर आपके सामने तथ्य रखना चाहूंगा कि यह भ्रमित करने वाला बजट किस तरह है।

पिछले वर्ष 1999-2000 के बजट में अल्पसंख्यक आयोग के गठन की व्यवस्था की गई थी उसमें यह भी कहा गया था कि अल्पसंख्यक आयोग के माध्यम से वित्त निगम का गठन किया जाएगा और वित्त निगम के लिये तीन करोड़ रुपये का प्रावधान भी पिछले बजट में किया गया।

परन्तु मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि एक वर्ष बीत गया उन तीन करोड़ रुपये का कोई पता नहीं। एक पैसा उस वित्त निगम में नहीं आया, तो फिर यह भ्रमित करने वाला बजट नहीं है तो फिर क्या है ? इस वर्ष 2000-2001 के बजट में फिर वह का वही पैराग्राफ है जो 1999-2000 के बजट के अंदर था कि अल्पसंख्यक आयोग का गठन कर रहे हैं, वित्त निगम बना रहे हैं, तीन करोड़ रुपये का उसमें प्रावधान कर रहे हैं।

सेम टू सेम, आप देखें इस बजट में और उस बजट में कोई भी अंतर नहीं है। वह का वही पैरा वापस लिख दिया; लिखने की क्या जरूरत थी ? नकल कर ली। उसका कारण है कि इस राजस्थान में रहने वाला अल्पसंख्यक समुदाय बहुत भोला समुदाय है इसलिये वह देखता है कि कोई नई बात आई है। मगर 12 महीने इन्तजार करते रहे....(व्यवधान)

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : हम अपनी बात पर दृढ़ रहते हैं। (व्यवधान)

श्री रमजान खान : अगली बार भी यही मिलेगा; यह हकीकत है। अगली बार भी यही पैरा मिलेगा कि हमने वित्त आयोग का गठन कर दिया है। तीन करोड़ रुपये का प्रावधान कर दिया है और इन तीन करोड़ के अंदर दस्तकारों को, गरीब लोगों को, मजदूरों को ऋण दिया जाएगा। और फिर अल्पसंख्यक समुदाय इन्तजार करता रहेगा कि अभी तक वे तीन करोड़ रुपये आये ही नहीं। ये आएंगे कब सभापति महोदय ? आखिरी बजट में। आज मैं कह कर जा रहा हूं। (व्यवधान) वे आएंगे आखिरी बजट में अल्पसंख्यकों के वोट लेने के लिये।

मेरा निवेदन है कि गत बजट में वित्त मंत्री जी ने विश्वास दिलाया था कि अल्पसंख्यक आयोग को वैधानिक दर्जा देने के लिये इस सदन के अंदर बिल लाया जाएगा मगर 12 महीने के इंतजार करने के बाद भी अल्पसंख्यक आयोग को वैधानिक दर्जा देने के लिये किसी प्रकार का कोई बिल नहीं आया। जब तक अल्पसंख्यक आयोग को वैधानिक दर्जा नहीं है, उस आयोग का मतलब क्या है ? कुछ भी सिफारिशें लिखकर भेजें; सरकार बाध्य नहीं है कि उन सिफारिशों को माने या नहीं माने क्योंकि

(श्री रमजान खान)

अल्पसंख्यक आयोग वैध नहीं है। इसलिये सभापति महोदय, यह केवल भ्रमित करने वाला बजट है।

जहां तक वक्फ बोर्ड का सवाल है, इसकी हालत तो बहुत ही खराब है। पिछले टाइम में बजट में यह लिखा था....(व्यवधान) पिछले बजट में यह लिखा था कि राजीव गांधी स्वर्ण जयंती पाठशालाओं के साथ 619 मदरसों को भी वक्फ बोर्ड के माध्यम से वही सुविधा दी जाएगी जो राजीव गांधी स्वर्ण जयंती पाठशालाओं को दी जा रही है और इसके लिये दो करोड़ रुपये का प्रावधान भी किया।

इस बार, सभापति महोदय, इस बजट के अन्दर उस पैराग्राफ को वैसे का वैसा ही लिख दिया। फर्क सिर्फ इतना रखा है कि 619 मदरसों की जगह 600 मदरसे कर दिये। परंतु अभी तक उस राशि का कोई पता नहीं है। फरवरी महीने के अन्दर, इन्होंने वक्फ बोर्ड के अन्दर 78.6 लाख रुपये भेजे, उन 78.6 लाख रुपये का वितरण वक्फ बोर्ड कैसे करे; आज तक वक्फ बोर्ड की समझ में आया नहीं है इस लिये वह चैक वैसे के वैसे ही पड़ा हुआ है; उस चैक का अभी कहीं वितरण हुआ नहीं है।

अब ये किस तरह राजस्थान के अन्दर मदरसों का भला करना चाहते हैं, उनको तनख्वाह देना चाहते हैं, उनके भवनों की टूट-फूट ठीक कराना चाहते हैं? सभापति महोदय, यह अल्पसंख्यकों के साथ एक तरह का मजाक है। जहां तक वक्फ बोर्ड का प्रश्न है, सभापति महोदय, वक्फ बोर्ड को राजस्थान सरकार की तरफ से एक पैसा भी अनुदान का नहीं मिलता है, राज्य के खजाने से एक पैसा नहीं।

मुझे खुशी है कि वित्त मंत्रीजी पधार गये हैं, वित्त मंत्रीजी को कहना चाहूंगा कि हिन्दुस्तान में सभी राज्य वक्फ बोर्ड को कुछ न कुछ अनुदान अपने राजकोष से देते हैं, परंतु राजस्थान के अन्दर वक्फ बोर्ड को एक पैसा भी नहीं दिया जा रहा है। वक्फ बोर्ड की हालत इतनी बुरी है कि वह अपनी सम्पत्तियों के किराये से अपना काम चलाता है और मुश्किल से अपने कर्मचारियों को तनख्वाह दे पाता है।

श्री नाथूराम अहारी : आपने आठ साल में तो दिया है ना ?

श्री रमजान खान : मैं आठ साल का भी बता दूंगा। आठ साल में वक्फ बोर्ड में क्या पैसे लगाये; वह भी बता दूंगा। आठ साल के अन्दर पिछली शेखावत सरकार ने तो वहां पर ट्रिब्यूनल गठित कर दिया। ट्रिब्यूनल गठित करके प्रति माह 50 हजार रुपये का ट्रिब्यूनल का खर्चा राजकोष से दिया जाता है। यह पिछली सरकार ने किया है। अब बताओ आप ? (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य; बीच में न बोलें।

श्री रमजान खान : सभापति महोदय, वक्फ बोर्ड को माननीय वित्त मंत्रीजी बजट पर जवाब दें उस वक्त कुछ न कुछ अनुदान की घोषणा करें ताकि वक्फ बोर्ड का काम चलता रहे। आज वक्फ बोर्ड की स्थिति यह पहुंच गयी है कि 6-6 महीने से वक्फ बोर्ड के कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिली है और आज वे पेन-डाउन हड़ताल के ऊपर बैठे हुए हैं।

सभापति महोदय, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी ऐसी परिस्थिति कभी नहीं आयी कि वक्फ बोर्ड के कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिले। आज तो स्थिति यह है कि वक्फ बोर्ड के कर्मचारियों को छह महीने से तनख्वाह नहीं मिल रही है और आज वे हड़ताल पर बैठे हुए हैं।

इसलिये वक्फ बोर्ड के लिये कुछ करना चाहते हैं और वित्त मंत्रीजी ने बजट भाषण के जवाब के ऊपर राजस्थान के कोष में से वक्फ बोर्ड को कुछ न कुछ अनुदान अगर दिया तो मैं यह समझता हूं कि आप कुछ न कुछ अल्पसंख्यकों के लिये करेंगे वरना केवल लालीपाप पकड़वाने के अलावा कुछ भी नहीं है, सभापति महोदय।

दोनों ही बातों के लिए, अल्पसंख्यक आयोग के लिये और वक्फ बोर्ड के लिये जो पिछले बजट में प्रावधान किया था वह का वह पैराग्राफ इस 2000-2001 के बजट में रख दिया। अगर कहीं भी कुछ भी फर्क नजर आए तो। वित्त मंत्रीजी, ये दोनों ही किताबें मेरे पास पड़ी हुई हैं; कुछ भी फर्क नहीं है। इसको रिपीट करने की नये बजट में जरूरत क्या थी? मगर आपने अल्पसंख्यक समुदाय को गुमराह करने का यह काम किया है। मैं इसकी निन्दा करता हूं।

सभापति महोदय, इस बजट के अन्दर यह कहा गया है कि अतिक्रमण हटाने की राजस्थान की जनता ने बहुत प्रशंसा की है। स्वायत्त शासन मंत्रीजी यहां विराजमान हैं, सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि बहुत प्रशंसा की है इस बजट के अंदर आया है। कल भी मैं बोलना चाहता था अजमेर पर लेकिन कल जयपुर ही जयपुर के लिये बात हुई।

मैं आपके माध्यम से स्वायत्त शासन मंत्रीजी से कहना चाहूंगा कि अजमेर शहर के अन्दर भाकड़वाली रोड के ऊपर एक महीने पहले जिस ढंग से तोड़-फोड़ हुई है, मेरा ख्याल है कि जयपुर के अन्दर भी उसकी मिसाल नहीं मिलेगी। मंत्री महोदय, आपने कुछ न कुछ प्रक्रिया बनाई होगी कि नेशनल हाई-वे रोड से इतनी दूरी के ऊपर अतिक्रमण हटाएंगे।

आपने यह प्रक्रिया बनाई होगी कि स्टेट हाई-वे रोड से इतनी दूरी तक अतिक्रमण हटाएंगे, जिले की रोड से इतनी दूरी पर अतिक्रमण हटाएंगे। लेकिन अजमेर के अन्दर आपके यू.आई.टी. के कर्मचारियों और अधिकारियों ने, जिला प्रशासन के कर्मचारियों और अधिकारियों ने इसकी बिलकुल अनदेखी की है।

(श्री रमजान खान)

मैं आपको हकीकत कहता हूं, मंत्री महोदय, एक पंचायत को जोड़ने वाली माकड़वाली रोड पर 190 फीट की दूरी पर जाकर अतिक्रमण तोड़े हैं, 240 फीट की दूरी पर जाकर अतिक्रमण तोड़े हैं, मकान तोड़े हैं। मैंने जब जिला कलक्टर को यह कहा कि आप किस मापदण्ड के अनुसार यह तोड़फोड़ कर रहे हैं तो उन्होंने कहा कि हम रोड को चौड़ा कर रहे हैं। मैंने कहा 240 फीट जाकर आप रोड को चौड़ी करेंगे क्या? रोड आलरेडी चौड़ी है, उसके आसपास कहीं कोई मकान हो, कोई भवन हो या दुकानें हों तो उनको हटाओ, हम आपके साथ सहयोग करेंगे।

मगर 240 फीट की दूरी पर। मंत्री महोदय, एक स्कूल भवन था, उस स्कूल भवन के अन्दर बच्चे पढ़ते थे। प्राइवेट स्कूल भवन था, उसको हटा दिया आपके बुलडोजरों ने। अब इससे ज्यादा और क्या होगा। गरीब लोगों के मकान तोड़े गये। जब उन्होंने सेशन जज, अजमेर की अदालत में प्रार्थना की तो सेशन जज वहां पर मौका मुआयना देखने के लिये गये। एक गरीब महिला जिसका मकान तोड़ा गया, उसके पास कोई छत नहीं थी, मजबूर होकर सड़क के बीच में उसको अपनी प्रसूति करनी पड़ी, उस का बच्चा वहां सड़क के बीच में हुआ। अब इससे बुरी बात और क्या हो सकती है।

इसका गवाह मैं नहीं, वहां की जनता और सेशन जज, अजमेर है। अगर आप इसका पता लगाना चाहें तो पता लगा लीजिये। इस तरह का अत्याचार इस अतिक्रमण हटाओ के अन्दर हुआ है। दो तारीख को फिर लोहागढ़ रोड पर कार्यक्रम है। आपने एक सर्कुलर कल पढ़ा था जिसमें 15-16 नियम आपने बनाये थे।

मैं समझता हूं कि वे नियम आपने जिला कलक्टर, अजमेर को भेज दिये होंगे। मगर उन नियमों को अनदेखी करके दो तारीख रविवार के दिन लोहागढ़ रोड के ऊपर बिना बताये, बिना सूचना दिये सुबह छह बजे जाकर 47 दुकानों को तोड़ डाला। इससे क्या जाहिर होता है?

आप कहते हैं, हम पांच दिन की सूचना देंगे, हम अखबारों में निकालेंगे। यह कल्याणकारी शासन है या क्या है? आप कहते हैं कि आप पूरा का पूरा चिन्हित करेंगे और उनको बताकर करेंगे।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कल काफी इस पर विचार-विमर्श हो चुका था, इसको रिपीट न करके दूसरे बिन्दु उठाएं तो अच्छा रहेगा। वरना आपका समय है।

श्री रमजान खान : सभापतिजी, यह बजट में था इसलिये मैं कह रहा हूं।

श्री सभापति : मैं इसको इन्कार नहीं कर रहा हूं।

श्री रमजान खान : अजमेर की चर्चा हुई नहीं थी।

श्री सभापति : मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि दूसरे बिन्दु आपके रह जाएंगे समय अभाव के कारण से। और दूसरा मुझे कहीं कोई इसमें एतराज नहीं है।

श्री रमजान खान : नहीं, जयपुर की चर्चा हुई है। इस बजट के अन्दर तारीफ की गयी है इसलिये बोल रहा हूं। आज नहीं बोलने देते हैं अजमेर के बारे में, आपकी मर्जी की बात है। मैं 25 साल पहले की बात याद दिलाना चाहता हूं।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय स्वायत्त शासन मंत्रीजी को याद दिलाना चाहता हूं कि 25 वर्ष पहले इस देश में इमरजेंसी थी। स्वर्गीय श्रीमती इन्दिरा गांधी और स्वर्गीय श्री संजय गांधी फुल पावर में थे और उन्होंने सन 1976 के अन्दर तुर्कमान गेट पर इसी तरह बुल-डोजरों से गरीब लोगों की बस्तियां हटाई थीं। उस वक्त उनको कम से कम एक हजार प्रशंसा पत्र मिले थे।

मंत्री महोदय, आप तो कल 5-10 प्रशंसा पत्र ही पढ़कर सुना रहे थे। लोगों ने कहा कि बहुत अच्छा किया और बुलडो-जर चलाओ, और तोड़ो, बहुत अच्छा काम कर रहे हो। मगर उसका नतीजा क्या हुआ? दो-ढाई साल के बाद उसका नतीजा आपने देखा है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है।

सदन में आपके मार्फत मैं कहना चाहूंगा कि ये तारीफ वे लोग कर रहे हैं जो तमाशबीन हैं, वे तालियां बजा रहे हैं। जिन लोगों के दर्द हुआ है, जिन लोगों के मकान टूटे हैं, जो लोग बेसहारा हुए हैं उन लोगों के बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। वे दर्द नहीं भूलेंगे। ताली बजाने वाले भूल जाएंगे जो आप की तारीफ में आपको लैटर लिख रहे हैं, मगर जिनको दर्द हुआ है वे नहीं भूलेंगे।

इसलिये समय रहते इसका कुछ न कुछ इंतजाम करो और जो आपने कल घोषणा की है 15 नियमों की, उन नियमों के ऊपर कायम रहो। उन नियमों की क्रियान्विति कराओ, हम भी आपके साथ हैं।

अगर सड़क के किनारे से आप अति-क्रमण हटाते हो तो हम आपके खिलाफ नहीं हैं मगर आप अत्याचार करोगे तो मैंने आपको 25 साल पहले की घटना याद दिला दी है, वह की वह घटना आप लोगों के साथ हो जाएगी समय आने पर।

सभापति महोदय, यहां पर अकाल की चर्चा हुई। अकाल के बारे में बजट में कहा था कि अकाल में जन-हानि और पशुधन हानि नहीं होने देंगे। अब पशुधन हानि तो हो चुकी है और इतनी पशुधन हानि हुई है जिसका अन्दाजा नहीं लगा सकते। फिर यह सरकार कैसे कहती है कि पशुधन हानि नहीं होगी? कई लोगों ने अपने जानवर बेसहारा छोड़ दिये।

मेरे अजमेर जिले की बात कहता हूं कि कोई ऐसा गांव नहीं है जहां पर पचास सौ गायें इधर-उधर नहीं फिर रही हैं, जानवर नहीं फिर रहे हैं। मैं मेरे गांव की बात कह रहा हूं, सभापति महोदय, जो

(श्री रमजान खान)

सूनी गायें थीं; जो आवारा जानवर थे, वे तमाम के तमाम फसलों का नुकसान कर रहे थे। हम लोग अपने गांव के अंदर इकट्ठा होकर चंदा करके तीन-चार ट्रक में उन गायों को भरकर दूसरी सीमा में ठेठ भीलवाड़ा और चित्तौड़ छोड़कर आये और सभापति महोदय, आप कह रहे हैं कि पशुधन हानि नहीं होने देंगे। यहां पर आप कह रहे हैं कि जन हानि नहीं होने देंगे। जन हानि भी बहुत हुई है। कई लोगबाग भूख से मरे हैं।

गांव के गांव पलायन करके दिल्ली, अहमदाबाद और बम्बई साइड चले गये हैं। उनके बच्चे उनके साथ बहुत बुरी दशा के अन्दर गये हैं इसलिए जन हानि भी इसके अन्दर बहुत हुई है। आप यह कहते हो कि जन हानि और पशुधन हानि नहीं होने देंगे, वह तो हो चुकी है। आपने पंचायत चुनावों का बहाना बनाकर अकाल राहत कार्य खोले नहीं, लोग इन्तजार करते रहे।

जब मार्च के एंड में अकाल राहत कार्य खोले तो; सभापति महोदय, 60-60 आदमी लगाये और वहां झगड़ा खड़ा कर दिया। वे कहते हैं किसको रखें; पांच हजार की आबादी की ग्राम पंचायत में 60 आदमियों को आप लगा रहे हैं; 25 आदमियों को आप लगा रहे हैं। कैसे सरपंच उनको रखेगा और कैसे वे काम करेंगे? उलटा आपने झगड़ा खड़ा कर दिया।

अब आप कह रहे हैं कि चारा डिपो खोल दिये। वित्त मंत्रीजी ने यहां पर घोषणा की थी कि हमने बीस हजार रुपये के ब्याजमुक्त ऋण पंचायतों को दिये हैं। अजमेर जिले के अन्दर अभी एक भी ग्राम पंचायत को बीस हजार नहीं मिले हैं तो चारा कहां से लाएंगे? कल चौहटन से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि जो थोड़ा-बहुत चारा आ रहा है उसके अन्दर मिट्टी मिली हुई है। पानी छिड़क कर फिर बेचते हैं तो उसको जानवर खाते नहीं हैं। जहां तक श्रमिकों की मजदूरी का भुगतान है, सभापति महोदय, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि दो महीने तक कर्मचारियों की हड़ताल रही, दो महीने तक कर्मचारियों को जब तनख्वाह नहीं मिली तो उनकी क्या हालत हुई है, वह सब आप माननीय सदस्यगण जानते हैं।

परन्तु मैं बड़े खेद के साथ कहना चाहता हूं कि अकाल राहत कार्य पर जो श्रमिक लगते हैं उनको दो-दो; ढाई-ढाई, तीन-तीन महीने तक भुगतान नहीं होता है। अब वे अपने बाल-बच्चों का कैसे तो पालन-पोषण करें और क्या करें, कुछ समझ में नहीं आता है।

सबसे बड़ी विडम्बना; सभापति महोदय; यह हुई है कि पिछले फेमिन के टाइम की सामग्री के लाखों रुपयों का अभी तक इस सरकार ने भुगतान नहीं किया है। सरपंचों के माध्यम से काम करवाये गये थे। नये चुनाव हुए; सरपंच बदल गये, नये सरपंच आये और अब वे सामग्री के पैसे मांग रहे हैं, सरपंच वहां पर कहां से लाकर उस सामग्री के पैसे दे? आज भी लाखों-करोड़ों रुपये सामग्री के पैसे इस राजस्थान के अन्दर हर ग्राम पंचायत के बाकी हैं।

(श्री रमजान खान)

इसलिए मैं आपको यह निवेदन करना चाहूंगा कि अकाल राहत कार्य खोलने का ढिंढोरा पीट रहे हैं, वह बहुत गलत है।

अब आप कह रहे हैं कि पुराने कार्य इसके अन्दर पहले करवाये जाएं, अपूर्ण कार्य पहले कराये जाएं। अपूर्ण कार्यों में ज्यादातर रपटें, तालाब ऐसे हैं जहां पर सामग्री की जरूरत पड़ती है। आपने बंदिश लगा दी कि 25 प्रतिशत से ज्यादा सामग्री नहीं दे सकते। 25 प्रतिशत से ज्यादा सामग्री नहीं दे सकते तो अपूर्ण कार्य कैसे पूर्ण होंगे, समझ में नहीं आता है। नया काम कुछ ले नहीं सकते।

(समय समाप्ति-सूचक घण्टी)

आपको तो मैंने बधाई दी थी और आपने कहा था।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बीस मिनट हो गये हैं।

श्री रमजान खान : एक बात की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित कर दूं। मैं यह महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं, आंकड़ों में नहीं जा रहा हूं। सभापति महोदय, मैं इस तरह की बातें सदन के सामने रख रहा हूं जो वास्तविक बातें हैं।

मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि पिछले बजट के अन्दर विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम के लिए 25 लाख रुपये की घोषणा की गयी थी। इसके लिए तो सरकार को धन्यवाद है, मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद है, वित्त मंत्रीजी को धन्यवाद है परंतु वे 25 लाख रुपये एक साल के अन्दर अभी तक भी जिला हैडक्वार्टर पर पहुंचे ही नहीं हैं। साढ़े बारह लाख रुपये भेजे हैं। अब इसमें क्या कंजूसी की है? हम कोई कार्य लिखकर देते हैं तो वे कहते हैं कि अभी तक तो पैसे ही नहीं आये। कार्य मंजूर कर दिये कलेक्टर ने और पैसे आये ही नहीं हैं। आप विधायक फण्ड के पैसे भी पूरे नहीं भेज सकें तो फिर आप क्या करेंगे?

दूसरी बात, इस विधायक फंड के लिए आपने दो एजेंसी बना दीं। एक डी.आर.डी.ए. का प्रोजेक्ट डाइरेक्टर को आपने स्वीकृति के लिए बना दिया और पैसे भेज रहे हैं जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को वह पैसे का अलाटमैंट करेगा। ये दो एजेन्सी एक साथ होने की वजह से, सभापति महोदय, बहुत तकलीफ हो रही है। चाहे आप जिला परिषद को रखो या चाहे डी.आर.डी.ए. को रखो मगर करो तो एक ताकि उसके अन्दर व्यवधान तो पैदा नहीं हो।

साढ़े बारह लाख रुपये जो विधायक फण्ड की राशि बकाया है इसको तत्काल भेजो। मेरी ग्यारह महीने पहले की स्वीकृतियां हुई हैं, मुझे विश्वास था, मैंने गांव में जाकर कह दिया कि आपके यह करवाऊंगा, आपके यह करवाऊंगा परंतु दुर्भाग्यवश कहना पड़ता है कि वह वैसी की वैसी बात रह गयी और कुछ नहीं करवा सके।

(श्री रमजान खान)

जहां तक पेयजल का इस प्रदेश में प्रश्न है, मैं इस सम्बन्ध में तो पी. एच. ई. डी. मंत्रीजी की तारीफ करना चाहूंगा कि जहां तक सम्भव हो सका इन्होंने बहुत कुछ सम्भाला है। इन्होंने पुष्कर सरोवर के अन्दर जो मछलियों का जीवन संकट में पड़ गया था, उसके लिए तत्काल 18 लाख रुपये की एक योजना स्वीकृत की है, परन्तु मंत्री महोदय, आपके अधिकारी उस योजना की क्रियान्विति नहीं कर रहे हैं।

कह रहे हैं कि बिजली का बिल कौन देगा। एक धार्मिक स्थल है, अगर विभाग ही उस धार्मिक स्थल के लिए बिजली का बिल दे दे तो कोई बड़ी बात नहीं है। आप निर्देश दें आपके विभाग के लोगों को कि जो आपने स्वीकृति 18 लाख रुपये की पुष्कर सरोवर के जल को बनाये रखने के लिए दी है, उसके ऊपर कार्य किया जाए।

सभापति महोदय, जहां तक पर्यटन विभाग का सवाल है, बजट में मंदिर, महल छतरियों, काम्प्लैक्स वगैरह तो ले लिये सब कुछ। इसके लिए मेरा कोई विरोध नहीं है मगर मैं आपके माध्यम से यह अर्ज करना चाहता हूं कि जो चीज लेनी चाहिए थी उस विश्वविख्यात तीर्थराज पुष्कर का इसमें कहीं कोई नाम नहीं है। अजमेर शहर के अंदर ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह है, इसके अन्दर उसका कहीं नाम नहीं है।

मैं बड़े गर्व के साथ कहना चाहता हूं, सभापति महोदय, पिछली भैरोंसिहजी शेखावत की सरकार ने हर बजट के अन्दर गरीब नवाज की दरगाह के लिए कभी सात करोड़, कभी 18 करोड़, 16 करोड़ और तीर्थराज पुष्कर के लिए कभी चार करोड़, कभी नौ करोड़ की व्यवस्था वहां पर की थी, परन्तु यह सरकार तो तीर्थराज पुष्कर को और ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह शरीफ को बिलकुल ही भूल गयी। एक पैसे का भी कहीं भी वास्ता उसमें किया नहीं है।

(समय समाप्ति-सूचक घण्टी)

सभापति महोदय, दो मिनट में मैं मेरी बात खतम करूंगा। मेरा निवेदन है, वित्त मंत्री जी, जब बजट भाषण में आप जवाब दें तो कृपया विश्वविख्यात तीर्थराज पुष्कर के लिए और ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह के लिए कुछ न कुछ राशि का आबंटन करें।

सभापति महोदय, इसके साथ ही मेरा निवेदन है कि प्रशासनिक सुधार आयोग ने जो सिफारिशें की हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण सिफारिशें हैं, बहुत ही अच्छी सिफारिशें हैं। अगर सभापति महोदय, इसमें से एक सिफारिश ही मान ली जाए कि जो गांवों के अन्दर कर्मचारी लगे हैं–चाहे अध्यापक हो पानी भरने वाला श्रमिक हो, पटवारी हो, ग्राम-सेवक हो, डाक्टर हो, इनके वेतन का भुगतान जब तक ग्राम पंचायत सर्टिफिकेट नहीं दे तब तक नहीं करें तो मैं समझता हूं कि गांव की स्थिति बहुत सुधर सकती

(श्री रमजान खान)

है और इसका बहुत बड़ा फायदा हमें मिल सकता है।

नगरा विकास कार्यक्रम आपने बताया, बहुत ही खुशी की बात है परंतु अरावली फोरेस्ट्री प्रोजेक्ट के अंदर पुष्कर को शामिल नहीं किया गया है जबकि पुष्कर चारों तरफ से अरावली पहाड़ियों से घिरा हुआ है। हर वर्ष सैकड़ों टन मिट्टी तीर्थराज पुष्कर सरोवर के अन्दर आती है जो धीरे-धीरे उसके स्वरूप को खतम करती जा रही है।

इसलिए मेरा निवेदन है कि नगरा विकास कार्यक्रम में और फोरेस्ट्री प्रोजेक्ट में तीर्थराज पुष्कर और उसके गांव को भी सम्मिलित किया जाए।

इसी तरह मरू विकास योजना आपने बजट में बतायी है। मरू विकास योजना के अन्दर पहले पुष्कर शामिल था। आज नागौर जिले से रेत उड़-उड़कर ठेठ अजमेर के पास पहुंच गयी है।

सभापति महोदय, आप कभी अजमेर शरीफ पधारें और आनासागर की पाल के ऊपर खड़े होकर देखें तो आपको सामने वाली पहाड़ियों के अन्दर टीबे की रेत नजर आएगी। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस पुष्कर के एरिया को भी मरू विकास कार्य में शामिल किया जाए।

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें, आधा घण्टा हो गया।

श्री रमजान खान : आधा घण्टा तो कहां हो गया ?

श्री सभापति : आप दो मिनट में समाप्त कीजिए।

श्री रमजान खान : जहां तक सड़कों की मरम्मत का सवाल है, सभापति महोदय, पैरा 49 में 30 करोड़ रुपये सड़कों की मरम्मत के लिये रखे हैं। पिछले वर्ष भी सड़कों की मरम्मत के लिए बहुत बड़ी राशि रखी गयी थी।

मेरे बारबार विधान सभा में क्वेश्चन करने के बाद भी अधिकारियों को कहने के बाद भी और जिला कलेक्टर को बारबार चिट्ठी लिखने के बाद भी पुष्कर विधान सभा क्षेत्र की सड़कें जो पीसांगन से और पुष्कर से इधर उधर निकलती हैं, एक सड़क की भी मरम्मत नहीं की गयी है।

मैं बड़े दुःख के साथ कहना चाहता हूं नई सड़कें तो खैर हमें बनाकर देओगे ही नहीं, परंतु पुरानी सड़कों की तो कम से कम मरंमत हो। इसके लिए आपके माध्यम से पी.डब्ल्यू.डी. मंत्रीजी से भी निवेदन करना चाहूंगा।

इसके साथ-साथ ए.डी.बी. (एशियन विकास बैंक) की योजना के तहत अजमेर शहर को शामिल किया गया। सभापति महोदय, एक बहुत महत्वपूर्ण मामला है, इसके अन्दर पूरा अजमेर नगर परिषद एरिया आता है। अजमेर शहर के चारों तरफ कम से कम 49 गांवों को नगर परिषद में मिला लिया, पैराफेरी एरिये के

(श्री रमजान खान)

अंदर वह आ गया। अब वहां पर आबादी भूमि के लिये आप कोई जमीन देते नहीं हो। उन गांवों की तरफ न तो पंचायत समिति देख पाती है और न नगर परिषद देख पाती है, क्योंकि वह बहुत दूर है।

इस ए.डी.बी. योजना के तहत जब अजमेर के बारे में डिस्कस हुआ था; अधिकारियों ने ही बैठकर सब कुछ डिस्कस कर लिया। वहां के जन प्रतिनिधियों को बुलाना चाहिये, एम.एल.एज को बुलाना चाहिये कि कहां पर जरूरी काम है; कहां पर जरूरी काम खोलने चाहिये। उसके हिसाब से हम अपनी अभिशंसा देते और उस हिसाब से विकास के कार्य करने चाहिये। बहुत बड़ी योजना है।

श्री शांति कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन मंत्री) : माननीय सदस्य, आपको जानकारी नहीं है और आप गलत तथ्यों पर बोल रहे हैं। तत्कालीन वीर कुमारजी जो सभापति थे; उनके साथ ए.डी.बी. के मामले में दो बार बैठकें हुई और दोनों एम.एल.एज. जो आपके अजमेर को बिलांग करते हैं, उनके साथ तीन बार बैठकें हुई। (व्यवधान) सुनिये मेरी बात। तब जाकर आपका ए.डी.बी. का अजमेर प्रोजेक्ट फाइनल किया गया है।

श्री रमजान खान : मैंने आपको पहले भी निवेदन किया था कि 49 गांव पुष्कर विधान सभा क्षेत्र के इस अजमेर नगर परिषद की सीमा में मिले हुए हैं; पेरीफेरी में मिलाए हुए हैं। तो अब पुष्कर के विधायक को भी इस मीटिंग में आमन्त्रित करना चाहिये या नहीं करना चाहिये, यह मैं पूछना चाहता हूं आपको ? मैं भी नगर परिषद, अजमेर का सदस्य हूं इसलिए मुझे भी आमन्त्रित करना चाहिये था।

श्री सभापति : चलिये, आगे चलिये।

श्री रमजान खान : इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस ए.डी.बी. योजना का पुनरीक्षण करें और उसमें मेरी भी अभिशंसा को जोड़ने का आप कष्ट करें ताकि पुष्कर विधान सभा के भी कुछ गांव उसमें सम्मिलित किये जा सकें।

(समय समाप्ति-सूचक घण्टी)

शिक्षा का मामला है, सिर्फ एक मिनट शिक्षा के लिये कह दूं। अभी आपने बहुत-सी मिडिल स्कूलों की घोषणा की; सीनियर सैकण्डरी और माध्यमिक विद्यालयों की घोषणा की।

पिछली बार हमने लिखकर दिया कि हमारे यहां तीन–चार मिडिल स्कूल खोलो। पिछले टाइम में एक हजार स्कूलें खोली गयीं और मुझे सदन में कहते हुए बड़ा दुःख होता है कि पंचायत राज मंत्रीजी ने यह कहा कि लोक सभा के चुनाव हो रहे हैं; आप लोक सभा चुनाव में हमारे उम्मीदवार की मदद करोगे क्या तो यह स्कूल खोलते हैं। ईमानदारी की बात है, पंचायत राज मंत्रीजी यहां पर हैं नहीं; नहीं तो मैं उनके समक्ष कहता। क्या आप राजनीतिक

(श्री रमजान खान)

आधार पर ये स्कूल खोल रहे हो ? इससे बुरी बात और क्या हो सकती है ? मैंने कहा कि वोटों की राजनीति यहां मत करो, कम से कम दो–तीन-चार स्कूल तो हमें भी दो।

श्री मदन दिलावर : समापति महोदय, यह ब्लैकमेलिंग है। यह बिलकुल अवमानना है।

(समय समाप्ति-सूचक घण्टी)

श्री रमजान खान : तो उन्होंने यह कहा, समापति महोदय, कि मैं मुख्य मंत्री जी से पूछूंगा। स्कूल खोलने के लिये मुख्य मंत्री जी से पूछना, आखिरकार हम भी विधायक हैं। वह जनता भी आपकी ही जनता है और उस जनता के लिये अगर आप स्कूल नहीं खोलते हैं तो फिर मैं यह समझता हूं कि यह भेदभाव है। आप बार-बार घंटियां बजा रहे हैं इसलिए मैं ज्यादा आपका समय नहीं लेकर आपको धन्यवाद देता हूं और इस भ्रमित बजट का सख्त विरोध करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय श्री हेमन्त कुमार यादव।

श्री हेमन्त कुमार (दीगोद) : आदरणीय समापति महोदय, हमारे वित्त मंत्री महोदय ने जो बजट पेश किया इसके लिए मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूं। किसानों के हित में अच्छा बजट यहां रखा गया, बहुत ही प्रशंसनीय है। राजस्थान की तीन चौथाई जनता गांवों में निवास करती है, तीन चौथाई जनता का संबंध गांवों से है।

कृषि विकास के लिये सरकार ने 129 करोड़ 10 लाख रुपये का प्रावधान किया है, यह बहुत ही प्रशंसनीय है। किसानों का संबंध फसल पैदा करने से है, जब तक अधिक पैदावार नहीं होगी, किसान आगे नहीं बढ़ सकता। इसके लिये सरकार ने 4 लाख 40 हजार क्विंटल प्रमाणित बीज की व्यवस्था की। प्रमाणित बीज से हमारी पैदावार बढ़ेगी और किसान आगे बढ़ेगा।

सरकार ने ग्राम विकास के लिये गांवों के हर व्यक्ति को भागीदार बनाने के लिये मीटिंग की व्यवस्था की। पहले पंचायत की मीटिंग पंचायत मुख्यालय पर होती थी और एक पंचायत पर पांच-छह गांव होते हैं तो कई गांव इससे महरूम रह जाते थे। सरकार ने एक नई व्यवस्था की कि हर वार्ड के अंदर पंचायत की मीटिंग हुआ करेगी जिससे उस गांव के, उस वार्ड के व्यक्ति भी उस मीटिंग में शरीक होंगे और विकास में भागीदार बनेंगे। एक बहुत ही अच्छी चीज हमारे मुख्य मंत्रीजी ने रखी है।

आदरणीय सभापति महोदय, गांवों के अंदर पानी का स्तर दिनों-दिन गिरता जा रहा है। पानी का दोहन किया जा रहा है लेकिन उसका समुचित उपयोग नहीं हो पा रहा है, काफी पानी व्यर्थ में बेकार जला

(श्री हेमन्त कुमार)

जाता है। इसके लिये सरकार ने बजट के अन्दर बूंद-बूंद सिंचाई पद्धति पर अधिक जोर दिया है। बूंद-बूंद सिंचाई के द्वारा पानी का समुचित उपयोग हो पाएगा और कम पानी के अन्दर किसान अधिक पैदावार ले पाएगा। इसके लिये सरकार ने दो करोड़ 60 लाख रुपये का प्रावधान रखा है, यह बहुत ही प्रशंसनीय है। इस पद्धति से करीब 600 हैक्टेयर अधिक जमीन के अंदर पैदावार हो पाएगी।

आदरणीय सभापति महोदय, गांव के अंदर गरीब किसान हैं, छोटे किसान हैं, तो उनके पास अधिक जमीन नहीं है। कम भूमि के अंदर अधिक से अधिक आमदनी कैसे अर्जित की जाए इसके ऊपर भी हमारी सरकार ने बजट में ध्यान दिया है। कम भूमि के अंदर नई फसल गेहूं, चना इसको छोड़कर मसाला या दूसरी सब्जी वगैरह पैदा करके किसान अधिक से अधिक पैदावार करके अधिक से अधिक आमदनी अर्जित करे, इसका भी सरकार ने ध्यान रखा है। इसके लिये सरकार ने बजट के अंदर लक्ष्य निर्धारित किये हैं जो बहुत ही प्रशंसनीय हैं।

आदरणीय सभापति महोदय, ग्राम स्वराज से बेरोजगारी को दूर करने के लिये सरकार ने 227 करोड़ 82 लाख रुपये का प्रावधान रखा है। इससे गांव के अंदर जो बेरोजगार व्यक्ति हैं उनको रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा और गांव का विकास किया जाएगा।

गांव के अंदर पीने के पानी की गंभीर समस्या रहती है। हैण्ड पम्प स्थायी समस्या नहीं है। जो परम्परागत स्रोत हैं जैसे कुए बावड़ी, पोखर, तालाब वगैरह, इनका जब तक जीर्णोद्धार नहीं किया जाएगा, इनको वापस सही स्थिति में नहीं लाया जाएगा तब तक पानी की हमारी समस्या स्थायी रूप से दूर नहीं होगी। इसके लिये सरकार ने प्रावधान रखा है। (व्यवधान) नहीं, इसीलिए तो समस्या आ रही है। आज बार-बार-जगह-जगह हैण्ड पम्प खराब हो रहे हैं। हैण्ड पम्प स्थायी समाधान नहीं है।

मेरा इसमें सुझाव है कि सरकार बड़े कस्बों के अंदर ओवर हैड टैंक बनाए उससे पानी की व्यवस्था करे जिससे कि बार-बार हैण्ड पम्प खराब होने की ओर पानी की समस्या से निजात पायी जा सके।

सरकार ने इस बजट के अंदर एक नई व्यवस्था रखी है। पंच, सरपंच, प्रधान चुनकर आते हैं लेकिन इनको विकास के बारे में कोई ज्यादा जानकारी नहीं होती। सरकार ने एक लाख 20 हजार में जन–प्रतिनिधियों को बेहतर प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की है। इसकी व्यवस्था पंचायत और पंचायत समिति मुख्यालय पर की गयी है। हमारे जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं पंच–सरपंच और प्रधान, ये गांव का अच्छा विकास कर सकें, विकास में भागीदार हो सकें, इसलिए इस प्रशिक्षण से काफी फायदा होगा और गांवों के विकास में पंच और सरपंच मुख्य भागीदार हो सकेंगे। इसके लिए भी मैं हमारे वित्त मंत्री महोदय को धन्यवाद देता हूं।

(श्री हेमन्त कुमार)

आदरणीय सभापति महोदय, सिंचाई के लिए 332 करोड़ 69 लाख रुपये का जो प्रावधान किया है, इससे 21500 हैक्टेयर अतिरिक्त भूमि में सिंचाई हो पाएगी। इसमें मेरा वित्त मंत्रीजी से विशेष अनुरोध है। कोटा के अन्दर जो चम्बल सिंचाई योजना है इसके बारे में जैसी हमारी मांग थी वैसा उन्होंने प्रावधान नहीं किया है। सिंचाई मंत्रीजी, अभी सिंचाई का समय आया, फसल तैयार हो रही थी लेकिन चम्बल नहरों की समुचित व्यवस्था नहीं हो रही है। गत 8-9 साल से उसकी मरम्मत का काम, उसकी देखभाल का काम बिलकुल नहीं हो पाया था। अभी जब नहरों के अन्दर पानी छोड़ा गया तो जगह-जगह से नहरें टूट गयीं और समय पर किसानों को पानी नहीं मिल पाया।

इसके लिए वित्त मंत्री महोदय से विशेष अनुरोध करता हूं कि सिंचाई मंत्रीजी से सम्पर्क करके अधिक से अधिक बजट का चम्बल की नहरों के लिए प्रावधान किया जाए। नहरों की व्यवस्था नहीं हुई, नहरों की मरम्मत नहीं हुई तो किसानों को दोहरा नुकसान उठाना पड़ रहा है। पानी नहर में छोड़ा जाता है और नहर की सफाई नहीं है, सिल्ट आयी हुई है, उसमें पेड़-पौधे उगे हुए हैं तो हैड पोर्शन है उसमें तो पानी ओवरफ्लो होकर बोई हुई फसल को नष्ट करता है और दूसरी तरफ वही पानी टेल पोर्शन पर नहीं पहुंच पाता जिससे पानी के अभाव में किसान की फसल नष्ट होती है।

इसलिए मेरा वित्त मंत्रीजी से विशेष अनुरोध है कि चम्बल की नहरों के रख-रखाव के लिए अधिक से अधिक राशि का प्रावधान किया जाए जिससे इस क्षेत्र के किसान अच्छी फसल पैदा कर सकें और विकास में भागीदार हो सकें। वित्त मंत्री जी, मैं विशेष अनुरोध करता हूं कि सिंचाई के लिए नहरों की मरम्मत पर विशेष ध्यान दें क्योंकि पिछले साल किसानों को समय पर पानी उपलब्ध नहीं होने के कारण भारी हानि उठानी पड़ी है।

आदरणीय सभापति महोदय, गांवों के अन्दर पेयजल की आपूर्ति के लिए 1230 करोड़ 79 लाख रुपये जो सरकार ने रखे हैं, यह बहुत ही अच्छा है और मैं इसके लिए वित्त मंत्रीजी को धन्यवाद देता हूं।

आदरणीय सभापति महोदय, वन विकास के लिए सरकार ने 101 करोड़ 35 लाख रुपये का प्रस्ताव रखा है। इस विषय में मेरा विशेष अनुरोध है। अगर हम सरकार के शुरू से आखिर तक आंकड़ों को देखें तो राजस्थान में इतने पेड़ लग चुके हैं कि शायद एक इंच जमीन भी बिना पेड़ के नहीं मिलेगी सरकारी आंकड़ों के हिसाब से, लेकिन वस्तु स्थिति यह नहीं है। पेड़ लगाये जाते हैं लाखों की तादाद में लेकिन बरसात के बाद आप देखिये कि वहां पेड़ों का नामोनिशान भी नहीं रहता।

चाहे पेड़ कम लगाये जाएं लेकिन जो पेड़ लगाये जाएं वे जीवित रहें तब तो वन विभाग पर जो हमारा पैसा खर्च किया जा रहा है उसका सदुपयोग होगा।

(श्री हेमन्त कुमार)

केवल आंकड़े उपलब्ध करा दें कि हमने इतने लाख पेड़ या इतने करोड़ पेड़ लगा दिये, इससे वन विभाग की जो समस्या है और जो दिनों-दिन रेगिस्तान का इलाका बढ़ता जा रहा है, उस समस्या से हम निजात नहीं पा सकेंगे। तो मेरा वन मंत्री से विशेष अनुरोध है कि पेड़ लगाने के साथ-साथ उन पेड़ों को जीवित रखा जाए, इस पर भी पूरा ध्यान दिया जाए।

सभापति महोदय, कृषि विपणन बोर्ड द्वारा 116 करोड़ 44 लाख रुपये सम्पर्क सड़कों के लिए रखे गये हैं लेकिन इसमें भी कृषि विपणन बोर्ड ने कुछ नियम बना रखे हैं। एक नियम यह है कि जहां पर 1000 की आबादी होगी 1991 के हिसाब से, उन गांवों को सम्पर्क सड़क से जोड़ा जाएगा या पंचायत मुख्यालय को जोड़ा जाएगा। कई ऐसे गांव हैं जहां की आबादी 900 या 800 है, उन गांवों को सम्पर्क सड़क से नहीं जोड़ा जा रहा। कई ऐसे भी गांव हैं जहां पर आवागमन का कोई साधन नहीं है।

मेरा कृषि विपणन मंत्री महोदय से अनुरोध है कि इस नियम को हटाया जाए और जहां आवश्यक हो उस गांव को सम्पर्क सड़क से जोड़ा जाए। जब तक सड़क का साधन नहीं होगा उस गांव के अन्दर विकास का कोई फायदा नहीं है।

सभापति महोदय, सांगोद के अन्दर सड़कों की ऐसी दुर्दशा है कि मेरे ख्याल से कई वर्ष हो गये सड़कों की मरंमत हुए। पी.डब्ल्यू.डी. द्वारा गत वर्ष भी हमें आश्वासन दिया गया था कि सड़कों की मरंमत की जाएगी लेकिन सांगोद और सुल्तानपुर पंचायत समिति की सड़कों की इतनी दयनीय स्थिति है कि वहां पर रोजाना कई दुर्घटनाएं होती हैं। देवली से लेकर कनवास तक की सड़क की तो यह स्थिति है कि वहां डामर नाम की कोई चीज नहीं है, आवागमन के लिए सड़क नाम की चीज ही नहीं है। (व्यवधान) धुलेट भी उसी में आ गयी। धुलेट है, वफ़ावर की तरफ है; कई सड़कें ऐसी हैं उस क्षेत्र की जिन पर सरकार ने बिलकुल भी ध्यान नहीं दिया।

मेरा पी.डब्ल्यू.डी. और कृषि विपणन मंत्री महोदय से अनुरोध है कि कोटा क्षेत्र की सड़कों पर विशेष ध्यान दिया जाए। किसान अपनी फसल पैदा करता है उसको मंडी तक लाना मुश्किल होता है और उसकी फसल का समय पर जो उचित मूल्य मिलना चाहिए वह नहीं ले पाता।

सभापति महोदय, हाड़ौती क्षेत्र पर्यटन के लिए काफी समृद्ध क्षेत्र है। इसके अन्दर कई किले हैं। भंड देवरा एक प्राचीन स्थान है रामगढ़ के अन्दर जिसका पर्यटन के लिए काफी विकास किया जा सकता है और भी हैं।

कई ऐसे स्थान हैं, अगर उनका विकास किया जाए तो हाड़ौती भी पर्यटन के लिए एक अच्छा केन्द्र हो सका है। आज विदेशी मुद्रा अर्जित करने के लिए हमारे देश के अन्दर पर्यटन को उद्योग की तरह माना जा रहा है। मेरा वित्त मंत्री जी से और पर्यटन मंत्री जी से अनुरोध है कि

(श्री हेमन्त कुमार)

कोटा क्षेत्र को भी पर्यटन के लिए डवलप किया जाए।

सभापति महोदय, नगर के विकास के लिए कल इस विषय में काफी चर्चा हुई। केवल जयपुर शहर ही नहीं हमारे प्रदेश के अन्य कई शहर हैं जिनके अन्दर अतिक्रमण की बाढ़-सी आई हुई है। अतिक्रमण को रोकने के लिए सरकार समुचित ध्यान दे।

हमारे स्वायत्त शासन मंत्री श्री धारीवालजी हैं, मैं उनको विशेष धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने आपरेशन पिंक जयपुर के अन्दर अपनाया। या तो स्वतंत्रता के पहले जयपुर के शहर को सजाने और संवारने में मिर्जाइस्माईल ने रुचि ली या उसके बाद में आज रुचि लेकर इस कांग्रेस सरकार के समय अशोकजी और धारीवालजी ने जयपुर शहर को सजाया और संवारा है।

श्री मदन दिलावर : मुगलों ने किया।

श्री हेमन्त कुमार : नहीं, मुगलों ने तो बनाया था। नहीं, ऐसी बात नहीं है। जयपुर को सजाया-संवारा उसके लिए हमारे स्वायत्त शासन मंत्रीजी को मैं विशेष धन्यवाद देता हूं।

सरकार ने प्रदेश के छह बड़े शहरों-जयपुर, उदयपुर, कोटा, जोधपुर, अजमेर और बीकानेर के विकास के लिए 1529 करोड़ रुपये की जो योजना स्वीकृत की है उसके लिए मैं वित्त मंत्री महोदय का हार्दिक दिल से आभार प्रकट करता हूं। जब तक इन शहरों का विकास नहीं होगा, गंदी बस्तियों का विकास नहीं होगा–दिनों-दिन शहर विकसित हो रहे हैं, गांवों की आबादी शहरों में आ रही है, आबादी का प्रसार बढ़ रहा है, इनकी समुचित व्यवस्था नहीं की गयी तो वे शहर नहीं होकर नर्क के समान हो जाएंगे। सरकार ने इन शहरों के सौन्दर्यीकरण के लिए जो राशि उपलब्ध करायी है इसके लिए मैं वित्त मंत्रीजी का बहुत आभारी हूं।

हमारे बजट में सरकार ने 10 लाख रुपये का प्रावधान रखा है बाल विवाह की रोकथाम और महिला विकास के लिए। राजस्थान के अन्दर एक बड़ी कुरीति है बाल विवाह, इसके लिए सरकार ने जो योजना रखी है ...

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : सामूहिक विवाह।

(15.00 बजे)

श्री हेमन्त कुमार : मेरी बात तो सुनिये आप। बाल विवाह जो कुरीति है इसको दूर करने के लिए सामूहिक विवाह के लिए 10 लाख रुपये हैं। सामूहिक विवाह की जो कमेटी होती है, एक जिम्मेदार कमेटी होती है। उस कमेटी द्वारा छोटे बच्चों की शादी की अनुमति नहीं दी जाती। अभी बाल विवाह का कारण क्या है? माता-पिता मिलकर छोटे बच्चों की शादी कर देते हैं।

(श्री हेमन्त कुमार)

सामूहिक विवाह की योजना के तहत सरकार द्वारा दस लाख रुपये प्रोत्साहन स्वरूप देने का जो निर्णय है उसमें अब कोई बाल विवाह नहीं कर पाएगा । और हम बाल विवाह को रोक पाएंगे । दस लाख रुपये सरकार ने रखे हैं इसके अन्दर, शुरूआत बहुत अच्छी है, इसके लिए मैं वित्त मंत्रीजी को धन्यवाद देता हूं ।

सभापति महोदय, सभी सरकारें चाहे कांग्रेस की हों चाहें बी.जे.पी. की हों, उनके लिए परिवार नियोजन एक बड़ी समस्या है । जनसंख्या इस तरह बढ़ती जा रही है कि हर सरकार, हर पार्टी इसको महसूस करती है । आज सरकार की जितनी भी विकास की योजनाएं हैं, सुरसा के मुंह की तरह जनसंख्या बढ़ती जा रही है तो इससे विकास की योजनाओं का कोई असर जनता को महसूस नहीं होता ।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कृपया समाप्त कीजिए ।

श्री हेमन्त कुमार : हमारी स्वर्गीय प्रधान मंत्री इन्दिरा गांधी ने इस पर विशेष रुचि लेकर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया था लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि धार्मिक भावनाओं को बीच में लाकर उस कार्यक्रम को वहीं पर रोकने का प्रयत्न किया गया ।

हालांकि पार्टी को इससे नुकसान उठाना पड़ा लेकिन यह एक ऐसी योजना थी; कि बी.जे.पी. के समय माननीय भैरोंसिंहजी मुख्य मंत्री महोदय जब थे उन्होंने भी इस चीज को महसूस किया कि जब तक परिवार नियोजन पर ध्यान नहीं दिया जाएगा, जनसंख्या की वृद्धि पर रोक नहीं लगायी जाएगी, हम जितना विकास करते हैं वह सारा विकास नगण्य रहेगा ।

श्री सभापति : कृपया समाप्त कीजिए।

श्री हेमन्त कुमार : सभापति महोदय, पिछली सरकार ने चुंगी समाप्त की । नगरपालिकाओं की स्थिति इतनी खराब हो गयी है कि आज वे पंगु हो गयी हैं, सरकार की तरफ देख रही हैं कि सरकार हमें कुछ राशि दे ।

मेरा अनुरोध है चुंगी पुनः चालू की जाए । चुंगी चालू करने से हमारी जो स्वायत्त संस्थाएं हैं, नगरपालिकाएं हैं, वे अपने पैरों पर खड़ी होंगी । अपना खर्चा, अपनी व्यवस्था और अपना विकास वे स्वयं कर पाएंगी । मेरा वित्त मंत्री महोदय से अनुरोध है कि चुंगी जो खत्म की है उसे पुनः चालू किया जाए ।

श्री सभापति : बहुत-बहुत धन्यवाद । श्रीमती पूनम गोयल । हो गया । बहुत हो गया । समय सीमा का कृपया ध्यान रखें ।

श्री हेमन्त कुमार : सभापति महोदय, आपने मुझे समय दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद । मैं वित्त मंत्री महोदय को बहुत धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने बहुत अच्छा बजट पेश किया । जिस प्रकार से

(श्री हेमन्त कुमार)

सूर्य उदय होता है लेकिन सूर्य उदय को कुछ पक्षी देख नहीं पाते, उनको अंधेरा ही पसन्द है इसी तरह से हमारे जो विरोधी भाई हैं, जो बजट अच्छा आया है, उसको नहीं देख पा रहे हैं। उसकी आलोचना कर रहे हैं। धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीया श्रीमती पूनम गोयल।

श्रीमती पूनम गोयल (लाडपुरा) : माननीय सभापति महोदय, माननीय वित्त मंत्री महोदय द्वारा इतनी विषम आर्थिक परिस्थितियों में ऐसा संतुलित बजट पेश करने पर, जिसमें अमीरों से थोड़ा-सा लेकर गरीबों और किसानों को विकास के कार्यक्रम दिये हों, बहुत-बहुत बधाई देती हूं। जहां राजस्थान की सारी जनता और माननीय सदस्य भी एक कठोर बजट की परिकल्पना कर रहे थे, ऐसे समय में आम जनता पर कम भार डालने वाला बजट प्रस्तुत कर अचम्भित किया है, सर्वत्र बजट और मंत्रीजी की प्रशंसा हो रही है। मैं आपका ध्यान कुछ आय बढ़ाने वाली योजनाओं की ओर तथा आप द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों में कुछ और संशोधन करने की मांग के साथ–साथ रखे गये मुद्दों की ओर आकर्षित करना चाहती हूं।

मैं आपका ध्यान व्यवसाय कर से दोहरे करारोपण की ओर आकर्षित कर रही हूं। इस कर पर आम आदमी को आयकर भी देना होगा जो उचित नहीं है। अतः केन्द्र सरकार से बात करके ऐसा प्रावधान किया जाए कि व्यवसाय कर को आयकर की गणना करते समय आय में से कम कर दिया जाए।

आपने निजी क्षेत्रों में दस मेडिकल कालेज और सत्रह डेन्टल कालेज खोलने की नयी घोषणा की है। इसका मैं बहुत–बहुत स्वागत करती हूं। परंतु आपने यह स्पष्ट नहीं किया है कि ये किन-किन शहरों व संभागों में खोले जाएंगे। इस पर कोटा संभाग का ध्यान रखा जाए। मैं आपसे मांग करती हूं कि कम से कम दो मेडिकल कालेज और पांच डेन्टल कालेज कोटा संभाग में खोलने की अनुमति दी जाए। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सारे ही कोटा में।

सुश्री मीनाक्षी चन्द्रावत : उसमें झालावाड़ भी है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : हां, झालावाड़ भी है।

श्रीमती पूनम गोयल : कोटा संभाग है पूरा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, एक बूंदी के लिए भी।

श्रीमती पूनम गोयल : सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान स्टाम्प व रजिस्ट्रेशन की ओर खींचना चाहती हूं। आपने महिलाओं-पत्नी, पुत्री व पुत्रवधू, माता या

(श्रीमती पूनम गोयल)

बहिनों को अचल सम्पत्ति उपहार कर पर स्टाम्प ड्यूटी में पांच प्रतिशत की दर तय की है। मैं इसका बहुत–बहुत स्वागत करती हूं और आपको धन्यवाद देती हूं।

यह सिद्ध करता है कि महिलाओं को सशक्त बनाने के प्रति आपका कितना ध्यान है। परन्तु इस घोषणा का लाभ महिलाओं को बड़ी मात्रा में नहीं मिल पाएगा इसलिए मेरी आपसे मांग है कि आप यह घोषणा करें कि महिलाओं के नाम से खरीदी गयी सभी सम्पत्तियों पर स्टाम्प ड्यूटी पांच प्रतिशत कर दी जाए ताकि महिलाओं के नाम से सम्पत्ति खरीदने की प्रवृत्ति लोगों में बढ़े। आपकी एकमात्र यह घोषणा राजस्थान की महिलाओं को वास्तविक रूप से 21वीं सदी में ले जाने वाली होगी।

इसमें आपका यह तर्क हो सकता है कि इस प्रावधान से लोग स्टाम्प ड्यूटी बचाने के लिए महिलाओं के नाम से सम्पत्ति खरीदेंगे, परन्तु ऐसा होगा भी तो बुरा क्या होगा ? सम्पत्ति महिला के नाम से होगी तो परिवार में जो उत्पीड़न होता है वह कम होगा। निश्चित रूप से इससे महिलाओं में आर्थिक सुरक्षा की भावना पैदा होगी।

(15.08 बजे)

(श्री दिग्विजय सिंह, सभापति, पदासीन)

मैं स्वायत्त शासन मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं। सितम्बर, 1999 के बाद आवासन मण्डल या अन्य राजकीय उपक्रमों, नगर विकास न्यास आदि के माध्यम से आवंटित/खरीदी सम्पत्ति पर रजिस्ट्री की रियायती दर छः प्रतिशत को समाप्त कर दिया गया है जिसके कारण जहां एक तरफ आपकी आय में कमी आयी है, वर्ष 1999–2000 में इस हेतु निर्धारित लक्ष्यों को भी आपको कम करना पड़ा है क्योंकि इससे इन मकानों-जमीनों की रजिस्ट्री करानी बन्द हो गयी है।

मैं आपका ध्यान इस ओर दिला रही हूं, लोगों में आम प्रवृत्ति है कि स्टाम्प ड्यूटी की बचत हेतु अपनी खरीदी सम्पत्ति का मूल्य कम दिखाते हैं जबकि आवासन मण्डल या राजकीय विभागों से खरीदी हुई जमीन को अण्डर वैल्यू नहीं किया जा सकता। इसी कारण पूर्व में भी इनको रियायती दर का लाभ दिया गया था।

अतः मेरी मंत्री महोदय से पुनः मांग है कि आवासन मण्डल के मकानों के लिए रियायती दर पर छः प्रतिशत स्टाम्प ड्यूटी ली जाए। जिन मकानों की अब तक रजिस्ट्री नहीं करवायी गई है उनके लिए आपरेशन पिंक की तरह एक अभियान चलाया जाए तो सारे राजस्थान में इस मद में आपको 300 करोड़ रुपये की आमदनी हो सकती है। आपके इस निर्णय से आवासन मण्डल को अपने अनबिके मकानों को बेचने में भी आसानी होगी।

मंत्री महोदय को जानकारी होगी कि

(श्रीमती पूनम गोयल)

आवासन मण्डल को अपने अनबिके मकानों को बेचने के लिए 10 प्रतिशत से 20 प्रतिशत तक की रियायत, कीमतों में देनी पड़ी है। आपके रियायत देने से इस गति में काफी तेजी आएगी और सरकार को आमदनी भी होगी।

इस बारे में एक निवेदन यह भी है कि पिछले दो वर्षों में जयपुर, कोटा जैसे बड़े शहरों में मकानों और जमीनों की कीमतों में काफी गिरावट आयी है परन्तु रजिस्ट्री के लिए जो दर विभाग ने तय की है उसमें हर तीसरे माह आप बढ़ोतरी करते जाते हैं। यह एक गलत प्रक्रिया है। जब सम्पत्ति के बारे में सभी कह रहे हैं कि इसमें कमी आयी है तो रजिस्ट्री की कीमतों में कमी नहीं करना प्राकृतिक न्याय के खिलाफ है।

इसमें कृषि भूमि पर बसी कालोनियों के नियमितीकरण का कार्य जो सारे राजस्थान में धीमी गति से चल रहा है, उसकी ओर भी ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं। अकेले इस अभियान की सफलता आपको 1500 करोड़ रुपये की आय करा सकती है।

इसके लिए मेरा सुझाव है कि आप घोषणा कर दें कि सरकार द्वारा घोषित दरों के अनुसार स्वयं गणना करके प्लाट होल्डर निश्चित बैंकों में राशि जमा करा दें। उसकी रसीद ही उसके प्लाट के नियमितीकरण का अस्थायी आदेश होगा। उसके बाद जब उसका कैम्प लगे तब आप उसको आवंटन पत्र दे दें।

तब तक उसकी जमा रसीद और सोसायटी का पट्टा ही नल, बिजली, टेलीफोन के कनेक्शन और आवास ऋण हेतु मान्य होगा। इससे इस प्रक्रिया में हो रही देरी के कारण राजस्व प्राप्ति में हो रही देरी समाप्त होगी और आम जनता को भी इससे राहत मिलेगी।

नियमितीकरण के पश्चात मकान निर्माण कार्यों में जो तेजी आएगी उससे रोजगार का निर्माण होगा, अकाल के समय लोगों को शहरों तथा कस्बों में काफी रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे तथा भवन निर्माण सामग्री उद्योगों की मंदी समाप्त होगी।

एक मैं आपका ध्यान कोटा शहर में कृषि भूमि पर बसी बस्तियों में पानी की समस्या की ओर आकर्षित करना चाहती हूं। वहां पानी की आज भी भयंकर समस्या है। इसके लिए जिस प्रकार बिजली विभाग ने एक निश्चित राशि 1800 ग्रामीण व 2500 शहरी तय की है उसी प्रकार पानी के लिए भी आप एक निश्चित राशि तय करें तथा इन कालोनियों में भी पाइप लाइन डालें। आज हालत यह है कि कोटा में चम्बल बगल से जा रही है और कृषि भूमि की बस्तियों के लोग प्यासे मर रहे हैं। यह उचित नहीं है।

मैं आपका ध्यान मेरे लाडपुरा क्षेत्र की सड़कों की ओर आकर्षित करना चाहती हूं। आज वे सड़कें इतनी जर्जर हो गयी हैं कि

(श्रीमती पूनम गोयल)

उन पर चलना दूभर हो गया है। अतः इसके लिए पैसों की विशेष व्यवस्था की जाए। कृषि उपज मण्डी तो कहती है कि हमने सड़कों के लिए पी.डब्ल्यू.डी. को पैसा दे दिया और पी.डब्ल्यू.डी. कहती है कि हमें पैसा नहीं मिला। जिन सड़कों पर 8 वर्षों से पैच वर्क का कार्य नहीं हुआ है उनको तुरन्त अभियान चला कर ठीक कराया जाए।

एक मैं आपसे विज्ञान नगर में होम्योपैथी डिस्पैंसरी खोलने की मांग करती हूं। वहां के लोग भवन बनाकर देने को तैयार हैं; सिर्फ आप एक डाक्टर की व्यवस्था करा दें, उसके लिए बजट प्रावधान करा दें ताकि जो उनकी मांग है वह पूरी हो सके। वार्ड नम्बर 11 में जहां पर कोई भी आयुर्वेदिक; होम्योपैथी डिस्पेंसरी नहीं है, वहां पर एक डिस्पेंसरी खोली जाए।

अन्त में मैं आपका ध्यान युवाओं में बढ़ती बेरोजगारी की ओर आकर्षित करना चाहती हूं। राज्य सरकार कर्मचारियों के पदों को समाप्त कर रही है और रोजगार के अन्य अवसर उपलब्ध नहीं हैं। मुख्य मंत्री रोजगार योजना बहुत अच्छी शुरू की गयी है परन्तु उसमें बनाये गये अधिकांश कियोस्क जो अतिक्रमण से बेघरबार हुए हैं उन्हें ही दिये जा रहे हैं। तो उसके बाद उन युवाओं का क्या होगा ?

इसलिए मेरी आपसे मांग है कि कम से कम दो लाख कियोस्क इस योजना में और बनाये जाएं। वर्ना आज हालत यह है कि बेकारी की जंजीरों को सामने देखकर आज का युवा असन्तोष की ज्वाला में धधक रहा है और हिंसा की ओर अग्रसर है।

अन्त में एक बार पुनः आपको इतना अच्छा बजट पेश करने के लिए धन्यवाद देती हूं। मेरे द्वारा उठायी गयी मांगों, मुद्दों पर आप निश्चित रूप से सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे, इस आशा के साथ अपनी बात समाप्त करती हूं। धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय मदन दिलावर। (व्यवधान) आपसे विशेष आग्रह है कि समय का ध्यान रखें।

श्री मदन दिलावर (अटरू) : माननीय सभापति महोदय, 30 तारीख को माननीय वित्त मंत्री जी ने अपना बजट पेश किया। इस बजट का कागज बहुत सुंदर है; बाहर से देखने पर तो ऐसा लगता है जैसे गरीबों के सारे के सारे कष्टों का हरण इस बजट में कर दिया गया है।

किन्तु सभापति महोदय, यह बजट दिशाहीन है। गरीब, मजदूर, किसान, व्यापारी और इस प्रदेश में रहने वाली सारी जनता का विरोधी बजट है। महिलाएं, बच्चे, विकलांग, अनुसूचित जाति के लोग सबका एक तरह से इस बजट में मजाक बनाया गया है।

सभापति महोदय, पिछली बार भी बजट पेश हुआ था। बजट पेश हुआ था 5300 करोड़ रुपये का। 5300 करोड़

(श्री मदन दिलावर)

रुपये का जो बजट पेश किया तब यहां बाहें खिल रही थीं तत्कालीन वित्त मंत्रीजी की भी; वर्तमान वित्त मंत्री जी की भी और मुख्य मंत्री जी की भी कि हमने बहुत अच्छा बजट पेश किया। कुछ दिन बाद उस बजट का बड़ा टांय-टांय फिस्स हुआ।

ऐसा टांय-टांय फिस्स हुआ जो आपको बताना चाहता हूं। परिवहन क्षेत्र में 653 करोड़ रुपये का प्रावधान किया था, उसमें 250 करोड़ रुपये की कमी कर दी। सड़कों के लिए 275 करोड़ रुपये का प्रावधान किया था उसमें 140 करोड़ की कमी कर दी। राजमार्ग की सड़कें बनाने के लिए 110 करोड़ रुपये की कमी की गयी।

सभापति महोदय, सिंचाई विभाग कितना महत्वपूर्ण विभाग है, किसानों से जुड़ा हुआ है। कई नदियों में पानी बहकर जा रहा है; उस पानी का उपयोग करने के लिए किसान लालायित हैं, अपने खेत में लेकिन न तो नहरों की मरम्मत करायी गयी, न माइनर बनाये गये, न ही लिफ्ट सिंचाई योजनाओं की बिजली का पैसा जमा करा पाये। ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्र में भी आपने 235 करोड़ रुपये की कमी की। उसका नुकसान क्या हुआ? कोटा और बारां जिले की गणेशगंज लिफ्ट का बिजली का बिल जमा नहीं होने से कई काश्तकारों को खेतों में पानी नहीं मिल पाया।

मेरे विधान सभा क्षेत्र में तुलसा लिफ्ट सिंचाई परियोजना है, वह 17 फरवरी से बंद हुई–हुई 23 मार्च को जाकर चली। मैंने पता किया कि आखिर में यह लिफ्ट सिंचाई योजना इतनी लम्बी बंद कैसे हो गयी। पता चला कि सिंचाई विभाग ने पचास लाख रुपये का बिजली का बिल जमा नहीं कराया इसलिए इसका कनेक्शन काट दिया गया है। मैंने बिजली विभाग से मालूम किया तो बोले, पैसे नहीं जमा कराएंगे तो हम यही करेंगे।

आप आश्चर्य करेंगे कि सरकार एक, सिंचाई विभाग बिजली विभाग के ऊपर; बिजली विभाग सिंचाई विभाग के ऊपर दोषारोपण कर रहा है। गरीब काश्तकार का क्या होगा?

सभापति महोदय, हजारों बीघा जमीन पर खड़ी फसल सूख गयी। काश्तकार का खाद, काश्तकार का बीज; काश्तकार की मेहनत इस +++ सरकार के कारण बर्बाद हो गयी, बेकार चली गयी और यहां माननीय सदस्यों ने कहा कि बहुत अच्छा बजट पेश किया है। मैं समझता हूं कि यह अच्छा बजट है तो फिर इससे बुरा बजट तो क्या आएगा।

इस बजट भाषण में कहा माननीय वित्त मंत्री जी ने कि दो तिहाई जनसंख्या

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री मदन दिलावर)

किसानों और कृषि से जुड़े हुए लोगों की है। लेकिन उनकी हालत क्या बनायी? पिछले वर्ष 355 करोड़ रुपये का प्रावधान किया था, 100 करोड़ रुपये की कमी कर दी। ये हैं किसानों के हितैषी, इस सरकार को कहते हैं किसानों की हितैषी सरकार कि किसानों को दिया हुआ पैसा, इस विधान सभा से पास कराया हुआ पैसा वापस ले ले। यह पहली सरकार देख रहा हूं; मैंने कभी ऐसी सरकार सुनी नहीं थी।

माननीय सभापति महोदय, पर्यावरण की बहुत बात करते हैं। कहते हैं कि पर्यावरण दूषित हो रहा है, इनको बंद करो, उनको बंद करो। सरकार ने क्या किया? वृक्षारोपण पर दिये हुए पैसे में सत्तर करोड़ रुपये की कमी कर दी। सभापति महोदय; कितने पर्यावरण प्रेमी हैं, कितने वृक्षों के प्रेमी हैं, कितने लोगों को आक्सीजन देना चाहते हैं ?

सभापति महोदय; यह प्रियावरण है या पर्यावरण है ? मैं तो ज्यादा समझता नहीं पर मुझे जहां तक जानकारी है शायद पर्यावरण ही होगा।

माननीय सभापति महोदय, गांव का विकास होना चाहिए, बहुत विकास होना चाहिए; ऐसा कहा गया। केन्द्र सरकार जवाहर रोजगार योजना में; सुनिश्चित रोजगार योजना में पैसा देती है और इनको बीस प्रतिशत या पच्चीस प्रतिशत राशि मैचिंग ग्रांट के रूप में देनी पड़ती है। उसमें भी 35 करोड़ रुपये की कटौती कर दी। उसमें कटौती करने का नुकसान क्या हुआ ?

हम केन्द्र से करोड़ रुपये नहीं ले पाये, हम गांव का विकास नहीं कर पाये, गांव में हम सड़क नहीं बना पाये, गांव में हम खुरंजा नहीं बना पाये, गांव में हम अलग प्रकार का रोजगार नहीं दे पाये। उसका असर क्या हुआ ? मजदूर लोग मजदूरी के लिए तरस गये। राजस्थान में सैकड़ों लोगों ने सैल्फोस की गोलियां खाकर आत्म हत्या कर ली। मजदूरी नहीं मिलने से अपने बच्चों को जो नहीं देख पाये तड़पते हुए, फांसी के फंदे से झूल गये। और कहते रहे ये लोग कि हमारी कितनी बढ़िया सरकार है, कितना अच्छा बजट है, कितनी अच्छी गरीबों की सेवा कर रहे हैं। इन्होंने सेवा की, इसलिए उन्होंने फांसी के फंदे चुने। इन्होंने सेवा की इसलिए वे सेल्फोस की गोलियां खा गये और आत्म हत्या कर ली।

ऊर्जा में भी 48 करोड़ रुपये की कमी। खादी एवं ग्रामोद्योग के तहत गांवों में लोग खादी बनाते हैं, अपना रोजगार करते हैं। माननीय सभापति महोदय; 17 करोड़ रुपये का प्रावधान था उसमें से 16 करोड़ रुपये कम करके केवल 1 करोड़ रुपये रहने दिया। सभापति महोदय, शिक्षा को भी नहीं छोड़ा। शिक्षा देंगे सबको, देंगे, निःशुल्क देंगे, अच्छी शिक्षा देंगे। और सामान्य शिक्षा का क्या हश्र किया ? चार सौ करोड़ का जो प्रावधान था उसमें 72 करोड़ रुपये की कमी कर दी। प्रारम्भिक शिक्षा में 40 करोड़ रुपये की कमी

(श्री मदन दिलावर)

को । अब इनको क्या कहें ? बजट जो इन्होंने 4 हजार एक सौ कुछ करोड़ रुपये का रखा है, ये इसको क्या पूरा करेंगे ? फिर बीच में आकर कहेंगे कि संकट आ गया, धर्म संकट आ गया, पैसा नहीं है । इसलिए यह पुलिन्दा विश्वास करने योग्य नहीं है ।

सभापति महोदय, इसमें बड़े शब्दों का उपयोग किया गया है कि भय और भ्रष्टाचार मिटाएंगे । भय और भ्रष्टाचार, और भूख भूल गये । भूख के ऊपर कोई चर्चा नहीं । लोग भूख से मर रहे हैं, उसकी कोई चर्चा नहीं । कहा था इन्होंने, मैं लाया हूं इनका घोषणा-पत्र ।

माननीय वित्त मंत्रीजी ने गैरजिम्मेदाराना वक्तव्य मेरे एक तारांकित प्रश्न के समय दिया था । घोषणा--पत्र में तो लिखा 60 से 58 साल की उम्र करेंगे सेवानिवृत्ति की, उससे जो पद खाली होंगे और जो पहले से पद खाली हैं उन पर युवाओं को नौकरियां देंगे । और मेरे जवाब में क्या दिया ?

इतना गैरजिम्मेदाराना कि मैं समझता हूं मेरे गांव का ग्वाला भी नहीं देता । ये जो खाली हुए पद थे, बड़े पद थे, कोई डाइरेक्टर का पद था, कोई ज्वाइंट डायरेक्टर का था, कोई सी.एम.एच.ओ. का था, अब उस पर कम्पाउण्डर को कैसे भर्ती कर सकते हो ? जनता बेवकूफ नहीं है, वित्त मंत्रीजी । आपकी बात को सबने सुना है । अब जाओगे न चुनाव में अभी तो खैर साढ़े तीन साल हैं मजे करो तब आपको निपट लेगी, देखेगी । कहेंगे युवा कि अच्छे धोखेबाज हो, इस पुलिन्दे में इस प्रकार फोटो छपवा करके धोखा करते हो । भूख की कोई चिन्ता नहीं है, अकाल राहत काम की कोई चिन्ता नहीं है । भूख से लोग मर रहे हैं, जानवर मर रहे हैं । (व्यवधान) एक आदमी का बताऊं, कितनों का बताऊं, बोलो ? (व्यवधान)

माननीय सभापति महोदय, अब मैं नाम बता रहा हूं, कौन–कौन भूख से मरे हैं । माननीय सभापति महोदय, भूख के कारण तड़पते हुए अपने बच्चों को नहीं देख पाये और जब नहीं देख पाये तो फांसी के फंदे पर झूल कर आत्महत्या कर ली ।

सुश्री मीनाक्षी चन्द्रावत : मैं माननीय सदस्य से कहना चाहती हूं 'तकाजा वक्त का है तूफानों से जूझो, कब तक चलोगे किनारे-किनारे ।'

श्री मदन दिलावर : हम तो बहिनजी, चलेंगे आपके सहारे-सहारे । सभापति महोदय, जिन्होंने आत्महत्याएं की हैं फांसी के फंदे पर झूल कर, भूख के मारे, आर्थिक तंगी के कारण, बेरोजगारी के कारण-भंवरी बाई पत्नी श्री सूरजमल कुम्हार, उम्र 34 वर्ष निवासी 4 एल 11 रंगबाड़ी रोड, कोटा, आर्थिक तंगी के कारण आत्महत्या कर ली । (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आप पिता का नाम बताओ ।

श्री मदन दिलावर : पूनम पुत्र मांगी लाल बैराठी, उम्र 17 वर्ष, श्याम नगर, कोटा, बेरोजगारी और भूख के कारण आत्महत्या कर ली, 15-6-99 को। अमित बंसल पुत्र ओम प्रकाश उम्र 20 वर्ष, निवासी छावनी, कोटा-आर्थिक तंगी के कारण, भूख के कारण 11-2-99 को आत्महत्या कर ली।

राजू पुत्र प्रभूलाल जाति खटीक उम्र 24 वर्ष निवासी बल्लभबाड़ी, आर्थिक तंगी एवं भूख के कारण 18-8-99 को आत्महत्या कर ली माननीय सभापति महोदय। राजू रूप सिंह पुत्र बिशन सिंह सिक्ख बंजारा, उम्र 30 साल, निवासी नगर निगम कालोनी, कोटा ने 23-8-99 को आत्महत्या कर ली, भूख के कारण अपने बच्चों को तड़पते-नहीं देख पाया।

अख्तर अली निवासी इस्माइल चौक नया कुआ चौक ने आर्थिक तंगी के कारण 5-5-98 को आत्महत्या कर ली। माननीय सभापति महोदय, 27 लोगों ने, भूख के कारण अपने बच्चों को तड़पते नहीं देख पाये, या तो सेल्फोस की गोली खाली या आत्महत्या फांसी के फंदे पर झूल करके कर ली। और बताऊं क्या ?

श्री शैलेन्द्र जोशी : शालिनी शर्मा ने क्या किया, यह भी बता दो। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : सभापति महोदय, पाइन्ट आफ आर्डर। मैं चाहता हूं कि ये जिस डाक्यूमेंट से कोट कर रहे हैं इस डाक्यूमेंट को कृपया टेबिल पर रखें।

श्री सभापति : माननीय सदस्य बोल रहे हैं, माननीय सदस्य को सुनिये।

श्री प्रद्युम्न सिंह : He should be asked to lay it on the table of the House.

श्री राजेन्द्र राठौड़ : वित्त मंत्रीजी ने बहुत ठीक बात कही। ये कह रहे हैं कि किन तथ्यों के आधार पर माननीय सदस्य कह रहे हैं कि सारी आत्महत्याएं भूख के कारण, तंगी के कारण हुई हैं। मैं माननीय सदस्य को कहूंगा कि आप जरा बताएं और उनको टेबल पर भी रखिये।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, माननीय मंत्रीजी ने यह कहा है कि जिस डाक्यूमेंट का उल्लेख कर रहे हैं या जिस किसी माध्यम से कर रहे हैं या तो आप सदन की मेज पर रख दें या आपके पास कोई तथ्य हैं तो वह बता दें।

श्री मदन दिलावर : बिलकुल रखूंगा, माननीय सभापति महोदय। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : खुद के कपड़े फाड़ना संतुलन की अवस्था का परिचायक है क्या ?

श्री सभापति : आप इनको सुन लें।

श्री शैलेन्द्र जोशी : खुद के कपड़े फाड़ना संतुलित मस्तिष्क का परिचायक है क्या ? (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : माननीय सभापति

(श्री मदन दिलावर)

महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण पूछा है वित्त मंत्रीजी ने, जिम्मेदारी के साथ पूछा है। मदन दिलावर भी जिम्मेदारी के साथ जवाब देता है। यह मेरा खुद का दस्तावेज नहीं है। यह दस्तावेज राजस्थान सरकार के यह गृह मंत्री थे इन्होंने मेरे को तारांकित प्रश्न के जवाब में दिया है। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : सभापति महोदय, यह सदन के अन्दर रख दें। आत्महत्या का हर मामला भूख और उससे नहीं जुड़ सकता है। नमक-मिर्च मिला कर सदन को गुमराह करने के लिए आत्महत्याएं बता रहे हैं। (व्यवधान) ये असत्य बोलते हैं यहां पर।

श्री मदन दिलावर : तारांकित प्रश्न के जवाब में स्वयं देख लें। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : आप रखिये ना टेबल पर। (व्यवधान) Place is on the table of the House.

श्रीमती सुमित्रा सिंह : अपराध तो है ना ? अपराध है, किसी न किसी मजबूरी में की होगी आत्महत्या। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : झुन्झुनूं से आने वाली माननीय सदस्या, एक बात सुनें आप।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : यह जिम्मेदारी नहीं है सरकार की ? (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार : यह आप गलत कह रहे हैं। उसका मरने का कारण अकाल नहीं हो सकता, भूख नहीं हो सकती। (व्यवधान) आत्महत्या के अनेक कारण हो सकते हैं। (व्यवधान) पहले भी आपने सदन में एक बात कही थी कि जयपुर के अन्दर एक सैनी आत्महत्या करके मर गया। इसका कारण यह नहीं हो सकता कि भूख के कारण मरा है। 24-8-99 को अकाल का प्रश्न ही नहीं था, आपने कैसे कह दिया कि अकाल की वजह से मरा है ? (व्यवधान) या बात कह रहे है आप ?

श्री सभापति : माननीय सदस्य, एक मिनट आप विराजें।

श्री श्रवण कुमार : यह सदन और सदन की कार्यवाही सदन के ढंग से चलनी चाहिए। ये सदन में गलत प्रमाण रख रहे हैं, यह कोई तरीका है क्या ? (व्यवधान) आपने क्या मजाक बना रखा है ? चाहे जो कह देंगे कि भूख के कारण मर गया। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, एक मिनट विराजें। आप एक मिनट विराज जाएं। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार : यह हो नहीं सकता। इन्होंने बराबर एक बात कही है। बार बार यह कह देना, मैं कह रहा हूं, 1993 से 1998 तक हमने इस सदन को देखा है। (व्यवधान)

श्री बृजेन्द्र सिंह सूपा : सदन की मेज

(श्री बृजेन्द्र सिंह सूपा)

पर रखवाया जाए । (व्यवधान) ये सदन को गुमराह करते हैं । माननीय सभापति महोदय, इसको टेबल पर रखवाइये ।

श्री श्रवण कुमार : माननीय सभापति महोदय, इसको पटल पर रखवाइये ।

श्री बृजेन्द्र सिंह सूपा : माननीय सभापति महोदय, ये हमेशा भ्रामक बातें पेश करते हैं। आप यह तथ्य सदन की मेज पर रखवाइये ।

श्री सभापति : माननीय सदस्य । (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : भूख का मामला है, भूख से मरे हैं । (व्यवधान)

श्री बृजेन्द्र सिंह सूपा : माननीय सभापति महोदय, पूछिये मदन दिलावर से कि इन्होंने कभी अकाल देखा है, कभी अकाल में गये हैं ये। (व्यवधान) अकाल पड़ता कैसे है । (व्यवधान)

श्री नाथूराम अहारी : सदन के अन्दर असत्य बोल रहे हैं । (व्यवधान)

श्री बृजेन्द्र सिंह सूपा : अकाल कहते किसको हैं ? (व्यवधान)

श्री नाथूराम अहारी : असत्य का ठेका ले रखा है आपने ।

श्री सभापति : माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि आप थोड़ा विराज जाएं । मैं अभी माननीय दिलावर साहब से....(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : ये जब मंत्री थे.... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, माननीय सदस्य अपनी बात को....

श्री बृजेन्द्र सिंह सूपा : ये सदन को गुमराह कर रहे हैं । यह सदन की टेबल पर रखें । (व्यवधान) दस्तावेजों को रखिये आप । गुमराह क्यों कर रहे हैं ? (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार : क्या हुआ था मालिनी के साथ, आप बताओ । (व्यवधान) माननीय सदस्य, आप स्वयं मंत्री रहे थे.... (व्यवधान) इस बात का प्रमाण दिया है, वित्त मंत्रीजी ने दिया है, मुख्य मंत्रीजी ने दिया है ।

श्री रामस्वरूप : मालिनी के साथ क्या हुआ ? बात बना रहे हो आज.... आदमी मर गये...(व्यवधान)

श्री नाथूराम अहारी : मर गये, मर गये । फर्जीवाड़ा....

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह अभिव्यक्ति करके माननीय सदस्य अपनी भावना को, अपनी बात को रख रहे हैं । (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार : सदन अपनी गरिमा में बंधा हुआ है । ये बार-बार इस बात को

(श्री श्रवण कुमार)

कहते हैं कि भूख की वजह से मरे हैं। राजस्थान के बाड़मेर से लेकर झुंझुनूं जिले तक एक भी आदमी नहीं है जो भूख से मरा है।

श्री सभापति : कृपया व्यवधान न करें। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : आपने इस सदन की गरिमा....(व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार : इनका अतिक्रमण से मरता है तो वह भूख से मरता है। भूख से मरता है...(व्यवधान) अपनी बीबी से झगड़ा हो सकता है....

श्री सभापति : आप विराजो तो सही। (व्यवधान)

श्री नाथूराम अहारी : इनके घरों में जाकर जांच की जाए, इनके यहां क्या व्यवस्था है। (व्यवधान) इस तरह से फर्जीवाड़ा हाउस में परमिट करते हो....

श्री सभापति : आप विराज जाएं। आप विराज जाएं। (व्यवधान) आप विराजो तो सही।

श्री सांवर लाल : माननीय सदस्य अपने ही विचार रख रहे हैं यह कोई इनसे ...(व्यवधान)

श्री नाथूराम अहारी : क्या विचार है? ऐसा कोई विचार नहीं हो सकता। (व्यवधान) बिलकुल असत्य है। (व्यवधान) बार-बार धमकी दे रहे हैं। (व्यवधान) सदन की मेज पर रखो। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : हमारा अधिकार है। हमें अधिकार दिया है जनता ने। हमारे अधिकारों को चुनौती दे रहे हैं। (व्यवधान)

श्री नाथूराम अहारी : क्या मतलब होता है? (व्यवधान)

श्री बृजेन्द्र सिंह सूपा : सदन को गुमराह कर रहे हैं आप। (व्यवधान) भूख से मर गया तो आप कहां गये थे? आपने सरकार को खबर क्यों नहीं की? पहले जिम्मेदार आप हैं, आपने खबर क्यों नहीं दी। (व्यवधान)

श्री सभापति : आप विराजें। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : खटीक परिवार का नाम इन्होंने लिया है, खटीक समाज में कोई आदमी ऐसा नहीं है। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार : इस रिपोर्ट को सदन की मेज पर रखा जाए और कमेटी बनाकर उनके घरों में जाया जाए।

श्री रामस्वरूप : ये कहते हैं कि खटीक मर गये भूख से, कौनसे खटीक मर गये भूख से? (व्यवधान)

श्री सभापति : रामस्वरूपजी, माननीय सदस्य; आप विराजिये। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : एक भी आदमी नहीं मरा भूख से। (व्यवधान)

श्री सभापति : यह आवश्यक नहीं है कि हरेक मामले में आप बोलो। (व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : सभापति महोदय, आन ए पाइंट आफ आर्डर। सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहती हूं ...(व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : कांग्रेस शासन को बदनाम करने के लिये इस तरह गलतबयानी नहीं सुनी जाएगी। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय जोशी साहब। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : सरकार अकाल के लिये सारे काम कर रही है; उसके बाद आप जो गलतबयानी करना चाहते हैं यह गलतबयानी करने के लिये स्वतंत्रता नहीं मिल सकती है। इनको इस सदन की। यह फोरम नहीं है जहां आप...(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप विराज जाएं। आप विराजिये।

श्री श्रवण कुमार : आप ऐसा है, बार-बार सदन को गुमराह नहीं करें। मर ने का कोई काज आफ डैथ यह नहीं हो सकता कि भूख से मरे हैं:...

श्री शैलेन्द्र जोशी : बी.जे.पी के राज में यह सही बात है कि अकाल की माकूल व्यवस्था नहीं थी। सैंकड़ों लोगों को भूखों मरने की नौबत आ गयी थी; यह बात सही है। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, सुमित्रा जी बोल रही हैं, एक मिनट आप विराज जाएं। (व्यवधान) अब आप विराज जाएं। तो सबकी बात सुन लेंगे। (व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : ऐसे सदन कैसे चलेगा, माननीय सभापति महोदय? मेरा व्यवस्था का प्रश्न है उस पर भी बोले हो जा रहे हैं लोग। मैं यह निवेदन कर रही थी कि किसी भी माननीय सदस्य का यह प्रिविलेज है यहां पर। वह जो कुछ तथ्य यहां पर रखता है, यदि वह गलत है तो सरकार जवाब देगी और बताएगी कि ये मौतें या आत्महत्या अकाल की वजह से नहीं हुई, इस वजह से हुई हैं।

लेकिन इस तरह से रोकाटोकी, इस तरह से सदन को नहीं चलने देना, मैं समझती हूं कि सभी माननीय सदस्यों को इस बात के लिये आगाह करना चाहिये कि वे इस प्रकार से रोकाटोकी नहीं करें। (व्यवधान)

श्री बृजेन्द्र सिंह सूपा : चाहे गलत सूचना दें और हाउस को भ्रमित करें ये? (व्यवधान) यह क्या तरीका है? (व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : उनका अधिकार है। (व्यवधान)

श्री नाथूराम अहारी : इनको आदत में शुमार है। ऐसे लोगों को तो रोका जाएगा। यह सदन के बाकी सदस्यों को.... (व्यवधान)

श्री सभापति : आप विराजो तो सही। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : पैसे की कमी है फिर भी अकाल का इन्तजाम कर रहे हैं, फिर आपकी गलतबयानी क्यों सुनी जाए? सरकार को बदनाम नहीं होने देंगे आपकी गलतबयानी पर। (व्यवधान) सरकार सावचेत है, सरकार सारे कदम उठा रही है, अपना रही है। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : जो ये खटीक समाज का नाम ले रहे हैं, खटीक समाज में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हो सकता जो भूख से मरा हो। (व्यवधान)

श्री छोगाराम बाकोलिया : मदन दिलावरजी ने अपने भाषण में कहा..... (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय मंत्रीजी, आप तो...(व्यवधान) आप बैठिये। मंत्री महोदय, आप विराजो। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : खटीक समाज से माफी मांगें। एक भी खटीक का बच्चा नहीं मरा है। (व्यवधान) फालतू बदनाम कर रहे हैं। हमारे माननीय सदस्य भी बैठे हुए हैं, इस तरह बदनाम करते हैं खटीकों को। आपको खटीकों से माफी मांगनी चाहिये। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : यह पेपर कटिंग ही फर्जी है। (व्यवधान)

श्री छोगाराम बाकोलिया : ....(व्यवधान) +++ इनका दिख रहा है। (व्यवधान) इस तरह सरकार हमारी +++ नहीं है। सरकार जन हितैषी कार्य कर रही है और अच्छा काम करके दिखा रही है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, माननीय सदस्य को आपने समय दिया है वे अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं। माननीय सदस्य कोई नये नहीं हैं, जिम्मेवारी से यह कह रहे हैं। जो तथ्य ये सदन के सामने रख रहे हैं उनमें जो पत्रादि होंगे, वित्त मंत्री जी ने चुनौती दी है, वे पत्रादि रख दिये जाएंगे। उसमें क्या बात है? (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं, माननीय दिलावर साहब से भी निवेदन कर रहा हूं। (व्यवधान)

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया : सत्यम् ब्रूयात प्रियं ब्रूयात। कृपया इस सदन में सत्य बोलो, असत्य बोलना पाप है। (व्यवधान)

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री सभापति : आप विराज जाओ। एक मिनट विराज जाओ आप। मेरे को तो समझ आएगी नहीं संस्कृत आपकी। (व्यवधान)

श्री जयदेव प्रसाद इन्दोरिया : सत्य–सत्य कहो। आत्महत्याओं को इसमें नहीं जोड़ा जाना चाहिये कि ये भूख से मरे हैं।

श्री सभापति : आप तो बहुत मानते हो अनुशासन को। आप तो अनुशासन को बहुत मानते हो, आप विराज जाओ। (व्यवधान)

श्री जयदेव प्रसाद इन्दोरिया : मैं पूछना चाहता हूं, हवामहल से आने वाले सदस्य; आप इस बात को सत्य मानते हैं ? क्या यह सत्य है ?

अनेक माननीय सदस्य : हां।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दोरिया : खड़े होकर कहो ना। यह सर्वथा असत्य है। आत्महत्याओं को इसमें नहीं जोड़ना चाहिये। भूख से कोई नहीं मर सकता। आज राजस्थान में अन्न की कोई कमी नहीं है, यह सत्य बात है। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय, आप विराज जाएं।

माननीय सदस्य, मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि बजट प्रसंग के ऊपर बजट सीमा पर ही आप बोलो तो ठीक रहेगा। जो आपने उल्लेख किया है उसका अभी मंत्रीजी ने कहा था कि उन्होंने उत्तर दिया था। आपने कोई गृह मंत्रालय के सम्बन्ध में प्रश्न पूछा था इसको उससे जोड़कर आप न बोलें। अपने जो तथ्य हैं वे उजागर करें। हर सदस्य को यहां अधिकार है कि वह अपने तथ्य रख सकता है। आप ठीक कह रहे हैं तो ठीक है। अपना बोलने का दायरा भी आप सीमित रखें। अब आप अपने बजट पर आ जाइये।

श्री मदन दिलावर : मैं बजट पर ही आ रहा हूं।

श्री सभापति : आपका समय समाप्त हो रहा है।

श्री मदन दिलावर : यह भूख, भय, भ्रष्टाचार से मतलब....

श्री सांवर लाल : सदस्य को कोई भी.. (व्यवधान) राजस्थान की समस्या है.... (व्यवधान) विचार रखने को....(व्यवधान)

श्री सभापति : वह समस्या हो सकती है। आप तो प्रोफेसर रहे हुए हैं, आप सब जानते हैं, आपको मैं क्या ज्ञान दूंगा ? (व्यवधान) आपको मैं ज्ञान नहीं दे सकता, आप तो प्रोफेसर रहे हो। (व्यवधान)

श्री रतन लाल ताम्बी : प्रोफेसर साहब की डिग्री सही है या नहीं ? ये फर्जी डिग्री तो नहीं ले आये कहीं ? (व्यवधान)

श्री सभापति : आप अपनी पार्टी वालों का समय ले रहे हैं।

श्री मदन दिलावर : नहीं, नहीं, आपकी जिम्मेदारी है प्रोटेक्ट करने की।

माननीय सभापति महोदय, बड़े विनम्र शब्दों में मैं कह रहा हूं कि मैंने जो तथ्य दिये हैं, आर्थिक तंगी, बेरोजगारी और भूख के कारण ये लोग नहीं मरे तो मैं इस विधान सभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दूंगा। यह गलत है....(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : आप इसको सदन की टेबल पर रखवा दीजिये, मैं और कुछ नहीं चाहता आपसे। Ask him to place it on the table of the House. जो मैंने जवाब दिया है उसकी प्रति आप सदन की मेज पर रखवा दीजिये, आपकी बड़ी कृपा होगी।

श्री मदन दिलावर : माननीय सभापति महोदय, यह प्रोसीडिंग में है। इस रिकार्ड पर नहीं होगा तो मदन दिलावर इस्तीफा दे देगा, कभी विधान सभा में नहीं आयेगा। यदि यह रिकार्ड पर नहीं है, नहीं और इन्होंने मेरा जवाब नहीं दिया होगा तो कभी भी विधान सभा में इतनी गलत बात साबित हो जाएगी और मदन दिलावर नहीं आएगा, यह आपसे मैं कह रहा हूं। (व्यवधान)

सभापति महोदय, एक निवेदन और करना चाह रहा हूं मैं आपसे। ला एण्ड आर्डर की स्थिति का तो हाल मैं आपको क्या बताऊं। कोटा में ला एण्ड आर्डर की स्थिति यह हो गयी है, यदि जेब नहीं कटाये कोई आदमी तो उसको चाकू मार दिया जाएगा। वहां स्थिति यह हो गयी है कि चल करके जेब कटानी पड़ेगी किसी ने जेब पकड़ ली तो। पूनमजी यहां होंगी तो गवाह होंगी इस बात की कि इस प्रकार की कई घटनाएं कोटा की धरती पर हुई हैं।

मैं एक और आपकी जानकारी के लिये बहुत बड़ा तोहफा लाया हूं। राजस्थान में कांग्रेस का शासन आने के बाद महिलाओं के साथ बलात्कार की घटना का विवरण, लगभग 250 की संख्या मेरे पास है, केवल 250 की, छोटी-छोटी बच्चियों के साथ जिनमें 3 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल 15 साल की बच्चियों के साथ बलात्कार की घटनाएं हुई हैं, मैं समझता हूं कि ऐसा कभी भी नहीं हुआ होगा। ऐसा कभी नहीं हुआ।

लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, लाडपुरा गांव गेंगल के रावत जाति के एक ...(व्यवधान) भील जाति की 14 वर्षीय किशोरी का शील भंग करके....(व्यवधान)

श्री हरिसिंह (मुख्य सचेतक) : माननीय दिलावरजी, आप बहुत सीनियर सदस्य हैं, मंत्री भी रहे हुए हैं। आपसे हम यह उम्मीद करते हैं, कृपया यह और बता दो कि बलात्कार करने वाले कितने अपराधी नहीं पकड़े गये हैं और कितनों को इस सरकार ने पकड़ लिया ? यह बताइये आप। (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : यह आप बताओ ना।

श्री हरिसिंह (मुख्य सचेतक) : आप बताइए। आरोप लगाया है इन्होंने, बिना बात के आरोप लगाया है। एक भी अपराधी भाग कर जाने नहीं दिया। अपराध होते हैं, अनादि काल से होते रहे हैं....

श्री मदन दिलावर : मैं जानना चाहूंगा गृह मंत्रीजी से ...(व्यवधान)

श्री हरिसिंह (मुख्य सचेतक) : अपराध होते हैं। अपराध तो होते रहेंगे। अपराधी भाग गया है और गवर्नमेंट सोती रही, वह सरकार दोषी है।

श्री मदन दिलावर : गृह मंत्रीजी यहां हैं, निश्चित रूप से जवाब दें।

श्री शैलेन्द्र जोशी : इनकी अवस्था कपड़े फाड़ने तक की आ गयी है। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : माननीय सभापति महोदय, इतनी सारी महिलाओं के साथ बलात्कार, और आप क्या पूछना चाहते हैं? बताऊं क्या? सभापति महोदय, फरवरी, 2000 में ग्राम संगरिया, शाहपुरा में खेत में रखवाली कर रही आठ वर्षीय बालिका के साथ बलात्कार। क्या हो गया इस प्रदेश को? क्या हो गया कानून-व्यवस्था को?

फरवरी में ग्राम खेजूला सामोद में मेघवाल जाति की 15 वर्षीय लड़की के साथ बलात्कार, 13 वर्षीय के साथ बलात्कार, 3 वर्षीय बालिका के साथ बलात्कार 6 वर्षीय बालिका के साथ बलात्कार; गजब हो गया। अनुसूचित जाति के लोगों पर अत्याचार; गजब। गंगानगर जिले के पुरानी मंडी घड़साना में रामचन्द्र खटीक नामक युवक को भूत से मुक्त कराने के नाम पर बाबा प्रेमदास द्वारा अमानवीय यातनाएं दी गयीं एवं बड़ी राशि ऐंठ ली गयी।

सभापति महोदय; 25 अक्टूबर, 1999 उदयपुर जिले के वल्लभनगर थाना क्षेत्र के डूंडिया गांव में पिता भैरूलाल भाट एवं उनके पुत्र देवीलाल के साथ बापला खेड़ा निवासी भागीरथ जाट एवं अन्य साथियों ने नग्न करके मारपीट की तथा उन्हें मूत्र भी पिलाया। यह छोटी घटना है? हरिजन लोगों को पेशाब पिला रहे हैं, जयपुर की हरमाड़ा घाटी में रहने वाले अनुसूचित जाति के रामशरण रैगर के यहां जे.डी.ए. के तोड़फोड़ दस्ते ने तोड़ाफोड़ी की और उनके साथ मारपीट की; जबकि उनके पास अदालत का स्टे था।

सभापति महोदय; अपहरण का और सुनाऊं। कितने सारे लोगों का अपहरण।

श्री सभापति : माननीय सदस्य; अब आप समाप्त करें। आपका समय आधा घंटा समाप्त हो चुका है और यह तो डिमांड के ऊपर बोल सकते हैं।

श्री मदन दिलावर : सभापति महोदय, ये सारी बातें मैं डिमान्ड पर बोलूंगा। आपने बड़ी कृपा की है कि मुझे याद दिला दिया कि ये सारी बातें मुझे डिमान्ड पर बोलनी चाहिए।

सभापति महोदय, भ्रष्टाचार की बात बहुत कही गयी है कि भ्रष्टाचार हम खतम करेंगे। मुझे बहुत आश्चर्य होता है कि ये भ्रष्टाचार को बिलकुल खतम करना चाहते हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई जब यह

(श्री मदन दिलावर)

कहा गया कि भ्रष्टाचार को हम समाप्त करेंगे। लेकिन बेरोजगारों से 2.75 लाख ठगकर भाग छूटा, यह कौन है? मुझे पता नहीं है। पर ऐसा लिखा गया है, पुलिस ने बताया है कि कांग्रेस के चुनाव प्रचार में बहुत सारा प्रचार किया, जिसका फोटो है। अब इसका नाम भी बता देता हूं। बताऊं क्या? चलो रहने दो।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, अब आप विराजें।

श्री मदन दिलावर : सभापति महोदय, बूंदी में कांग्रेस का वार्ड पार्षद सरदार खां शिकायत करता है कि 30 लाख की जमीन कौड़ियों के भाव वहां के चेयरमैन ने बेच दी है। कलेक्टर की रिपोर्ट मेरे पास है, आप चाहें तो मैं पढ़कर सुना सकता हूं 'कि 30 लाख की जमीन कौड़ियों के भाव बेच दी। कलेक्टर ने जांच करके भेजी, स्वायत्त शासन मंत्री जी के पास आया लेकिन उस पर कार्यवाही क्यों नहीं हो रही है।' ये भ्रष्टाचार मुक्त करना चाहते हैं प्रदेश को, किस प्रकार से करना चाहते हैं भ्रष्टाचार से मुक्त? क्या करना चाहते हैं?

माननीय सभापति महोदय, ऐसी अनेक घटनाएं मैं आपको बता सकता हूं। इन्होंने कहा है कि हमने शहीदों का भी बड़ा सम्मान किया है, बहुत अच्छी बात है। मैं भी बहुत सम्मान करता हूं। लेकिन आप शहीदों का सम्मान तो देखिये। 'शहीद गणपत सिंह के परिवार से राज्य सरकार द्वारा एक लाख रुपये की राशि वापस लेकर देश के लिए लड़ने वाले शहीद जवानों का अपमान इस सरकार ने किया।'

सभापति महोदय, जो आतंकवादियों से लड़ रहा हो और जिसके लिये सरकार ने एक लाख रुपये की राशि दे दी हो, वापस जाकर उसको ले आये हों और फिर वापस दे दी हो, इससे बड़ा अपमान इस देश के लिए लड़ने वाले शहीदों का और क्या हो सकता है?

सभापति महोदय, जम्मू-कश्मीर में आतंकवादियों से लड़ते हुए 17 अप्रैल, 1999 को शहीद हुए सूबेदार भैरूराम के बच्चे 26 जून तक आर्थिक सहायता, नौकरी का इन्तजार कर रहे हैं। उसकी विधवा सहायता के लिए सीकर जिला कलेक्टर सहित अन्य अधिकारियों के चक्कर काट चुकी है। अपने देवर के साथ जयपुर आयी श्रीमती कोयली देवी ने बताया कि उसके पति सीमा सुरक्षा बल में 95वीं बटालियन में सूबेदार थे और 17 अप्रैल को बारामूला क्षेत्र में आतंकवादियों से लड़ते हुए देश के लिए शहीद हो गये थे। बड़ा कहा गया था कि इनको यह देंगे, वह देंगे, लेकिन वह आज भी चक्कर काट रही है।

सभापति महोदय, तिरंगे झण्डे का अपमान, गजब। झुंझुनूं जिले के जांबाज वीर सपूत अपने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराने के लिए आन-बान-शान से लड़े और कुर्बानी दी। उस जिले के राजनेता मूक दर्शक बनकर अमेरिका का झण्डा देखते रहे और हमारे तिरंगे झण्डे का क्या

(श्री मदन दिलावर)

हाल हुआ ? पांडाल में फरियों की तरह तिरंगे झण्डे को इधर-उधर लगाया गया। जब उनको पता चला तो वहां के लोगों से हलफनामा लिखवाया, शपथ-पत्र लिखवाया कि हमने अमेरिका का झण्डा नहीं देखा है। यह शपथ-पत्र लिखवाने की जरूरत क्या आ गयी थी ? झुठलाने के लिए ? तिरंगे झण्डे का अपमान।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, अब आप दो मिनट में समाप्त करें।

श्री मदन दिलावर : सभापति महोदय, मैं अभी समाप्त कर रहा हूं।

श्री सभापति : आप दो मिनट में समाप्त करें। अब आपकी पार्टी का समय केवल 20 मिनट रहा है। यदि आप सारा समय लेना चाहते हैं तो आप ले लीजिये। आप दो मिनट में समाप्त करें, नहीं तो आपके दूसरे स्पीकर को टाइम नहीं मिलेगा।

श्री मदन दिलावर : हां, मैं समाप्त करूंगा।

सभापति महोदय, पंचायती राज के चुनाव बहुत निष्पक्ष हुए, ऐसा ढिंढोरा पीटा गया। इतने निष्पक्ष हुए कि 19 तारीख को बारां जिले के जिला कलेक्टर मिस्टर आर. एस. गठाला ने एक विज्ञप्ति जारी की कि जो अस्थायी कर्मचारी भर्ती होना चाहते हैं वे अपना आवेदन दे दें 21 तारीख 5 बजे तक। 19 तारीख को वह छपी, 20 तारीख को सुबह लोग गये अपना आवेदन देने के लिये। पुलिस के जवानों से उन प्रार्थियों पर लाठी-चार्ज करवाया और कहा कि हमने तो 19 तारीख को ही भर्ती कर लिये हैं।

सभापति महोदय, 21 तारीख अन्तिम तिथि हो, 20 तारीख को भर्ती कर लिया जाए, आवेदन देने गये उन पर लाठी चार्ज हो। आप जानते हैं, मैं दुबारा नहीं कहना चाहूंगा, नहीं तो मेरे ऊपर यह लोग कहेंगे कि तुम तो ऐसे ही असत्य बोलते हो।

श्री श्रवण कुमार : पांच साल तक भ्रष्टाचार किया।

श्री मदन दिलावर : सभापति महोदय, मेरी रक्षा कीजिये।

श्री सभापति : आपकी रक्षा करेंगे लेकिन आप सहयोग भी करें।

श्री मदन दिलावर : हां, मैं करूंगा।

श्री सभापति : आपकी रक्षा तो चाहिये लेकिन आप सहयोग भी करें।

श्री मदन दिलावर : मैं बड़े विनम्र शब्दों में आपका सहयोग करूंगा।

श्री सभापति : अब आप समाप्त करिये।

श्री मदन दिलावर : हां, कर रहा हूं।

(श्री मदन दिलावर)

सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र के वार्ड नम्बर 10 जिला परिषद की एक पेटी में वोट वार्ड नम्बर 5 के निकलते हैं, 600 वोट निकलते हैं। एक-दो वोट निकल जाते तो कोई बात नहीं, मैं चर्चा भी नहीं करता लेकिन 600 वोट निकलते हैं। रात में पेटियों में गड़बड़ी की, हड़बड़ाहट में फर्जी वोट डाले होंगे इसलिए उस पेटी के बजाय उस पेटी में चले गये। कितनी निष्पक्षता है इन लोगों की ?

सभापति महोदय, आप बिजली का भी देख लें। यहां ऊर्जा मंत्री जी ने पिछली बार खड़े होकर कहा कि नर्सरी योजना मैं समाप्त करता हूं, गरीबों के लिए बड़ी रियायत देता हूं। बड़ी खुशी हुई, मैं भी गरीब परिवार से आता हूं। उन्होंने कहा, 9 हजार के खम्भे का भी कम कर देंगे। हुआ क्या उसका ?

सभापति महोदय, चोर बिजली योजना चालू कर दी कि जो चोरी करेगा उसको तुरन्त नर्सरी योजना के माध्यम से कनेक्शन दे दिया जाएगा।

सभापति महोदय, बड़े-बड़े लोगों ने अपने लोगों को यह कह दिया कि बिजली लेनी हो तो चोरी कर लो नर्सरी योजना समाप्त। 9 हजार रुपये के खम्भे का 11 हजार रुपये कर दिया। बिजली का बिल बढ़ा दिया। गांव में ढाई सौ रुपये में गरीब आदमी अपने घर का कनेक्शन लेता था उसको 12 सौ रुपये देने पड़ रहे हैं। 12 सौ रुपये देने पड़ रहे हैं, गरीब आदमी कहां से लाएगा ?

श्री सभापति : माननीय सदस्य, अब आप विराजें ?

श्री मदन दिलावर : चिकित्सा विभाग के बारे में दो बात और कहना चाहता हूं।

श्री सभापति : अब आप सीमा से बाहर जा रहे हैं।

श्री मदन दिलावर : मरीज मर चुका है लेकिन उसके नाम से अभी भी दवाइयां उठाई जा रही हैं। सभापति महोदय, आंधी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का हाल, जमुवारामगढ़ तहसील के आंधी गांव के एक....

श्री हरिसिंह (मुख्य सचेतक) : सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि समय सीमा अगर निर्धारित कर दें तो सभी माननीय सदस्यों को, इधर के भी और उधर के भी, ज्यादा से ज्यादा भागीदारी करने का मौका मिलेगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : इनके बोलने के बाद करवा दें।

श्री हरिसिंह (मुख्य सचेतक) : अगर आप होते तो कुछ लिनिएंसी हो सकती थी।

श्री मदन दिलावर : मेरी भी सीमा तय कर दीजिए, साहब।

श्री हरिसिंह (मुख्य सचेतक) : कुछ अर्थ भी निकलता, कुछ लाभान्वित भी होते। (व्यवधान) आप ऐसा महसूस करते हो क्या ?

श्री सभापति : समय सीमा निर्धारित है, आपकी पार्टी का जो समय है, अब आपके केवल 10 मिनट रह गए हैं।

श्री मदन दिलावर : 10 मिनट है न मेरे।

श्री सभापति : फिर आपकी पार्टी के दूसरे अन्य माननीय सदस्यों का बोलना सम्भव नहीं होगा। इसलिए, मदन दिलावरजी, आप समाप्त करें। श्री मांगीलाल बांगा।

श्री मदन दिलावर : इसमें कहा गया है कि साम्प्रदायिक सौहार्द सरकार बनाएगी। लोग वहां फलौदी में बूचड़खाने में गायों को ले जा रहे थे, मुरलीधर बोहरा की हत्या कर दी असामाजिक तत्वों ने। टौंक में अनुसूचित जाति के खटीक लोगों पर जो अत्याचार किए हैं उसे राजस्थान भूल नहीं सकता।

श्री सभापति : आप विराज जाएं, आपके दूसरे माननीय सदस्य भी हैं।

श्री मदन दिलावर : एक औरत मर गई थी, उसकी बैठक में गये हुए थे, वहां से लोगों को पकड़ कर पुलिस ने बंद कर दिया, उन पर अत्याचार किया।

सभापति महोदय, मैं समाप्त करते हुए यह कहना चाहता हूं कि यह बजट गरीबों पर अत्याचार करने वाला +++ बजट है, यह +++ सरकार का बजट है, इसकी जितनी निंदा की जाए, कम है।

श्री मांगीलाल बांगा (मेड़ता) : सभापति महोदय, राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी। कांग्रेस हमेशा ग्रामीण, किसान, गरीब, मजदूर की हिमायती रही है। अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जातियों, जनजातियों के लोगों का हमेशा विकास हो और समान स्तर बना रहे, इसके लिए हमेशा दृढ़ संकल्पित रही है।

सभापतिजी, राजस्थान सरकार के वित्त मंत्री ने गौरवशाली राजस्थान की स्थापना के दिन इस सरकार का दूसरा बजट पेश किया। सरकार को विरासत में जो विषम आर्थिक परिस्थितियां मिलीं और प्रशासन की जो स्थिति मिली, उन सबको ध्यान में रखते हुए माननीय वित्त मंत्रीजी ने जो बजट प्रस्तुत किया है, एक दूरदृष्टि के साथ राजस्थान के सम्यक विकास का प्रगतिशील और संतुलित बजट प्रस्तुत किया है, मैं इसका स्वागत करता हूं।

सभापतिजी, जब से सरकार ने सत्ता सम्भाली, सबसे पहला कदम उठाया सत्ता के विकेन्द्रीकरण का। महात्मा गांधी जी की जो कल्पना थी, जो उनका सपना था ग्राम स्वराज का, उसको साकार करने के

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री मांगीलाल डागा)

लिए ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद इनको अधिकार दिए। सरकार उनको ज्यादा से ज्यादा शक्तियां देकर मजबूत बनाने के लिए अग्रसर है।

सभापतिजी, पंचायत चुनाव करवाए, संवैधानिक दायित्व को पूरा किया। उसके साथ ही लोकतांत्रिक व्यवस्था बनी रहे और ग्रामों के विकास की योजना ग्राम स्तर पर बने, इसके लिए राजस्थान में योजना आयोग का गठन किया। प्रशासनिक तंत्र में पिछले आठ सालों में जो शिथिलता आ गई थी, उसमें सुधार के लिए कुछ निर्णय लिए।

मुख्य निर्णयों का मैं यहां उल्लेख करना चाहता हूं। लोक कल्याण के लिए, प्रशासनिक सुधार के लिए प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया। महिला आयोग, मानवाधिकार आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग, अल्पसंख्यक आयोग, राज्य वित्त आयोग और राज्य योजना बोर्ड का पुनर्गठन किया।

सभापतिजी, बजट जब पेश किया जा रहा था, सरकार को विरासत में भारी कर्ज का बोझ मिला और उसका ब्याज चुकाने के लिए भी ऋण लेने के लिए सरकार को विवश होना पड़ा। चूरू से आने वाले माननीय सदस्य बता रहे थे कि ऋण लेते समय यह इकरार किया गया है कि वर्तमान में जो पद रिक्त हैं उन्हें भरा नहीं जाए।

सभापति महोदय, मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि पांचवें वेतन आयोग को लागू करते समय, वेतन आयोग की शर्तों में भी ऐसा था। वेतन आयोग पूर्ववर्ती सरकार ने लागू किया, उस समय यह व्यवस्था करनी थी, वित्तीय प्रबन्ध के लिए संसाधन जुटाने की व्यवस्था करनी चाहिए थी ताकि वेतन और संस्थापन खर्चों के लिए कर्ज लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती।

सभापति जी, कमजोर तबके, पिछड़े वर्ग को राहत मिले उनकी सेवाओं में बढोतरी हो, जनता पर कर्ज का भार अधिक नहीं पड़े, इन सब बातों को ध्यान में रखकर यह संतुलित बजट पेश किया गया है।

सभापतिजी, कांग्रेस पार्टी भारी बहुमत से जीतकर सत्ता में आई है और जनता की आकांक्षा उससे बहुत ज्यादा है। राज्य की वित्तीय स्थिति और जनता की आकांक्षा को ध्यान में रखते हुए माननीय वित्त मंत्री जी ने सीमित संसाधनों के बावजूद भी कर्ज का भार ज्यादा नहीं बढ़े और हमारे, विकास की गति हमेशा दिन प्रतिदिन बढ़े इसके लिए औद्योगिक सेवाओं के आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के लिए बोट, बूट और बूम पद्धति का प्रावधान किया है। इससे निजी निवेश बढ़ेगा और इससे जो हमें बजट में कमी नजर आ रही है, मैं समझता हूं कि उसकी पूर्ति होगी और विकास की गति निरंतर बढ़ती रहेगी।

चिकित्सा, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा में निजी निवेश को बढ़ावा देकर राजस्थान

(श्री मांगीलाल डागा)

के विकास की गति को बनाए रखने के लिए भी प्रावधान किया गया है।

सभापतिजी, पंचवर्षीय योजना के आधार पर वार्षिक योजना भी बनी है। वार्षिक योजना चाहे वह कितनी ही भारी बनाई जाए पर उसमें वित्त वर्ष में कितना खर्च हो, उसकी उपलब्धियां कितनी हों यह भी देखा जाना चाहिए। जो योजनाएं पूर्ववर्ती सरकार के समय बनाई गई थीं, लेखे और आंकड़े बहुत लम्बे बताए गए थे परंतु उसमें जो खर्च होना चाहिए, मैं समझता हूं कि उसका 50 और 60 प्रतिशत खर्च हुआ है। हमारे चालू वित्त वर्ष की योजना 4146 करोड़ 15 लाख रुपये की निर्धारित की गई। इसमें सामुदायिक और सामाजिक विकास पर सबसे ज्यादा 35 प्रतिशत राशि व्यय करने का प्रावधान रखा गया है।

आज हमारे प्रांत में ऊर्जा एक महत्वपूर्ण विषय है। 75 प्रतिशत ऊर्जा उत्पादन के लिए हमारी सरकार बहुत प्रयत्नशील है, सूरतगढ़ की इकाई में उत्पादन शुरू हुआ है। इस चालू वित्त वर्ष में वार्षिक योजना का 24 प्रतिशत खर्चा ऊर्जा के मद में खर्च किया जाएगा।

यह सरकार की इच्छाशक्ति और नीति का परिचायक है। परिवहन पर योजना का 13 परसेंट खर्च किया जाएगा। ग्रामीण विकास, विशेष क्षेत्रीय विकास पर 8 प्रतिशत खर्च किया जाएगा। सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण पर 8 प्रतिशत खर्च किया जाएगा। कृषि एवं कृषि संबद्ध सेवाओं पर 6 परसेंट खर्च किया जाएगा। उद्योग और खनिज पर 3 परसेंट एवं विविध पर 3 परसेंट खर्च किया जाएगा।

(16.00 बजे)

माननीय सभापति महोदय, गत वर्ष भयंकर अकाल था और आज भी सरकार के सामने अकाल मुंह फाड़े खड़ा है। जब-जब प्राकृतिक आपदा प्रान्तों में होती है, केन्द्र सरकार का दायित्व होता है कि उस राज्य की मदद करे।

सभापति महोदय, आपको भी याद होगा जब राजीव जी प्रधान मंत्री थे और अकाल की स्थिति थी। राजीव जी ने स्वयं इस राजस्थान का दौरा किया, वे अकाल से पीड़ित जनता से आमने-सामने मिले और उनकी पीड़ा के अनुसार राजस्थान को भरपूर मदद दी।

लेकिन भारत सरकार आज खाद का मूल्य बढ़ाने में संकोच नहीं करती, गैस, डीजल का मूल्य बढ़ाने में संकोच नहीं करती तो प्राकृतिक आपदा के समय राजस्थान की जनता को राहत देने में पीछे क्यों? 1200 करोड़ के लगभग जो अकाल राहत में खर्च का आकलन है, उसमें भारत सरकार की तरफ से 103 करोड़ की सहायता स्वीकृत की जाए, यह एक सोचनीय विषय है।

मैं तो निवेदन करूंगा कि इसमें

(श्री मांगीलाल डागा)

राजीव गांधी जी का अनुसरण करना चाहिए वाजपेयी जी को और आकर राजस्थान की जनता के दुःख-दर्द में शामिल होकर अकाल राहत में भरपूर सहायता इस राज्य को देनी चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, अकाल राहत कार्य शुरू हुए, परन्तु आवश्यकता के अनुसार उन्हें बढ़ाना भी बहुत ही आवश्यक है। मजदूरों की संख्या बढ़ाना और कुछ कार्य ऐसे हैं जिनसे परिसम्पत्तियां बढ़ें और रोजगार मिले, वे कार्य हाथ में लेना बहुत आवश्यक है। आज पशुधन को बचाने के लिए चारा डिपो खोले गये हैं। नागौर जिले में यह काम सहकारी बैंकों की देखरेख में स्थानीय ग्राम सेवा सहकारी समितियों को सौंपा गया है रिवोल्विंग फण्ड के लिए सभी ग्राम सेवा सहकारी समितियां जो चारा ला रही हैं उनको संसाधन और आर्थिक साधन उपलब्ध कराये गये हैं।

माननीय सभापति महोदय; मैं निवेदन करना चाहूंगा कि चारे के साथ-साथ पशुओं को बचाने के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए; उसका दूध उत्पादन जो अकाल के अंदर घट जाता है उसको समान रूप में बनाने के लिए उनको पशु आहार उपलब्ध कराना आवश्यक है। पशु आहार उपलब्ध कराने के लिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि शीघ्र ही व्यवस्था की जाए। कम से कम 50 प्रतिशत अनुदान के ऊपर दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों की मार्फत, स्थानीय ग्राम सेवा सहकारी समितियों की मार्फत पशुपालकों को पशु आहार उपलब्ध कराया जाए।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान में नागौर जिला बैल के लिए पूरे एशिया में प्रसिद्ध है। उस नागौर जिले में भी अकाल छा गया है। पूर्ववर्ती सरकार के समय जो कानून बना था, उस कानून की माननीय हाई कोर्ट में व्याख्या हुई है कि तीन साल के बछड़े को व्यापारी खरीदकर पशुपालन के लिए बाहर नहीं ले जा सकता। नागौर का पशु मेला जिसमें राजस्थान सरकार को भी भरपूर आमदनी होती थी और किसान अकाल का मुकाबला करने में समर्थ होता था वह मेला पूरी तरह से पिट गया है। सामने मेड़ता का मेला आ रहा है लेकिन व्यापारी वहां आने की इच्छा नहीं रख रहे हैं।

मान्यवर; जो बछड़े हाई कोर्ट के आदेश से रोके गए, उनमें से काफी बछड़े जो व्यापारी पहले अपने पास रख रहे थे, भरसक उनके प्रयत्न के बाद कुछ बछड़े मारे गये। बाद में जिला प्रशासन द्वारा स्थानीय गोशालाओं में उनको रखने की व्यवस्था की गयी है।

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि उन बछड़ों के भरण-पोषण के लिए राज्य सरकार अलग से अनुदान की व्यवस्था करे। मैं पशुपालन राज्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने सदन में यह घोषणा की है कि इस अधिनियम में संशोधन किया

(श्री मांगीलाल डागा)

जाएगा। लेकिन संशोधन करने के साथ ही आपको विश्वास दिलाना पड़ेगा उन व्यापारियों को जो कि छोटे बछड़ों को यहां से ले जाकर पालन-पोषण करके वहां खेती के उपयोग में लेते थे।

मान्यवर, उस फैसले में आरोप यह लगाया गया कि ये बछड़े गोवध के लिए ले जाये जा रहे हैं। जो याचिकाकर्ता हैं, जो गोवंश की पैरवी करने वाले हैं उनसे हमने निवेदन किया था कि हमारा गोवंश है, आप जितना इसको रखना चाहते हैं, रखिए। वे मांग कर रहे हैं कि ये बछड़े नीमच की जो संस्था है उसको सौंप दें।

आरोप यह है कि गोवध करके इनका मांस बेचा जाता था। यह बिलकुल झूठा आरोप है। इसके सत्यापन के लिए गांव का एक आदमी भी तय कर सकता है। बछड़े का वजन करा लीजिए और दुकानों में जो मांस की दर है उसका मूल्यांकन करा लीजिए और बछड़े की कीमत का, जिसके वहां से खरीदा है इसका आकलन करा लीजिए। नागौर का बैल, नागौर के बछड़े शुरू से 5 हजार, 10 हजार, 25 हजार, 40 हजार तक बिके हैं।

आज किसान इससे पूरी तरह से लुट रहा है इसलिए आवश्यकता है कि तुरन्त इस कानून में संशोधन किया जाए। जो तीन हजार बछड़े गोशालाओं में हैं उनके भरण-पोषण की व्यवस्था की जाए।

माननीय सभापति महोदय, कृषि प्रधान राज्य होने के नाते हमारा जो आर्थिक आधार है वह कृषि है। पिछले साल अकाल रहा, इस साल भी घोर अकाल है, फिर भी हमारे वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने 129.10 करोड़ रुपये कृषि की विभिन्न योजनाओं में प्रावधान कर यह व्यवस्था की है कि हमारा यदि मानसून ने साथ दिया तो हमारी आर्थिक वृद्धि दर छह प्रतिशत जरूर बढ़ेगी।

सभापति महोदय, सरकार ने गांधीजी के ग्राम स्वराज के सपने को साकार करने का संकल्प उठाया है और उसकी क्रियान्विति कर रही है। गांवों में बेरोजगारी, क्षेत्रीय विषमताओं को दूर करने के लिए 227.82 करोड़ रुपये के प्रावधान से विभिन्न योजनाओं को संचालित करके गांवों में ग्रामीण जनता को रोजगार उपलब्ध कराना और आवश्यक परिसम्पत्तियों को बनाने का प्रावधान किया गया है।

सभापति महोदय, कुछ ऐसे विकास कार्य होते हैं, ऐसे आवश्यक कार्य होते हैं जो जनोपयोगी होते हैं, परन्तु हमारी योजना में प्रावधान नहीं होने से कई दफे उनको नहीं करा सकते। इसके लिए विधायक क्षेत्र विकास कार्यक्रम योजना लागू कर यह व्यवस्था की गई है कि जो मिनिमम नीड के आवश्यक कार्यक्रम हैं वे इस योजना से पूरे कराये जाएं।

इसमें माननीय वित्त मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि जो पैसा खर्च होने से बच गया उसे अगले वित्तीय वर्ष में खर्च

(श्री मांगीलाल डागा)

करने के लिए प्रावधान कर दिया गया है। साथ ही निवेदन करना चाहूंगा कि लोगों को उनकी मांग के अनुसार पूर्ति करने वाली यह योजना बहुत ही उपयोगी है, इस राशि को आप बढ़ाकर 25 से 50 लाख करें तो और ज्यादा अच्छा रहेगा।

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

श्री मांगीलाल डागा : माननीय सभापति महोदय, ग्राम स्वराज की कल्पना का सवाल है। उसके लिए ग्राम पंचायत, पंचायती राज, सहकारिता और शिक्षा इनकी हर गांव में माकूल व्यवस्था होना आवश्यक है।

सभापति महोदय, एक हजार करोड़ के अल्पकालीन ऋण और 257.50 करोड़ के मध्यकालीन ऋण का प्रावधान बजट में किया है। संसाधन सीमित हैं फिर भी मैं वित्त मंत्रीजी को इसके लिए बधाई दूंगा। अभी तो समय सीमा कम है, पर माननीय अध्यक्ष जी ने मुझे मौका दिया तो डिमाण्ड के टाइम में कुछ ऐसे सुझाव दूंगा जिनसे कि संसाधन उपलब्ध करा कर ग्राम गांव का जो किसान है उसको राहत के लिए हम इसको बहुत आगे बढ़ा सकते हैं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, सहयोग करें।

श्री मांगीलाल डागा : सभापति महोदय, राजस्थान राज्य अनुसूचित जनजाति सहकारी विकास निगम की स्थापना, राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ी जाति सहकारी विकास निगम की स्थापना और इसी तरह से अल्पसंख्यक जाति सहकारी विकास निगम की स्थापना का जो बजट प्रावधान है, मैं समझता हूं कि यह एक बहुत ही अच्छा निर्णय, दूरदर्शी निर्णय है और ग्रामीण जनता, अल्पसंख्यक और अन्य पिछड़ी जाति के लोगों को इसका बहुत बड़ा लाभ मिलेगा।

सभापति महोदय, शिक्षा के क्षेत्र में सरकार ने बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त की है। सभापति महोदय, जो शिक्षा का व्यापारीकरण होता था....

श्री सभापति : अब आप कृपया समाप्त करें। आपको वैसे ही पांच मिनट अधिक दे दिये।

श्री मांगीलाल डागा : माननीय सभापति महोदय, जो शिक्षा का व्यापार होता था कि मिडिल, सैकण्डरी स्कूल पैसा जमा कर खोले जाते थे। आज यह उपलब्धि है कि....

श्री सभापति : आप एक मिनट विराजें।

श्री हरिसिंह (मुख्य सचेतक) : शिक्षा की डिमाण्ड पर बुलवाएंगे आपको।

श्री सभापति : ये समाप्त कर रहे हैं।

श्री मांगीलाल डागा : माननीय सभापति महोदय, पेयजल योजना के लिए प्रावधान रखा गया है। फ्लोराइड नियंत्रण

(श्री मांगीलाल डागा)

की योजना के माध्यम से फ्लोराइड मुक्त जल उपलब्ध कराने के लिए बजट में व्यवस्था की गयी है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि मेड़ता, परबतसर, डेगाना, डीडवाना सहित सम्पूर्ण नागौर जिले में पेयजल संकट है, मेड़ता शहर, जड़ाऊकलना, लिलिया, जस्तावास इनकी योजनाएं माननीय मंत्री जी के निर्देशों में बनकर आयी हुई हैं वे शीघ्र ही स्वीकृत की जाएं और पेयजल के लिए समुचित व्यवस्था की जाए।

सभापति महोदय, विद्युत के बारे में निवेदन करना चाहूंगा।

श्री सभापति : अब आप समाप्त करिये। विद्युत बहुत बढ़िया चल रही है, समाप्त करें आप।

श्री मांगीलाल डागा : माननीय सभापति महोदय, समय के अभाव को देखते हुए मैं पुनः बधाई देना चाहता हूं कि माननीय वित्त मंत्री जी व राजस्थान सरकार ने गरीब जनता के हितों का, ग्रामीणों के हितों का बजट प्रस्तुत किया है। विषम आर्थिक परिस्थितियों में यह एक संतुलित बजट है, स्वागत योग्य है और मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूं।

समिति का प्रतिवेदन

कार्य सलाहकार समिति का सातवां प्रतिवेदन

श्री हरिसिंह (मुख्य सचेतक) : सभापति महोदय, मैं कार्य सलाहकार समिति के सातवें प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के सातवें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है।

सभापति महोदय, कार्य सलाहकार समिति की बैठक आज दिनांक 4 अप्रैल, 2000 को मध्याह्न पश्चात 1.30 बजे माननीय अध्यक्ष महोदय के वेश्म (चैम्बर) में हुई। समिति ने निर्णय लिया कि गुरुवार, दिनांक 6 अप्रैल, 2000 से बुधवार दिनांक 26 अप्रैल, 2000 तक सदन में लिये जाने वाले कार्य का बंटवारा निम्न प्रकार किया जाए:-

गुरुवार, दिनांक 6 अप्रैल, 2000	बैठक नहीं होगी।
शुक्रवार, दिनांक 7 अप्रैल, 2000	आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2000-2001 पर सामान्य वाद-विवाद एवं राज्य सरकार की ओर से उत्तर।
शनिवार, दिनांक 8 अप्रैल, 2000 रविवार, दिनांक 9 अप्रैल, 2000	बैठक नहीं होगी। "

(श्री हरिसिंह)

सोमवार, दिनांक 10 अप्रेल, 2000 मंगलवार, दिनांक 11 अप्रेल, 2000	आय-व्ययक (बजट) वर्ष 2000-2001 की अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान ।
बुधवार, दिनांक 12 अप्रेल, 2000	बैठक नहीं होगी ।
गुरुवार, दिनांक 13 अप्रेल, 2000	,,
शुक्रवार, दिनांक 14 अप्रेल, 2000	,,
शनिवार, दिनांक 15 अप्रेल, 2000	,,
रविवार, दिनांक 16 अप्रेल, 2000	,,
सोमवार, दिनांक 17 अप्रेल, 2000 मंगलवार, दिनांक 18 अप्रेल 2000 बुधवार, दिनांक 19 अप्रेल, 2000	आय-व्ययक (बजट) वर्ष 2000-2001 की अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान ।
गुरुवार, दिनांक 20 अप्रेल, 2000	,,
शुक्रवार, दिनांक 21 अप्रेल, 2000	,,

(आय-व्ययक (बजट) वर्ष 2000-2001 से सम्बन्धित अनुदान की शेष मांगें मुखबन्द का प्रयोग किया जाकर दिनांक 21 अप्रेल, 2000 को मतदान हेतु प्रस्तुत की जाएंगी ।)

शनिवार, दिनांक 22 अप्रेल, 2000	बैठक नहीं होगी ।
रविवार, दिनांक 23 अप्रेल, 2000	,,
सोमवार, दिनांक 24 अप्रेल, 2000 मंगलवार, दिनांक 25 अप्रेल, 2000	1. राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2000, 2. राजस्थान वित्त विधेयक, 2000, 3. राजस्थान (होटलों और वासों में विलासों-पर कर) (संशोधन) विधेयक, 2000, एवं

(श्री हरिसिंह)

	4. राजस्थान वृत्ति, व्यापार, आजीविका और नियोजन पर कर विधेयक, 2000 पर विचार एवं पारण ।
बुधवार, दिनांक 26 अप्रैल, 2000	राज्य में अकाल की स्थिति पर विचार । राज्य में पेयजल की स्थिति पर विचार ।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के सातवें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है ?

(स्वीकृति)

प्रतिवेदन स्वीकार किया गया ।

माननीय श्री आर.पी. शर्मा ।

आय-व्ययक पर वाद-विवाद

श्री आर. पी. शर्मा (भरतपुर) : माननीय सभापति महोदय, 30 मार्च को जो राजस्थान का बजट रखा गया है उसके सम्बन्ध में मेरे जो पूर्व के साथी बोले हैं, इस सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं । सबने स्वीकार किया है कि राजस्थान का बजट किन परिस्थितियों में रखा गया है । यह सब माननीय सदस्यों से छुपा हुआ नहीं है । जब कांग्रेस की सरकार ने सत्ता सम्भाली उस वक्त पूर्व की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस सरकार पर 23 हजार करोड़ रुपये का कर्ज छोड़ा था । उसके बाद भी हमारी प्राथमिकता इस बात की थी कि हम इस प्रदेश को कैसे आगे बढ़ाएं, इस प्रदेश से कैसे गरीबी दूर हो, इस प्रदेश से कैसे बेरोजगारी दूर हो ।

मैं माननीय वित्त मंत्रीजी का हार्दिक आभार प्रकट करना चाहता हूं कि आपने इन सब परिस्थितियों का अध्ययन करने के बाद जन कल्याण के कार्यों का सम्पादन करने के लिए जो 15 प्राथमिकताएं निर्धारित की हैं वे बहुत महत्वपूर्ण हैं । मुझे पूरा विश्वास है कि अगर इन 15 प्राथमिकताओं पर सही रूप से अमल होता है तो इस प्रदेश में विकास की गंगा बहेगी, इस प्रदेश की गरीबी दूर होगी और इस प्रदेश का बहुमुखी विकास होगा । मैं इस सम्बन्ध में मेरे सभी साथियों ने जो कहा उसकी पुनरावृत्ति नहीं करना चाहता ।

(श्री आर. पी. शर्मा)

आज हालात अकाल के सम्बन्ध में, ऋण के सम्बन्ध में कितने खराब हैं, किसी से छुपे हुए नहीं हैं, फिर भी जो 15 कार्यक्रम हाथ में लेने हैं, जिनके लिए योजनाएं निर्धारित की गयी हैं, इनमें क्या-क्या खर्चा होगा और किस तरह से हम इस पर काबू पाएंगे, इसके सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं।

सभापति महोदय, 19 मार्च को मैंने राजस्थान पत्रिका में पढ़ा कि माननीय पूर्व मुख्य मंत्री जी ने कहा कि राजस्थान की सरकार भारत सरकार से धन लेने में असमर्थ रही है। ऐसी बात नहीं है। पूर्व मुख्य मंत्रीजी जो वित्त के मामले में भी बहुत होशियार हैं, जिनका एक तजुर्बा है, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि आज भारत सरकार की माली हालत क्या है।

खुद वित्त मंत्रीजी यशवंत सिन्हा ने स्वीकार किया है कि आज भारत सरकार की माली हालत बहुत खराब है। उनको याद होना चाहिए कि जो इनकम का साढ़े 77 परसेंट पैसा स्टेट को मिलता है, साढ़े 47 परसेंट एक्साइज ड्यूटी का मिलता है, इसके साथ-साथ 29 परसेंट जो अन्य आय थी भारत सरकार की, उसमें से भारत सरकार ने जो वायदे किये थे स्टेट्स को देने के लिए, उसमें आज तक वे कोई फैसला क्यों नहीं कर पाये? इसके पीछे सीधी-सच्ची सोच यह है कि उनकी खुद की वित्तीय स्थिति इस तरह की नहीं है कि वे स्टेट गवर्नमैंट को मदद करें।

इसके साथ-साथ मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि वित्तीय घाटा जहां 1997-98 में सभी राज्य सरकारों का 16 हजार करोड़ रुपये का था, वह आज 1999-2000 में 40 हजार करोड़ रुपये का हो गया है। ढाई गुना वित्तीय घाटा राज्य सरकारों का बढ़ गया है। उसके साथ-साथ 1997-98 में जो सभी स्टेट गवर्नमैंट पर कर्ज का बोझ 2 लाख 43 हजार 525 करोड़ रुपये का था वह बढ़कर 4 लाख 9 हजार 258 करोड़ पर पहुंच गया है।

इससे आप समझ सकते हैं कि न तो प्रदेशों की माली हालत अच्छी है और न भारत सरकार की माली हालत अच्छी है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आपस में बातचीत नहीं करें। आप सब शामिल हैं।

श्री आर. पी. शर्मा : उसमें पांचवें वेतन आयोग से जो भार पड़ा है वह तो है ही, लेकिन हर प्रदेश आज कर्ज लेकर अपनी योजनाओं को पूरा कर रहा है, कर्ज लेकर अपने कार्यक्रमों को आगे बढ़ा रहा है। यह कब तक चलेगा? इसके सम्बन्ध में हमारे वित्त मंत्रीजी ने बहुत अच्छी बात कही है कि राजकोषीय घाटा, जो 67 हजार 500 करोड़ रुपये का आंका गया है उसको हम कैसे कम करें।

आज मालूम है कि बजट एस्टिमेट में यह 8.84 प्रतिशत था उसको घटाकर 7.51 ले आये हैं और हमें कहते हुए खुशी

(श्री आर. पी. शर्मा)

है कि 2000-2001 में 7.46 प्रतिशत तक इसको लाने का संकल्प हमारे वित्त मंत्रीजी ने रखा है। इसके अलावा उन्होंने इस बात को भी दोहराया है कि हम इसको 4 प्रतिशत आगे आने वाले समय में ले आएंगे।

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जिस प्रदेश की सरकार का राजकोषीय घाटा अपने ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन से 6 प्रतिशत से ऊपर हो जाता है वह स्टेट डैथ ट्रैक पर पहुंच जाता है; उस स्टेट की माली हालत एक तरह से मृत्यु शय्या पर पहुंचने जैसी हो जाती है। वह हालत हमें प्राप्त हुई।

मैंने जैसा अभी कहा कि जन कल्याणकारी कार्यों को सम्पादित करने के लिए 15 प्राथमिकताएं निर्धारित की गयी हैं; उनमें सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिकता है कृषि की।

आज सब हम अच्छी तरह से जानते हैं कि इस प्रदेश में 80 प्रतिशत लोग कृषि पर निर्भर हैं और आपको यह भी मालूम होगा पूरे हिन्दुस्तान की भूमि में राजस्थान को इस बात का तो सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हमारा हिस्सा 10.4 प्रतिशत है लेकिन हमको इस बात का दुःख भी है कि उस 10.4 प्रतिशत में से केवल 9.9 प्रतिशत ही कृषि योग्य भूमि है, बाकी में हमारा मरु क्षेत्र है, अरावली पहाड़ है।

कृषि करने के लिए हमारे राजस्थान में 9.9 प्रतिशत जमीन ही है और कृषि के क्षेत्र में हमारा उत्पादन समस्त हिन्दुस्तान में 12वां स्थान रखता है। जो प्राथमिकताएं हमने निर्धारित की हैं उन प्राथमिकताओं में हमारे वित्त मंत्री जी ने एक सबसे महत्वपूर्ण काम किया है कि कृषि क्षेत्र में हम किस तरह से विकास करें, क्योंकि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन का महत्वपूर्ण हिस्सा कृषि क्षेत्र की आय से हुआ करता है। इसके लिए हमारी सरकार ने इस बजट में 129 करोड़ 10 लाख रुपये कृषि के क्षेत्र में विभिन्न गतिविधियों पर व्यय करने की योजना बनायी है वह बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है।

इसके साथ-साथ जल ग्रहण योजनाओं पर 56 करोड़ 65 लाख रुपये व्यय करना; बूंद-बूंद सिंचाई पर दो करोड़ 7 लाख रुपये व्यय करना और नेक्स्ट ईयर में 202 लाख हैक्टर भूमि का बुआई का लक्ष्य रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है और हमारे प्रदेश का कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए है।

इसके अलावा किसानों के लिए भण्डारण की व्यवस्था, किसानों के लिए विपणन बोर्ड द्वारा सड़कें बनाने की व्यवस्था जो की गयी है, वह हमारे कृषि के विकास में बहुत महत्वपूर्ण कदम है।

दूसरी महत्वपूर्ण योजना है ग्रामीण विकास की। जैसा कि मैंने कहा, 80 प्रतिशत जनसंख्या किसान है और वे ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत ढांचा और परिसम्पत्तियों के निर्माण

(श्री आर. पी. शर्मा)

के लिए इस बजट में 227 करोड़ 82 लाख रुपये का जो प्रावधान किया है वह बहुत महत्वपूर्ण है; एक अच्छी राशि हमें इस बजट में दी गयी है ।

मरू विकास कार्यक्रम हाथ में लिये गये हैं; मगरा क्षेत्र के विकास के कार्यक्रम हाथ में लिये गये हैं; राजीव गांधी पारम्परिक जल स्रोत संधारण कार्यक्रम हाथ में लिये गये हैं और इन सब पर 54 करोड़ 58 लाख रुपये व्यय करना प्रस्तावित है । मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि ग्रामीण क्षेत्रों में इस कदम से विकास में बहुत बड़ा सहयोग मिलेगा ।

सहकारिता के क्षेत्र में मेरे साथियों ने जो कहा, बिलकुल सही बात है । हमारे किसान जो गरीब हैं, जो बोहरों के चक्कर में रहते हैं उनको उनसे दूर करने के लिए इस सरकार ने पहला सोच किया है कि जब तक हम लोगों को सस्ता कर्जा उपलब्ध नहीं करवाएंगे, उनको छुटकारा नहीं मिलेगा । एक हजार करोड़ रुपये का फसली ऋण देने की सहकारिता के माध्यम से योजना बनायी गयी है । साथ ही साथ भूमि विकास बैंकों के माध्यम से पूंजीगत खर्चों के लिए 257 करोड़ 50 लाख रुपये का जो प्रावधान किया गया है यह भी किसानों के हित में एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कदम है ।

माननीय सभापति महोदय, कृषि में सिंचाई का बहुत बड़ा योगदान होता है । अगर हम कृषि से सिंचाई को नहीं जोड़ें, कृषि का उत्पादन बढ़ाने के लिए सिंचाई में अगर हम महत्वपूर्ण कदम नहीं उठाते हैं तो हमारा कृषि का उत्पादन भी नहीं बढ़ा सकते हैं । सरकार ने सिंचाई प्रबन्धन हेतु 332 करोड़ 69 लाख रुपये का जो प्रावधान इस वर्ष में किया है, जिससे 21 हजार 500 हैक्टेयर अतिरिक्त भूमि इस वर्ष सिंचित होगी; यह भी बहुत महत्वपूर्ण कदम इस सरकार ने इस बजट में उठाया है ।

इसके अतिरिक्त आई.जी.एन.पी. पर 120 करोड़ रुपये का खर्चा करने का प्रावधान है; उसमें 150 किलोमीटर पक्की नहरें बनेंगी । इसके साथ-साथ सिंचित क्षेत्र विकास के लिए 96 करोड़ 20 लाख रुपये और चम्बल परियोजना पर जो 19 करोड़ 48 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है; निश्चित रूप से यह सिंचाई के क्षेत्र में किसानों में समृद्धि लाने के लिए इस सरकार के द्वारा उठाया गया बहुत महत्वपूर्ण कदम है ।

इसके साथ-साथ जो हमारी सोशल लाइबिलिटी है शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने की, उसके लिए इस सरकार ने लगभग 1230 करोड़ 89 लाख रुपये का जो प्रावधान किया है, अच्छा किया है । लेकिन दो हजार करोड़ की इस तरह की योजनाओं को स्वीकृत किया है उन योजनाओं को पूरा करने में समय लगेगा क्योंकि लम्बी योजनाएं हैं ।

यह सही बात है कि इस प्रदेश के लिए हम केवल छोटी–छोटी योजनाओं से जल आपूर्ति नहीं कर सकते । जब तक हम लम्बी योजनाओं को नहीं बनाएंगे, बड़ी

(श्री आर. पी. शर्मा)

योजनाओं को नहीं बनाएंगे तब तक हमारे प्रदेश में पीने के पानी की समस्या बनी रहेगी। उसके लिए भी इस सरकार ने विभिन्न स्तरों पर कार्य किये हैं चाहे वह बीसलपुर प्रोजेक्ट हो, चाहे चम्बल हो।

चम्बल से लिफ्ट करके भरतपुर-धौलपुर के ग्रामों के लिए, शहरों के लिए पहली बार बड़ी महत्वपूर्ण योजना 166 करोड़ 53 लाख रुपये की सरकार ने स्वीकृत की है जिस पर इस साल 15 करोड़ रुपये का प्रथम चरण में प्रावधान किया गया है। यह भी बहुत महत्वपूर्ण कदम है भरतपुर और धौलपुर जिले के पीने के पानी की समस्या के लिए।

इसी तरह से पर्यावरण के सम्बन्ध में जो हमारी आमदनी का जरिया भी हैं वन उसके सम्बन्ध में भी इस सरकार ने अपनी चिंता जतायी है। उस पर 101 करोड़ 30 लाख का प्रावधान किया गया है। इसके साथ-साथ अरावली फोरेस्ट का प्रोजेक्ट जो हमारा कुल 430 करोड़ 50 लाख रुपये का चार साल के लिए सैंक्शन किया गया है, यह भी एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कदम वनों के संवर्द्धन के लिए, वनों के विकास के लिए होगा। उस पर इस वर्ष हमने 45 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रावधान किया है।

साथ-साथ बनास नदी पर भी वनीकरण करने के लिए 10 करोड़ का प्रावधान किया है। मरू क्षेत्र पर 14 करोड़ 62 लाख रुपये विभिन्न योजनाओं पर 15 हजार हैक्टर भूमि पर वन लगाने की जो योजना बनायी है वह भी वनों के विकास के लिए इस सरकार का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कदम होगा।

इसके अलावा हम सब अच्छी तरह से जानते हैं कि जब तक इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलप नहीं होगा वह प्रदेश विकास नहीं कर सकता है। इन्फ्रास्ट्रक्चर में सड़क, बिजली, यातायात, कम्युनिकेशन सब आता है। इनमें से सड़कों के क्षेत्र में सरकार ने एक बहुत महत्वपूर्ण योजना अपने हाथ में ली है। 876 किलोमीटर स्टेट हाई वे और डिस्ट्रिक्ट रोड्स को चौड़ा करने के लिए उनके सुदृढ़ीकरण के लिए तथा 1798 किलोमीटर सड़कों के रख-रखाव के लिए जो 1560 करोड़ रुपये की योजना वर्ल्ड बैंक की सहायता से सरकार ने अपने हाथ में ली है, वह एक बहुत महत्वपूर्ण कदम इस प्रदेश के इन्फ्रास्ट्रक्चर के डवलपमेंट के लिए है। इस स्टेज में 140 करोड़ 83 लाख का प्रावधान कर दिया गया है।

(16.29 बजे)

(श्री देवेन्द्र सिंह उपाध्यक्ष पदासीन)

इसके साथ-साथ ग्रामीण सड़कों के विकास पर 58 करोड़ 74 लाख रुपये और बी.ओ.टी.के. अन्तर्गत 15 परियोजनाओं की स्वीकृति के लिए जो 150 करोड़ रुपये की योजना स्वीकृत की है उसमें से 14 योजनाओं के लिए 118.40 करोड़ की तो स्वीकृति दे दी गयी है। यह भी बहुत बड़ा कदम हमारी सरकार ने इन्फ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए, सड़कों के

(श्री आर. पी. शर्मा)

सुदृढ़ीकरण के लिए उठाया है।

इसके साथ-साथ कृषि विपणन बोर्ड से भी 116 करोड़ 44 लाख रुपये का व्यय प्रस्तावित है, यह भी इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलप करने की दिशा में बहुत महत्वपूर्ण कदम सरकार ने उठाया है।

उपाध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने कहा, प्रदेश में रोजगार देने के लिए हम कृषि पर आधारित हैं लेकिन जब तक हम उद्योग धन्धों को नहीं बढ़ाएंगे, इस प्रदेश से गरीबी दूर नहीं हो सकती, सब लोगों को काम नहीं मिल सकता। उसके लिए पहली बार इस सरकार ने बोर्ड आफ इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमैंट प्रमोशन के द्वारा निजी निवेश में 1574 करोड़ रुपये के प्रस्तावों की स्वीकृति की है तथा 4500 करोड़ रुपये के प्रस्ताव हमारे पास लम्बित हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण कदम आगे आने वाले वर्षों में उद्योग-धन्धों के विकास के लिए इस राजस्थान की सरकार का होगा।

पर्यटन के क्षेत्र में भी यह सरकार बहुत चिंतित है। मेरा अपना मानना है कि पर्यटन के क्षेत्र में राजस्थान का जिस तरह से नाम चला है, अगर हम पर्यटन के क्षेत्र में कठोर कदम उठाएंगे, इसका विकास करने में हम अगर मेहनत करेंगे पैसा खर्च करेंगे तो निश्चित रूप से राजस्थान के लोगों को रोजगार मिलेगा।

इसके लिए सरकार ने पहली स्टेज में एक करोड़ 40 लाख रुपये का प्रावधान किया है तथा विदेशों में राजस्थान के पर्यटन की महत्ता को समझाने के लिए 50 लाख रुपये का प्रावधान किया है, यह भी एक महत्वपूर्ण कदम पर्यटन के क्षेत्र में है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, स्थानीय निकाय और नगरों के नवीनीकरण और सौन्दर्यीकरण के लिए जो योजना हाथ में ली गई है, निश्चित रूप से कुछ लोगों को लगता है कि यह कदम अटपटा है। लेकिन मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि हम आगे की बात सोचें। आज जिस तरह शहरों में अतिक्रमण हुआ है, लोगों ने होड़ सी लगा ली थी अतिक्रमण की, अगर उसको सरकार, कोई भी सरकार हो, नहीं रोकती है तो आगे क्या-कैसा समय होगा, उसके लिए हम सोच नहीं सकते।

इसलिए सरकार ने अपनी दृढ़ इच्छा-शक्ति दिखायी है अतिक्रमण को रोकने में। केवल अतिक्रमण रोकने की बात ही नहीं की है, इस सरकार ने यह भी तय किया है कि नवीनीकरण और सौन्दर्यीकरण के लिए 16 करोड़ रुपये का खर्चा हम प्रस्तावित करते हैं। यह भी महत्वपूर्ण है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप भरतपुर में करवा लो।

श्री आर.पी. शर्मा : हां, राठौड़ साहब, मैं आपको निवेदन कर दूं, आपकी सरकार ने भरतपुर में पहले ही अतिक्रमण का काम करवा दिया है, आपके हम आभारी हैं। मुझे याद है और आपको भी शायद पता होगा कि उस समय सी.एम. साहब के पास

(श्री आर. पी. शर्मा)

माननीय मंत्रीजी भंवरलाल शर्मा जी चले गये थे....

श्री उपाध्यक्ष : आप तो अपनी बात कहकर समाप्त करो।

श्री आर.पी. शर्मा : ....भाजपा के सब कार्यकर्ता आये थे, उन्होंने कहा कि अतिक्रमण को रोक दो। तो दोनों ने यह हाथ जोड़कर कह दिया कि यह काम मैं नहीं करूंगा, इसको तो होने दो। राठौड़ साहब, अगर हम कुर्सी पर बैठे हैं तब कुछ और बात करें और जब हम विरोध में बैठे हैं तब कुछ और बात करें, यह अच्छी बात नहीं है। किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाए तो वह उम्मीद यह करता है कि मुझे कोई आदमी उठाकर ले जाए, अस्पताल में भर्ती करा दे, इलाज करा दे, लेकिन अगर वही व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति का एक्सीडेंट होते हुए देखे और देखकर चल दे, यह बात अच्छी नहीं है। ड्यूअल पालिसी नहीं हो, सिंगल पालिसी रखिये। जो बात अच्छी है, उसको अच्छी कहिये।

मैंने पहले ही आपसे कहा है, मैं किसी की बुराई-भलाई नहीं करता। हम जब तक मिलकर इस राजस्थान के विकास के लिए एक पालिसी नहीं बनाएंगे, इस प्रदेश के भले की बात नहीं कर रहे हैं। आप भी चुनकर आये हैं, हम भी चुनकर आये हैं, सबका लक्ष्य और धर्म एक ही है कि इस प्रदेश की गरीबी दूर हो, यहां भ्रष्टाचार कम हो, यहां विकास के काम आगे बढ़ें। हम सब मिलकर इस प्रदेश की तरक्की करें, यही हमारा धर्म है। यह ठीक है कि राजनैतिक कारणों से एक-दूसरे की इच्छाएं पूरी करते हैं।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन करना चाहता हूं कि किसी भी लोक कल्याणकारी सरकार...

श्री उपाध्यक्ष : हो गया निवेदन। वहां तो ताली भी बजा दी इन्होंने।

श्री आर. पी. शर्मा : सिर्फ पांच मिनट लूंगा, कोई बात नहीं।

किसी भी लोक कल्याणकारी सरकार के लिए बहुत जरूरी है कि वह सस्ता, सुलभ और जल्दी न्याय दिलाये। उसके लिए इस सरकार ने 30 नये न्यायालय खोलकर कदम उठाया है।

जिस तरह से आज हम देख रहे हैं, हमें जब तक जल्दी न्याय नहीं मिलेगा, सस्ता न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम कितनी ही मेहनत करें, हम जनता की सेवा नहीं कर सकते। उसके लिए 30 नये न्यायालय खोलने के लिए एक करोड़ 20 लाख रुपये का प्रावधान करना तथा न्यायालयों के हाउसिंग के लिए दो करोड़ 49 लाख का जो प्रोविजन करना, यह भी इस सरकार का बहुत बड़ा कदम है।

मैं विद्युत के क्षेत्र में पहले कह चुका हूं कि इस सरकार ने जो कहा है वह किया है। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, पहले इन्सान की आवश्यकता हुआ करती थी रोटी, कपड़ा और मकान, लेकिन आज

(श्री आर. पी. शर्मा)

इन्सान की आवश्यकता है रोटी, कपड़ा और मकान के साथ-साथ विद्युत आपूर्ति भी। लोग कहते हैं कि पैसे बढ़ा दिये गये। मैं इसको साफ कहना चाहता हूं...

श्री उपाध्यक्ष : यह बात आप गवर्नर के एड्रेस में कह चुके हैं, आप रिपीट कर रहे हैं।

श्री आर. पी. शर्मा : ...बिजली जो कंज्यूम करते हैं, वे इस बात की परवाह नहीं करते हैं कि पांच पैसा, दस पैसा बिजली पर बढ़ा दिये गये हैं, लेकिन वे इस बात की जरूर परवाह करते हैं कि हमको बिजली 24 घण्टे मिले। अगर 24 घण्टे बिजली लेना चाहते हैं तो हमें पैसा बढ़ाने में संकोच नहीं करना चाहिए। हमें सुविधाएं देनी हैं।

मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि ऐसे लोगों ने जिनकी छोटी बुद्धि थी, जिनका छोटा सोच था, उन्होंने इस बात की परवाह नहीं की कि इस प्रदेश के विकास के लिए अगर जरूरत है तो बिजली का उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा। अगर कोई सरकार यह सोचती है कि हम राज हमारी पार्टी के लिए कर रहे हैं कि हमारे लिए क्या हितकर है, जनता जाए भाड़ में, वह जनता की भलाई नहीं कर रही है।

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त कीजिये, माननीय सदस्य।

श्री आर. पी. शर्मा : ....हमें सोचना पड़ेगा कि जनता की भलाई के लिए अगर हमें कुर्सी भी झोंकनी पड़े तो हम झोंकने के लिए तैयार होंगे। कांग्रेस की नीति यह रही है। कांग्रेस चाहती है सबका भला हो। कांग्रेस लम्बे प्रोग्राम बनाती है, दूरगामी पार्टी है कांग्रेस, छोटी सोच नहीं है कांग्रेस की।

मैं कहना चाहता हूं कि बिजली के उत्पादन में 500 मेगावाट का उत्पादन हो गया और 500 मेगावाट बरसिंहसर में उत्पादन के लिए भारत सरकार से स्वीकृति मिल गई है, कुछ ही महीने में उसका काम शुरू हो जाएगा। इस सरकार का 2000 मेगावाट का बिजली उत्पादन का लक्ष्य है और अपने कार्यकाल में उत्पादन का लक्ष्य पूरा करने में यह सरकार सफल रहेगी, यह मेरा दृढ़ विश्वास है।

महिलाओं और बाल विकास के संबंध में सरकार का सोच है। इसके साथ-साथ समाज कल्याण में समाज का कल्याण हो....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, विराजिये प्लीज। श्री रतन लाल ताम्बी। नहीं-नहीं, प्लीज।

श्री आर. पी. शर्मा : इसके लिए सरकार ने बहुत बड़ा काम किया है। एक मिनट और। चिकित्सा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री आर. पी. शर्मा : एक मिनट, एक मिनट।

श्री उपाध्यक्ष : हो गया; आपको 20 मिनट हो गये एक मिनट कहते हुए ।

श्री आर.पी. शर्मा : एक मिनट, एक मिनट ।

चिकित्सा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में निवेदन करना है, पूर्व मंत्रीजी बैठे हैं। आपकी सरकार ने किस तरह से मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी के थ्रू टैक्स लगाये हैं। लेकिन धन्यवाद है इस सरकार के लिए कि इस सरकार ने एक खुला दिल कर दिया है कि कोई भी गरीब व्यक्ति जो बिलो पावर्टी लाइन का है; चाहे उसका कितना ही बड़ा रोग हो; उसका निःशुल्क इलाज कराया जाएगा। 15 करोड़ रुपये सहायता कोष में; सहायता दी गई है मुख्य मंत्री रक्षा कोष में यह बहुत बड़ा कदम गरीबों के लिए है। सरकार गरीबों के लिए बना करती है; सरकार पूंजीपतियों और बड़े आदमियों को नहीं बना करती ।

माननीय मंत्रीजी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि शिक्षा के क्षेत्र में भी इस सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाये हैं। मैं अंत में एक बात और कहना चाहता हूं। आज....(व्यवधान) साइंस और टैक्नोलोजी का युग है। उसमें भी इस सरकार का सोच है कि अगर हमको आगे बढ़ना है तो साइंस और टैक्नोलोजी के क्षेत्र में आना होगा।

हम सब यह जानते हैं अच्छी तरह से कि आज पूरे देश में, पूरे प्रदेश में गरीबी और बेरोजगारी बहुत बढ़ रही है; जनसंख्या बढ़ रही है। उसका सोच होना चाहिए राजनीतिज्ञों में ।

मैं कहना चाहता हूं कि आज उदारीकरण की वजह से, हाई टैक्नोलोजी की वजह से, कम्प्यूटर की वजह से बेरोजगारी बढ़ रही है।

कोई भी सरकार बने, जब तक यह नहीं सोचेगी कि जो हमारे परम्परागत उद्योग हैं; जो परम्परागत हमारे कृषि के क्षेत्र हैं; उस क्षेत्र में अगर हम लोगों को नहीं लगाते हैं, इस समस्या को दूर नहीं कर सकते हैं। आज साइंस एण्ड टैक्नोलोजी बढ़ी है; मशीन का युग बढ़ रहा है, कम्प्यूटर का युग बढ़ रहा है।

एक तरह से उदारीकरण का युग है। भारत सरकार जो बनी हुई है भाजपा की, वे लोग स्वदेशी का नारा लगाते थे। उनका नारा बिलकुल सही था लेकिन आज स्वदेशीकरण का नारा लगाने वाले लोग मुंह को बन्द करके बैठे हुए हैं। उनको मालूम नहीं है कि इस देश का क्या होगा। अगर इस देश में इसी तरह से उदारीकरण रहा तो 714 यूनिट्स के लिए और....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य। श्री रतन लाल ताम्बी।

श्री आर. पी. शर्मा : ....बिजली के उत्पादन के लिए भी एक एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट पालिसी तय की गई, मुझे कहने में कोई....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, विराजिये । अब प्लीज, नहीं, नहीं । बस हो गया, बहुत हो गया ।

श्री आर. पी. शर्मा : एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट ।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, अब प्लीज विराजिये । नहीं, बहुत हो गया ।

श्री आर.पी. शर्मा : मैं सलाह दे रहा हूं । एक मिनट, मैं सलाह दे रहा हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, नहीं प्लीज, आपको पूरे 22 मिनट हो गये । प्लीज सिट डाउन । नहीं, नहीं, कुछ नहीं । आपको एक-एक मिनट करते करते सात मिनट हो गये। नहीं, अब आप बैठिये । श्री रतन लाल ताम्बी ।

श्री आर. पी. शर्मा : मैं सुझाव दे रहा हूं । मैं सुझाव दे रहा हूं । (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, आप प्लीज समाप्त कीजिये, हो गया समाप्त । श्री रतन लाल ताम्बी ।

श्री आर. पी. शर्मा : मैं इस संबंध में सुझाव दे रहा हूं, सुझाव दे रहा हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, आप प्लीज समाप्त कीजिये । हो गया समाप्त । नहीं, अब अंकित ही नहीं होगा । आप बोलोगे तो अंकित ही नहीं होगा ।

श्री आर. पी. शर्मा : ×××

श्री उपाध्यक्ष : आप इतनी लिबर्टी मत लो । हो गया । 22-23 मिनट हो गये ।

श्री आर. पी. शर्मा : ×××

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, अंकित ही नहीं हो रहा है । आप बोले जा रहे हैं । क्या फायदा है इस तरह से बोलने से ?

श्री आर. पी. शर्मा : ×××

श्री उपाध्यक्ष : श्री रतन लाल ताम्बी ।

श्री गोवर्द्धन कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, आज 4 तारीख है । जैसलमेर में शहीद सागरमल गोपा ने बलिदान दिया था, मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूं । यही शब्द मैं कहना चाहता हूं । धन्यवाद ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रतन लाल ताम्बी ।

श्री रतन लाल ताम्बी (जहाजपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान स्थापना दिवस के ऐतिहासिक वर्ष में 30 मार्च को विधान सभा के पटल पर राजस्थान को

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया ।

(श्री रतन लाल ताम्बी)

वर्तमान सरकार का दूसरा बजट प्रस्तुत हुआ। प्रदेश के मुख्य मंत्रीजी की दूरदर्शिता और सोच के परिप्रेक्ष्य में हमारे वित्त मंत्रीजी ने विषम वित्तीय परिस्थितियों के बीच में इस बजट को प्रस्तुत किया। महात्मा गांधी की सोच में गांव, गरीब और पिछड़े लोगों को किस प्रकार आगे बढ़ाया जा सकता है, सरकार के कार्यक्रमों और योजनाओं के माध्यम से कैसे वे खुश-हाल बन सकते हैं, शिक्षा कैसे बढ़ सकती है, अन्य सुविधाएं किस प्रकार से उन्हें मुहैया हो सकती हैं, इन सब अवधारणाओं का समावेश करके इस बजट में जो प्राव-धान किये गये हैं। उससे निश्चत ही सर-कार का चिंतन परिलक्षित होता है।

हमारे प्रदेश की विषम भौगोलिक स्थिति, आये वर्ष अकाल और पेयजल के गम्भीर संकट के बीच में राजस्थान की पांच करोड़ जनता काफी परेशानी अनुभव करती है। चारों ओर से आशंका प्रकट की जा रही थी कि इस बार का बजट बड़ा कठोर होगा और भारी-भरकम टैक्स के साथ आएगा। लेकिन बजट आने के बाद ये सारी धारणाएं निर्मूल सिद्ध हुई और ऐसा लगता है कि सरकार ने सब हालातों के बीच में काफी चिंतन के साथ प्रस्तुत किया है। इस बजट के पहले राजस्थान के कुछ वर्षों पहले के हालात को साथ देखकर हम चलें और चिंता करें तो आज हम किस स्थिति में पहुंचे हैं उसका एक आधार हमें ज्ञात हो सकेगा।

मैं बहुत लम्बी बात नहीं करके यह कहना चाहता हूं कि 1978-80 से 1983-84 के बीच राजस्व खाते में 44 करोड़ से 65 करोड़ की बचत रही थी। उसके बाद सातवीं योजना तीन हजार करोड़ की थी और आठवीं योजना 11500 करोड़ की थी। हम छलांग बड़ी-बड़ी लगाते रहे लेकिन उसके लिए संसाधनों की व्यवस्था नहीं कर सके जिसके परिणामस्वरूप राजस्थान आज आर्थिक स्थिति के इस कगार पर पहुंचा है। यह कोई एक-दो वर्षों में नहीं पहुंचा है, यह लगातार पिछले दस-बारह वर्षों से चल रहा है। वित्त पोषण की व्यवस्था के बिना इस तरह की महत्वा-कांक्षी योजनाएं प्रस्तुत करके वाहवाही लूटने की कोशिश जरूर की गई, लेकिन राजस्थान का भविष्य कितना अंधेरे में डाला, इस पर भी हमको सोचना पड़ेगा।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आठवीं योजना के समय तत्कालीन सरकार ने 11500 करोड़ की योजना इस शर्त के साथ स्वीकृत करवाई थी कि उसमें 1992-97 करोड़ का वित्त पोषण अपने संसाधनों से करेंगे। सार्वजनिक ऋण और केन्द्रीय एवं विदेशी सहायता के अतिरिक्त 2950.51 करोड़ अपने खुद के स्रोत से जुटाने की बातें भी कही गई थीं। उसके आधार पर 1992-93 की अवधि में हम देखते कि राजकोषीय घाटा 1496.92 करोड़ था जो सकल उत्पाद का 5.5 प्रतिशत रहा। 1996-97 में 7403.24 करोड़ रुपये का घाटा सकल उत्पाद के 15.59 प्रतिशत तक पहुंचना, गम्भीर खतरे का एक तरह से आकलन सामने आता है।

(श्री रतन लाल ताम्बी)

1992-93 में सार्वजनिक देनदारियां 7673.79 करोड़ की थीं जो 1996-97 में 16775.76 करोड़ की हो गई। उसके बावजूद आठवीं योजना के तथ्यों और अनुभवों को नजरंदाज कर नवीं योजना 27650 करोड़ की बनाई गई थी....

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री हरिसिंह (मुख्य सचेतक) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय आधा घण्टा और बढ़ा दिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन का समय आधा घण्टा बढ़ाने की अनुमति है ?

श्री देवीसिंह भाटी : कोई जरूरत ही नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : आप नहीं बोलेंगे क्या ? तो बोलिये फिर। आप बन्द कर दें। (व्यवधान)

(स्वीकृत)

सदन का समय आधा घण्टा बढ़ाया गया।

आय-व्ययक पर वाद-विवाद

श्री रतन लाल ताम्बी : 1250 करोड़ का प्रावधान अपने संसाधनों से करने का तत्कालीन सरकार ने वायदा किया था। 20850 करोड़ के सार्वजनिक ऋण एवं अन्य केन्द्रीय एवं विदेशी सहायता से जुटाने का जो प्रस्ताव किया, पांच हजार करोड़ से अधिक के संसाधन जुटाने का अन्तर उसमें रह गया। 1998 में भी 23840.11 करोड़ रुपये की ऋण देनदारियां साथ में रह गईं जो वर्ष के अन्त में 28836 करोड़ की हो गयीं जो सकल घरेलू उत्पाद का 50 प्रतिशत करीब है।

ब्याज का लगभग 2683 करोड़ रुपया हमको देने के लिए आज विवश होना पड़ रहा है। घाटे में चलने वाले उपक्रम बन्द करना, अनेक विभागों का एकीकरण और अनुपयोगी विभाग बन्द करना, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की सेवा को पूरे समय के लिए अनावश्यक यहां पर लगाना और उनको वापस नहीं बुलाना, ये कुछ ऐसे बड़े कारण हैं जिससे हम राजस्थान के लोग काफी आर्थिक दृष्टि से राजस्थान को परेशानी में देख रहे हैं।

इसीलिए वर्तमान सरकार ने इन सब पर गम्भीर चिन्तन किया, अपने शिविर किये और शिविर करने के बाद कई महत्वपूर्ण फैसले लिये कि राजस्थान की पांच करोड़ जनता का कैसे विकास हो सकता है। उस फैसले में वार्षिक योजना 3800

(श्री रतन लाल ताम्बी)

करोड़ की रखी गयी जो पहले पांच हजार करोड़ की बना दी गयी थी।

नई नियुक्तियों पर रोक लगाई, नये कार्य शुरू नहीं किये और जो काम चल रहे थे रख-रखाव के, उन पर दस प्रतिशत की कटौती की गयी। स्टाफ कार की व्यवस्था, मंत्रियों के टेलीफोन और अधिकारियों की कार-पैट्रोल सीमा का निर्धारण, ये बहुत कठोर कदम कहे जा सकते हैं। इस सरकार की सोच ये बताते हैं कि यह सरकार जन कल्याण के लिए कितना सोचती है और कड़े से कड़े कदम भी उठाने का साहस रखती है।

पिछली सरकार की अदूरदर्शिता के कारण पांचवें वेतन आयोग के 1200करोड़ रुपये और इसके साथ-साथ 9-18-27 की अवधि की पदोन्नतियों ने राजस्थान के आर्थिक हालात को और भी झकझोर दिया। फिर पिछली सरकार ने सस्ती वाह-वाही लूटने के लिए चुंगी समाप्ति का एक निर्णय किया। चुंगी समाप्ति की एवज में टैक्स लगाने की बातें हुई और कई प्रकार के ऐसे टैक्स लगाने की कोशिश की गई पर राजस्थान की जनता ने उनको स्वीकार नहीं किया, उनका विरोध हुआ और यों का यों 300 करोड़ रुपये का भार राजस्थान पर इस कारण से और बढ़ गया।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप सब को यह अनुभव होगा कि राजस्थान की छोटी-छोटी नगरपालिकाएं इस चुंगी की व्यवस्था से सफाई, रोशनी, पानी और दूसरे जन कल्याण के काम करती थीं, वे आज प्रायः ठप हो गये और सारे नगरों की दुर्दशा बढ़ गई। 1990-91 में 167.24 करोड़ का राजस्व खाते में अधिशेष था जो 1996-97 में 865.95 करोड़ के घाटे में बदल गया। 1990-91 में 6546.10 करोड़ की देनदारियां थीं जो 1996-97 में 16775.76 करोड़ की हो गयीं। ये सारी बातें इस प्रकार की हैं कि वित्तीय अनुशासन एवं कुशल प्रबन्ध की कमी रही है। वर्तमान सरकार ने निश्चित रूप से एक संकल्प के साथ यह बात की है कि कैसे राजस्थान में वित्त व्यवस्था ठीक हो।

मैं इस मौके पर निवेदन करना चाहता हूं कि इसके अनेक कारण हैं। हमारी योजनाएं, कार्यक्रम जितने भी चल रहे हैं, जनसंख्या का लगातार बढ़ना इनमें बाधक हो रहा है। 1951 में हमारे देश में 13.31 की वृद्धि दर के मुकाबले राजस्थान की वृद्धि दर 15.20 थी, 1961 में क्रमशः 21.51 और 26.20 थी, 1971 में24.80 देश में और 27.83 प्रदेश में थी, 1981 में 24.66 और राजस्थान में 25.97 थी और 1991 में 23.85 देश की और राजस्थान में 28.44 प्रतिशत।

यह सब इस बात को दर्शाता है कि देश की जनसंख्या वृद्धि के मुकाबले राजस्थान जनसंख्या वृद्धि में काफी आगे है। इसलिए चाहे जनकल्याण के स्कूल हों, अस्पताल हों, दूसरे जो भी कार्यक्रम हैं, वे सब नजर नहीं आते हैं। पिछले वर्ष की आय के मुकाबले

(श्री रतन लाल ताम्बी)

प्रति व्यक्ति आय में लगभग चौदह रुपये प्रति व्यक्ति कम होना, यह भी हमारे लिए अच्छी दिशा के संकेत नहीं हैं। साक्षरता की दृष्टि से भी राजस्थान का देश में बिहार के बाद स्थान आता है, इतने नीचे स्थान पर हम हैं।

इसलिए राजस्थान की सरकार ने इस बजट में जो प्रावधान किये हैं वे निश्चित रूप से सराहनीय हैं। राजस्थान प्रदेश बनने के बाद 52 वर्षों में केवल 30 हजार प्राथमिक विद्यालय खोले गये थे, लेकिन पिछले वर्ष 16 हजार राजीव गांधी प्राथमिक विद्यालय खोलने का निर्णय और इस साल साढ़े ग्यारह हजार स्वर्ण जयंती विद्यालय ग्रामीण क्षेत्र में खोलने का इस सरकार का निर्णय निरक्षरता के भूत को राजस्थान से भगाने का एक संकल्प नजर आता है।

मैं यह मानता हूं कि वित्तीय संसाधनों की कमी है। मैं कुछ संसाधन बढ़ाने के सुझाव भी दूंगा और आगे जाकर और भी अवसर मिलने के सुझाव देना चाहूंगा पर मेरी यह सोच है कि राजस्थान जब तक साक्षरता की दृष्टि से आगे नहीं बढ़ेगा तब तक देश में उसका कोई स्थान नहीं बन सकता। राज्य सरकार ने शिक्षा की दृष्टि से पिछले वर्ष भी काफी अच्छे प्रावधान किये और इस साल भी प्रावधान किये, उन प्रावधानों के सम्बन्ध में मैं थोड़ा और निवेदन करना चाहता हूं।

राज्य सरकार यह मान चुकी है कि राजस्थान देश में ऐसा प्रदेश है जो शिक्षा की दृष्टि से बिहार के बाद साक्षरता की दृष्टि से बहुत पिछड़ा हुआ है। उस दृष्टि से ही बजट प्रावधान कर रहे हैं तो मेरा उसमें एक नीतिगत निर्णय करने के लिए सुझाव है। हमको इस प्रदेश में यह तय करके चलने का एक कार्यक्रम बनाने की आवश्यकता है कि प्रत्येक तहसील हैडक्वार्टर, पंचायत समिति हैडक्वार्टर पर कालेज हो, प्रत्येक पंचायत हैडक्वार्टर में सैकण्डरी स्कूल हो, प्रत्येक 3-4 पंचायतों पर एक सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल हो।

एक ऐसा दूरगामी कार्यक्रम बनाकर हम चलेंगे तो शिक्षा की दृष्टि से राजस्थान आगे बढ़ सकता है। इस साल के जो प्रावधान किये गये हैं उनके सम्बन्ध में मेरा यह निवेदन है कि इस साल दो सौ.... (व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, बोल रहे है.... (व्यवधान)

श्री रतन लाल ताम्बी : आपकी और मेरी बात हुई थी कि बीच में कभी नहीं बोलेंगे, साथ रहेंगे।

मैं निवेदन यह कर रहा था कि दो सौ सैकण्डरी स्कूल का जो प्रावधान किया गया है, राजस्थान में इतनी आवश्यकता है, इतनी मांग है। पिछली सरकार ने तो, मैं आरोप लगाना चाहता हूं इतना भेदभाव

(श्री रतन लाल ताम्बी)

करता कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में एक भी हायर सैकण्डरी और सैकण्डरी स्कूल नहीं खोला। तो आज असंतुलन इतना हो गया है, इतनी बड़ी मांग है।

मैं निवेदन यह करना चाहता हूं कि वर्तमान में जो दो सौ हायर सैकण्डरी का प्रावधान किया गया है उसमें सौ हायर सैकण्डरी और बढ़ायी जानी चाहिए। दो सौ सैकण्डरी स्कूल हैं उनमें दो सौ और बढ़ा कर चार सौ की बात मैं करना चाहता हूं। गत बार 10 महाविद्यालय खोले गये थे। कुछ विरोधी दल के सदस्यों ने यहां धरना दिया था और मांग की थी इसलिए उसको बढ़ा कर शायद 15 खोल दिये गये।

लेकिन इस वर्ष राजस्थान का जो बजट हम देखते हैं उसमें एक भी महाविद्यालय नहीं है। हमारे जैसे पिछड़े क्षेत्रों की बड़ी मांग है, जहाजपुर में महाविद्यालय बहुत आवश्यक है जहां के साढ़े छः सौ लड़के आज दूर–दूर बाहर पढ़ने जाते हैं। बहुत बड़ा असंतुलन है कालेजों की दृष्टि से। दूरदराज हमारा इलाका है, उसमें विशेष तौर से 5–7 कालेज तो आपको रखने चाहिए। आप निजी क्षेत्र में शिक्षा की बात करते हैं, सार्वजनीकरण की बात करते हैं लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर इस प्रकार के धनाढ्य लोग उपलब्ध नहीं हो सकते। ऐसे पिछड़े क्षेत्रों के लिए तो आपको प्रावधान करना चाहिए जहां लगभग सौ से अधिक माडा विलेज हैं, अनुसूचित जाति और जन जाति तथा देश की सेना में काम करने वाले भूतपूर्व सैनिकों का बाहुल्य है।

इसलिए मेरी मांग है, अनुरोध है कि जहाजपुर में भी कुछ कालेज खोले जाएं। हम पिछले तीन साल से मांग कर रहे हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी ने और शिक्षा मंत्रीजी ने अनेक पत्रों द्वारा हमें आश्वासन दिया है।

श्री देवीसिंह भाटी : यह बात गलत हो रही है, उपाध्यक्ष महोदय। जब राज्य सरकार के पास बजट में प्रावधान ही नहीं है तो क्यों फालतू की मांग कर रहे हैं? जो सम्भव हो उसकी मांग करनी चाहिए।

श्री रतन लाल ताम्बी : मांग करेंगे न, वे बताएंगे तरीका।

श्री उपाध्यक्ष : बजट पास थोड़े ही हुआ है; मांग तो करेंगे।

श्री देवीसिंह भाटी : पास तो नहीं हुआ लेकिन अपने को पता है कि.... (व्यवधान)

श्री रतन लाल ताम्बी : तो इसलिए मैं इस मौके पर....

श्री उपाध्यक्ष : तो फिर कोई बोले ही नहीं, अपनी डिमाण्ड रखे ही नहीं यहां पर? ऐसे ही बजट को पास कर दें?

श्री देवीलाल बैरवा : 8 साल में दो बार में अब तक खोली नहीं है; मंत्री जी आने के बाद सब सेन्टर खोले; स्कूलें खोलीं।

श्री रतन लाल ताम्बी : मैं यह कहना चाहूंगा कि विज्ञान और टैक्नालाजी के क्षेत्र में भी राजस्थान के मुख्य मंत्री जी का काफी सोच है, वे सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल में एक कम्प्यूटर तक की बात करते हैं, पंचायतों को इन्टरनेट से जोड़ने की बात करते हैं। लेकिन अभी भी तकनीकी शिक्षा में कई ऐसे पिछड़े क्षेत्र हैं जहां पर आज आई.टी.आई. भी नहीं है। इस बार भी उसका प्रावधान नहीं रखा गया है।

मैं लगातार मांग करता रहा हूं कि जहाजपुर जैसे पिछड़े क्षेत्र में आई.टी.आई. की बड़ी आवश्यकता है। मैं राज्य सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि जिन क्षेत्रों की पिछली सरकार ने राजनीतिक कारणों से भेदभाव करके उपेक्षा की है उन क्षेत्रों को अछूता नहीं छोड़ कर उनके लिए भी इस समय प्रावधान करने चाहिए।

मैं इस मौके पर यह भी निवेदन करना चाहता हूं, चिकित्सा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में, पूर्व चिकित्सा मंत्री जी विराजमान हैं, 1989-90 में राजस्थान में जो कांग्रेस की सरकार ने 13 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले थे, 10 महीने बाद ललितकिशोर जी चतुर्वेदी ने उनको बंद कर दिया। तब से आज तक हम मांग करते रहे, उनको आपकी सरकार ने उस समय नहीं खोला। इस तरह उन इलाकों के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया गया।

मैं चाहता हूं कि चिकित्सा के क्षेत्र में भी इस प्रकार जहां-जहां विषमताएं हैं, असंतुलन है उन क्षेत्रों में प्रावधान किया जाना चाहिए। आयुर्वेदिक क्षेत्र में....

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अब इस बार खुलवा लें। माननीय सदस्य, मैं माफी चाहूंगा, एक भी प्राथमिक चिकित्सा स्वास्थ्य केन्द्र का बजट हो, एक भी उप केन्द्र का बजट हो तो खुलवा लें आप।

श्री रतन लाल ताम्बी : मैं बोल रहा हूं न, साहब, आप क्यों परेशान हो रहे हो इसमें ?

एक माननीय सदस्य : नहीं तो आप कह क्यों नहीं रहे हो ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : कह क्यों रहे हो ?

श्री रतन लाल ताम्बी : मैं मांग कर रहा हूं। मैं उसको महसूस करके मांग कर रहा हूं, आपको आपत्ति उसमें कहां हो रही है? मैं निवेदन करना चाहता हूं कि....

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। वे तो आपके किये हुए कारनामों को बता रहे हैं।

श्री रतन लाल ताम्बी : मैं कहना चाहता हूं कि पिछली सरकार ने हमारे कई क्षेत्रों में उप केन्द्र नहीं खोले, आज भी अछूते क्षेत्र हैं जो आपके मापदण्ड के अनुसार आते हैं, चाहे सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के मापदंड में आते हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य उप केन्द्र की जहां-जहां आवश्यकता है, मैं समझता हूं कल्याणकारी सरकार को और भी कहीं बचत करके, हमारी आय वृद्धि

(श्री रतन लाल ताम्बी)

के अन्य संसाधन बढ़ा कर ऐसे कार्यक्रमों में थोड़ी सोच रखने की आवश्यकता है, इनके लिए प्रावधान किया जाना चाहिए।

निजी क्षेत्र में आप सोच रखते हैं लेकिन कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर लोग नहीं खोल पाएंगे, ऐसे लोग उपलब्ध नहीं हैं। उनके लिए आपको प्रावधान रखने की आवश्कता है। राजस्थान पशुधन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, पशु चिकित्सालय पिछले वर्ष कई वर्षों के बाद खोले गये थे। वे अपर्याप्त हैं लेकिन मैं समझता हूं कि बजट में पशु चिकित्सालय और छात्रावासों के लिए इस साल भी कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

पशुपालकों को राहत मिले, इस दृष्टि से मैं इस दिशा में सोचने का सुझाव देना चाहता हूं। पिछले कई वर्षों तक हम सुनते रहे लेकिन तीन हजार मेगावाट बिजली राजस्थान में पिछली कांग्रेस सरकार ने उपलब्ध करवायी। 10 वर्ष आपकी सरकार ने राज किया-...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : 8 साल तक किया।

श्री रतन लाल ताम्बी : किया तो जनता ने भेजा तो किया, हम क्या करें इसमें ?

श्री मदन दिलावर : अपने दिल पर हाथ रख कर कहो।

श्री रतन लाल ताम्बी : मगर उसके बाद राजस्थान में बिजली पैदा नहीं की। कनेक्शन देते चले गये, दरें बढ़ाते चले गये। उसके बाद राजस्थान में बिजली का संकट है। यह पहली सरकार है जिसने किसानों को बाहर से खरीद करके 8 घंटे बिजली उपलब्ध करायी। पिछले साल भी पैदा की फसलें और इस साल भी अकाल के बावजूद व्यवस्था की। इस बार भी बजट में 925 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा।

अगले एक वर्ष में मार्च, 2001 तक करीब-करीब 1500 मेगावाट बिजली राजस्थान में कांग्रेस सरकार ने पैदा करके देने का यह काम जो किया है, उसको राजस्थान का किसान भूल नहीं सकता। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : वह आपने ही किया है। (व्यवधान)

श्री रतन लाल ताम्बी : विराज जाइये न आप, क्यों फालतू बात करते हैं। आपसे ही पूछूं कि एक छात्रावास भी खोला क्या जहाजपुर क्षेत्र में ? दसों बार मैंने कहा होगा आपको, चिठ्ठी लिखी होगी आपको, पर आपने क्या किया ? बात करने को खड़े हो जाते हैं बार-बार।

इस सरकार ने सिंचाई के क्षेत्र में किसानों के लिए सोचा और 332 करोड़ 59 लाख का प्रावधान किया। 21 हजार 5 सौ हैक्टेयर नया सिंचाई क्षेत्र राजस्थान में....

श्री मदन दिलावर : वह छात्रावास किसने बंद किया, मैंने जो खोला था ? मैंने छात्रावास खोला था, किसने अतिक्रमण कर लिया था जमीन पर ?

श्री रतन लाल ताम्बी : ....उससे सुलभ हो सकेगा। यह सोच है जिससे राजस्थान की सरकार ने कुछ दिशाएं तय की हैं; कार्यक्रम तय किया है। जब तक गांव का गरीब किसान नहीं उठेगा, सिंचाई की सुविधाएं, बिजली की सुविधाएं नहीं होंगी तब तक राजस्थान आगे नहीं बढ़ेगा।

इसलिए आधारभूत सुविधाओं को बढ़ाने की दृष्टि से बजट में जो प्रावधान किये गये हैं वे सराहनीय हैं। आप सुन तो लें कम से कम। आप नहीं कर सके तो ध्यान से सुन तो लीजिये।

10 साल तक सड़कों की हालत खराब रखी। कांग्रेस सरकार सड़कें बना कर गई थी, आपकी सरकार ने नयी सड़कों को नहीं बनाया, गड्डों को नहीं भरा। पुलियाएं टूटी पड़ी हैं, मिसिंग लिंक पड़े हैं पर सोचा नहीं।

बिजोलिया से जहाजपुर की एक सड़क का भारत सरकार ने पैसा दिया था सकरगढ़ तक के लिए, आज वह 14 किलोमीटर आगे छूटी पड़ी है 13-14 साल से। इतनी महत्वपूर्ण सड़क होते हुए भी 14 साल में आपने ध्यान नहीं दिया।

मैं राज्य सरकार से मांग करना चाहता हूं कि भारत सरकार के फंड से बनी हुई सड़क जो तत्कालीन राज्य सरकार की अकुशलता के कारण नहीं बन पाई, उस महत्वपूर्ण सड़क को बना कर उस इलाके की एक बहुत बड़ी मांग को पूरा करने का कष्ट करें।

मैं इस मौके पर कहना चाहूंगा कि राजस्थान में सबसे ज्यादा चिन्ता का विषय आज के दिन है वह है पेयजल। पेयजल के लिए 1560 करोड़ रुपये की राशि ...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, पेयजल पर अलग से बहस रख रहे हैं, उस वक्त बोल लेना आप।

(17.00 बजे)

श्री रतन लाल ताम्बी : मैं इस मौके पर बिजली के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। राजस्थान में जलोत्थान सिंचाई योजनाओं को पिछली कांग्रेस सरकार ने जहां नदी और नाले थे, वहां पर बड़ी मात्रा में चालू किया। उनसे राजस्थान में करीब 50 हजार परिवारों को लाभ मिला है। अपने आप को किसानों की सरकार कहने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उसकी रेटों में परिवर्तन किया और उस योजना को औद्योगिक रेट में डाल दिया जबकि कृषि जलोत्थान सिंचाई योजनाएं केवल किसानों की खेती को पिलाने में काम आती हैं। उनका मिनिमम चार्ज इतना है कि आज की तारीख में हमारे भीलवाड़ा जिले में लगभग 50-60 योजनाओं के कनेक्शन कट गये।

(श्री रतन लाल ताम्बी)

इसलिए मैं राज्य सरकार से, वित्त मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि जलोत्थान योजनाएं कृषि के क्षेत्र में मानी जाकर उन पर जो वाणिज्यिक दरें लगाई गयी हैं उस पर पुनर्विचार करें ताकि राजस्थान में 50 हजार परिवारों के सामने जो संकट पैदा हो रहा है वह दूर हो सके।

राजस्थान की सरकार ने पिछले वर्ष में काफी छूटें देकर आय अर्जित करने का एक कार्यक्रम बनाया। भूमि-भवन कर, पंजीयन शुल्क और वाहन के जुर्मानों में वर्षों से अटका हुआ पैसा लगभग 40-50 करोड़ के आस-पास आपके खजाने में आया है। मैं समझता हूं कि अनावश्यक भार डाल दिया गया था, टैक्स की मात्रा ज्यादा लगा दी जो दे नहीं पाते। बस, ट्रक जगह-जगह हजारों की तादाद में ट्रान्सपोर्ट विभाग में खड़े हैं। बसें भी खत्म हो रही हैं और आपका टैक्स भी नहीं आ रहा है।

इसलिए ट्रान्सपोर्ट विभाग ने जो योजना शुरू की, दूसरे विभागों ने शुरू की उसका पुनरवलोकन करें 30 जून तक भूमि—भवन का मामला है, पंजीयन शुल्क का है वाहन का है आवासन मण्डल का है। इस मौके पर मैं आवासन मण्डल के बारे में भी निवेदन करना चाहता हूं। हिसाब का पता नहीं लगता है, दुनिया भर के पैसे बकाया हैं, लोग दे नहीं पाते।

इन सबका एक बार हिसाब-किताब कम्प्लीट कर के जो पैसा उनसे आ सकता है वह लें। ऐसे ही उद्योगों में करोड़ों रुपया वित्त निगम का पड़ा हुआ है। इसमें जो रास्ता निकल सकता है, लोगों को रियायतें देकर वह पैसा खजाने में लाएं तो राजस्थान की वित्तीय हालत में सुधार हो सकता है।

राजस्थान नहर पर शीशम के वर्षों पुराने बड़े-बड़े पेड़ हैं इनका ठेका देकर चार-पांच सौ करोड़ रुपये आप एक साथ जुटा लें, और उसके स्थान पर तत्काल नये वृक्ष लगाएं। जो बेरोजगार युवक हैं उनको दस-दस, पन्द्रह-पन्द्रह वृक्ष दे दें। वे उनको अपने आप पालें, पोषित करें। उस पैसे से वे अपना गुजारा चला सकते हैं। इस तरह की कोई व्यवस्था करें तो राजस्थान के खजाने में पैसा आ सकता है।

राजस्थान नहर में 25 प्रतिशत जमीन जो वहां पहले काम करते रहे हैं, वहां बसे हुए हैं उनको देकर और 25-30 प्रतिशत जो आरक्षित हैं उनको देकर बकाया जमीन को आप नीलाम कीजिए, काफी पैसा उससे आ सकता है। शहर में बड़े-बड़े लोग बड़े-बड़े फार्म में हजार-पांच सौ गज जमीनें वर्षों से लेकर बैठे हैं, उन जमीनों पर टैक्स लगाओ, वे टैक्स दे सकते हैं।

मैंने टैक्स की सारी अवधारणा देखी है, जो टैक्स दे सकता है उस पर आपने टैक्स लगाने की कोशिश की है। मैं समझता हूं, जो भी दे सकता है उसके बारे में सोच सकते हैं। इस तरह से राजस्थान के संसाधन और बढ़ाये जा सकते हैं।

(श्री रतन लाल ताम्बी)

उद्योगों के लिये राज्य सरकार ने जो प्रयत्न किया है, निश्चित रूप से इससे निवेश बढ़ेगा। एक खिड़की पर सारा समयबद्ध कार्यक्रम तय किया गया है, वह राजस्थान के औद्योगिक क्षेत्र में एक क्रान्ति लाने वाला कदम होगा। संगमरमर उद्योग के संबंध में भारत सरकार ने जिस प्रकार की नीति बनाई है उससे राजस्थान का ग्रेनाइट और संगमरमर उद्योग चरमरा गया है, इटली और बाहर से जो आएगा, उसको जो प्रोत्साहन मिलेगा इससे राजस्थान को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है।

इसलिए इस संबंध में भी राज्य सरकार को प्रयत्न करने की आवश्यकता है। राजस्थान में बेरोजगारी बहुत बढ़ी हुई है। ग्राम उद्योग, छोटे-छोटे उद्योगों और अन्य कार्यक्रमों के माध्यम से, गरीबी उन्मूलन की योजनाओं के माध्यम से बेरोजगारी कैसे दूर हो सकती है उसके लिये भी एक समयबद्ध कार्यक्रम राजस्थान में बनाने की आवश्यकता है जिसके आधार पर लोगों का विकास हो सके। और उनकी हैसियत बढ़ाने में लाभ मिल सके।

पर्यटन की दृष्टि से राजस्थान में बहुत कुछ गुंजाइश है। इसमें काफी नये क्षेत्र आइडेंटिफाई किये जा सकते हैं। इस आधार से राजस्थान में बेरोजगारी मिट सकती है, राजस्थान के संसाधन बढ़ सकते हैं। इस तरह के रोजगारोन्मुखी कार्यक्रमों को समय–समय पर देख कर उनकी व्यवस्था की जाएगी, ऐसा मेरा मानना है।

अब मैं पंचायती राज के संसाधनों के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। सरकार की ओर से पंचायती राज कैसे मजबूत बन सकता है, इस बाबत पूरे प्रयास किये जा रहे हैं। राजस्थान की सरकार ने पंचायती राज को अधिकार दे कर संसाधनों के बारे में काफी अच्छा कार्यक्रम किया है। उससे पंचायती राज में एक चेतना पैदा हुई है।

मैं इस मौके पर यह निवेदन करना चाहता हूं कि पंचायती राज के माध्यम से गांवों में योजनाएं चलती हैं, करोड़ों रुपया गांवों में जाता है, अगर उन संसाधनों का ठीक प्रकार से उपयोग हो, उन पर ठीक प्रकार से नियन्त्रण हो तो उसका वास्तविक लोगों को लाभ मिल सकता है, बहुत बड़ी गरीबी दूर करने की व्यवस्था इससे हो सकती है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि पहले जो आडिट होती थी उसकी गम्भीरता थी। आजकल आडिट भी मैनेज होती है, सब काम मैनेज होते हैं। करोड़ों रुपयों का लाभ सही ढंग से मिले, इस बात की व्यवस्था वर्तमान कानून में करने की आवश्यकता है।

आज हालत यह है कि चुनाव के बाद दो–दो, तीन-तीन महीने हो गये उसके बावजूद पुराने सचिव मिलते नहीं हैं, रिकार्ड मिलता नहीं है। पुरानी तारीख में पट्टे बना देते हैं। कई प्रकार की समस्याएं इस बारे में आती है।

पिछले 8-10 सालों से इतना भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी ने दिया है इसी

(श्री रतन लाल ताम्बी)

कारण आज राजस्थान में पंचायती राज को मजबूत दिशा देश की आवश्यकता है। भूमि विक्रय के मामलों में, दूसरे मामलों में जो घोटाले होते हैं उनको ठीक करने का प्रयत्न किया तो निश्चित रूप से पंचायती राज और भी आगे बढ़ेगा।

मैं इस मौके पर नगरपालिकाओं की दुर्दशा की चर्चा करते हुए निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान की जनता को चुंगी हटाने से कोई लाभ नहीं मिला है। सस्ती चीजें मिल रही हों, ऐसी बात नहीं है।

इसलिए मेरा निवेदन है पंचायती राज के संसाधन बढ़ाने के लिये नगरपालिका में चुंगी लगाने के बारे में फिर से सोचें। जो आपने संसाधन दिये हैं उसमें भी वे वसूली नहीं करते हैं। इन सबकी समीक्षा करें जिससे पैसा खजाने में आए। इसके लिये जवाबदेही निश्चित की जानी चाहिये।

पंचायती राज कानून में प्रावधान किया हुआ है कि भूमि विक्रय वगैरह का हर साल रजिस्टर तैयार किया जाएगा, मौके पर जाकर कमेटी बनेगी और उसके द्वारा कितना अतिक्रमण किया गया है वह सब पता लगाया जाएगा। लेकिन उसका कोई रजिस्टर मेनटेन नहीं किया जाता और बड़े-बड़े गांवों में आज भी लाखों-करोड़ों रुपयों की जमीनें नाजायज तौर पर सड़क के किनारे कब्जे कर बैठे हैं।

जहां जनता की आवश्यकता नहीं हो, जो आपकी सड़क सीमा में नहीं हों, उन पर कब्जे कर बैठे हैं। इससे वर्तमान में पंचायतों और नगरपालिका को करोड़ों रुपयों की आमदनी हो सकती है। उस तरफ भी आपका ध्यान जाना चाहिए।

गत वर्ष आपने 25 लाख रुपए विधायक स्थानीय विकास कोष के लिये उपलब्ध करवाये थे। आपको और हम सबको मालूम है कि राजस्थान में विषम भौगोलिक स्थिति है। कई. संस्थाओं की वृद्धि हुई है। दिल्ली की सरकार जो हमारे से काफी छोटी है, एक करोड़ रुपया विधायक स्थानीय कोष में देती है। बिहार की सरकार जो हमारे से नीचे की स्थिति में मानी जाती है, वह एक करोड़ रुपया देती है। यू. पी. की सरकार 60 लाख रुपया देती है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बजट में इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, जो वित्तीय प्रावधान आपने योजनाओं में कर रखे हैं, उन्हीं योजनाओं में आप विधायक के माध्यम से आवश्यक कामों के लिये 50 लाख का प्रावधान करें। यह मेरी मांग है।

इसमें मेरा यह भी सुझाव है कि उक्त 50 लाख में से 25 प्रतिशत पैसा केवल पेयजल के लिये उपयोग में लें, इस तरह का उसमें राइडर डाल दिया जाए ताकि पेयजल की समस्या का समाधान हो सके। बजट से भी इसमें आप ट्रांसफर कर सकते

(श्री रतन लाल ताम्बी)

हैं। उससे कहीं हैण्ड पम्प लगाना, कहीं पाइप लगाना, कोई भी छोटा-मोटा काम हो, वह हो सके। मैं समझता हूं कि इस दिशा में भी सरकार सोचेगी।

अन्त में मैं, वित्त मंत्री महोदय, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि कम समय में आपने गम्भीरता के साथ बजट पेश किया है। राजस्थान की जनता डरी हुई थी। हमारे सामने बैठने वाली विपक्षी पार्टी ने कहा था कि इतना कठोर बजट आएगा, इतना टैक्स लगेगा, इसके बावजूद आपने टर्न ओवर में भी सरलीकरण कर दिया। आपने व्यवसाय कर लगाया वह भी इनकम टैक्स वालों पर लगा कर काफी राहत दे दी। मैं समझता हूं कि इनके प्रचार-प्रसार की हवा निकल गई।

अभी श्री जुगल काबरा जी और दूसरे माननीय सदस्यों ने कुछ सुझाव दिये थे कि धारा 18, 13 फार्म वाले मामले में थोड़ा और सरलीकरण करें। लोग टैक्स देना चाहते हैं परन्तु टैक्स देने में जो दिक्कतें आती हैं उसकी वजह से वह टैक्स आपके खजाने में आने की बजाय अधिकारियों और कर्मचारियों की जेबों में चला जाता है। कर वंचना बहुत बड़ी तादाद में करते हैं।

नियमों में सरलीकरण करके आपको अधिकाधिक आय बढ़ सके, इसके ऊपर भी आप बजट के बाद में अर्थशास्त्रियों व विशेषज्ञों से बैठकर चर्चा करें कि राजस्थान के वित्तीय संसाधन कैसे बढ़ सकते हैं। यह कहकर हम नहीं चल सकते कि हमारे पास घाटा है, पैसा नहीं है। यह कहकर हम चलेंगे तो राजस्थान की जनता यह सुनने के बजाय यह चाहेगी कि कर वंचना समाप्त हो, संसाधन अधिक से अधिक बढ़ें। जो दे सकते हैं उनसे लें और जो नहीं दे सकते उनके विकास में, भलाई में खर्च करें।

मैं कहना चाहता हूं कि हमारे मुख्य मंत्री जी ने देश में एक-मात्र स्टेट के अलावा मुख्य मंत्री जीवन रक्षा कोष स्थापित करके और चयनित परिवारों को मेडिकेयर कार्ड के माध्यम से जो निःशुल्क दवाइयों का प्रावधान किया है वह निश्चित रूप से सराहनीय कदम है। कई प्रदेश राजस्थान से इसकी प्रेरणा लेंगे, ऐसा मेरा मानना है। वित्त मंत्री जी ने कम समय में अच्छा बजट दिया, 'गागर में सागर' भरने की कोशिश की।

सुझाव विधान सभा के सदस्यों के माध्यम से भी आपके पास आएंगे, अन्य अर्थशास्त्रियों के माध्यम से भी आएंगे, उन सारे सुझावों पर आप गंभीरता से चिंतन कर जब उत्तर दें तो बताएं कि राजस्थान किस प्रकार समृद्धशाली बन सकता है, राजस्थान आर्थिक दृष्टि से कैसे संसाधन जुटाकर आगे बढ़ सकता है। जनकल्याण के लिए हमने खास तौर से सुझाव दिये कि शिक्षा, चिकित्सा, छात्रावास पशु चिकित्सा केन्द्र, आयुर्वेदिक औषधालय, दवाइयों, और सड़कों की कैसे व्यवस्था ठीक हो सकती है। पेयजल के लिये प्रावधान मुझे अभी भी बहुत कम लग रहा है,

(श्री रतन लाल ताम्बी)

इतना संकट है। इन सबके लिये आप साधन जुटाकर व्यवस्थाएं और ठीक करेंगे, ऐसा मैं मानता हूं। अकाल भंयकर है। इस मौके पर मैं एक मिनट और कहकर बात समाप्त करना चाहता हूं।

अकाल जैसे प्रश्न पर बहुत उदारता के साथ केन्द्र सरकार को ध्यान देने की जरूरत थी। पर दुर्भाग्य से एक ऐसी सरकार दिल्ली में आकर बैठी है। राजीव गांधी जी, इंदिरा गांधी जी और नरसिंह राव के समय अकाल पड़ा तब आप कहीं राज में थे, यह सोच कभी नहीं था उनका कि राजस्थान मर रहा है, भारतीय जनता पार्टी या जनता पार्टी का राज है उनकी तरफ देखें ही नहीं।

अब आपने ये हालात पैदा कर रखें हैं, और लंबी-चौड़ी बातें कर रहे हैं आप अकाल की। आप में दमखम क्यों नहीं है? 1144 करोड़ रुपये की राजस्थान को अकाल के लिये आवश्यकता है, 102-3 करोड़ रुपये देकर क्या कहना चाहते हैं आप? वे राजीव गांधी जिनकी रात-दिन बुराई करते हो, जब अकाल पड़ा, खुद गाड़ी चलाकर राजस्थान के गांवों में घूमे और घूमने के बाद 600-700 करोड़ रुपये राजस्थान के अकाल राहत में उपलब्ध कराकर चारा, पानी का इन्तजाम किया था। जिस राजीव गांधी के नाम की आप बार-बार बात करते हो, राजीव गांधी के नाम पर राजस्थान में जितना पैसा राजीव गांधी मिशन से पेयजल के लिये, स्कूलों के लिये उन्होंने उदारता से दिया। आप ले लें अटल बिहारी वाजपेयी से। वे आकर देखें इस स्थान के गरीबों को। (व्यवधान)

पानी की व्यवस्था क्या है, घास की व्यवस्था क्या है, मुख्य मंत्री जी उनको सारी बात बताकर आये। उसके बाद भी राजस्थान के बाहर भारतीय जनता पार्टी के लोगों को राजस्थान की कोई चिंता नहीं है। आज गांवों में गरीबों को परेशानी हो रही है फिर भी राजस्थान की जनता के साथ राजनीति करना चाहते हैं। राजस्थान की पांच करोड़ जनता इस अन्याय को बर्दाश्त नहीं करेगी। इस बदले की भावना का जवाब पंचायती राज चुनाव में दिया, विधान सभा में दिया, नगरपालिका चुनाव में दिया और आने वाले चुनाव में आपका सूपड़ा साफ होगा, यह मैं कहकर जाना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री अमराराम जी।

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : माननीय उपाध्यक्ष जी, वित्त मंत्री जी ने बजट भाषण पेश किया है, मुझे इस सम्पूर्ण बजट को पढ़कर बहुत निराशा हुई है। यह संतुलित बजट नहीं कहा जा सकता। मैंने इस बजट को अच्छी तरह से देखा, इसमें नये जिले का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। हमारा जो डवलपिंग राज्य है, हमारे से हरियाणा और ज्यादा विकसित हुआ है। उसका कारण यह है कि एक तो उस राज्य का क्षेत्रफल कम है, उसके बावजूद वहां पर जिलें बहुत ही कम-कम क्षेत्रफल पर हैं।

(श्री अमराराम चौधरी)

पिछली सरकार ने चार नये जिले खोले थे धौलपुर....(व्यवधान) वह बात अलग है। आप क्या बात कर रहे हैं? (व्यवधान) अच्छा काम आप करेंगे, मैं आपकी प्रशंसा करूंगा। आप सुनो तो सही। (व्यवधान) मेरा निवेदन यह है कि हनुमानगढ़ में नया जिला बना। (व्यवधान) करौली, राजसमंद व दौसा जिले बने। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार : उपाध्यक्ष महोदय, अमराराम जी मेरे साथ थे, मैंने इनको समझा दिया था। (व्यवधान)

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : जो नये जिले बने उनका क्षेत्रफल हजारों में है। आज कृषि का क्षेत्रफल 10 हजार से ज्यादा वर्ग किलोमीटर का नहीं है और हमारे बाड़मेर जिले का 28 हजार वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है, जैसलमेर का 38 हजार वर्ग किलोमीटर है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जहां इतना बड़ा क्षेत्रफल होगा उसमें आप लाख प्रयत्न भी करें तो भी उसका विकास नहीं हो सकता।

वित्त मंत्री जी आपके-हमारे जैन साहब बहुत ही वयोवृद्ध और अनुभवी हैं, एक बार ये पचपदरा से जा रहें थे तो इन्होंने कहा, अब के मैं बहुत प्रयत्न करूंगा, आपके बाड़मेर जिले का बालोतरा जिला बनेगा एक और। क्या हुआ उस बालोतरा जिले का? उनके प्रयास करने के बावजूद भी और यह कहने के बावजूद भी इस बजट के अंदर कोई नया जिला नहीं है। बाड़मेर नहीं तो जैसलमेर बना देते, बाड़मेर से अगर किसी को नाराजगी है तो। इसमें नया जिला होना जरूरी है। (व्यवधान)

श्री रामसिंह विश्नोई : पिछले वर्ष मंत्री जी नहीं थे क्या? (व्यवधान)

श्री अमराराम चौधरी : मुझे बहुत कम समय मिला नहीं तो मैं तो करवा देता, माननीय पेयजल मंत्री जी। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (मुख्य सचेतक) : आप यह शर्त लगाकर जाते कि जिला बनाना पड़ेगा, तो फिर इनको बनाना पड़ता। (व्यवधान)

श्री अमराराम चौधरी : आपने बहुत अच्छा काम किया जल में। वह पाइप लाइन जो वर्षों से लगी हुई थी रणसी गांव में; उसमें इंदिरा कैनाल का पानी भेजा गया। बाड़मेर के लिये हम 80 से सुन रहे हैं कि बाड़मेर में, गडरा रोड में पानी आएगा; इंदिरा कैनाल का पानी बालोतरा में आएगा। नाचना से ऊंतरणी तक कई बार सर्वे भी हुए। अभी लिफ्ट कैनाल तो नहीं बनी, मेरा क्षेत्र लगता हुआ है एक किलोमीटर पाइप लाइन आप लगा दो ताकि हमें भी थोड़ा पानी गंगा का मिले। यह तो आप कर दीजिये। (व्यवधान)

श्री गोवर्द्धन कल्ला : बाड़मेर लिफ्ट किसने बंद की, आप बताएं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपने । (व्यवधान)

श्री गोवर्द्धन कल्ला : आपने चालू की थी, एक्स.ईएन. बिठाया था, पूरा डिवीजन बिठाया था, आपने उस योजना को बंद किया और अब बोल रहे हो उस बात को। (व्यवधान)

श्री अमराराम चौधरी : जो सरकार है उसका कर्तव्य होता है। मेरा इस बजट के लिये निवेदन है कि माननीय वित्त मंत्रीजी ने दो करोड़ और समर्पिग रखे हैं स्वर्ण जयंती अगले साल तक और बढ़ाने के लिये। क्या यह फालतू खर्चा नहीं है? आप ये दो करोड़ रुपये दूसरी जगह पर लगाइये। फालतू है। हमारी आय कहां से होगी? हमारा बजट संतुलित कैसे होगा? आपने दो के बजाय एक कार की, अच्छा किया। आप जो दो करोड़ रख रहे हो यह तो स्कूलों में हैं, ऐसे ही बुलाओगे तो हरेक आ जाएगा। उसमें इतना पैसा रखने की कोई आवश्यकता नहीं है; यह पैसा आप दूसरी जगह लगा दीजिये।

हिन्दुस्तान की आजादी के 50 साल बाद यह एक असमानता नजर आ रही है कि 'पोले से गोरी लड़ालूम, दत्ती साले जूं जूं।' एक गोरी वह जो सोने से लड़ालूम है और एक के तन पर एक न चिथड़ा। एक स्वर्ण के गहनों वाली है और दूसरी के पहनने के लिये कपड़े नहीं हैं। यह असमानता नहीं है तो क्या है? यह असमानता इस बजट के कारण है।

पिछले साल भी आपने स्कूलें खोलीं, मेरे क्षेत्र में तो हाई स्कूल और मिडिल स्कूल नहीं खोली। आप 200 हाई स्कूल और मिडिल स्कूल कर रहे हैं। आपका यह है कि गरीबी रेखा के नीचे का है हम उसका कल्याण करेंगे। सही बात है, आपने अच्छा पाइंट रखा है। लेकिन आप क्या करते हो कि जिनके यहां 10 स्कूलें प्राइवेट चल रही हैं, 50 महाविद्यालय चल रहे हैं; उसी जगह आप बार-बार स्कूल खोलेंगे कि आपका तो हक है, एक तो देना ही पड़ेगा। यह नहीं, आप यह देखें कि सबसे पिछड़ा और सबसे बैकवर्ड एजुकेशन में कौन है, कहां प्रतिशत कम है।

आपने यह सर्कुलर दिया है कि राजीव गांधी पाठशालाएं 11 हजार खोलकर हम सबको शिक्षित कर देंगे। मैं आपको यह अर्ज करना चाहता हूं कि हमारी नींव कैसे मजबूत होगी? यहां शहर के अंदर हमारे मंत्रियों के हों, चाहे किसी के हों; लड़के कारों में जाते हैं, टैक्सियों में जाते हैं और उनको एम.ए.; बी. एड.; पी. एचडी. किए हुए लोग पढ़ाते हैं।

हमारे यहां आठवीं पास लड़के उनको पढ़ाएंगे, हमारी नींव आप कैसे मजबूत करना चाहते हो? वहां हमें सोचने-पढ़ने के लिये मजबूर होना पड़ेगा। एक जो रमणीय महलों में बैठा है और एक जो झोंपड़ी के अंदर आज रह रहा है, इस असमानता को आपको दूर करना पड़ेगा। आप गांव की स्थिति को जानते हैं, इसलिये बजट में आपको प्रावधान करना चाहिए।

(श्री अमराराम चौधरी)

आपने कहा कि हमने विकास के कार्य रोक दिये क्योंकि पिछले जो अधूरे काम हैं उसमें हम लगाएंगे। यह अच्छी बात है कि आप अधूरे काम में लगाएंगे लेकिन एक कल्याणकारी सरकार विकास के कार्य में पैसा फालतू खर्च बन्द करके लगाये.... (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (मुख्य सचेतक) : ये 10 वीं पास पढ़ाएंगे, राजस्थान के तो मुख्य मंत्री भी 8वीं पास रहे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : कौनसे मुख्य मंत्री सारे मुख्य मंत्रियों की जन्म पत्री हैं क्या आप के पास ? आप बताइये क्या कहना चाहते हैं आप। (व्यवधान)

श्री महेश जोशी (उ. मु. स.) : आपको क्या आब्जेक्शन है ? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : नहीं, इतनी गम्भीर बहस चल रही है। आप मुख्य सचेतक हैं; हर–एक की क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट आपके पास है ? (व्यवधान) नहीं, आप कहना क्या चाहते हैं? (व्यवधान)

श्री महेश जोशी : नहीं, आपको क्या प्राब्लम है ? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : नहीं, आप कहना क्या चाहते हैं ? आप यह कहना चाहते हैं.. (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (मुख्य सचेतक) : इसका एजुकेशन से कोई सम्बन्ध नहीं है। (व्यवधान) नहीं, मेरा कहना यह है कि क्वालिफिकेशन से कोई संबंध नहीं है।

श्री रामनारायण चौधरी : आप बहुत डरा रहे हो, क्या बात है; राठौड़ साहब, इतना डराओ मत। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आपने ऐसा क्यों मान लिया कि यह आपके लिये कहा है ?

श्री सांवर लाल : शासन चलाना अलग व्यवस्था है, बच्चों को तालीम देना अलग बात है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप अपने आप पर क्यों ले रहे हैं इसको ? आपके एक मुख्य मंत्री रहे, इनके इतने रहे। (व्यवधान) आप अपने पर क्यों ले रहे हैं इसको ?

श्री अमराराम चौधरी : ..(व्यवधान).. मंत्रीजी, कोई भी आदेश देते हैं, आपके नीचे के अधिकारी उसका पालन करेंगे। यह मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं। ला एण्ड आर्डर के बारे में आर्डर मंत्रीजी ने दे दिया। 22/2 को एक मंत्री ने आदेश दिया कि अमुक ट्रक को छोड़ दिया जाए।

आज दिन तक वह ट्रक नहीं छोड़ा। क्या कारण है, जबकि कानून में यह प्रावधान है ? यह फोरेस्ट एक्ट का मामला था। पीड़ित लोग हमारे पास आये। मैंने कानून देखा तो फोरेस्ट एक्ट की धारा 62 में है, कोई वन अधिकारी या पुलिस अधिकारी परेशान करे एवं अनावश्यक रूप से कोई

(श्री अमराराम चौधरी)

ऐसी सम्पत्ति को इस अधिनियम के अन्तर्गत जब्त करें। उसको मंत्री आदेश कर दिया और उसके बाद में सैक्रेटरी ने रोक दिया।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महेश जोशी (उप मुख्य सचेतक) : एक मिनट, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आग्रह है कि माननीय सदस्य के बोलने तक....(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह आग्रह क्या है ? (व्यवधान) उप सचेतक जी वैसे तो एक-एक मिनट में खड़े होते हैं....(व्यवधान) आप विधिवत रूप से कहिये कि मेरा प्रस्ताव है। (व्यवधान)

श्री महेश जोशी : आप पहले मुंह साफ करके आइये। (व्यवधान) जो मुंह में है, वह थूक कर आइये। (व्यवधान) आप थूक कर आइये जो आपके मुंह में है।

श्री सांवर लाल : विधिवत रूप से प्रस्ताव करना चाहिए। (व्यवधान)

श्री महेश जोशी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि माननीय सदस्य के बोलने तक सदन का समय बढ़ा दिया जाए। बस ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : बोलने तक नहीं, भाषण समाप्त होने तक, संशोधन कीजिए। (व्यवधान) नियमों और प्रक्रिया में तो नियम यह है..(व्यवधान) भाषण, बोलने का कहीं शब्द ही इस्तेमाल नहीं हुआ है। (व्यवधान) प्रस्ताव किया ही नहीं..(व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा भी एतराज है। जो भी प्रस्ताव आते हैं, विधिवत रूप से आने चाहिए। यह हाउस है, हंसी-मजाक नहीं है। जो भी प्रस्ताव आये, विधिवत रूप से सदन में रखा जाना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : सदन को सहमति हो तो 15 मिनट समय बढ़ा दिया जाए ?

(स्वीकृत)

15 मिनट बढ़ाया गया।

आय-व्ययक पर वाद-विवाद

श्री अमराराम चौधरी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि सरकार के मंत्री के द्वारा कोई भी आदेश दिया गया, इसके बावजूद जो नीचे के अधिकारी हैं वे नहीं मान रहे हैं। यह उदाहरण सामने है कि 22/2 का आदेश देने के बावजूद भी अभी तक वह कोयले से भरा हुआ ट्रक, जो विलायती कोयले से भरा हुआ खड़ा है.... बबूल के....(व्यवधान)

माननीय वित्त मंत्रीजी, अखबार में

(श्री अमराराम चौधरी)

एडवर्टाइजमेंट निकाला कि हम 3200 से लेकर 4900 की ग्रेड के अंदर ग्राम सेवकों को लगाएंगे । उस आदेश के तहत आपने परीक्षा भी ले ली पर परीक्षा लेने के बाद में पास होने पर आपने नियुक्तियां नहीं दीं । नियुक्तियां नहीं देकर अब उनको 1200 रुपये पर लगाया । जबकि अखबार के अंदर क्लियर कट यह आदेश निकाला था और उसके तहत उनका ग्रेड तय किया गया था ।

मैंने एक प्रश्न पूछा था कि अप्रैल, 1999 से 29 फरवरी, 2000 तक जिन शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों को नौकरी पर लगाया गया उनको मासिक वेतन कितना दिया जा रहा है । विभाग द्वारा सूचना संकलित नहीं की जाती है और यहां जो नीचे लिखा है कि 60 रुपये प्रतिदिन देय है, उनको क्या 60 रुपये प्रतिदिन दे रहे हैं ? न्यूनतम वेतन आपने तय किया है पर अभी तक उनको कोई पैसा नहीं दिया जा रहा है, 1200 रुपये ही दिये जा रहे हैं।

वह 1200 रुपये वाला ग्राम सेवक क्या करेगा ? उसके पास में जो दूसरा ग्राम सेवक है उसको 5-6 हजार रुपये मिल रहे हैं और वह 1200 रुपये में करेगा, तो भ्रष्टाचार फैलेगा । आदमी की भूख पूरी नहीं होगी तो वह क्या करेगा ? वह काम कराएगा तो नींव के अन्दर चूना पूरा नहीं डालेगा । इस प्रकार भ्रष्टाचार को रोकने के लिये जो एग्रीमेंट आपसे हुआ है, जो आपका एडवर्टाइजमेंट है उसके अनुसार कम से कम उनको न्यूनतम वेतन तो आपको देना चाहिए ।

दूसरा मेरा निवेदन यह था; बहुत अच्छी योजना हमारे मुख्य मंत्री जी ने गरीबी रेखा के नीचे के लोगों के लिए रखी । मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि सुखदेव सिंह, पुत्र श्री मूलसिंह चारण बांगुडी का था, जो बहुत ही गरीब आदमी था । उसको कार्ड इश्यू हुआ गरीबी रेखा के नीचे का । उसने अपेंडिक्स का आपरेशन करवाया, नौ हजार कुछ रुपये उसके खर्चे हुए । उसका भुगतान अभी तक नहीं हुआ । मुख्य मंत्रीजी को उसने एप्लीकेशन भी दी । वह भेजी है, मेरे पास में है कि मेरे को अभी तक पैसे नहीं मिले हैं । जबकि सरकार की यह मंशा है कि ऐसे गरीबों को तत्काल पैसे,....ठीक है, वह तो जान-पहचान वाला था, मेरे पास आ गया । दूर गरीबी रेखा के नीचे वाले का यहां आने-जाने में; लिखा-पढ़ी करने में और खर्चा हो जाएगा । तो इस व्यवस्था में सुधार करना पड़ेगा ।

इसके अलावा मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा, आज सहकारी विभाग के अंदर है कि इनको हमने लोन दे दिया; इतना कर दिया । सहकारी विभाग की कई दुकानें आपकी बनी हुई पड़ी हैं, 3-3 साल से बनी हुई पड़ी हैं दवाइयों की । दुकानें बनने के बावजूद उन गांवों के अंदर सहकारिता के माध्यम से सस्ती दवाएं मिलें इसके लिए अभी तक उनमें से एक को भी नहीं खोला गया है । कर्मचारियों का चयन नहीं किया गया है इसलिये दुकानें

(श्री अमराराम चौधरी)

वैसे के वैसे ही बंद पड़ी हैं। उनको बहुत जल्दी चालू किया जाए। अब अकाल के बारे में मैं निवेदन करना चाहूंगा। आज हमारे बाड़मेर में....

श्री उपाध्यक्ष : अकाल के बारे में चर्चा होगी।

श्री अमराराम चौधरी : वह तो बहुत आगे आएगी। अभी बाड़मेर में अकाल राहत के कार्य खोले हैं। लेकिन कई जगह ऐसे गांव हैं जहां पंचायतों ने काम खोल दिये हैं, रिकार्ड पर है लेकिन मौके पर एक मजदूर भी नहीं है।

दूसरी बात यह है कि हमारे छोटे-छोटे गांव हैं और 5-6 गांवों की एक पंचायत बनी है। अब एक गांव में तालाब खुदाया है तो दूसरे गांव वाले हैं उनका काम कैसे होगा? हमारे गांव भी तो दूर हैं, 5–6 किलोमीटर दूर-दूर हैं, वहां आप का कोई काम नहीं है तो फिर कैसे उनका गुजारा चलेगा? उनकी हालत बड़ी चिन्ताजनक है।

पानी के लिए मैं अर्ज करना चाहूंगा। मंत्रीजी के अभी आदेश आये। मैं कल-परसों गया था हैण्ड पम्प वाले जो मैंने यहां 295 पेश किया था, सर्वे करने और पानी देखने के लिए गये। पानी वहां पर है। एक हैण्ड पम्प खुदा हुआ है उसका मीठा पानी है। कई स्कूलें हैं, मैं आपको अर्ज कर रहा हूं; सोकड़ियों की ढाणी, गोल स्टेशन, भीमला स्टेशन और साहू-मूलराज।

अभी हमारे अमीन साहब कह रहे थे कि छह-छह महीने से पानी नहीं आता, मैं यह अर्ज कर रहा हूं कि यह नौबत क्यों आयी? इसका कारण है, माननीय मंत्रीजी। आपके बिजली घर का ए.ईएन. था, उसने साठगांठ कर दी, अंधाधुंध कृषि कनेक्शन दे दिये आपकी लाइन पर। 12 महीने तक हमको प्यासा मरना पड़ा। इसके कारण आपके जो पम्प चलने चाहिए थे वे नहीं चले। मेरी साढ़े चार करोड़ की एक योजना हुण्डोवर–नवातला जिसमें चार ट्यूबवैल खुदे हुए हैं, उनको मिलकर उन्होंने रुकवाया कि यह योजना प्रारम्भ नहीं की जाए क्योंकि यहां तो पानी कम हो जाएगा।

आज बिठूजा से हमारे दो सौ गांव पानी पी रहे हैं। कल ये कहेंगे कि बिठूजा से पानी क्यों जाने देंगे। यह साठ-गांठ कर पैसे खाये हैं उन ए.ईएन. और जे.ईएन. ने और लोगों को एग्रीकल्चर कनेक्शन आपकी लाइन पर दिये जिससे 12 महीने तक लोगों को प्यासा मरना पड़ा है। कोई एक बूंद पानी उनके नहीं आया। आज भी साहू-मूलराज में यही हालत है। केसूमूला के अन्दर इन्होंने कहा वह भी ऐसी की ऐसी। छह महीने से ये कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि केसूमूला में 12 महीने से पानी नहीं आया है। छह महीने तो वे एडमिट कर रहे हैं, 12 महीने से पानी नहीं आया।

इसीलिए गडरा एरिया के अन्दर 12-12 महीने तक पानी नहीं आ रहा है। आपने आदेश दिया है कि लोकल सोर्स हो; हम तो यह कह रहे हैं कि कम से कम

(श्री अमराराम चौधरी)

खारा पानी भी हो तो भी धोने के काम तो आये । वह भी आप अगर प्रारम्भ करा दें तो ठीक होगा । हम आपको वहां के लोकल सोर्सेज बता देंगे । कोई कुआ हो तो हम वैसे कहें कि इसमें भी कुछ लगाकर काम करें ।

मेरा निवेदन है कि एक तो अकाल के अन्दर मजदूरी लोगों को वहां मिले । पेयजल की पूरी व्यवस्था हो। दूसरा, इंदिरा कैनाल के बारे में आप बहुत ही जागरूक हैं, मैं आशा करता हूं कि मेरा और जो आपका एरिया है, आप वहां जोधपुर से पानी भेजोगे । जोजरी नदी है जिसमें आप पानी डाल दो तो आपका वह वासनी वाला नाला है, वैसे ही पानी हमारे यहां आएगा । आपके वहां तो एक बार तो ठहरता है न, सालावास के आगे तक पानी आ गया था । तो इसके सारे ओर के अन्दर पानी आएगा ।

आप वहां पर वैसी योजना बनाएं ताकि आपसे लगता हुआ जो एरिया है उसको लाभ मिल सके और हम लोगों का जो हमेशा का संकट है वह दूर हो सके । गडरा से पानी हमारे बालोतरा के लिए तो आएगा नहीं क्योंकि गडरा हमारे से कम से कम 150 किलोमीटर दूर है ।

दूसरा, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि जहां स्कूलों के अन्दर बच्चे पढ़ते हैं; कोई कांग्रेस और बी. जे. पी. से मतलब है नहीं । यह नहीं कि बी.जे.पी. के ही पढ़ते हैं या कांग्रेस के ही पढ़ते हैं । इसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं हो । जो रेगिस्तानी क्षेत्र है और शिक्षा की दृष्टि से पिछड़ा हुआ है उसको आप स्कूल उस हिसाब से दो जिसमें आपके भी बच्चे पढ़ेंगे और दूसरी पार्टियों के भी बच्चे पढ़ेंगे । इसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए । एक नीति बना दीजिए ।

न्यायालय के बारे में निवेदन है । आप तीस न्यायालय खोलने जा रहे हैं, ठीक है । चौहटन का न्यायायलय है, वह कहां लग रहा है ? वह बाड़मेर में लग रहा है । गुढ़ामालानी का एस.डी.एम. कोर्ट कहां लग रहा है ? वह बाड़मेर में लग रहा है । आप यह और जो न्यायालय खोलने जा रहे हैं क्या ये भी बाड़मेर में ? आप यह करो कि यह बाड़मेर में नहीं, यहां गुढ़ामालानी में खुलेगा तो गुढ़ामालानी में ही खुलेगा । चौहटन का न्यायालय चौहटन में ही खुलेगा । (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामालानी) : हमें दिक्कत आती है । (व्यवधान)

श्री रतन लाल ताम्बी : अमरारामजी, यह बात दिल्ली में भी तो कहो । (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी : खोलेंगे तो होगा कौन ? (व्यवधान)

श्री रतन लाल ताम्बी : आपको दिल्ली में भेदभाव नहीं करना चाहिए राजस्थान के साथ । (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी : आप मेरे से बात करो, मेरे से । (व्यवधान)

श्री रतन लाल ताम्बी : अकाल में भेदभाव कर रही है दिल्ली की सरकार, वह भी कहो थोड़ा । (व्यवधान)

श्री अमराराम चौधरी : कहीं भी हो । मेरा निवेदन यह है कि जो भी न्यायालय आप खोलें । अधिक न्यायालय आप खोल रहे हैं, सस्ते न्याय के लिए कर रहे हैं सब कुछ, लेकिन यह फालतू खर्चा है, एक तरफ स्कूलें हमारी कम कर रहे हो, हाई स्कूलें वगैरह, विकास के काम घटा रहे हो और इधर आप कह रहे हो कि हम तो साक्षर कर रहे हैं । आज अकाल के अन्दर दसवीं का लड़का अगर बालोतरा में आकर पढ़ेगा तो वह कहां से पैसे लाएगा ?

समाज कल्याण मंत्रीजी यहां पर नहीं हैं । 35 लाख रुपये की मेरे यहां समाज कल्याण छात्रावास की जो प्रशासनिक स्वीकृति मिल गयी, आज डेढ़ साल से उसका कार्य वित्त स्वीकृति देकर शुरू नहीं किया गया । आप कह रहे हैं कि हम शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब के लिए कुछ कर रहे हैं । आज छात्रावास भवन है, अफीम, नशा मुक्ति भवन बना है उसमें... (व्यवधान)

श्री रतन लाल ताम्बी : उधर ये सांवर लालजी बैठे हैं, उनसे पूछो कि पांच साल पहले मेरे गांव में एक शिलान्यास करके गये थे, छात्रावास का, न रकम का पता, न उस पत्थर का पता । (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : उपाध्यक्ष महोदय, उसके लिए माननीय विधायक को धन्यवाद देना चाहिए था । वह शिलान्यास मैंने किया था । (व्यवधान)

श्री अमराराम चौधरी : मेरा निवेदन यह है कि जो अनुसूचित जाति, शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब की हम बात करते हैं उनके लिए आप जगह-जगह निगम वगैरह मत बनाओ । ज्यादा न तो आयुक्त बनाओ, न निगम बनाओ । यह फालतू खर्चा है, इसको रोको । आज अकाल में दूर से 100 किलोमीटर आकर बालोतरा में लड़का नहीं पढ़ सकता है । उसके लिए महीने का कम से कम तीन सौ-चार सौ रुपये का खर्चा है । अगर बाजरे की हाथ की भी रोटियां बनाकर खाएगा तो भी खर्चा आएगा ।

इसीलिए गांवों के अन्दर स्कूलों को क्रमोन्नत करो, छात्रावास खोलो और उनको वहां लाभ दो ताकि वाकई में उनको फायदा मिल सके और गरीबों के बच्चे आगे बढ़ सकें । यही बात कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं । जय हिन्द, जय भारत ।

श्री उपाध्यक्ष : सदन की बैठक बुधवार, दिनांक 5 अप्रेल, 2000 के प्रातः 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है ।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही 17.37 बजे बुधवार, दिनांक 5 अप्रेल, 2000 को 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई ।)

परिशिष्ट–1

(तारांकित प्रश्न संख्या-220 की सूचना)

परिशिष्ट–'क'

उदयपुर जिले में वित्तीय वर्ष 1998 से 2000 में पर्यटन विकास हेतु किये गये विकास कार्यों के प्रावधान एवं व्यय की सूचना

(राशि लाख रु.)

क्र. सं.	कार्य का नाम		प्रावधित राशि	व्यय
अ.	राज्य योजनान्तर्गत :—			
1.	पर्यटक स्वागत केन्द्र में काउन्टर्स का निर्माण		2.46	2.46
2.	सज्जनगढ़ फोर्ट पर रोशनी की व्यवस्था		5.38	5.38
ब.	केन्द्रीय प्रवर्तित योजना के तहत :—			
1.	प्रकाश एवं ध्वनि कार्यक्रम, मोती मगरी, उदयपुर		9.40	9.40
स.	मेवाड़ काम्पलेक्स योजना के तहत :—			
1.	महाराणा प्रताप समाधि स्थल/ छतरी, चावण्ड का विकास कार्य	1998-99 1999-2000	45.00 11.00	14.46※ 3.77

※ उक्त 45.00 लाख रु. में से 14.46 लाख रु. उदयपुर में व शेष राशि राजसमन्द में व्यय की गई।

परिशिष्ट–2

(समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न व उनके उत्तर)

जिला झुन्झुनूं के छात्रावास

221. श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला झुंझुनूं में सरकार द्वारा किस-किस स्थान पर छात्रावास चलाये जा रहे हैं और प्रत्येक में कितने छात्र हैं तथा कितनी राशि प्रत्येक पर वर्ष 1999-2000 में व्यय की गई ?

(2) प्रति छात्र कितनी राशि का प्रावधान है ? वर्ष 1999-2000 में किस किस स्थान पर नये छात्रावास खोले जाने थे तथा उनमें कितने खोले जा चुके हैं ?

उत्तर

(1) झुंझुनूं जिले में सरकार द्वारा निम्न स्थानों पर राजकीय एवं अनुदानित छात्रावास संचालित किये जा रहे हैं। साथ ही इन छात्रावासों में प्रवेशित एवं वर्ष 1999-2000 में व्यय की गई राशि छात्रावास के सामने अंकित है।

क्र.सं.	नाम छात्रावास	स्वीकृत छात्र संख्या	प्रवेशित छात्र संख्या	वर्ष 1999-2000 में व्यय की गई राशि
1	2	3	4	5
	राजकीय छात्रावास			
1.	अनु.जाति छात्रावास झुंझुनूं	50	50	2,80,861 = 00
2.	अनु.जाति छात्रावास मुकुन्दगढ़	25	25	1,38,251 = 00
3.	अनु.जाति छात्रावास बगड़	25	25	1,39,444 = 00

(समाज कल्याण मंत्री)

1	2	3	4	5
4.	अनु.जाति छात्रावास पिलानी	25	25	1,29,330 = 00
5.	अनु.जाति छात्रावास चिड़ावा	25	12	51,000 = 00
6.	अनु.जाति छात्रावास महरमपुर	25	19	85,189 = 00
7.	स्वच्छकार छात्रा. झुंझुनूं	25	25	1,41,441 = 00
8.	स्वच्छकार छात्रा. मण्डावा	25	25	1,48,072 = 00
9.	विमुक्त जाति छात्रा. खेतड़ी	25	25	1,46,188 = 00
10.	विमुक्त जाति छात्रा.उदयपुर वाटी	25	23	1,24,599 = 00
	अनुदानित छात्रावास			
1.	राजेन्द्र छात्रावास सूरजगढ	25	25	1,42,245 = 00
2.	नेहरू छात्रावास नवलगढ	35	35	1,93,166 = 00
3.	गांधी छात्रावास नवलगढ	25	24	1,42,802 = 00

(समाज कल्याण मंत्री)

1	2	3	4	5
4.	नेहरू छात्रावास अलसीसर	50	50	2,92,810 = 00
5.	राजेन्द्र छात्रा. बिसाऊ	30	27	1,57,400 = 00
6.	इन्दिरा गांधी छात्रा.	50	20	1,35,000 = 00

(2) छात्रावास में रहने वाले छात्र/छात्राओं को भोजन, पोशाक, तेल, साबुन जूते, मोजे बाल कटिंग, बिजली पानी; पत्र-पत्रिकाओं हेतु 675/- रुपये प्रति छात्र प्रति माह का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों को 60/- रुपये प्रति छात्र प्रति सत्र एवं कक्षा 6 से 8 तक के छात्रों को 40/-रुपये प्रति छात्र प्रति सत्र पुस्तकें व स्टेशनरी के लिये एक मुश्त दिये जाने का प्रावधान है।

वर्ष 1999-2000 में झुंझुनूं जिले में कोई छात्रावास खोले नहीं जाने हैं।

विधान सभा क्षेत्र धोद के चिकित्सालयों में रिक्त पद

222. श्री अमराराम (धोद) : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र धोद के चिकित्सालयों में चिकित्सा अधिकारी एवं अन्य कर्मचारियों के कितने पद कब से रिक्त हैं ?

(2) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(3) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में नीम हकीम लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं ? यदि हां, तो उनके विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र धोद के अन्त-

(राज्य मंत्री; चिकित्सा)

र्गत आने वाले चिकित्सा संस्थानों में चिकित्सा अधिकारी एवं अन्य कर्मचारियों के रिक्त पदों की सूची मय रिक्ति की दिनांक सहित संलग्न है।

(2) जी हां, कनिष्ठ विशेषज्ञ, वरिष्ठ लिपिक एवं नर्स श्रेणी प्रथम के रिक्त पदों को विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा चयनित होने पर, प्रसाविका एवं लैब टैक्नीशियन के रिक्त पदों को राज्य सरकार से मय नियुक्ति की स्वीकृति प्राप्त होने पर भरा जाना सम्भव हो सकेगा, वेतन श्रृंखला 1 से 6 तक के रिक्त पदों को भरने पर राज्य सरकार द्वारा प्रतिबन्ध होने के कारण वाहन चालक; परिवार कल्याण कार्यकर्ता एवं स्वीपर के रिक्त पदों को भरा जाना सम्भव नहीं हो सकेगा।

(3) नीम हकीमों की शिकायत प्राप्त होने पर विभिन्न नियमों के अन्तर्गत सरकार द्वारा उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाती है।

विधान सभा क्षेत्र धोद के अन्तर्गत आने वाले चिकित्सा संस्थानों में चिकित्सा अधिकारी एवं अन्य कर्मचारियों के रिक्त पदों का विवरण:--

चिकित्सा संस्थान का नाम	पदनाम	रिक्त पदों की संख्या	कब से रिक्त है
1	2	3	4
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, लोसल	कनिष्ठ विशेषज्ञ (सर्जरी)	1	2/99 से
	वरिष्ठ लिपिक	1	11/98 से
मातृ शिशु कल्याण केन्द्र, लोसल	प्रसाविका	1	11/97 से
प्रसवोत्तर केन्द्र, लोसल	कनिष्ठ विशेषज्ञ (स्त्री)	1	7/99 से
	वरिष्ठ लिपिक	1	9/96 से
	वाहन चालक	1	7/93 से
	परिवार कल्याण कार्यकर्ता	1	6/92 से
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र फतेहपुरा	स्वीपर	1	6/97 से

1	2	3	4
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र किरडोली	स्वीपर	1	4/97 से
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, दूजोद	लैब टैक्नीशियन	1	12/96 से
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, खूड	लैब टैक्नीशियन	1	2/96 से
एड पोस्ट, नेतड़वास	नर्स श्रेणी-प्रथम	1	12/99 से
उप स्वास्थ्य केन्द्र, सुजानपुरा	प्रसाविका	1	7/99 से
उप स्वास्थ्य केन्द्र, करणपुरा	प्रसाविका	1	5/98 से
उप स्वास्थ्य केन्द्र, सेसम	प्रसाविका	1	7/98 से

उदयपुर के खाद उत्पादन के कारखानों को दी जाने वाली अनुदान राशि

223. श्री खेमराज कटारा (उदयपुर ग्रामीण) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जिला उदयपुर में खाद उत्पादन के कारखाने कहां-कहां पर स्थापित हैं ? उक्त कारखाने किस–किस प्रकार का खाद निर्माण करते हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त कारखानों द्वारा उत्पादित की गई खाद पर सरकार अनुदान देती है ? यदि हां, तो गत पांच वर्षों में किस-किस कारखाने को कितना-कितना अनुदान कब-कब दिया गया ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त कारखाने खाद उत्पादन नहीं कर मात्र कारखाने के फर्जी बिल बनाकर अनुदान प्राप्त कर सरकार को भारी राजस्व हानि पहुंचा रहे हैं ? क्या सरकार इसकी जांच करवा कर दोषियों को दण्डित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या यह भी सही है कि सरकार उक्त कारखाने द्वारा खाद निर्माण हेतु क्रय किये जाने वाली सामग्री पर भी अनुदान देती है ? यदि हां, तो किस-किस सामग्री पर कितना-कितना ? गत पांच वर्षों में

(श्री खेमराज कटारा)

किस-किस कारखाने को कितनी-कितनी राशि कब-कब दी गई ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(5) क्या यह सही है कि कारखानों द्वारा खाद निर्माण हेतु प्रयुक्त होने वाली सामग्री को क्रय पर अनुदान प्राप्त कर सीधे ही बाजार में बेची जाती है ? क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषियों को दण्डित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जिला उदयपुर में खाद बनाने के 14 कारखाने स्थापित हैं जिसकी सूची परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है ।

(2) जी नहीं । राज्य सरकार द्वारा उक्त कारखानों द्वार उत्पादित उर्वरक पर कोई अनुदान नहीं दिया जाता है ।

(3) उपरोक्तानुसार ।

(4) जी नहीं ।

(5) जी नहीं ।

परिशिष्ट—'अ'

उदयपुर जिले में स्थित कारखानों की सूची

क्र.सं.	नाम एवं स्थान	निर्मित खाद का नाम
1	2	3
1.	मै. मधुबन कैमि.एण्ड फर्टि.लि. डबोक, उदयपुर ।	एसएसपी
2.	मै. लिबर्टी फास्फेट लि.एफ-227, मेवाड़ औद्योगिक क्षेत्र, उदयपुर ।	एसएसपी
3.	मै. रामा फास्फेट लि., कानपुर तह.गिर्वा, उदयपुर ।	एसएसपी
4.	मै. सुर्वीकलर कैम लि., 269 औद्योगिक क्षेत्र मादरी, उदयपुर ।	एसएसपी

1	2	3
5.	मै. धर्मसी मोरारजी कैमि.लि. ग्राम खेमली तह. मावली, उदयपुर।	एसएसपी
6.	मै. साधना कैमि.लि. ग्राम गूडली तह.मावली उदयपुर।	एसएसपी
7.	मै. प्रेमसखी फर्टि. प्रा.लि. गांव लकड़वास, उदयपुर।	एसएसपी
8.	मै. हिन्दुस्तान एग्रो कैमि.11, शिवाजी नगर, उदयपुर।	माईक्रोन्यूटेंट मिश्रण
9.	मै. लक्ष्मी कैमि. एण्ड फर्टि. 8, शिवाजी नगर, उदयपुर।	माईक्रोन्यूटेंट मिश्रण
10.	मै. सिसोदिया मैन्यूर मिल्स, धाकन कोटला, उदयपुर।	बोनमील
11.	मै. अल्को बक्श मेटेल्स लि. सीसम की गढ़ी, डबोक, उदयपुर।	जिंक सल्फेट
12.	मै. वेस्ट इण्डिया कैमि.लि. एफ 24-25, मेवाड़ औद्योगिक क्षेत्र, उदयपुर।	जिंक सल्फेट
13.	मै. स्वास्तिक जिंक प्रा.लि. एफ 268, एमआईए, मादरी, उदयपुर।	जिंक सल्फेट
14.	मै. कृपाली कैमि. एफ 332, मेवाड़ औद्योगिक क्षेत्र, उदयपुर।	मैगनीज सल्फेट

विधान सभा क्षेत्र भादरा (हनुमानगढ़) के किसानों की अधिगृहीत भूमि का मुआवजा

224. श्री संजीव कुमार (भादरा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र भादरा में अमरपुरा से अजीतपुरा सड़क का निर्माण कार्य पूर्ण करा दिया गया है ? यदि हां, तो कब ?

(2) क्या उक्त सड़क में अधिगृहीत भूमि का मुआवजा संबंधित किसानों को दे दिया गया है ? अब तक किन-किन काश्तकारों को दिया जा चुका है ? सूची काश्तकार के नाम सहित सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त सड़क में आने वाली भूमि का मुआवजा अभी भी काश्तकारों को दिया जाना शेष है ? यदि हां, तो क्यों ?

(4) क्या सरकार उक्त काश्तकारों को उक्त भूमि का शेष मुआवजा देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। अमरपुरा से अजीतपुरा सड़क (लम्बाई 8 किमी.) का निर्माण कार्य निम्नानुसार पूर्ण कर दिया गया है।

1. किमी. 0/0 से 3/0 तक निर्माण वर्ष 1979

2. किमी. 3/0 से 6/0 तक निर्माण वर्ष 1981

3. किमी. 6/0 से 8/0 तक निर्माण वर्ष 1990

(2) उक्त सड़क के निर्माण में अधिगृहीत भूमि का मुआवजा अभी तक सभी सम्बन्धित काश्तकारों को नहीं हो पाया है क्योंकि 24-1-98 को पारित अवार्ड के विरुद्ध वर्ष 1998-99 में 1.00 लाख रुपये का बजट आवंटित था। इस आवंटित बजट के विरुद्ध केवल तीन काश्तकारों को 91000 रुपये का भुगतान कर दिया गया है। जिनकी सूची मय राशि भुगतान के संलग्न परिशिष्ट 'अ' में सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(3) जी हां। वर्ष 1998-99 एवं 1999-2000 में उक्त सड़क में अधिगृहीत हुई भूमि के मुआवजे हेतु समुचित बजट प्रावधान न होने के कारण अभी भी काश्तकारों को मुआवजा दिया जाना शेष है।

(4) जी हां। वर्ष 2000-2001 में उपलब्ध वित्तीय बजट आवंटन अनुसार शेष रहे काश्तकारों को भूमि के मुआवजे का भुगतान कराये जाने के प्रयास किये जायेंगे।

परिशिष्ट–'घ'

अमरपुरा से अजीतपुरा सड़क के नीचे आई भूमि के काश्तकारों को किये गये भुगतान का विवरण

1.	सर्व श्री मंगतू, फूला, रामकुमार, अर्जुन, पिसराम वीरू अकवाम नायक साकिन अजीतपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।	46,800.00
2.	हरिसिंह पुत्र श्री राजू नायक साकिन अजीतपुरा खातेदार	32,500.00
3.	महावीर पुत्र वीरू कोम नायक साकिन अजीतपुरा तहसील भादरा	11,700.00
	कुल	91,000.00

परिशिष्ट--'ब'

योजना मद में भूमि अवाप्ति भुगतान हेतु बजट प्रावधान एवं व्यय

(राशि लाखों में)

क्र. सं.	वर्ष	बजट भुगतान	संशोधित अनुमान	व्यय	बकाई राशि
1.	1995-96	150.00	351.00	199.32	180.56
2.	1996-97	70.00	70.00	37.49	132.22
3.	1997-98	150.00	50.00	36.32	453.82
4.	1998-99	200.00	100.00	84.65	1059.42
5.	1999-2000	381.00	50.00	51.54	327.91
				409.53	2153.93

पिछले पांच वर्षों की देनदारियां :—2153.93-409.53 = 1744.40 लाख

मदरसा बोर्ड के लिये स्वीकृत राशि

225. मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या वर्ष 1999-2000 में मदरसा बोर्ड के लिए कोई राशि स्वीकृत की गई थी ? यदि हां, तो उसमें से अब तक कितनी राशि किस मद में व्यय हुई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी नहीं। राज्य में मदरसा बोर्ड गठित नहीं होने के कारण वर्ष 1999-2000 के लिये कोई धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है।

राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल के सतर्कता विभाग के निर्धारित लक्ष्य

226. श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल के सतर्कता विभाग द्वारा विद्युत चोरी के कितने प्रकरण वर्ष 1999 से फरवरी, 2000 तक पकड़े गये ? संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि बोर्ड द्वारा सतर्कता विभाग के अभियंताओं को रुपये वसूली का लक्ष्य निश्चित किया गया है ? यदि हां, तो एक माह में एक सतर्कता सहायक अभियन्ता को कितना लक्ष्य राशि वसूलने के लिए दिया गया है ?

(3) जिला बाड़मेर के सहायता अभियन्ता सतर्कता का चैकिंग क्षेत्र कितने सब-डिवीजन में है ?

(4) उक्त सहायक अभियन्ता द्वारा किस-किस सब-डिवीजन में एक वर्ष में किन-किन ग्रामों का दौरा कर विद्युत चोरी के केस पकड़े गये ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह सही है कि जब वोल्टेज कम होंगे और कुआ गहरा होगा तो मोटर एम्पीयर ज्यादा लेगी और 350 से 400 के वोल्टेज होने पर कुआ गहरा भी हो तो मोटर एम्पीयर ज्यादा नहीं लेकर बराबर चलाती है ?

(6) क्या यह भी सही है कि उद्योगों में एक से अधिक मोटर्स के लिए एक मीटर होता है जबकि काश्तकार पानी के कम या ज्यादा होने पर एक मीटर से एक से अधिक मोटर्स नहीं चला सकता ?

उत्तर

(1) राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल के सतर्कता विभाग द्वारा वर्ष 1999 में माह अप्रेल, 1999 से फरवरी, 2000 तक राज्य भर में कुल 21212 विद्युत चोरी के मामले पकड़े गये।

(ऊर्जा मंत्री)

(2) जी हां। मण्डल द्वारा सतर्कता विभाग के सहायक अभियन्ता (सतर्कता) के लिए प्रतिमाह 3.00 लाख रुपये राजस्व वसूली का लक्ष्य निर्धारित किया हुआ है।

(3) जिला बाड़मेर के सहायक अभियन्ता (सतर्कता) का चैकिंग क्षेत्र मण्डल के बाड़मेर वृत के 14 सब डिवीजन हैं।

(4) उक्त सहायक अभियन्ता द्वारा वर्ष 1999 में माह अप्रेल, 1999 से फरवरी, 2000 तक बाड़मेर वृत के 14 उपखण्डों के 46 गांवों/क्षेत्रों का दौरा कर कुल 67 विद्युत चोरी के मामले पकड़े गये; जिनका विवरण परिशिष्ट-'अ' पर संलग्न है।

(5) जी हां। जब वोल्टेज कम होंगे और कुआ गहरा होगा तो मोटर एम्पीयर ज्यादा लेगी लेकिन इससे मोटर की भार क्षमता की गणना करते समय कोई अन्तर नहीं आयेगा क्योंकि मोटर की भार क्षमता का आंकलन उस समय के वोल्टेज एवं मोटर द्वारा लिए गये एम्पीयर से गुणा करके निकाला जाता है। यदि वोल्टेज कम होंगे तो मोटर द्वारा एम्पीयर ज्यादा लिया जावेगा एवं वोल्टेज ज्यादा होंगे तो मोटर द्वारा एम्पीयर कम लिया जावेगा इस प्रकार मोटर की भार क्षमता के आंकलन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(6) यह सही है कि उद्योगों में एक से अधिक मोटर के लिए एक ही मीटर होता है तथा काश्तकारों के मामलों में भी यही नियम लागू है लेकिन कृषि कनेक्शन के मामले में कनेक्शन का सप्लाई क्षेत्र/परिसर मात्र कुआ ही माना जाता है अतः उसी कुए पर जिसके लिये कृषि कनेक्शन स्थापित है ऐसे मामलों में काश्तकार विद्युत सम्बन्ध के स्वीकृत भार के अन्तर्गत एक से अधिक मोटर का उपयोग भी कर सकता है।

यह भी उल्लेखनीय है कि कृषि में भारी अनुदान दिया जाता है जब कि उद्योगों में लागत कीमत से ज्यादा राशि वसूल की जाती है। कृषि क्षेत्र में परंपरागत रूप से स्टेण्ड बाई मोटर लगाने की व्यवस्था नहीं है।

परिशिष्ट--'अ'

सहायक अभियन्ता (सतर्कता) बाड़मेर द्वारा वर्ष 1999 के माह अप्रेल 1999 से फरवरी; 2000 तक गांव वार विद्युत चोरी के पकड़े गये मामलों की सूची

सब-डिवीजन का नाम	गांव का नाम	विद्युत चोरी के पकड़े गये मामलों की संख्या
1	2	3
(1) बाड़मेर	मालगोदाम रोड	1
	वन विभाग रोड	1
	चोहटन रोड	1
	मुगल का बास	1
	बलदेव नगर	1
	कृषि उपजमण्डी	1
	विष्णु कालोनी	1
	आफीसर्स कालोनी	1
	बाड़मेर	8
		16
(2) बालोतरा	बालोतरा	3
	कालुन्दी	1
	बोथुआ	1
	आसोतरा	2
		7

1	2	3
(3) चोटन	बाष्कर रोड	1
	मिठीकटालिया	1
	धनाऊ	1
	सेड़वा	1
	पुंजासर	1
		5
(4) जैसलमेर	अमर सागर	1
	आर.सी.पी. कालोनी	3
	जैसलमेर	3
		7
(5) पोकरन	पोकरन	1
		1
(6) बायतु	कवास	1
	भीमरा	3
	बायतु भोजी	1
	बायतु	1
		6

1	2	3
(7) भीनमाल	भीनमाल	3
	अरनू	1
		4
(8) रानीवाड़ा	धानोला	1
	धामसीन	2
		3
(9) सायला	सायला बस स्टेण्ड	1
		1
(10) शिव	कादरा	1
		1
(11) सिवाना	गुड़ानाल	1
	सिवाना	3
	धारजीयाना	1
	देवान्दी	1
	लादवरलाई	2

1	2	3
	पाड़लो	1
	गोलिया	1
		10
(12) ग्रामीण बाड़मेर	रामसर बस स्टेण्ड	1
	बलेरा	1
	गोदरारोड	1
	अखरों की ढानी	1
		4
(13) गुड़ामलानी	गुड़ामलानी	1
		1
(14) सिन्दरी	सोयला	1
		1
	योग	67

ह0
वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी (सतर्कता व सुरक्षा)
राज. राज्य विद्युत मण्डल, जयपुर

जाट सिखों को अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण-पत्र

227. श्री रामप्रताप (हनुमानगढ़) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या राज्य में जाटों को अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल किये जाने के बाद जाट सिखों को अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण-पत्र दिया जा रहा है ? यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उत्तर

जी नहीं। जाट सिख जाति/वर्ग को पिछड़ा वर्ग की सूची में शामिल किये जाने का प्रकरण राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के विचाराधीन है। आयोग की रिपोर्ट प्राप्त होने पर विचार कर उचित कार्यवाही की जा सकेगी।

चैनपुरा (जोधपुर) में नकली घी के कारखाने

228. श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जिला जोधपुर के मंडोर क्षेत्र के चैनपुरा में नवम्बर 1999 में नकली घी बनाने के कारखाने पकड़े गये थे ? यदि हां, तो उसमें कौन-कौन से व्यक्ति व फर्में लिप्त पाई गई ? नाम मय फर्म के सदन की मेज पर रखें।

(2) राज्य में इसके अतिरिक्त कहां छापे मारे गये थे और छापों के दौरान कारखानों व प्रतिष्ठानों या दुकानों पर किस-किस के यहां कितना-कितना नकली घी पकड़ा गया ? इस घी का निर्माण कैसे किया जाता था और कहां-कहां सप्लाई किया जाता था ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां, जोधपुर के मण्डोर क्षेत्र के ग्राम चैनपुरा में दिनांक 11-11-99 को पुलिस थाना मण्डोर द्वारा नकली घी बनाने का कारखाना पकड़ा गया।

नगर निगम द्वारा प्रदत्त लाईसेन्स अनुसार उपरोक्त कारखाने के मालिक श्रीमति माया कल्ला पत्नी श्री गोवर्धन कल्ला जिसकी फर्म का नाम गुरूकृपा मैन्यूफेक्चरिंग एण्ड फिलिंग कम्पनी, चैनपुरा, मण्डोर है।

(2) इसके अतिरिक्त राज्य में मारे गये छापों के दौरान कारखानों/प्रतिष्ठानों पर मिलावटी घी पकड़ा गया। उसका विवरण संलग्न है। संभवतया: इस घी के निर्माण में सोयाबीन तेल, वनस्पति, बटर आयल, आलू पेस्ट एवं घी के एसेन्स द्वारा किया जाता है। पकड़ा गया माल सीज किया हुआ है।

क्रम सं.	स्थान का नाम	नमूनीकरण की दिनांक	घी जप्ती/छापों/फर्म/व्यक्ति/एजेन्सी का नाम	लिये गये नमूनों की सं.	जब्त माल की मात्रा	जांच परिणाम	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	गंगापुर सिटी (स.माधोपुर)	4-11-99	पंकज एण्ड संस इन्द्रा मार्केट गंगापुर सिटी	2	21 टीन	अपमिश्रित	
2.	यथा	4-11-99	मंगल जनरल स्टोर; गंगापुर सिटी	1	5 टीन	यथा	
3.	यथा	4-11-99	मै. किरोड़ लाल गुप्ता पुत्र श्री बाल मुकुन्द गुप्ता; बंध कालोनी; गंगापुर सिटी	1	1 टीन	यथा	
4.	कैथून (कोटा)	16-2-99	मै.राजेन्द्र कुमार पुत्र श्री तेजमल, जैन; कैथून	1	6डब्बे टीन	यथा	
5.	यथा	16-2-99	मै.जलील किराना स्टोर, कैथून	1	559लीटर	यथा	
6.	यथा	21-3-99	झाडोया किराना स्टोर; बारामपुरा, कैथून	1	—	यथा	

1	2	3	4	5	6	7	8
7.	रामपुरा, कोटा	6–4–99	गुलाब चन्द एण्ड ब्रदर्स, बेरीवाल चोराहा, जिला भीलवाड़ा; रामपुरा कोटा	1	33डब्बे टीन	अपमिश्रित	पुलिस में प्रकरण दर्ज किया गया।
8.	यथा	25-4-99	सत्येन्द्र किराना स्टोर, बपावर जिला-कोटा।	1	550ग्राम	यथा	
9.	यथा	12-9-99	मै.निर्माता शक्ति ब्रांड फूड प्रोडक्टस विक्रेता विमल कुमार पुत्र श्री जगन्नाथ जैन निवासी (मिहुरापाडा कोटा) निर्माता शिखरचन्द जैन पुत्र श्री जगन्नाथ जैन। स्थान पार्वश ट्रान्सपोर्ट कं. गीता भवन रोड कोटा	1		यथा	पुलिस द्वारा माल जब्त करने की कार्यवाही की गई
10.	कोटा	12-9-99	मै. निर्माता शक्ति ब्रान्ड फूड प्रोडक्ट; विक्रेता विमल कुमार यथा	1		यथा	पुलिस द्वारा प्रकरण दर्ज किया गया

1	2	3	4	5	6	7	8
11.	कोटा	12-9-99	मै.भारती क्रय विक्रय केन्द्र 180, लाडपुरा कोटा विक्रेता विमल कुमार जैन पुत्र श्री जगन्नाथ जैन	1		अपमिश्रित	पुलिस के सहयोग से सैम्पल लिये गये।
12.	यथा	18-9-99	मै.कामधेनू उद्योग बजाज खाना; कोटा, निर्माता शक्तिमाल फू ड प्रोड. विक्रेता ललित कुमार जैन पुत्र श्री जयप्रकाश जैन, मेहरा पाडा कोटा मालिक शिखरचन्द जैन स्थान न्यू महालक्ष्मी ट्रांसपोर्ट कं. कोटा।	2		यथा	पुलिस द्वारा प्रकरण दर्ज किया गया।
13.	यथा	25-10-99	मै.एन.एस.मार्केटिंग पुरानी धानमंडी, कोटा; विक्रेता रमेश चन्द्र पुत्र श्री श्याम सुन्दर रामपुरा बाजार कोटा	4	1टीन	यथा	

1	2	3	4	5	6	7	8
14.	कोटा	12-9-99	शक्तिमाल फूड एण्ड प्रोडक्ट बून्दी रोड, कोटा कमला उद्यान स्थान आदेश ट्रेडिंग कं.गीता भवन रोड कोटा ।	1	550	अपमिश्रित	पुलिस द्वारा माल जब्त किया गया ।
15.	यथा	11-9-99	कामधेनु उद्यान बजाज खाना कोटा, विक्रेता ललित कुमार पुत्र श्री शिखर चन्द जैन मेहुरा पाड़ा कोटा निर्मा. शक्तिमाल फूड प्रोडक्ट कमला उद्यान बूंदी रोड कोटा ।	2		यथा	पुलिस द्वारा माल जब्त करने की कार्यवाही की गई ।
16.	भरतपुर	25–8–99	मै.मंगतीराम एण्ड संस मालिक राधेश्याम पुत्र बाबूलाल गर्ग अनाह गेट बजरिया भरतपुर	2	निल	यथा	
17.	भरतपुर	25-8-99	राधेश्याम मोहन लाल, लक्ष्मण मंदिर, भरतपुर	2	निल	अपमिश्रित	

1	2	3	4	5	6	7	8
18.	सीकर	14-9-99	मै.कुसुम ट्रेडिंग कम्पनी, रामगढ़	1	74डिब्बे एक लीटर 80 डिब्बे दो लीटर	अपमिश्रित	पुलिस द्वारा प्रकरण दर्ज किया गया।
19.	सरदारशहर (चूरू)	15-4-99	मै.महेशचन्द्र प्रजापत मूनति कुई के पास सरदारशहर	1	1247 किलो	यथा	यथा
20.	यथा	यथा	मै.कन्हैया लाल कान्हाराम माली वार्ड–3 सरदारशहर	1	87किलो	यथा	यथा
21.	यथा	यथा	मै.अर्जुन किशोर स्वामी घंटाघर	1	468.5किलो	यथा	यथा
22.	यथा	यथा	चोरू राम वार्ड नं. 18 सरदारशहर	1	503किलो	यथा	यथा
23.	यथा	यथा	पदमचन्द श्यामं सुखा वार्ड नं. 5	1	979 किलो	यथा	यथा

1	2	3	4	5	6	7	8
24.	बाड़ी (धौलपुर)	28-1-99	फर्म दिनेश कुमार पुत्र गोताराम अग्रवाल; बाड़ी धौलपुर	1	40.5किलो	अपमिश्रित	पुलिस में प्रकरण दर्ज किया गया व माल पुलिस विभाग द्वारा जब्त किया गया ।
25.	यथा	यथा	फर्म सतीश कुमार पुत्र लटूरीराम; बाड़ी (धौलपुर)	1	—	यथा	यथा
26.	डूंगरपुर	14-4-99	बजरंग लाल पुत्र रामेश्वर लाल पारीक	1	—	यथा	यथा
27.	यथा	यथा	चांद रतन पुत्र जयचन्द राठी	1	—	यथा	यथा
28.	यथा	यथा	तिलकमल पुत्र हनुमान राठी	1	—	यथा	यथा
29.	डेगाना (नागौर)	10-6-99	राजेन्द्र प्रसाद डेगाना	2	—	यथा	पुलिस द्वारा 3पीपे जब्त किये गये ।
30.	बकानी (झालावाड़)	28-5-99	गोरी लाल बवेसिक; देवनगर बकानी (झालावाड़)	1	—	यथा	पुलिस द्वारा 1 टीन जब्त

1	2	3	4	5	6	7	8
31.	बकानी (झालावाड़)	28-5-99	मांगी लाल, मुरलीमनोहर निवासी, देवनगर; बकानी	1	—	अपमिश्रित	पुलिस द्वारा 1टोन जब्त किया गया ।
32.	रायपुर	23-10-99	संजय जैन उर्फ/संजू, रायपुर	2	—	यथा	पुलिस द्वारा 100 किलो जब्त किया गया ।
33.	डेगाना (नागौर)	16-6-99	बालकिशन भूतड़ा एचएस. चारसूजा एन्टरप्राईजेज, डेगाना	5	—	यथा	पुलिस द्वारा पोपा जब्त किया गया ।
34.	पिण्डवाड़ा (सिरोही)	3-4-99	जगदीश प्रसाद अग्रवाल, पिण्डवाड़ा (सिरोही)	—	—	यथा	पुलिस द्वारा 42 किलो जब्त
35.	बरकतनगर जयपुर	12-2-99	श्री विजेन्द्र कुमार माली; बरकत नगर; जयपुर	3	19टीन, 31कार्टून 30 पैकट	यथा	पुलिस के द्वारा छापा मारा गया ।
36.	जयपुर	14-2-99	पार्देश मिल्क डेयरी वी.के आई.; जयपुर	1	—		नियमित कार्यवाही
37.	यथा	15-2-99	यथा	1	—	यथा	यथा

1	2	3	4	5	6	7	8
38.	जयपुर	21-6-99	मै.ताडकेश्वर घृत भंडार जयपुर	1	—	अपमिश्रित	नियमित कार्यवाही
39.	बालानंद का रास्ता, जयपुर	13-7-99	श्री अनिल कुमार बालानंदजी का रास्ता; जयपुर	2	15किलो 16पैकट ½किलो	यथा	पुलिस द्वारा छापा मारा गया
40.	नाहरगढ़ रोड	15-12-99	श्री प्रहलाद महाजन; नाहरगढ़ रोड, जयपुर	2	135किलो	यथा	पुलिस द्वारा छापा मारा गया
41.	जोधपुर	11-11-99	गुरू कृपा मैनिफैक्चरिंग एण्ड फिलिंग कम्पनी चैनपुरा; मण्डोर जोधपुर				पुलिस विभाग द्वारा छापा मार कर निम्न माल जब्त किया। 5किलो के 20 टीन 2किलो के 72 टीन 15किलो के 248टीन

पिड़ावा से सोयत सड़क की मरम्मत

229. श्री मानसिंह चौहान (पिड़ावा): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र पिड़ावा में पिड़ावा से सोयत सड़क क्षतिग्रस्त है ?

(2) क्या सरकार उक्त सड़क की मरम्मत चालू वर्ष में कराने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। इस वर्षा ऋतु में अत्याधिक वर्षा होने के कारण विधान सभा क्षेत्र पिड़ावा में पिड़ावा से सोयत सड़क क्षतिग्रस्त हो गई है।

(2) जी हां। विधान सभा क्षेत्र पिड़ावा की पिड़ावा से सोयत तक सड़क की कुल लम्बाई मध्यप्रदेश सीमा तक 7 कि.मी. है। वर्ष 1999-2000 में इस सड़क के 2 कि.मी. लम्बाई में साधारण मरम्मत का कार्य किया गया था। वर्ष 2000-2001 में सड़क की मरम्मत का कार्य उपलब्ध वित्तीय संसाधनों व प्राथमिकताओं पर निर्भर करेगा।

जिला कोटा व बारां के अपूर्ण विद्यालयों के निर्माण हेतु स्वीकृत राशि

230. श्री मदन दिलावर (अटरू): क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) पंचायत समिति अटरू, बारां (बारां) व सांगोद (कोटा) में वर्तमान में अपूर्ण विद्यालय भवनों के निर्माण हेतु स्वीकृति कब-कब कितनी-कितनी राशि की दी गई तथा कितना-कितना भुगतान पंचायत समिति द्वारा निर्माण एजेंसी को किया जा चुका है और भवनों की स्थिति क्या है? विद्यालयवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त में से कितने विद्यालय बच्चों के बैठने लायक हैं और कितने नहीं हैं ? उक्त अपूर्ण विद्यालय भवनों के निर्माण हेतु दी गई राशि में से कितनी-कितनी राशि का समायोजन हो चुका है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) अब ग्राम पंचायतों में सरपंच नये चुनकर आ गये हैं तो पुराने कार्यों को कौन कैसे पूर्ण करवायेगा ? इसकी क्या कार्य-योजना बनाई है ?

(4) क्या कुछ विद्यालय ऐसे हैं जो अपूर्ण हैं परंतु उनको पूर्ण नहीं किया जा सकता ? क्या वर्तमान में उक्त भवनों की हालत जर्जर होने के कारण वे पूर्ण करते समय गिर सकते हैं ? यदि हां, तो ऐसे विद्यालयों के नाम की सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) अटरू, बारां (जिला बारां) व सांगोद (कोटा) पंचायत समिति में वर्तमान में क्रमश: 46,39 व 27 = कुल 112 अपूर्ण विद्यालय भवनों के निर्माण हेतु स्वीकृति

(ग्रामीण विकास मंत्री)

जारी की गई है। प्रत्येक विद्यालय की स्वीकृति की तिथि, स्वीकृत राशि तथा कितना कितना भुगतान पंचायत समिति द्वारा सम्बन्धित कार्यकारी ऐजेन्सी को किया गया है एवं प्रत्येक भवन की भौतिक स्थिति का विवरण परिशिष्ट-"अ" पर संलग्न कर प्रस्तुत है।

(2) उक्त अपूर्ण विद्यालय भवनों में से पंचायत समिति छटक, बारां व सांगोद में क्रमश: 7, 4 एवं 11 = कुल 22 विद्यालय भवन बच्चों के बैठने लायक हैं। पंचायत समिति छटक, बारां व सांगोद में क्रमशः 5, 1 एवं 4=कुल 10 विद्यालय ऐसे हैं, जो बच्चों के बैठने के उपयुक्त नहीं हैं तथा जिनकी हालत जर्जर अवस्था में है। अपूर्ण विद्यालय भवनों के निर्माण हेतु पंचायत समिति छटक, बारां व सांगोद को क्रमश: रु. 39,08, 27.79 व 20.58 लाख-कुल रु. 87.45 लाख दी गई राशि में से क्रमश: रु. 18.75, 16.32 एवं 15.56 लाख = कुल राशि रु. 50.63 लाख का समायोजन हो चुका है।

(3) पुराने अवशेष कार्यों को अब नये सरपंच पूर्व निर्धारित प्रक्रिया अनुसार पूर्ण करवायेंगे। जिला स्तर एवं पंचायत समिति स्तर से अधूरे कार्यों को प्राथमिकता से पूर्ण कराने के निर्देश सभी सरपंचगणों को दे दिये गये हैं।

(4) जी हां। ऐसे विद्यालयों की सूची परिशिष्ट-"ब" पर संलग्न है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

पंचायत समिति सिणदरी (बाड़मेर) में 132 के. वी. ग्रिड सब-स्टेशन का निर्माण

231. श्री गोपाराम मेघवाल (सिवाना): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जिला बाड़मेर की पंचायत समिति, सिणदरी के मुख्यालय पर 132 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशन बनाने का प्रस्ताव विचाराधीन है ?

(2) क्या सरकार सिणदरी क्षेत्र की विद्युत समस्या के समाधान हेतु सिणदरी में 132 के.वी.ग्रिड सब-स्टेशन शीघ्र स्वीकृत करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। जिला बाड़मेर की पंचायत समिति, सिणदरी में 132 के.वी.ग्रिड सब-स्टेशन बनाने हेतु प्रस्ताव का तकनीकी आर्थिक अध्ययन किया जा रहा है।

(2) सिणदरी पंचायत समिति में 132 के.वी.ग्रिड सब-स्टेशन के प्रस्ताव को तकनीकी एवं आर्थिक मूल्यांकन पर साध्य पाये जाने पर, वित्तीय संसाधनों की उपलब्धतानुसार निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित है।

विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में छात्रावास भवनों के निर्माण हेतु स्वीकृत राशि

232. श्री रामस्वरूप (टोडाभीम) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में छात्रावासों की व्यवस्थाओं के लिये प्रति वर्ष कितनी राशि व्यय की जा रही है ? वस्तुवार सूची मय राशि के सदन की मेज पर रखें।

(2) छात्रावासों के भवनों के लिए इस क्षेत्र में क्या सरकार ने कोई राशि स्वीकृत की है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार वर्ष 2000 में उक्त क्षेत्र के छात्रावासों के भवनों के लिए राशि स्वीकृत करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में विभाग तीन छात्रावास संचालित किये जा रहे हैं जिनमें एक अनु.जाति का तथा दो अनु.जनजाति के छात्रावास संचालित हैं जिन की स्वीकृत छात्र संख्या 25-25 की है तथा वर्तमान में 25-25 छात्र प्रवेशित हैं जिस का विवरण निम्न प्रकार है :--

क्र.सं.	नाम छात्रावास	सरकारी किराये का	स्वीकृत छात्र संख्या	प्रवेशित छात्र संख्या
1.	राज.अनु.जाति छात्रावास महस्वा	किराये पर	25	25
2.	राज.अनु.जनजाति छात्रावास नादौती	किराये पर	25	25
3.	राज.अनु.जनजाति छात्रावास टोडाभीम	किराये पर	25	25

उक्त छात्रावासों की व्यवस्था के लिये प्रतिवर्ष भोजन, पोशाक, तेल, साबुन, जूते, मौजे, बाल कटिंग, बिजली पानी पत्र पत्रिकाओं हेतु कुल 4,86,189/- रु. की राशि एवं भवन किराये पर प्रति वर्ष 73,500/-रुपये की राशि व्यय की जा रही है।

(समाज कल्याण मंत्री)

वस्तुवार व्यय की सूचना निम्न प्रकार से है :-

क्र.सं.	वस्तु (द का विवरण)	राज.छात्रा. नादौती (अनु. जनजाति)	रा. छात्रा. टोडाभीम (अनु.जनजाति)	रा. अनु. जाति छात्रा. महुस्वा
1.	भोजन, नाश्ता, विशेष भोजन मय ईंधन के	1,24,689	1,24,689	1,24,689
2.	स्कूल यूनीफार्म मय सिलाई जूते मौजे तौलिये व गर्म जर्सी के	1,900	1,900	1,900
3.	सिर पर लगाने का तेल नहाने व कपड़े धोने का साबुन व बाल कटाई	5,700	5,700	5,700
4.	चद्दर, तकिये खोल व धुलाई	2,850	2,850	2,850
5.	बिजली पानी	8,400	8,400	8,400
6.	समाचार पत्र पत्रिकाएं	1,425	1,425	1.425

इसके अतिरिक्त कक्षा 9 से 12 तक के छात्र-छात्राओं को 60/- प्रति छात्र प्रति-सत्र तथा कक्षा 6 से 8 तक के छात्रों को 40/- प्रति छात्र प्रति सत्र एक मुश्त नकद भुगतान किया जाता है।

(2) जी हां। वर्ष 98-99 में महुस्वा हेतु राजकीय अनुसूचित जाति छात्रावास भवन निर्माण के लिये 18.70 लाख रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जा चुकी है। वर्ष 2000-2001 में नादौती एवं टोडाभीम के भवन निर्माण के प्रस्ताव विचाराधीन है।

मिलावटी देशी घी विक्रेताओं के विरुद्ध कार्यवाही

233. डा. किरोड़ी लाल (बामनवास): क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) गंगापुर सिटी, कोटा, बीकानेर, अलवर, भरतपुर, सीकर, सरदारशहर, बाड़ी एवं डूंगरगढ़ में मिलावटी देशी घी का कारोबार करने वाले किस-किस व्यक्ति को किस-किस ऐजेंसी द्वारा कब पकड़कर कितना-कितना माल जब्त किया ?

(2) क्या यह सही है कि मिलावटी घी के उक्त प्रकरणों में मिसग्रेड घोषित कर संबंधित उत्पादक का एगमार्क अधिकार पत्र निलंबित किये गये ? यदि हां, तो किस-किस का कब-कब ? सूची सदन की मेज पर रखें। ऐसे मिलावटी प्रकरण में एगमार्क प्राधिकार पत्र निरस्त करने का क्या-क्या तरीका है ?

(3) उक्त संबंधित विक्रेता के विरुद्ध खाद्य अपमिश्रण के मुकदमें किस व्यक्ति/फर्म के विरुद्ध किस-किस थाने में कब-कब दर्ज कराये गये तथा उनका कब-कब चालान किया गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) गंगापुर सिटी, कोटा, बीकानेर, अलवर, भरतपुर, सीकर, सरदारशहर, बाड़ी एवं डूंगरगढ़ में मिलावटी देशी घी का कारोबार करने वाले व्यक्तियों से विभाग द्वारा जब्त माल का विवरण परिशिष्ट 'क' सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

(2) जी नहीं, उक्त प्रकरणों में मिसग्रेड घोषित कर सम्बन्धित उत्पादक का एगमार्क निलंबित करने का कार्य चिकित्सा विभाग का नहीं है।

(3) उक्त सम्बन्धित विक्रेताओं के विरुद्ध खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954 के तहत थाने में मामला दर्ज कराने का प्रावधान नहीं है।

परिशिष्ट–'क'

जब्त माल का विवरण

क्र.सं.	फर्म का नाम	माल जब्त करने की दिनांक	जब्त किए गए माल की मात्रा
1	2	3	4
1.	पंकज एण्ड सन्स, इन्द्रा मार्केट गंगापुर सिटी	4–11–99	21 टीन
2.	मंगल जनरल स्टोर, गंगापुर सिटी	4-11-99	5 टीन
3.	किरोड़ी लाल गुप्ता पुत्र श्री बाल मुकुन्द गुप्ता, वैद्य कालोनी गंगापुर सिटी	4-11-99	1 टीन
4.	राजेन्द्र कुमार पुत्र तेजमल जैन, केथून	16-2-99	6 डिब्बे टीन
5.	मै.जलील किराना स्टोर, केथून कोटा	16-2-99	550 लीटर
6.	गुलाब चन्द एण्ड ब्रदर्स, बेरीसाल का चौराहा रामपुरा कोटा।	6–4–99	33 डिब्बे टीन
7.	सत्येन्द्र किराना स्टोर, बपावर कोटा	25-4-99	550 ग्राम
8.	शक्तिमान फुड एण्ड प्राडक्टस	12-9-99	550 ग्राम

1	2	3	4
9.	मै.एन.एस.मार्केटिंग पुरानी धानमण्डी, कोटा विक्रेता रमेश चन्द पुत्र श्री श्याम सुन्दर रामपुरा बाजार, कोटा ।	25-10-99	1 टीन
10.	महेश चन्द प्रजापत मुनति कुई के पास, सरदारशहर	15-4-99	1247 किलो
11.	मै.अर्जुन किशोर स्वामी घंटाघर, सरदारशहर	15-4-99	468.5 किलो
12.	चोरूराम वार्ड नं. 18 सरदार शहर	15-4-99	503 किलो
13.	मै.कुसुम ट्रेडिंग कम्पनी, रामगढ़, सीकर	14-9-99	234 लीटर
14.	पदमचन्द श्यामसुखा वार्ड नं. 5 सरदारशहर	15-4-99	979 किलो
15.	फर्म दिनेश कुमार पुत्र सीताराम अग्रवाल, बाड़ी धौलपुर, सतीश कुमार पुत्र लटूरीराम, बाड़ी, धौलपुर	28-1-99	40.5 किलो
16.	मै.कन्हैया लाल, कान्हा राम माली वार्ड नं. 3 सरदारशहर	15-4-99	87 किलो

श्रीगंगानगर-सूरतगढ़ सड़क पर ओवर ब्रिज का निर्माण

234. श्री मादराम मेघवाल (टोबी) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला हनुमानगढ़ में श्रीगंगानगर, सूरतगढ़ सड़क पर मैन रेलवे फाटक पर ओवर ब्रिज क्यों नहीं बनाया गया है ?

(2) क्या सरकार जनसंख्या के दबाव को देखते हुए उक्त रेलवे फाटक पर ओवर ब्रिज बनाने का विचार रखती है ? यदि हाँ, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जिला हनुमानगढ़ में श्री गंगा-नगर सूरतगढ़ सड़क पर रेलवे फाटक संख्या 71-ए पर आर.ओ.बी. निर्माण हेतु राज्य सरकार के पत्र दिनांक 5-11-98 के द्वारा योजना मद में 10.65 करोड़ रुपये की लागत से स्वीकृति पूर्व में ही जारी की जा चुकी है । स्वीकृत लागत 10.65 करोड़ रुपये को विभिन्न विभागों द्वारा निम्न प्रकार से वहन किया जायेगा :-

क्रमांक	विभाग का नाम	वहन की जाने वाली राशि
1	2	3
1.	रेलवे	5.00 करोड़
2.	कृषि उपज मंडी	2.00 करोड़
3.	नगर सहभागी योजना	0.65 करोड़
4.	आर.ओ.बी.के नीचे दुकानों के विक्रय से आय	1.00 करोड़
5.	सार्व. निर्माण विभाग	2.00 करोड़
		10.65 करोड़

इस आर.ओ.बी. निर्माण के कार्य को रेल विभाग की वर्ष 2000-2001 की कार्य सूची में शामिल करवाने के लिये सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा दिनांक 12-7-99, 2-9-99 एवं 7-12-99 के द्वारा रेलवे विभाग द्वारा चाही गई अण्डरटेकिंग एवं अन्य सूचनायें प्रेषित कर दी गई हैं । लेकिन रेलवे विभाग द्वारा अभी तक इस कार्य को रेलवे विभाग के बजट में शामिल करवाने की स्वीकृति नहीं हुई है । विभाग द्वारा दिनांक 25 मार्च, 2000 को स्मरण पत्र भी रेलवे विभाग को प्रेषित कर दिया गया है । उक्त आर.ओ.बी. निर्माण (अप-रोचेज) का कार्य राज. राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड को आवंटित किया जा चुका है ।

(2) जी हां । प्रश्न के बिन्दु संख्या एक के उत्तर में वर्णित अनुसार रेलवे विभाग जो कि निर्माण लागत में मुख्य वहन कर्ता है, की सहमति आने पर आर. ओ.बी. का निर्माण प्रारम्भ किया जा सकेगा ।

जिला परिषद सदस्यों/पंचायत समिति सदस्यों को और अधिकार

235. श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर): क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या राज्य सरकार ने मध्यप्रदेश राज्य की भांति जिला प्रमुखों, जिला परिषद सदस्यों, प्रधानों, पंचायत समिति सदस्यों एवं सरपंचों को मानदेय भत्ता देने के लिये कोई कमेटी गठित की है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस सम्बन्ध में तुलनात्मक अध्ययन कराने का विचार रखती है ?

(2) प्रमुखों व प्रधानों; उप-प्रमुख व उप-प्रधानों को अपने-अपने क्षेत्र में कितने-कितने दिन अधीनस्थ संस्थाओं; निर्माण कार्यों व अन्य जन समस्या निवारण हेतु तय कर रखें हैं ? आदेशों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें । पंचायत समिति एवं जिला परिषद सदस्यों के यात्रा भत्ता नियमों के आदेश की प्रति भी सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या सरकार जिला परिषद सदस्यों व पंचायत समिति सदस्यों को अधिकार सम्पन्न करना चाहती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी नहीं ।

(2) आदेशों की प्रतियां सदन के पटल पर रख दी गई हैं ।

(3) राजस्थान पंचायती राज अधिनियम; 1994 की धारा 55 (क), 56 एवं 57 के अन्तर्गत स्थाई समितियों के गठन किये जाने की व्यवस्था की गई है ताकि पंचायती राज संस्थाओं के कार्यों के संबंध में प्रत्येक स्वरूप की भूमिका हो ।

राजस्थान सरकार

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

क्रमांक एल 4(1)एफ.एण्ड.जे.1 आर.डी.पी.191/3478 जयपुर दिनांक 31-10-95

अधिसूचना

राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 31 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य सरकार भत्तों का भुगतान (नियम) 1961 में एतद्द्वारा निम्न प्रकार से संशोधन करती है, अर्थात

संशोधन

उक्त नियम के नियम 4 में विद्यमान उप नियम (ड़ तथा च) के स्थान पर निम्नलिखित प्रति स्थापित किया जावे, अर्थातः–

(ड़ तथा च) किसी भी पंचायती राज सदस्य को (अध्यक्षों को मिलाते हुये) जो अपनी पंचायती राज संस्था के बाहर होने वाली किसी भी बैठक या शासकीय कार्य में भाग लेते हैं तो निम्न प्रकार से दैनिक भत्ता प्राप्त होगा:–

क्रम सं.	नाम पद	राजस्थान में जयपुर के अलावा एवं राजस्थान के बाहर	जयपुर एवं अन्य राज्यों की राजधानियों के लिए	दिल्ली, बम्बई मद्रास, कलकत्ता एवं अन्य महानगरों के लिए
1.	सरपंच	32 रु.	40 रु.	55 रु.
2.	उप सरपंच	32 रु.	40 रु.	55 रु.
3.	प्रधान	65 रु.	80 रु.	100 रु.
4.	उप प्रधान	65 रु.	70 रु.	100 रु.
5.	सदस्य पंचायत समिति	55 रु.	60 रु.	80 रु.
6.	प्रमुख	75 रु.	85 रु.	106 रु.
7.	उप प्रमुख	75 रु.	85 रु.	106 रु.
8.	सदस्य जिला परिषद	70 रु.	80 रु.	85 रु.

राज्यपाल की आज्ञा से,

ह०

(ललित के. पंवार)

विशिष्ठ शासन सचिव एवं निदेशक

31-10-95

राजस्थान सरकार

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

क्रमांक एफ.41(33) विसप्र/ग्रार डी पी//299 दि. 10–1–96

आदेश

पंचायत राज संस्थाओं के निर्वाचित विभिन्न जनप्रतिनिधियों के प्रति वर्ष यात्रा दिवसों की सीमा निम्नानुसार तत्काल प्रभाव से निर्धारित की जाती है।

क्र.सं.	जनप्रतिनिधि का पद नाम	दिनों की संख्या
1.	सरपंच	21 दिन
2.	उप सरपंच	6 ,,
3.	प्रधान	60 ,,
4.	उप प्रधान	15 ,,
5.	सदस्य पंचायत समिति	6 ,,
6.	प्रमुख	75 ,,
7.	उप प्रमुख	39 ,,
8.	सदस्य जिला परिषद	15 ,,

यह आदेश वित्त विभाग के आई.डी. संख्या 1524/एफएस/95 दिनांक 4-7-95 से प्राप्त सहमति के उपरान्त जारी किये जाते हैं।

आज्ञा से

ह०

वित्तीय सलाहकार

किसानों के कुओं पर पुनः फ्लेट रेट

236. श्री सांवर लाल (भिनाय) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि किसानों के कुओं पर फ्लेट रेट पर आधारित मिनिमम चार्ज लागू किया हुआ है? यदि हां, तो सर्वप्रथम कब से व किन-किन शर्तों पर? आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त मिनिमम चार्ज लागू करने के बाद समाप्त किया गया? यदि हां, तो किस आदेश के तहत? कब से कब तक यह आदेश लागू रहा?

(3) क्या पुनः उक्त व्यवस्था लागू कर दी गई है? यदि हां, तो कब से, क्यों और किस आदेश के तहत? क्या अकाल राहत के समय ऐसा करना उचित है?

उत्तर

(1) किसानों के कुए के मीटर श्रेणी के उपभोक्ताओं पर मिनिमम चार्जेज लगाए गए जो पम्प सेट की हा.पा. के हिसाब से लागू थे। ये मिनीमम चार्जेज प्रथम बार 1964 की टेरिफ से पूरे राज्य के कृषि उपभोक्ताओं पर लागू किये गये थे। आदेश की प्रति परिशिष्ट 'अ' सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) जी हां। मिनिमम चार्जेज राज्य सरकार के आदेशानुसार जनवरी 1990 से हटा दिये गए थे। आदेश की प्रति परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है। तत्पश्चात राज्य सरकार की अनुमति से माह नवम्बर 1999 के बिलिंग माह से संशोधित मिनिमम चार्जेज पुनः लागू किए गए हैं।

(3) जी हां। संशोधित मिनिमम चार्जेज पुनः बिलिंग माह नवम्बर 1999 से लागू किए गए हैं। आदेश की प्रति परिशिष्ट 'स' पर संलग्न है। मीटर प्रणाली पर मिनिमम चार्जेज लगाये जाने की व्यवस्था पुरानी है एवं सभी उपभोक्ताओं पर लागू है। राज्य में कृषि उपभोक्ताओं के मीटर खराब हो जाने और उनकी समय पर सूचना न होने के कारण राजस्व वसूली में मण्डल को कई तरह की दिक्कतें आती हैं इसलिये फ्लेट रेट से भी कम धन राशि मिनिमम चार्जेज के तहत लेने का प्रावधान रखा गया है जिसकी गणना भी वार्षिक आधार पर की जाती है जो न्याय संगत है। मिनिमम चार्जेज का अकाल से कोई सम्बन्ध नहीं है।

(प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

पिछड़ी जाति विकास वित्त निगम द्वारा उद्यमियों को स्वीकृत ऋण

237. श्री सुरेन्द्र गोयल (जैतारण) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या राज्य सरकार ने पिछड़ी जाति विकास वित्त निगम की स्थापना कर दी है? यदि हां, तो किस जगह और नहीं, तो क्यों?

(श्री सुरेन्द्र गोयल)

(2) क्या पिछड़ी जाति विकास निगम ने पिछड़ी जातियों के दस्तकारों, कारीगरों एवं अन्य लघु उद्यमियों को ऋण उपलब्ध कराया है ? यदि हां, तो किस-किस जिले में ?

उत्तर

(1) राज्य सरकार द्वारा हाल ही में राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास सहकारी निगम स्थापित करने का तय किया गया है।

(2) राष्ट्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम नई दिल्ली के आर्थिक सहायता कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु राज्य सरकार ने राज.अनु. जाति जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम को चैनेलाईजिंग एजेंसी नियुक्त किया हुआ है। राष्ट्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम के आर्थिक सहायता कार्यक्रमों का क्रियान्वियन राजस्थान अनु. जाति/जनजाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा वर्ष 1997-98 से प्रारंभ किया गया है तथा वर्ष 1999-2000 तक जिन जिन जिलों में ऋण उपलब्ध करवाया गया है, की सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

परिशिष्ट–'1'

एसजीसी एफडीसी योजनान्तर्गत वर्षवार, जिलेवार अग्रिम एवं वितरण (1998-99 से 1999-2000)

(राशि लाखों में)

क.सं.	जिला	1998-99				1999-2000				कुल			
		इकाई अग्रिम	इकाई वितरित	अग्रिम राशि	वितरित राशि	इकाई अग्रिम	इकाई वित.	राशि अग्रिम	राशि वितरित	इकाई अग्रिम	इकाई वितरित	अग्रिम राशि	वितरित राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	अजमेर	5	2	2.21	1.02	20		13.14		25	2	15.35	1.02
2.	अलवर	1	1	0.40	0.40					1	1	0.40	0.40
3.	भीलवाड़ा	7	7	4.29	4.29	10	9	7.50	6.76	17	16	11.79	11.05
4.	भरतपुर	1		1.95		15	1	8.42	0.85	16	1	10.37	0.85
5.	बीकानेर	6	6	2.83	2.79	30	16	20.02	10.50	36	22	22.85	13.29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6.	बाड़मेर	4	3	2.08	1.27	17	8	12.71	6.80	21	11	14.79	8.07
7.	बूंदी					11		8.29		11	0	8.29	0.00
8.	बांसवाड़ा	2	2	1.23	1.23	7	2	3.45	1.15	9	4	4.68	2.38
9.	बारां	14	6	18.98	9.35	9	2	6.28	1.70	23	8	25.26	11.05
10.	चित्तौड़गढ़	6	5	2.83	2.49	17	4	11.64	3.59	23	9	14.47	6.08
11.	चूरू	6	4	2.83	1.74	20		10.70		26	4	13.53	1.74
12.	धौलपुर	4	2	2.25	1.23	13		7.94		17	2	10.19	1.23
13.	डूंगरपुर	6	3	4.29	1.91	2		1.25		8	3	5.54	1.91
14.	दौसा	7	5	3.29	2.64	12	2	8.30	2.70	19	7	11.59	5.34
15.	जयपुर	12	6	7.14	3.00	27	10	21.76	9.80	39	16	28.90	12.80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16.	जोधपुर	14	12	8.33	7.08	27	18	16.79	13.32	41	30	25.12	20.40
17.	झुंझुनूं	7	6	3.74	3.57	20	4	11.88	3.90	27	10	15.62	7.47
18.	जालोर					16		9.12		16	0	9.12	0.00
19.	जैसलमेर	7	1	3.51	0.38	17		9.79		24	1	13.80	0.38
20.	झालावाड़	2	2	1.06	1.06	13	5	9.15	4.91	15	7	10.21	5.97
21.	कोटा					22		20.41		22	0	20.41	0.00
22.	नागौर	10	10	6.06	6.06	20	20	10.24	9.24	30	30	16.30	15.30
23.	पाली					27	12	15.48	8.08	27	12	15.48	8.06
24.	राजसमन्द	9	5	4.93	2.89	8	4	6.40	3.63	17	9	11.38	6.58
25.	स. माधोपुर	4	3	1.81	1.40	11	5	7.54	4.31	15	8	9.35	5.71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
26.	श्रीगंगानगर	1	1	0.38	0.38	10	5	5.44	2.81	11	6	5.82	3.19
27.	सीकर	2	2	1.08	1.08	14		10.44		16	2	11.52	1.08
28.	सिरोही									0	0	0.00	0.00
29.	टोंक	7	2	3.68	1.00	3		2.85		10	2	6,53	1.00
30.	उदयपुर	4	3	2.32	1.91	19		13.20		23	3	15.52	1.91
31.	हनुमानगढ़	3	3	1.23	1.23	21		10.80		24	3	12.03	1.23
32.	करौली	5	3	2.65	1.91	8		5.73		13	3	8.38	1.91
		156	105	97.38	63.31	466	127	306.66	94.05	622	232	404.04	157.36

जिला कोटा/झालावाड़/बून्दी में निःशुल्क चिकित्सा कार्ड

238. श्री प्रभूलाल (नैनवां) एवं श्री मदन दिलावर (अटरू) : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या राज्य सरकार द्वारा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों को निःशुल्क चिकित्सा प्राप्त करने हेतु कार्ड दिये हुए हैं ? यदि हां, तो जिला कोटा की तहसील सांगोद व जिला झालावाड़ की तहसील मनोहर थाना व जिला बूंदी की तहसील नैनवां में कितने कार्ड उपलब्ध कराये गये हैं ?

(2) उक्त कार्ड उपलब्ध कराने के क्या उद्देश्य हैं ? उक्त कार्ड के संबंध में सरकार या चिकित्सा विभाग द्वारा जारी आदेश, दिशा निर्देशों की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(3) उक्त तहसील क्षेत्रों के किस-किस अस्पताल में कितने-कितने रोगियों को निःशुल्क दवा उपलब्ध करवाई ?

(4) तहसील अटरू की ग्राम पंचायत खरझाना तहसील नैनवां के मुख्यालय-वासियों व मनोहर थाना के किन-किन वासियों को कार्ड के आधार पर निःशुल्क चिकित्सा/दवायें उपलब्ध करवाई गई ? नाम, पता, कार्ड नम्बर व दिनांक सहित सूची सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी हां; जिला कोटा की तहसील, सांगोद व जिला झालावाड़ की तहसील मनोहर थाना व जिला बूंदी की तहसील नैनवां में निःशुल्क चिकित्सा हेतु उपलब्ध कराये मेडिकेयर रिलीफ कार्डों की संख्या निम्नांकित है ।

जिला	तहसील	मेडिकेयर रिलीफ कार्ड संख्या
कोटा	सांगोद	7633
झालावाड़	मनोहरथाना	13216
बून्दी	नैनवां	7407

(2) उक्त कार्ड उपलब्ध करवाने के उद्देश्य गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले चयनित कार्डधारी परिवारों को निःशुल्क उपलब्ध चिकित्सा प्राप्त हो । उक्त कार्ड के संबंध में सरकार या चिकित्सा विभाग द्वारा जारी आदेश दिशा निर्देश की प्रति संलग्न है ।

(3) तहसील क्षेत्र सांगोद, मनोहर-थाना, नैनवां में अस्पतालवार अस्पताल में उपलब्ध दवाईयों में से गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले कार्डधारियों को निःशुल्क दवा उपलब्ध कराई गई उनकी संख्या निम्नांकित हैं ।

(राज्य मंत्री, चिकित्सा)

चिकित्सा संस्थान का नाम	मेडिकेयर रिलीफ कार्डधारी रोगियों की संख्या जिन्हें निःशुल्क दवा दी गई
तहसील–सांगोद	
1. ब्लाक प्रा. स्वा.के. मावां	2
2. प्राथमिक स्वा.के. बालूहेड़ा	66
3. प्राथमिक स्वा.के. बपावर कलां	44
4. प्राथमिक स्वा.के. धुलेट	शून्य
5. प्राथमिक स्वा.के. कनवास	43
6. सामु.स्वा.केन्द्र, सांगोद	34
तहसील-मनोहर थाना	
1. सामु.स्वा.केन्द्र; मनोहर थाना	79
2. प्राथमिक स्वा.केन्द्र, जावर	शून्य
तहसील-नैनवा	
1. ब्लाक प्रा. स्वा. केन्द्र; देई	3028
2. प्र. स्वा. केन्द्र, तलवास	436
3. प्रा. स्वा. केन्द्र; करवर	565
4. प्रा. स्वा. केन्द्र, बांसी	460
5. प्रा. स्वा. केन्द्र. दुगारी	344
6. प्रा. स्वा. केन्द्र, जजावर	506
7. प्रा. स्वा. केन्द्र, बाम्बा गांव	377
8. सामु. स्वा. केन्द्र, नैनवा	21

(4) तहसील अटरू पंचायत चरडाना तहसील नैनवा के मुख्यालयवासियों व मनोहर थाना के वासियों को मेडिकेयर रिलीफ कार्ड के आधार पर निःशुल्क चिकित्सा/दवाएं उपलब्ध कराई उनके नाम, कार्ड नम्बर दिनांक सहित सूची संलग्न है।

तहसील अटरू, चरडाना, ग्राम से कोई भी रोगी मेडिकेयर रिलीफ कार्ड के आधार पर निःशुल्क चिकित्सा हेतु नहीं आया।

(प्रतियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

पीसांगन वाया भावता सड़क पर पुल निर्माण

239. श्री रमजान खान (पुष्कर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 से पीसांगन वाया डूमाड़ा, भावता सड़क पर चार ग्राम पंचायत मुख्यालय हैं ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त ग्राम पंचायतों के मुख्यालय किसी अन्य सड़क मार्ग से जुड़े हुए नहीं हैं ?

(3) क्या राष्ट्रीय राज मार्ग संख्या 8 से पीसांगन वाया भावता सड़क पर सागरमती नदी बीच में आती है ? यदि हां, तो क्या उक्त नदी पर पुलिया नहीं होने के कारण वर्षा में उक्त चारों पंचायत मुख्यालयों का सम्पर्क टूट जाता है ?

(4) क्या सरकार उक्त पुलिया का निर्माण कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां । राष्ट्रीय उच्च मार्ग संख्या 8 से पीसांगन वाया डूमाड़ा, भावता सड़क पर चार ग्राम पंचायत मुख्यालय डूमाड़ा; भावता; बुधवाड़ा एवं रामपुरा डाबला स्थित हैं ।

(2) जी नहीं । ग्राम पंचायत भावता अन्य सड़क सराधना-मसीना-भावता से ग्राम पंचायत बुधवाड़ा, कालेसरा बुधवाड़ा से एवं ग्राम पंचायत रामपुरा डाबला पीसांगन-रामपुरा डाबला सड़क से जुड़े हुये हैं ।

ग्राम पंचायत डूमाड़ा रा.उ.मा.नं. 8 से इसी मार्ग से जुड़ा हुआ है ।

(3) जी हां । राष्ट्रीय उच्च मार्ग नं. 8से पीसांगन वाया भावता सड़क पर सागरमती नदी पर पुलिया/रपट नहीं होने के कारण अत्यधिक वर्षा होने पर इस सड़क मार्ग पर यातायात कुछ समय के लिये अवरुद्ध होता है, परंतु उक्त चारों पं. मु. अन्य सड़क मार्गों से जुड़े होने के कारण इनका सम्पर्क नहीं टूटता है ।

(4) वर्तमान में इस नदी पर पुलिया/रपट का निर्माण कार्य स्वीकृत नहीं है । इस कार्य की स्वीकृति उपलब्ध वित्तीय संसाधनों एवं पारस्परिक प्राथमिकताओं पर निर्भर करती है ।

विधान सभा क्षेत्र बानसूर के विद्यालयों में रिक्त पद

240. श्री जगत सिंह दायमा (बानसूर) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में प्राथमिक; उच्च प्राथमिक; माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक विद्यालयों में किस अनुपात में अध्यापकों

(श्री जगत सिंह दायमा)

की नियुक्ति होनी चाहिये ? क्या विधान सभा क्षेत्र बानसूर के उक्त विद्यालयों में नीति का पालन हो रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र के ऐसे कौन-कौन से विद्यालय हैं जहां उक्त नीति का पालन नहीं हो रहा है ? अब सरकार अध्यापकों की पूर्ति कब तक कर देगी ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापकों का पदस्थापन इस प्रकार किया जाता है :-

1. प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापक छात्र अनुपात 1:49 है । न्यूनतम 2 अध्यापक प्रति प्राथमिक विद्यालय का मानदण्ड है ।

2. उच्च प्राथमिक विद्यालयों में प्रति कक्षा 1 अध्यापक का मानदण्ड है ।

3. माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में संशोधित मानदण्ड के अनुसार अध्यापक एवं छात्रों का अनुपात 1:62 है ।

बानसूर विधान सभा क्षेत्र के विद्यालयों में इस नीति के अनुसार पदों का आवंटन किया गया है ।

(2) विधान सभा क्षेत्र बानसूर के 5 प्राथमिक विद्यालय एकल अध्यापकीय है । वर्तमान में नियुक्ति पर पूर्ण प्रतिबंध है ।

विद्युत मंडल वृत्त भीलवाड़ा के चयनित मीटर रीडरों की नियुक्ति

241. श्री भरोसी लाल (हिण्डौन) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल जिला भीलवाड़ा वृत्त में मीटर रीडरों को चयनित होने के उपरांत भी नियुक्तियां नहीं दी गई हैं ? यदि हां, तो क्यों और कितने अभ्यर्थी हैं ; सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या चयनित मीटर रीडरों को नियुक्ति देने का प्रकरण विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक नियुक्ति दे दी जावेगी और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं, यह सही नहीं है कि राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल, भीलवाड़ा वृत्त में मीटर रीडर के पद पर चयनित होने के उपरान्त भी अभ्यर्थियों को नियुक्तियां नहीं दी गई । मण्डल के आदेश क्रमांक - राराविमं/कार्मिक/प.20(80)/प्रे. 14 दिनांक 3-1-1994 द्वारा उपभोक्ताओं की संख्या के आधार पर मीटर रीडर के पदों का पुन: निर्धारण कर सृजन करने तथा रिक्त पदों को मण्डल में कार्यरत कर्मचारियों में से भरने के निर्देश प्रसारित किये

(ऊर्जा मंत्री)

गये थे। योग्य अभ्यर्थियों के चयन हेतु एक चयन समिति का वृत्त स्तर पर गठन किया गया था। उक्त आदेश की अनुपालना में भीलवाड़ा वृत्त में मीटर रीडरों के कुल 172 पदों का सृजन किया गया था, जिनके विरुद्ध 98 कर्मचारी पूर्व में ही मीटर रीडर के पद पर कार्यरत थे। शेष पदों को भरने हेतु भीलवाड़ा वृत्त के योग्य अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाकर उपयुक्त पाये गये 26 अभ्यर्थियों को मीटर रीडर के पद पर नियुक्ति प्रदान की गई। सम्बन्धित वृत्त में योग्य उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होने की दशा में मण्डल द्वारा आदेश क्र.राराविमं/कार्मिक/प.20(80)/प्र. 1896 दिनांक 22-8-1994 पारित कर अन्य वृत्तों के योग्य उम्मीदवारों को उन वृत्तों में जहां मीटर रीडर की रिक्तियां उपलब्ध थी, दिनांक 10-9-1994 तक आवेदन करने का मौका दिया गया। आदेश दिनांक 22–8–1994 की अनुपालना में दिनांक 10-9-1994 तक आवेदन करने वाले योग्य उम्मीदवारों में से चयन समिति द्वारा चयनित होने वाले 35 अभ्यर्थियों को भीलवाड़ा वृत्त में मीटर रीडर के पद पर नियुक्ति प्रदान की गई। इसके उपरांत भीलवाड़ा वृत्त की चयन समिति ने दिनांक 16-1-1995 को आयोजित बैठक में 6 अभ्यर्थियों को यद्यपि उपयुक्त पाया लेकिन उनके प्रार्थना पत्र दिनांक 10-9-1994 के पश्चात प्राप्त होने के कारण उन्हें नियुक्ति हेतु पात्र नहीं पाया गया। चयन समिति द्वारा दिनांक 16-1-1995 को आयोजित बैठक में उपयुक्त पाये गये अभ्यर्थियों की सूची निम्न प्रकार है:-

1. श्री महेश कुमार/वीरेन्द्र भटनागर, च.श्रे. कर्मचारी।
2. श्री प्रेम प्रकाश/रूप नारायण स्वामी, प्रशिक्षु।
3. श्री दिनेश कुमार/जगदीश दीक्षित, प्रशिक्षु।
4. श्री प्रहलाद कुमार/रूपराम सैनी, वर्क चार्ज।
5. श्री सलीम खान/समसुद्दीन, वर्क चार्ज।
6. श्री सुरेश चन्द्र/श्याम सुन्दर गोस्वामी, वर्क चार्ज।

(2) जी नहीं, वर्तमान में ऐसा कोई प्रकरण विचाराधीन नहीं है; क्योंकि जिन अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में चयन समिति ने दिनांक 16-1-1995 को चयन प्रक्रिया की वे निर्धारित अवधि में आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं करने के कारण नियुक्ति हेतु पात्र नहीं थे। इसके अतिरिक्त यह भी उल्लेखनीय है कि मण्डल में नियमानुसार चयनित अभ्यर्थियों की सूची केवल 6 माह के लिए ही वैध व प्रभावी रहती है और 6 माह के पश्चात स्वतः ही निरस्त हो जाती है।

जिला बांसवाड़ा के छात्रावास भवनों की मरम्मत

242. श्री जीतमल खांट (बागीदोरा) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला बांसवाड़ा में कितने विभागीय छात्रावास सरकारी भवन के अभाव में किराये के भवन में चल रहे हैं और प्रति माह उनका क्या किराया है ?

(2) उक्त जिले में कितने छात्रावास भवन जीर्ण, शीर्ण अवस्था में हैं और सरकार उनको कब तक ठीक करवा देगी ?

(3) उक्त जिले में ऐसे कितने छात्रावास हैं जिनके गत वर्षों से बजट आवंटन होने के बावजूद भी कार्य प्रारम्भ नहीं हुये हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला बांसवाड़ा में बिना सरकारी भवन के किराये के भवनों में चलाये जा रहे छात्रावासों का मय मासिक किराये का विवरण इस प्रकार है :—

क.सं.	नाम छात्रावास	स्थान	मासिक किराया
1.	राजकीय बालक छात्रावास	गढ़ी	7226/- रुपये
2.	राजकीय बालक छात्रावास	सरेडी बड़ी	2500/- रुपये
3.	राजकीय बालक छात्रावास	सेवादासा	किराये का निर्धारण होना बाकी है
4.	राजकीय बालक छात्रावास	बड़वास बड़ी	;;
5.	राजकीय बालक छात्रावास	तलवाड़ा	;;
6.	राज. बालक छात्रावास	बागीदोरा	डाकरा भवन में निशुल्क संचालित

(समाज कल्याण मंत्री)

(2) बांसवाड़ा जिले में 5 छात्रावास ऐसे हैं जो मरम्मत योग्य हैं:-

1. बालक छात्रावास बांसवाड़ा
2. बालक छात्रावास लोहारिया
3. " ब्रजवाना
4. " बोरी
5. " गढ़ी

इन छात्रावास भवनों की मरम्मत हेतु राशि आवंटित कर दी गई है, तथा राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर द्वारा, इनकी मरम्मत करवाई जाने के प्रयास किये जा रहे हैं।

(3) बांसवाड़ा जिले में ऐसे 5 छात्रावास भवनों की मरम्मत का कार्य आवास विकास संस्थान को राशि आवंटित कर करवाई जा रही थी, परन्तु आवास विकास संस्थान बंद हो जाने के कारण मरम्मत का कार्य एवं निर्माण कार्य नहीं हो सका। सूची उत्तर संख्या 2 पर उपलब्ध है।

विधान सभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ (अलवर) के चिकित्सालयों में रिक्त पद

243. श्री राजेन्द्र सिंह चौधरी (लक्ष्मणगढ़) : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ (अलवर) में कितने-कितने चिकित्सालय, विभिन्न श्रेणियों के कहां-कहां संचालित हैं ? उक्त चिकित्सालयों में कितने चिकित्सा कर्मियों के किस-किस वर्ग के पद स्वीकृत हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त चिकित्सालयों में स्वीकृत पदों में से अधिकतर पद रिक्त पड़े हैं ? यदि हां, तो कितने व कहां-कहां व किस-किस वर्ग के ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त चिकित्सालयों के रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ में (2 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं 7 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र) संचालित हैं। उक्त चिकित्सालयों में चिकित्सा कर्मियों के स्वीकृत एवं रिक्त पदों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी नहीं, उक्त चिकित्सालयों में चिकित्सा कर्मियों के कुल 75 पद स्वीकृत हैं, जिनमें से 11 पद रिक्त हैं। चिकित्सालयवार चिकित्सा कर्मियों के स्वीकृत एवं रिक्त पदों की सूची प्रश्न के भाग संख्या एक में दर्शाई गई है।

(3) जी हां, कनिष्ठ विशेषज्ञों के रिक्त पदों को विभागीय पदोन्नति समिति के द्वारा चयनित अभ्यार्थी उपलब्ध होने पर एवं दन्त तकनीशियन के रिक्त पद को राज्य सरकार से नवनियुक्ति की स्वीकृति प्राप्त होने पर भरा जाना संभव हो सकेगा। स्वास्थ्य निरीक्षकों के रिक्त पद डाईंग केडर होने के कारण भरा जाना संभव नहीं हो सकेगा।

क्र.सं.	संस्था का नाम	पद नाम	स्वीकृत पदों की संख्या	कार्यरत पदों की संख्या	रिक्त पदों की संख्या
1	2	3	4	5	6
1.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/ प्राथमिक स्वा. केन्द्र । लक्ष्मणगढ़	कनिष्ठ विशेषज्ञ	5 (सर्जरी; मेडिसन; गायनिक, पेडेटिक्स; थोफथमोलोजी)	1 (गायनिक)	4
		वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी	1	1	—
		चिकित्सा अधिकारी	3	3	—
		नर्स श्रेणी-प्रथम	5	5	
		नर्स श्रेणी-द्वितीय	7	7	—
		दन्त तकनीशियन	1	—	1
		रेडियोग्राफर	1	1	—
		लेब टेक्नीशियन	2	2	—
		प्रसाविका	1	1	—

1	2	3	4	5	6
2.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/ प्राथमिक स्वा. केन्द्र; मालाखेड़ा	कनिष्ठ विशेषज्ञ	2 (मेडिसन सर्जरी)	1	1
		वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी	1	1	....
		चिकित्सा अधिकारी	2	2	....
		नर्स श्रेणी-प्रथम	1	1	....
		नर्स श्रेणी-द्वितीय	7	7	....
		लेब टेक्नीशियन	1	1	....
		महिला स्वास्थ्य दर्शिका	1	1	....
		स्वास्थ्य निरीक्षक	1	–	1(डाईंग केडर)
		प्रसाविका	1	1	....
3.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, समरैण	चिकित्सा अधिकारी	1	1	....
		नर्स श्रेणी-II	2	2	....
		प्रसाविका	1	1	....
		लेब टेक्नीशियन	1	1	....

1	2	3	4	5	6
		महिला स्वा.दर्शिका	1	1	—
		स्वास्थ्य निरीक्षक	1	1	—
4.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, अकबरपुर	चिकित्सा अधिकारी	1	1	—
		नर्स श्रेणी-II	1	1	—
		प्रसाविका	1	1	—
		लेब टेक्नीशियन	1	1	—
		महिला स्वा.दर्शिका	1	1	—
		स्वास्थ्य निरीक्षक	1	—	1(डाईंग केडर)
5.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बडोदामेव	चिकित्सा अधिकारी	1	1	—
		नर्स श्रेणी-II	1	1	—
		प्रसाविका	1	1	—
		लेब टेक्नीशियन	1	1	—
		स्वास्थ्य निरीक्षक	1	—	1(डाईंग केडर)
		महिला स्वा.दर्शिका	1	1	—

1	2	3	4	5	6
6.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र; ईटेहा	चिकित्सा अधिकारी	1	1	—
		नर्स श्रेणी-II	2	2	—
		प्रसाविका	1	1	—
		लेब टेक्नीशियन	1	1	—
		महिला स्वा.दर्शिका	1	1	—
		स्वास्थ्य निरीक्षक	1	—	1(डाईंग केडर)
7.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र; मोजपुर	चिकित्सा अधिकारी	1	1	—
		नर्स श्रेणी–II	1	1	—
		प्रसाविका	1	1	—
		लेब टेक्नीशियन	1	1	—
		स्वास्थ्य निरीक्षक	1	—	1(डाईंग केडर)
		महिला स्वा.दर्शिका	1	1	—

विधान सभा क्षेत्र रूपवास की सड़कों की मरम्मत

244. श्री निर्भय लाल (रूपवास) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र रूपवास में वर्ष 1999 में नई सड़कों के लिये कितनी-कितनी राशि आवंटित की गई ? उक्त क्षेत्र में वर्ष 2000-2001 में कौन-कौन से गांवों की नई सड़कों के लिये राशि स्वीकृत की जावेगी ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या वर्ष 1999-2000 में स्वीकृत सड़कों का कार्य पूर्ण हुआ ? यदि हां, तो कब और नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार अपूर्ण कार्यों को पूर्ण कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र रूपवास की पुरानी सड़कों की मरम्मत के लिये राशि आवंटित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या उक्त क्षेत्र की पुरानी सड़कों की मरम्मत के लिए जो राशि स्वीकृत की गई उससे सड़कों की मरम्मत पूर्ण नहीं हुई है ? यदि हां, तो कौन-कौनसी सड़कों की मरम्मत हुई और कौन-कौनसी शेष हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र रूपवास में वर्ष 1999-2000 में निम्न लिखित दो नई सड़कों के निर्माण पर 8.81 लाख रु. की राशि आवंटित की गई।

क्र.सं.	सड़क का नाम	मद	1999-2000 में आवंटित राशि (लाखों में)
1.	सम्पर्क सड़क रुदावल से नगला तुला	डांग विकास योजना	7.40
2.	शेष डामर सड़क निर्माण कार्य कुरका	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	1.41

उक्त क्षेत्र में वर्ष 2000-2001 का बजट पारित होने के उपरान्त एवं उपलब्ध वित्तीय संसाधनों अनुसार नई सड़कों के लिये स्वीकृत राशि का निर्णय लिया जा सकेगा।

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

(2) वर्ष 1999-2000 में विधान सभा क्षेत्र रूपवास में कोई भी सड़क निर्माण का कार्य स्वीकृत नहीं हुआ है।

(3) जी हां। विधान सभा क्षेत्र रूपवास में पुरानी सड़कों की मरम्मत एवं नवीनीकरण हेतु योजना मद में 27.00 लाख रु. की राशि एवं गैरयोजना मद में 12.00 लाख रु. की राशि वर्ष 1999-2000 में आवंटित की गई है इस आवंटित राशि के विरुद्ध 4 कि.मी. सड़क लम्बाई में नवीनीकरण का कार्य कराया गया है एवं 30 कि. मी. में साधारण मरम्मत का कार्य कराया गया है। विधान सभा क्षेत्र रूपवास की शेष रही पुरानी सड़कों के रख-रखाव एवं मरम्मत वर्ष 2000-2001 में उपलब्ध वित्तीय बजट आवंटन अनुसार कराये जाने के प्रयास किये जायेंगे।

(4) जी हां। विधान सभा क्षेत्र रूपवास में वर्ष 1999-2000 में योजना मद में स्वीकृत 7 कि.मी. सुदृढ़ीकरण एवं नवीनीकरण का कार्य के विरुद्ध 4 कि.मी. सड़क लम्बाई में सुदृढ़ीकरण एवं नवीनी-करण का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। इसी प्रकार वर्ष 1999-2000 में उक्त विधान सभा क्षेत्र में गैरयोजना मद में स्वीकृत 5 कि.मी. सड़क लम्बाई में नवीनीकरण का कार्य उपलब्ध सीमित वित्तीय बजट आवंटन के कारण पूर्ण नहीं कराया जा सका है। उक्त विधान सभा क्षेत्र में जिन सड़कों पर नवीनीकरण/मरम्मत का कार्य कराया गया है एवं जिन सड़कों पर स्वीकृति के विरुद्ध नवीनीकरण/मरम्मत का कार्य नहीं कराया जा सका है उनका सड़कवार/मदवार विवरण क्रमशः परिशिष्ट 'अ' व 'ब' में सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

परिशिष्ट–'अ'

कपवास विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 1999-2000 में योजना मद में स्वीकृत नवीनीकरण/मरम्मत कार्यों का ब्योरा ।

क्र.सं.	सड़क का नाम	स्वीकृत लम्बाई (कि.मी. में)	सड़क लम्बाई जिसमें कार्य पूर्ण किया गया (कि.मी. में)	सड़क लम्बाई जिसमें कार्य करना शेष है । (कि. मी. में)
1.	भरतपुर-सेवऊ-धौलपुर सड़क एस.एच.-23	2	2	—
2.	भरतपुर-बाड़ी सड़क एम.डी.आर.-55	2	2	—
3.	सम्पर्क सड़क जटवासी ओ.आर.-23	3	....	3
	कुल योग	7	4	3

परिशिष्ट--'ब'

रूपवास विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 1999-2000 में गैरयोजना मद में स्वीकृत नवीनीकरण/मरम्मत कार्यों का ब्यौरा :-

क्र.सं.	सड़क का नाम	स्वीकृत किमी. लम्बाई	किमी. सड़क लंबाई जिसमें कार्य पूर्ण किया गया	किमी. सड़क लंबाई जिसमें कार्य करना शेष है ।
1	2	3	4	5
I. रिन्यूवल कार्य				
1.	भरतपुर संपऊ धौलपुर सड़क स्टेट हाइवे-23	1	—	1
2.	ऊंचा गांव सुखावली सड़क बी.आर.84	1	—	1
3.	रूपवास जटमासी सड़क बी.आर. 95	2	—	2
4.	सम्पर्क सड़क भैंसा बी.आर. 102	1	—	1
	कुल योग :	5	—	5
II. साधारण मरंमत				
1.	भरतपुर संपऊ धौलपुर सड़क एसएच. 23	—	15	—

1	2	3	4	5
2.	भरतपुर बाड़ी सड़क एम.डी.आर.55	....	12	....
3.	रूपबास चेकोरा सड़क बी.आर. 131	....	3	....
	कुल योग :	....	30	....

विधान सभा क्षेत्र देसूरी में मानदण्डों के विपरीत क्रमोन्नत विद्यालय

245. श्री केसाराम चौधरी(खारची) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1999–2000 में राज्य में नवीन विद्यालय खोले/क्रमोन्नत किये गये हैं ? यदि हां, तो कहां-कहां एवं किन मानदण्डों के अनुसार ? खोले गये/क्रमोन्नत विद्यालयों की सूची जिलेवार एवं मानदंडों की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह भी सही है कि विधान सभा क्षेत्र खारची में भी नवीन विद्यालय खोले गये/क्रमोन्नत किये गये हैं ? यदि हां, तो कहां-कहां ? सूची विवरण सहित सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र देसूरी में मानदण्डों के विपरीत विद्यालय क्रमोन्नत किये गये हैं ? यदि हां, तो क्यों एवं किस आधार पर ? क्या सरकार सम्बन्धित दोषी अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां । वर्ष 1999-2000 में क्रमोन्नत विद्यालयों का जिलेवार विवरण परिशिष्ट 'क' तथा निर्धारित मानदण्ड की प्रति परिशिष्ट 'ख' सदन के पटल पर रख दी गई है ।

(शिक्षा मंत्री)

(2) जी हां। खारची विधान सभा क्षेत्र में प्राथमिक विद्यालय डेलपुरा को उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किया है।

(3) जी नहीं। विधान सभा क्षेत्र देसूरी में 02 (दो) उमावि तथा 03 (तीन) माvि, 3 प्रा. विद्यालय निर्धारित मानदण्ड के अतिरिक्त ग्राम की जनसंख्या, छात्रसंख्या फीडर विद्यालय, अन्य शिक्षण की सुविधा एवं जनप्रतिनिधियों की मांग एवं गुणावगुण के आधार पर विद्यालय क्रमोन्नत किये गये हैं। इसमें कोई अधिकारी दोषी नहीं है अतः उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही किये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

राज्य विद्युत मंडल द्वारा किसानों को विद्युत कनेक्शन में लापरवाही

246. श्री रामचन्द्र सराधना (जमवा-रामगढ़) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) किसानों द्वारा राज्य विद्युत मंडल के मांग पत्रानुसार राशि जमा कराने के बाद विद्युत कनेक्शन कितने दिन में कर दिया जाता है ?

(2) किसान के द्वारा मांग पत्र राशि जमा कराने के बाद क्या उनका तुरंत कनेक्शन लेने का अधिकार नहीं बनता है ?

(3) क्या यह सही है कि विद्युत मंडल की लापरवाही से कनेक्शन नहीं करने के कारण पीड़ित किसान मजबूर होकर सीधा बिजली ले लेता है और उसको वी.सी.आर. भर दी जाती है ? यदि हां, तो क्या किसान से दण्डनीय राशि प्रतिहार्स पावर 1000/- रुपये वसूल किया गया है और उनका सामान जब्त कर लिया गया है ? क्या उक्त सामान उनको वापस लौटाया जायेगा ?

(4) क्या कनेक्शन देने और वी.सी.आर. भरने वाले विद्युत कर्मी के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) आमतौर पर कृषि कनेक्शन की मांग पत्र की राशि सहित एल. फार्म जमा कराने के बाद लाइन का कार्य पूरा कर 2 माह में कनेक्शन दिये जाने का प्रावधान है।

(2) किसानों द्वारा मांग पत्र की राशि जमा कराते ही वरीयता के अनुसार मंडल द्वारा सामान जारी करना तथा लाइन इत्यादि खींचने की कार्यवाही शुरू कर दी जाती है। साथ ही एल.टी.रहित प्रणाली के कारण अनेक मामलों में नया ट्रांसफार्मर भी स्थापित करना होता है, इस प्रक्रिया में समय लगता है, अतः मांग पत्र जमा होते ही साधारणतया किसानों द्वारा विद्युत उपभोग करने की छूट देना सम्भव नहीं है, परन्तु उन मामलों में जहां नया ट्रांसफार्मर

(ऊर्जा मंत्री)

लगाने की आवश्यकता नहीं है, यदि कृषक बिजली का उपभोग तुरन्त करना चाहे तो वो 6 महीने के अग्रीम बिल की राशि जमा करवाकर स्वत: कनेक्शन प्रणाली में विद्युत उपभोग कर सकता है।

(3) बिन्दु सं. 2 में वर्णित प्रावधानों के अतिरिक्त नियम विरुद्ध विद्युत उपभोग करने वाले कृषकों से मांग पत्र की जमा राशि दिनांक से चैकिंग दिनांक तक फ्लेट रेट से दुगुनी राशि वसूलने के बाद जब्त सामान को वापिस किये जाने का प्रावधान है।

(4) कनेक्शन देने हेतु सभी औपचारिकतायें पूर्ण होने के बाद कनेक्शन देने में शिथिलता बरतने व वी.सी.आर. भरने का मामला प्रकाश में आने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही कर दोषी को दण्डित किये जाने का प्रावधान किया हुआ है।

ग्राम टिमेड़ा (बांसवाड़ा) में आश्रम स्कूल की स्थापना

247. श्री फतेह सिंह (कुशलगढ़): क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जिला बांसवाड़ा के विधान सभा क्षेत्र कुशलगढ़ के ग्राम टिमेड़ा बड़ा में आश्रम स्कूल खोलने की मांग लम्बे समय से चल रही है?

(2) क्या यह भी सही है कि टिमेड़ा बड़ा क्षेत्र में आठ पंचायतें पड़ती हैं?

(3) क्या सरकार आदिवासी समाज के विद्यार्थियों के लिये ग्राम टिमेड़ा में आश्रम स्कूल खोलने का विचार रखती है? यदि हाँ; तो कब तक और नहीं; तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ विधान सभा क्षेत्र के ग्राम टिमेड़ा बड़ा में आश्रम स्कूल खोलने की कोई मांग विभाग में प्राप्त नहीं हुई है।

(2) जी नहीं। टिमेड़ा बड़ा स्वयं एक ग्राम पंचायत है जिसके अन्तर्गत पांच ग्राम क्रमश: टिमेड़ा बड़ा, मुन्नी पाड़ा; माटम हुडी; कोटड़ा टिमेड़ा एवं आमलीपाड़ा आते हैं।

(3) जी नहीं। जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग आदिवासी समाज के विद्यार्थियों हेतु आश्रम छात्रावासों का निर्माण करवाता है। टिमेड़ा बड़ा में माध्यमिक स्तर का एक विद्यालय शिक्षा विभाग के माध्यम से संचालित किया जा रहा है।

राजकीय चिकित्सालय बांदीकुई में चिकित्सकों के रिक्त पद

248. श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई) : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राजकीय

(श्री शैलेन्द्र जोशी)

चिकित्सालय बांदीकुई पचास शय्याओं का अस्पताल स्वीकृत है ? यदि हां, तो उक्त चिकित्सालय में वर्तमान में कितने बैड लगे हुए हैं और कितने बैड लगने शेष हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें ?

...या यह भी सही है कि उक्त ...कित्सालय में वर्तमान में चिकित्सकों के पद रिक्त हैं ? यदि हां, तो कितने व कौन–कौन से रोगों के ?

(3) उक्त रिक्त पदों पर चिकित्सकों की कब तक नियुक्ति कर दी जायेगी ? सदन की पटल पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां, राजकीय चिकित्सालय, बांदीकुई में पचास शैय्याएं स्वीकृत हैं, किन्तु स्थानाभाव के कारण वर्तमान में उक्त चिकित्सालय में 44 बैड लगे हुए हैं।

(2) जी हां; उक्त चिकित्सालय में एक पद कनिष्ठ विशेषज्ञ का व एक पद दन्त चिकित्सक का रिक्त है।

(3) कनिष्ठ विशेषज्ञ का रिक्त पद विभागीय पदोन्नति समिति से चयनित अभ्यार्थी उपलब्ध होने पर व दन्त चिकित्सक का पद राजस्थान लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यार्थी उपलब्ध होने पर ही भरा जा सकना सम्भव होगा। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

घाघरेन से कपूरा मलूका (भरतपुर) की सड़क निर्माण

249. श्री बृजेन्द्र सिंह सूपा (बयाना) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार नाबार्ड द्वारा स्वीकृत सड़कों एवं अपूर्ण रही सड़कों को पूर्ण कराने का विचार रखती है ? यदि हां; तो कब तक ?

(2) अब घाघरेन से कपूरा, मलूका तहसील बयाना (भरतपुर) की सड़क कब तक पूर्ण करा दी जायेगी ?

उत्तर

(1) जी हां। नाबार्ड योजना के अन्तर्गत स्वीकृत सड़कों एवं अपूर्ण रही सड़कों की उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के अनुसार पूर्ण कराया जाना प्रस्तावित है।

(2) घाघरेन से कपूरा मलूका सड़क की कुल लम्बाई 5.7 कि.मी. है, जिसमें से 3.7 कि.मी. लम्बाई में मैटल सड़क का कार्य पूर्ण कराया जा चुका है एवं 1.3 कि. मी. में मिट्टी का कार्य किया गया है। शेष 700 मीटर लम्बाई में न्यायालय सहायक कलेक्टर; बयाना द्वारा दिनांक 14-2-97 को स्थगन आदेश जारी करने के कारण कार्य नहीं किया जा सका। न्यायालय द्वारा दिनांक 24-12-99 को स्थगन आदेश निरस्त कर दिया गया है, लेकिन माह दिसम्बर, 1999 से सीमित वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता होने के कारण

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

कार्य नहीं कराया जा सका है। अब शेष कार्य का पूर्ण होना उपलब्ध वित्तीय संसाधनों व प्राथमिकताओं पर निर्भर करेगा।

परिशिष्ट-3

(अतारांकित प्रश्न संख्या-282 की सूची)

परिशिष्ट--'क'

परिषद में स्वीकृत अधिकारियों के पदों की सूची :-

1.	सचिव	प्रतिनियुक्ति पर	एक पद
2.	लेखाधिकारी	प्रतिनियुक्ति पर	एक पद
3.	खेल अधिकारी	पदोन्नति से	स्वीकृत 36 पद हैं।
4.	सहायक अभियन्ता	प्रतिनियुक्ति पर	एक पद
5.	जन सम्पर्क अधिकारी	प्रतिनियुक्ति पर	एक पद
6.	प्रोग्रामर	प्रतिनियुक्ति पर	एक पद
7.	प्रशासनिक अधिकारी	परिषद में पदोन्नति का एक पद है।	
8.	होस्टल प्रबन्धक	परिषद में पदोन्नति का एक पद है।	

परिशिष्ट 'ख'

परिषद में दस वर्षों में की गयी पदोन्नति की सूची एवं वरिष्ठता क्रम सहित निम्नप्रकार है :—

क्र.सं.	वरिष्ठता क्रम	पद	वर्ष
1.	श्री सी.डी.सिंह	खेल अधिकारी	1991
2.	श्री दलबीर सिंह रधांवा	"	1991
3.	श्री मेहर चन्द जाखड़	"	1991
4.	श्री जसवंत सिंह	"	1991
5.	श्री रामनिवास शर्मा	"	1991
6.	श्रीमती उर्मिला पोकर	"	1991
7.	श्री आनन्द सांखला	"	1992
8.	श्री पोकरमल	"	1993
9.	श्री किशोरी लाल यादव	"	1993
10.	श्री मेघ सिंह	"	1998
11.	श्री एम.एल.बिनावरा	"	1998
12.	श्री विनय मेहता	"	1998
13.	श्री रामकुमार जोशी	"	1998
14.	श्री एम.एस.बराड़	"	1998
15.	श्री शक्ति सिंह	"	1998

परिशिष्ट-4

(अतारांकित प्रश्न संख्या 291 की सूची)

परिशिष्ट--'ध'

1000 से अधिक आबादी के गांव/पं.मु. जो अभी तक डामर सड़क से नहीं जुड़े हैं, उनकी वर्तमान स्थिति इस प्रकार है:-

क.सं.	जिले का नाम	1991 की जनसंख्या के आधार पर 1000 या इससे अधिक आबादी के गांवों की वर्तमान स्थिति			डामर सड़क से जुड़े पं. मुख्यालयों की स्थिति		
		कुल योग	डामर सड़क से जुड़े हुये गांव	गांव जो अभी डामर सड़क से नहीं जुड़े हैं।	कुल योग	डामर सड़क से जुड़े पं.मु.	पं.मु. जो अभी डामर सड़क से नहीं जुड़े हैं।
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	अजमेर	345	308	37	276	264	12
2.	अलवर	661	584	77	478	451	27

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	बांसवाड़ा	303	222	81	325	254	71
4.	बारां	162	136	26	215	158	67
5.	बाड़मेर	358	254	104	380	306	74
6.	भरतपुर	475	380	95	372	311	61
7.	भीलवाड़ा	371	295	76	378	289	89
8.	बीकानेर	243	200	43	189	171	18
9.	बूंदी	166	127	39	181	132	49
10.	चूरू	443	340	103	279	237	42
11.	दौसा	278	229	49	225	190	35
12.	धौलपुर	233	182	51	153	133	20
13.	डूंगरपुर	271	222	49	237	215	22

परिशिष्ट–5

(अतारांकित प्रश्न संख्या 294 का विवरण)

परिशिष्ट–'अ'

बूंदी जिले में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (सामान्य) के अन्तर्गत वर्ष 1995-96 में स्वीकृत कार्यों में से पूर्ण हुए कार्यों का ब्यौरा :

क्रमांक	कार्य का नाम	जॉब नं.	स्वीकृत राशि राशि लाखों में	व्यय लाखों में (2/2000 तक)	विवरण
1	2	3	4	5	6
1.	सम्पर्क सड़क विजयगढ़ का निर्माण कार्य	1861/5054 एमएनपी/ प्लान95/96	30.00	32.41	कार्य पूर्ण
2.	दबलाना रोड कि.मी.22 से भवानीपुरा तक सड़क निर्माण कार्य	1862/,,	7.50	7.89	कार्य पूर्ण

1	2	3	4	5	6
3.	नैनवा जजावर सड़क किमी. 10 से बाछोला सड़क निर्माण कार्य	1863/एम एनपी/प्लान 95/96	12.00	13.18	कार्य पूर्ण
4.	सावंतगढ़ से सोरण	1865/,,	12.00	—	कृषि उपज मंडी समिति द्वारा कार्य पूर्ण कराया।
5.	संपर्क सड़क रामचन्द्र जी का खेड़ा	1866/,,	3.00	3.06	कार्य पूर्ण
6.	एन.एच.12 से चेता वाया बोचड़ी	1867/,,	10.00	11.09	कार्य पूर्ण
7.	जजावर से गोठड़ा वाया रोणीजा	1868/,,	21.00	22.90	कार्य पूर्ण
8.	दमाना से धामली दो पुलियाओं का निर्माण	1873/,,	8.00	8.80	कार्य पूर्ण

1	2	3	4	5	6
9.	नमाना से बकघन सड़क पर मागंली नदी पर पुलिया निर्माण कार्य	1874/एम एनपी/प्लान 95/96	20.00	21.92	कार्य पूर्ण
10.	करवर जरखोदा (पं.मु.)	1869/,,	16.50	19.54	कार्य पूर्ण
11.	सिपेसलार की दरगाह की सड़क 1 किमी.	1875/,,	3.40	3.03	कार्य पूर्ण
12.	के.पाटन से केशोराय जी के मन्दिर तक सड़क कार्य	1876/,,	4.00	3.09	कार्य पूर्ण
13.	ए.सी.सी. लाखेरी ट्रेनिंग स्कूल से द्राक्षिता के हनुमान मन्दिर तक सड़क निर्माण कार्य 2 किमी.	1877/,,	12.00	13.32	कार्य पूर्ण
14.	के.पाटन खडकड रोड पर करेल पुल पर अप्रोच का कार्य	1879/,,	40.00	46.22	कार्य पूर्ण

1	2	3	4	5	6
15.	हिण्डोली पेलेस से अमरतिया सड़क कार्य	एमएनपी प्लान 95-96 1881/5054	2.80	2.63	कार्य पूर्ण
16.	अजेता से रामपुरिया	1882/,,	3.00	3.04	कार्य पूर्ण
17.	संपर्क सड़क लाम्बाखोह	1880/,,	6.00	6.11	कार्य पूर्ण

परिशिष्ट-'ब'

बून्दी जिले में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1995-96 में स्वीकृत हुये कार्यों में से अपूर्ण कार्यों का ब्योरा :-

क्र.सं.	नाम कार्य	जोब नं.	स्वीकृत राशि (लाखों में)	व्यय (लाखों में) 2/2000 तक	विवरण
1	2	3	4	5	6
1.	रानीपुरा से बांसी वाया सावंतगढ़	1864/5054/ एमएनपी/प्लान 1995-96	30.00	8.52	एक लेयर डब्ल्यू.बी.एम. 5 किमी.तथा ग्रेवल 3 किमी. में किया, कार्य प्रगति पर
2.	एनएच. 12 से पंचखा वाया लोलेडा ब्यासान	1870/"	30.00	25.72	बीटी.5 किमी. वित्तीय स्वीकृति के अनुसार पूर्ण कर दिया है शेष लंबाई के निर्माण हेतु प्रस्ताव भिजवा दिये गये हैं।
3.	झालीजी का बराना से	1871/"	30.00	27.10	4 किमी. तक मेटल सड़क

1	2	3	4	5	6
	काप्रेन(प्रडोला) वाया काली तलाई				का कार्य पूर्ण 8 किमी. में मेटल का व 12 किमी. में डामर का कार्य शेष
4.	कोटा लाखेरी से बरकाना पं.मु. 2 किमी.	1878/एम एनपी/प्लान 95/96.	6.00	5.61	1.5 किमी. डामर का कार्य पूर्ण एवं 0.5 किमी. में डामर का कार्य शेष
5.	डांगाहेड़ी से पंचोपला सड़क पर मेज नदी पर रपट का निर्माण कार्य ।	1872/ii	10.00	10.01	स्वीकृति के अनुरूप कार्य पूर्ण

परिशिष्ट—'स'

बून्दी जिले में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम 1995-96 के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यों में मेटल सड़क पर डामरीकरण का कार्य :–

क्रमांक	कार्य का नाम	जॉब नं.	स्वीकृत राशि (लाखों में)	व्यय (लाखों में) 2/2000 तक	विवरण
1.	हिण्डोली पेलेस से अमरतिया सड़क कार्य	1881/5054 एमएनपी/प्लान/ 95-96	2.80	2.63	कार्य पूर्ण दिनांक 30-6-96
2.	अजेता से रामपुरिया	1882/,,	3.00	3.04	कार्य पूर्ण 19-1-99
3.	सम्पर्क सड़क लाम्बाखोह	1880/,,	6.00	6.11	वित्तीय स्वीकृति के अनुसार कार्य पूर्ण कर दिया है कार्य पूर्ण दिनांक 26-4-99

परिशिष्ट-6

(अतारांकित प्रश्न संख्या 295 का विवरण)

परिशिष्ट–'क'

मंत्रिमण्डल की गठित उपसमिति की सिफारिश के आधार पर समाप्त किये गये पदों का विवरण :–

क.सं.	समाप्त किये गये पद का नाम	पदों की संख्या	पदों के समाप्ति का दिनांक
1.	मुख्य अभियन्ता	2	1-6-99
2.	अधीक्षण अभियन्ता	2	1-6-99
3.	सहायक परीक्षण अधिकारी	2	1-6-99
4.	अधीक्षक उद्यान	1	1-6-99
5.	सहायक अभियंता	15	1-6-99
	(सिविल–38)	6	1-7-99
	(विद्युत–6)	4	1-8-99
	(यांत्रिक–3)	2	1-9-99
		2	1-10-99
		4	1-11-99
		4	1-12-99
		3	1-1-2000
		1	1-2-2000
		4	1-3-2000
		2	1-4-2000

परिशिष्ट-7

(अतारांकित प्रश्न संख्या 301 की प्रति)

1668 दि. 24-3-2000

ओर से	सेवा में,
एम.एच.ओ.	श्रीमान प्राचार्य महोदय,
थाना दादाबाड़ी,	इन्जी. कालेज,
कोटा शहर	कोटा शहर

विषय :-फर्जी नियुक्ति पत्र दिखा कर दो व्यक्ति चले जाने बाबत

प्रसंग :-आपके पत्र क्रमांक 4974 दि.20-7-99 एवं पत्र क्रमांक 16526 दि. 24-3-2000 के क्रम में ।

महोदय,

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि आपके द्वारा तारीख 7-10-99 को इस आशय की रिपोर्ट पेश की थी कि तारीख 6-7-99 को दो युवकों द्वारा महाविद्यालय के उप रजिस्ट्रार श्री ईश्वर लाल वर्मा से सम्पर्क एवं नियुक्ति पत्र दिखा कर कहा कि हमें महाविद्यालय में नियुक्ति दी गई है । अतः वे अपना पदभार ग्रहण करना चाहते हैं । इस पर श्री आई.एल. वर्मा उप रजिस्ट्रार द्वारा उक्त दोनों व्यक्तियों से पूछताछ की तो उन्होंने उप.रजि.सा. को अवगत कराया कि शैलेन्द्र सक्सेना नामक व्यक्ति जो बेरोजगार युवकों से रुपये लेकर इंजी. कालेज कोटा में नियुक्ति दिलाता है । इतना कह कर दोनों युवक कालेज परिसर से चले गये । आपका परिवाद की जांच की गयी तो निम्न तथ्य पाये गये ।

(1) यह कि तारीख 6-7-99 को उप रजिस्ट्रार श्री ईश्वर लाल वर्मा जो इंजी. कालेज में पद स्थापित थे उनके पास दो युवक अनजान कालेज में नियुक्ति पत्र लेकर आये । ईश्वर लाल वर्मा सा. द्वारा उनके नियुक्ति आदेश देखकर फर्जी होने पर दोनों युवकों से कहा कि यह नियुक्ति आदेश हमारे महाविद्यालय से जारी शुदा नहीं है ।

ना ही इस महाविद्यालय के किसी कर्मचारी व प्राफीसर के इस पर हस्ताक्षर हैं। उप रजिस्ट्रार साहब द्वारा जब यह बात दोनों युवकों से वार्तालाप की तो वे दोनों फर्जी नियुक्ति पत्र भांप कर वहां से चले गये। उप रजिस्ट्रार सा. द्वारा उन दोनों युवकों के ना ही तो नाम पते पूछे एवं ना ही उनके नियुक्ति प्रादेश की कापी प्राप्त की। इस प्रकार उक्त दोनों युवकों के बिना नाम पता के उन तक पहुंचना सम्भव नहीं हो पाया ना ही महाविद्यालय के किसी अन्य कर्मचारी को ही उनके नाम पता मालूम हैं।

(2) यह कि आपने परिवाद में मात्र शैलेन्द्र सक्सेना नाम अंकित किया है। शैलेन्द्र सक्सेना का भी पूरा पता नहीं मिल पाया है। इसलिए इसका भी मिलना संभव नहीं है। इस प्रकार के व्यक्ति अभी पुलिस जांच में सामने नहीं आये हैं। जिनकी तलाश जारी है। अगर इस प्रकार के फर्जी नियुक्ति प्राप्त करने वाले व्यक्ति पाये गये तो आपको अवगत करा दिया जावेगा।

मिलान किया, दुरस्त पाया।

ह०
29-3-2000

ह०
थाना अधिकारी
थाना दादबाड़ी
कोटा नगर

सत्यापित
ह.
रजिस्ट्रार
अभियान्त्रिकी महाविद्यालय
कोटा (राजस्थान) 324010

परिशिष्ट--8

(अतारांकित प्रश्न संख्या 302 की सूची)

अनुसूची

निःशुल्क/रियायती दर पर दिये गये आरक्षण का विवरण (अक्टूबर, 1999 से जनवरी, 2000)

क्र.सं.	तिथि	नाम संस्था	विवरण
1.	31-12-1999	नेहरू युवा केन्द्र	निःशुल्क
2.	1–1–2000	सोसाइटी फार वाकेशनल एज्यूकेशन फार वूमेन	रियायती दर
3.	2-1-2000	सोसाइटी फार वाकेशनल एज्यूकेशन फार वूमेन	रियायती दर
4.	3-12-1999 से 7-2-2000	आकाश इन्टरनेशनल (जादूगर आनन्द)	रियायती दर

परिशिष्ट-9

(अतारांकित प्रश्न संख्या 304 की सूची)

परिशिष्ट-'घ'

विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली में शेष रहे कृषि नर्सरी कनेक्शनों की सूची

क्र.सं.	आवेदक का नाम	ग्राम	आवेदित भार(एच.पी.)	मांग पत्र जमा कराने की तारीख
1	2	3	4	5
पवटा (वितरण) उपखण्ड				
1.	फकीरचन्द बद्रीप्रसाद	पंचपहाड़ी	5 HP	11-10-99
2.	सोहनलाल चेनाराम यादव	बीठलोदा	"	14-10-99
3.	प्रकाश छीतरराम	माकरी	"	16-10-99
4.	रूमालीराम लादूराम	गोरधनपुरा	"	"
5.	शिवरतन फौजीसिंह	राजनोता	"	20-10-99
6.	भोलाराम हनुमान सहाय	पाठारेडी	"	23-10-99

1	2	3	4	5
7.	ग्यारसीलाल प्रभातीलाल	माकरी	5 HP	25-10-99
8.	गोहरु बुधाराम	महरमपुरा	,,	27-10-99
9.	निहालसिंह रामनाथसिंह	भालोरी	,,	28-10-99
10.	कालूराम बलदेव जाट	पाछूडाला	,,	29-10-99
11.	श्योराम भोलाराम जाट	पाछूडाला	,,	30-10-99
12.	फूला लादु जाट	माकरी	,,	4-11-99
13.	श्योराम प्रहलाद जाट	गढ़ा	,,	5-11-99
14.	रनेताराम मूराराम	कोगता	,,	12-11-99
15.	भोगना मामराज जाट	गुंडा	,,	15-11-99
16.	लोलाराम कालूराम	बोठलोदा	,,	,,
17.	रामधनसिंह	भैंसलाना	,,	17-11-99

1	2	3	4	5
18.	रतीराम उमराव गूजर	बराई	5HP	31-12-99
19.	किशोरसिंह	भैंसलाना	,,	15-11-99
20.	सुड़ा घूड़ा जाट	पाछूडाला	,,	31-12-99
21.	गोविन्दसिंह फूलसिंह	कारोली	,,	31-12-99
22.	गोगाराम कजोड़ जाट	कल्याणपुरा	,,	21-9-99
23.	बोदूराम ग्यारसीलाल	प्रागपुरा	,,	21-9-99
24.	नानग रिछपाल सैनी	,,	,,	30-9-99
25.	हुरीराम गूजर	पाठारेडी	,,	20-10-99
कोटपूतली (वितरण)				
1.	अर्जुन पुत्र गोगा	पुरणनगर	5HP	27-12-99
2.	रामकुमार रामनारायण हेमराज	जगदीशपुरा	,,	19-2-2000

परिशिष्ट–10

(अतारांकित प्रश्न संख्या 305 का विवरण)

राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल, चूरू

परिशिष्ट-'घ'

तहसील चूरू में पूर्व में स्वीकृत 33 केवी ग्रिड सब-स्टेशन घांघू व धीरासर के निर्माण हेतु राज्य विद्युत मण्डल द्वारा स्वीकृत व व्यय की गई राशि का विवरण :—

क्र.सं.	सब स्टेशन का नाम	स्वीकृत राशि			व्यय की गई राशि			अन्य विवरण/कार्य की वर्तमान प्रगति
		लाइन का कार्य	सब स्टेशन का कार्य	कुल	लाइन का कार्य	सब-स्टेशन का कार्य	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	घांघू	25.70 लाख	12.84 लाख	38.54 लाख	6.00 लाख	—	6.00 लाख	चूरू से घांघू 33 केवी लाइन के 13 किमी के पोल खड़े कर दिये गये हैं।

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	धीरासर	15.00 लाख	8.00 लाख	23.00 लाख	20.00 लाख	—	20.00 लाख	सातड़ा से धीरासर 33 केवी लाइन के 13.500 किमी के पोल खड़े करके 8.000 किमी लाइन के तार खींच दिये गये है।

परिशिष्ट-'ब'

चूरू तहसील के किसानों को माह सितम्बर, 1999 से फरवरी, 2000 तक ग्रिड सब-स्टेशनवार वितरित की गई बिजली का ब्यौरा :-

क्र.सं.	33 केवी ग्रिड सब-स्टेशन का नाम	11 केवी फीडरों का नाम	वितरित की गई बिजली
1	2	3	4
1.	चूरू	1-आर.ई.सी.	माह सितम्बर, 1999 से फरवरी, 2000 तक तकनीकी व प्राकृतिक आपदाओं के कारण आये व्यवधान को छोड़कर प्रतिदिन 6 से 8 घण्टे ब्लाक में बिजली दी गई।
		2-ऊंटवालिया	"
		3-रेलवे (ग्रामीण)	"
2.	रतनगर	1-मोलीसर	"
3.	करणपुरा	1-लालासर	"
		2-लादड़िया	"
		3-आमासी	"
		4-दुधवाखारा	"
4.	बिसाऊ	1-रानासर	"
5.	सातड़ा	1-बिनासर	"
		2-रायपुरिया	"

1	2	3	4
		3-जसरासर	माह सितम्बर, 1999 से फरवरी, 2000 तक तकनीकी व प्राकृतिक आपदाओं के कारण आये व्यवधान को छोड़कर प्रतिदिन 6 से 8 घण्टे ब्लाक में बिजली दी गई।
6.	सरदारशहर	1-धीरासर	"
7.	रतनगढ़	1-धीरासर	"

परिशिष्ट–11

(अतारांकित प्रश्न संख्या 306 की सूची)

परिशिष्ट–'अ'

जिला करौली, सवाई-माधोपुर व दौसा में कृषि व घरेलू श्रेणी के आवेदकों की मांग-पत्र की राशि जमा होने के बाद 30 दिन से ज्यादा समय से बकाया आवेदकों की पंचायत समिति/जिलावार सूची :–

क्र.सं.	जिले का नाम	पंचायत समिति का नाम	मांग-पत्र के जमा होने के बाद बकाया आवेदन पत्र	
			कृषि श्रेणी	घरेलू श्रेणी
1	2	3	4	5
1.	करौली	करौली	62	252
		सपोटरा	17	202

1	2	3	4	5
		हिण्डौन	57	441
		टोडाभीम	38	623
		नादोती	12	303
		कुल योग	186	1821
2.	सवाई माधोपुर	सवाई माधोपुर	13	773
		गंगापुर	34	195
		बामनवास	10	674
		खण्डार	14	174
		बौंली	35	935
		कुल योग	106	2751
3.	दौसा	दौसा	41	465
		लालसोट	356	205
		बसवा	141	1064
		सिकराय	57	261
		महुवा	52	510
		कुल योग	647	2505

परिशिष्ट-12

(अतारांकित प्रश्न संख्या 313 की प्रति)

परिशिष्ट-'1'

कार्यालय जिला ग्रामीण विकास अभिकरण नागौर (राजस्थान)

8973 दि. 28-9-99

जिला कलेक्टर (सहायता)
नागौर (राज.)

विषय :-ग्राम ध्यावा पं.स.लाडनूं की हाई स्कूल के चारदीवारी निर्माण में किये गये गबन के संबंध में।

संदर्भ :-क्रमांक/सहा/99/6689 दिनांक 14-6-99

महोदय,

उपरोक्त कार्य की जांच दिनांक 24-9-99 को की गयी तथा जांच रिपोर्ट निम्नानुसार है :–

(1) चारदीवारी निर्माण में Hair Pin Cracks नजर आ रही है। ये दरारें सम्भवत: कम तराई (पानी की) के कारण तथा एक ही दिन में अधिक चुनाई के कारण (Excess Loading) के कारण आई हुई प्रतीत होती है। इनके आगे बढ़ने की संभावना नहीं है। अत: चारदीवारी की Structured Safty तथा Functional Utility पर कोई प्रभाव पड़ने की संभावना प्रतीत नहीं होती।

(2) प्लास्टर सीमेंट मसाला 1:6 में किया गया प्रतीत होता है तथा 20 mm मोटाई में किया गया है जो कि निर्धारित मापदण्ड के अनुसार ही है।

(3) नींव खोद कर देखने पर पेदे में 1' ऊंचाई में भूरम बिछाई गई है किन्तु इसके कारण दरारें आना प्रतीत नहीं होता है।

(4) दीवार की ऊंचाई का नाप माप पुस्तिका में विस्तृत रूप से किया गया है (Detailed measurements) जबकि ग्रामीण कार्य निर्देशिका में बताई गई 1.52m की ऊंचाई रनिंग मीटर द्वारा नाप कर मूल्यांकन के लिए होती है। साईट की (जमीन के Levels) की आवश्यकतानुसार दीवार ऊंची बनाई गयी है एवं तदानुसार ही माप पुस्तिका में ऊंचाई का इन्द्राज किया गया है।

(5) IRC के अनुसार U/R (ग्रामीण सड़क) की land width 12m होनी चाहिए। अर्थात C/L से 6m की दूरी तक Road Land Boundary होती है। अतः 23' दूरी पर Boundary wall, Beyond Road Land width है।

(6) Boundary Wall की जमीन के लिए ग्राम पंचायत द्वारा Sanction के समय Apply कर दिया गया। इस सम्बन्ध में Application Letter मुझे Site पर बताया गया।

ह०
अधिशाषी अभियन्ता
जि. ग्राम वि. अ.
नागौर (राज.)

कार्यालय जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, नागौर (राजस्थान)

परिशिष्ट-'2'

जिला कलेक्टर (सहायता)
नागौर (राज.)
9192 दि. 1-10-99

विषय :ग्राम ध्यावा पं.स. लाडनूं की हाई स्कूल के चारदीवारी निर्माण में किये गये गबन के संबंध में।

प्रसंग :- क्रमांक/सहा/99/8535 दिनांक 30-9-99

महोदय,

क्वालिटि कंट्रोल टेस्ट जो कार्य उपरांत निर्धारित है वे राजस्थान राज्य में केवल 'फोरेंसिक लेब' जयपुर में ही किये जा सकते हैं तथा उनकी रिपोर्ट के आधार पर ही मसाले का सही अनुपात बताया जा सकता है।

Visual Inspection के आधार पर कहा जा सकता कि सीमेंट मसाला 1:6 के अनुपात का है।

कार्य की गुणवत्तता (Minor cracks को छोड़कर) निर्धारित मापदण्ड के अनुसार ही है।

Han Pin Cracks से कार्य की आगे गुणवत्तता पर प्रभाव नहीं पड़ेगा तथा चारदीवारी की Structured Safty को कोई खतरा नहीं है।

ह0

अधिशाषी अभियन्ता
जि. ग्राम वि. प्र.
नागौर (राज.)

परिशिष्ट–13

(अतारांकित प्रश्न संख्या 320 का विवरण)

परिशिष्ट-'अ'

जिला दौसा की पंचायत समिति बांदीकुई में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्र एवं उन पर कार्यरत कार्यकर्ता व सहायिक की सूची :–

क्र.सं.	केन्द्र का नाम	कार्यकर्ता का नाम	सहायिका का नाम	वि. विवरण
1	2	3	4	5
1.	लोटवाड़ा–I	श्रीमती सरोज देवी शर्मा	श्रीमती धन्नी देवी	
2.	;; -II	;; निर्मला देवी शर्मा	;; कमला देवी	
3.	नांगल लोटवाड़ा	;; विद्या शर्मा	;; पुष्पा देवी	
4.	बैजूपाड़ा	;; शकुन्तला शर्मा	;; छोटी देवी	
5.	कोटीन	;; गुलाब मीणा	;; समाकौर	

1	2	3	4	5
6.	झूंथाहेड़ा कला	श्रीमती शारदा मीणा	श्रीमती केशर देवी	
7.	,, खुर्द	,, मुन्या देवी	,, रज्जो देवी	
8.	बालाहेड़ा-I	,, राधा देवी	,, रामोली देवी	
9.	,, -II	रिक्त	रिक्त	केन्द्र बन्द है।
10.	अलीपुर	,, सुधा देवी राजपूत	,, मंजू देवी	
11.	ढिगोटा-I	,, पूनम देवी	,, सुषमा देवी	
12.	,, -II	,, सुमन जांगिड	,, प्रेम देवी	
13.	ढिगारिया कपूर	,, पुष्पा देवी	,, माया देवी	
14.	कंचनपुरा	,, पिस्ता देवी	,, माया देवी	
15.	ढिगारिया भीम	,, ललिता देवी	,, रामदेई	

1	2	3	4	5
16.	बोटवाडा–III	श्रीमती भागन्ति देवी	श्रीमती भोती देवी	
17.	खूंटला	,, भगवती	,, पूनी देवी	
18.	सुमेल कला	,, रेशम देवी	,, राजन्ति देवी	
19.	देलाढी	,, उमा देवी	,, बांची देवी	
20.	ढिगारिया टप्पा	,, हरबाई मीणा	,, छाजो मीणा	
21.	धनावड-I	,, सुशीला देवी	,, रतनी देवी	
22.	,, -II	,, राधा देवी	,, पार्वती देवी	
23.	,, -III	,, बिशनी देवी	,, नारायणी देवी	
24.	भोजबाडा	,, सुशीला देवी	,, छगन्ति देवी	
25.	द्वारापुरा	,, इन्द्रा देवी	,, गोमती देवी	

1	2	3	4	5
26.	श्यामसिंहपुरा	श्रीमती रेखा देवी	श्रीमती तुलसा देवी	
27.	भीतरवाड़ी	,, सावित्री देवी	,, सुनिता देवी	
28.	तेली की ढाणी	,, श्यामा देवी	,, तोफुली देवी	
29.	कोरतपुरा	—	,, सुशीला देवी	
30.	धामानेरी	,, सीमा देवी	,, उच्छब कंवर	
31.	जस्सपाड़ा	,, विमला देवी	,, मंगली देवी	
32.	हरिजन ढाणी	,, मंजू कंवर	,, मागोती देवी	
33.	भाखा का बास	,, रामपति	,, लक्ष्मी देवी	
34.	सोडाला	,, कौशल्या देवी	,, तोफली देवी	
35.	बासड़ा	,, सावित्री देवी	,, प्रेम देवी	

1	2	3	4	5
36.	झूपडीन	श्रीमती शीला देवी	श्रीमती कमलेश	
37.	रावापाडा-i	,, रतन बाई	,, सुरया देवी	
38.	सोनावाडा	,, प्रेमलता देवी	,, मुघरी देवी	
39.	हरिपुरा	,, शीला देवी	,, रामप्यारी	
40.	पूंदरपाडा	,, सुप्यार देवी	,, सिया देवी	
41.	रानापाडा-ii	—	,, शांति देवी	
42.	पामाडो-i	,, पुष्पा शर्मा	,, केशार देवी	
43.	सुनवाडी	,, सुनीता देवी	,, गीता देवी	
44.	उलबडा गांव	,, चौथी देवी	,, सुगना देवी	
45.	,, ,, -ii	,, शकुन्तला देवी	,, भागोती देवी	

1	2	3	4	5
46.	सनवडा गांव-iii	श्रीमती मीरा देवी	श्रीमती गुलाब देवी	
47.	पीचूपाडा खुर्द-i	,, गुड्डी महावर	,, उर्मिला देवी	
48.	,, -ii	,, उर्मिला देवी	,, कान्ता देवी	
49.	सोमाडा	,, सीमा शर्मा	,, अनोखी देवी	
50.	प्रतापपुरा-i	,, उषा शर्मा	,, नर्मदा देवी	
51.	,, -ii	,, शारदा देवी	,, रामीती	
52.	रानी का वास	,, सुशीला देवी	,, संतोष देवी	
53.	पीचूपाडा कला-i	,, रेणु देवी	,, शारदा देवी	
54.	,, -ii	,, मिनी देवी	,, शांति देवी	
55.	पासाडी-ii	—	,, रया बाई	

1	2	3	4	5
56.	पामाड़ी–iii	श्रीमती गुलाब देवी	श्रीमती कौशल्या देवी	
57.	मोराड़ी	—	;; शांति देवी	
58.	लीलोज का गोढ़ा	;; शीला देवी	;; बच्ची देवी	
59.	लीलोज	;; बीना देवी	;; प्रेम देवी	
60.	बास बिवाई-i	;; ललिता देवी गुप्ता	;; सुरज देवी	
61.	बिवाई-i	सुश्री अरूणा पालीवाल	—	
62.	;; -i	श्रीमती ललिता देवी सोनी	;; छुट्टन देवी	
63.	डुब्बी	;; उर्मिला देवी	;; रूक्मिणी	
64.	नांगल झामरवाड़ा	;; उर्मिला देवी	;; गुलाब देवी	
65.	सुधारनपाड़ा	;; आशा देवी	;; मुन्नी देवी	

1	2	3	4	5
66.	गोलाडान	श्रीमती रेखा देवी	श्रीमती किलाणी देवी	
67.	„ -ii	„ कुसुम देवी	„ सुशीला देवी	
68.	„ -iii	„ लज्जा देवी	„ कान्ता देवी	
69.	निहालपुरा	„ रामनिरी	„ गीता देवी	
70.	महुखुर्द	„ विमला देवी	„ सुशीला देवी	
71.	महुखेड़ा	„ मीरासिंह	„ गीता देवी	
72.	पातरखेडा	„ सविता देवी	„ भोरी देवी	
73.	गुढाग्राशिक पुरा	„ बीना देवी	„ मुन्या देवी	
74.	बास बिवाई-ii	„ लीलीबाई	„ कल्ली देवी	
75.	बावडी खेडा	„ शांति देवी	„ मन्ना देवी	

1	2	3	4	5
76.	मैंदाडी मीणा	श्रीमती संतोष शर्मा	—	
77.	धरनिया-i	;; मीरा देवी	श्रीमती प्रेम देवी	
78.	;; -ii	;; आशा देवी	;; लाली देवी	
79.	;; -iii	;; संतोष देवी	;; माया देवी	
80.	;; -iv	;; पुष्पा देवी	;; कमली देवी	
81.	गुढलिया वास	;; बीना पारिक	;; उच्छब कंवर	
82.	गाटरबाडा ब्राह्मण	;; मंजू शर्मा	;; गुलाब देवी	
83.	कोलवा	;; निर्मला देवी	;; शांति देवी	
84.	विजयपुरा	;; शांति देवी	—	
85.	नया गांव	;; ममता शर्मा	;; बसन्ती देवी	

1	2	3	4	5	6
86.	गुढलिया-i	श्रीमती ममता देवी	श्रीमती मूली देवी		
87.	गुढलिया-ii	,, माया देवी	,, रसाल देवी		
88.	,, -iii	,, सुनिता देवी	,, विमला देवी		
89.	तिगड्डा	—	,, कोशल्या देवी		
90.	गादरवाड़ा गूजरान	—	,, रेशम देवी गुर्जर		
91.	रामपुरा	,, रेमेशी देवी मीणा	,, रामोती देवी		
92.	भांवती	,, मंजु मीणा	,, शांति देवी		
93.	नांगवास	,, लता शर्मा	,, बादामी		
94.	बड़ियाल खुर्द	,, राजेश यादव	,, सुशीला देवी		
95.	काटरवाड़ा	,, आशा शर्मा	,, गंगा देवी		

1	2	3	4	5
96.	गुढा कटला-i	श्रीमती मीना देवी	श्रीमती सोना देवी	
97.	,, -ii	,, कमला देवी	,, सुशीला देवी	
98.	,, -iii	,, सावित्री देवी	,, मन्तो देवी	
99.	,, -iv	,, गीता देवी	,, रामकन्या देवी	
100.	,, -v	,, सज्जन देवी	,, प्रकाश देवी	
101.	मुही-i	,, मंजू देवी	,, नर्मदा देवी	
102.	,, -ii	,, विद्या देवी	,, ग्यारसी देवी	
103.	दिलावरपुरा	,, कमला देवी	,, नारायणी	
104.	ऐचेडी	,, कमलेश	,, मल्ली देवी	
105.	खूंट जाटोली	,, कमलेश देवी	,, प्रेम देवी	

1	2	3	4	5
106.	थैला का बास	श्रीमती गुड्डी नागर	श्रीमती लाडबाई	
107.	रेहड़िया-i	,, लाली बाई मीणा	,, रामप्यारी	
108.	,, -ii	,, विमला देवी	,, फूला मीणा	
109.	बगडेहा	—	,, सूरमा गुर्जर	
110.	चौकडी वाला	,, राजकुमारी	,, विद्या सैन	
111.	भांवता-i	,, सरला गुप्ता	,, प्रेम देवी	
112.	,, -ii	,, फूली योगी	,, मन्दोरी देवी	
113.	श्यामपुरा	—	,, सविता देवी	
114.	चावेरा	—	,, संतरा देवी	
115.	कोलेश्वर	,, चन्दा देवी	,, रुकमी देवी	

1	2	3	4	5
116.	जागीर बांदीकुई-I	श्रीमती गीता देवी	श्रीमती कमला देवी	
117.	,, -ii	,, गुणमाला पारीक	,, सरोज देवी	
118.	,, -iii	,, मीरा देवी	,, प्रेम देवी	
119.	,, -iv	,, स्नेहलता शर्मा	,, भगवती देवी	
120.	,, -v	,, मिथलेश विजय	,, गीता देवी	
121.	बाढ बगीची–I	,, फूलवती देवी	,, छोटी देवी	
122.	,, –ii	,, चन्द्रकला	,, नाथी देवी	
123.	श्यालावास-I	,, तारा देवी	,, गंगा देवी	
124.	श्यालावास-II	,, आशा देवी	,, चन्द्रकला	
125.	,, -iii	,, उर्मिला देवी	,, ललिता देवी	

1	2	3	4	5
126.	श्यालावास-iv	श्रीमती अंजना देवी	श्रीमती लालो देवी	
127.	" -v	" गोमती देवी	" गीता देवी	
128.	माण्डेता-i	" स्नेहलता	" बसंती देवी	
129.	" -ii	" प्रेमलता देवी	" सीता देवी	
130.	बड़ावास-i	" कमला देवी	" भगन्ति देवी	
131.	" -ii	" मंजू देवी	" कस्तूरी देवी	
132.	मुकुरपुरा	" पुष्पा देवी	" लक्ष्मी देवी	
133.	पंडितपुरा-i	" चंचल देवी	" राधा देवी	
134.	" -ii	" करुणा चौधरी	" यशोदा देवी	
135.	" -iii	" पूजा देवी	" रामकली देवी	

1	2	3	4	5
136.	कुटी-I	श्रीमती जमना देवी	श्रीमती निर्मला देवी	
137.	" -II	" निर्मला देवी	" मुन्नी देवी	
138.	अनंतपुरा	" चम्पो देवी	" सुखबाई	
139.	पाडला	" आशा नागर	" कौशल्या देवी	
140.	गिरधरपुरा	" छोटी देवी	" केसर देवी	
141.	केशरीसिंहपुरा	" मंजू देवी	" चमन देवी	
142.	जयपुरा	" शान्ति देवी	" कमला शर्मा	
143.	गुल्लाना-I	" विमला शर्मा	" लक्ष्मी देवी	
144.	" -II	" सुरीता मीणा	" मूली देवी	
145.	" -III	" मनोज कुमारी	" विमला देवी	

1	2	3	4	5
146.	नारायणपुरा	श्रीमती कमला देवी	श्रीमती लाली देवी	
147.	कोलानस-i	,, सन्तोष देवी	,, ललिता देवी	
148.	,, -ii	,, मधु शर्मा	,, नारंगी देवी	
149.	फूलेला	,, मंजूलता शर्मा	,, राजनित देवी	
150.	करनावर-i	,, प्रेम देवी	,, लाली कुम्हार	
151.	,, -ii	,, सुनिता संत	,, मंगली देवी	
152.	बसवा–i	,, गीता देवी	,, रामप्यारी	
153.	,, -ii	,, विद्या देवी	,, अंगूरी देवी	
154.	,, -iii	,, ललतेश देवी	,, सुशीला देवी	
155.	,, -iv	,, रेखा लुहार	,, गुड्डी देवी	

1	2	3	4	5
156.	बसवा-v	श्रीमती उर्मिला सैन	श्रीमती केशर देवी	
157.	,, -vi	,, विमला देवी	,, गीता साहू	
158.	,, -vii	—	,, सावित्री देवी	
159.	,, -viii	,, सन्तरा देवी	,, प्रेम देवी	
160.	सबडावली	,, लोचन व्यास	,, अनीता देवी	
161.	करनावर-iii	—	,, पुष्पा देवी	
162.	कालेड	,, संतोष देवी	,, गोबिन्दी देवी	
163.	नन्देरा-i	,, सुमन देवी	,, कमला देवी	
164.	,, -ii	,, वीरमति देवी	,, छोटी देवी	
165.	,, -iii	,, कमलेश देवी	,, अमर देवी	

1	2	3	4	5
166.	किशनपुरा	—	श्रीमती छोटी देवी	
167.	बड़ियाल कलां-i	श्रीमती राजबाला	,, कैलाशी देवी	
168.	,, -ii	,, आशा देवी	,, विमला देवी	
169.	,, -iii	,, कमलेश देवी	,, कौशल्या देवी	
170.	चोरवाड़ा	,, मीरा देवी	,, मन्जू देवी	
171.	मेड़ी	,, सन्तोष देवी	,, सुमिता देवी	
172.	घाघोलाई	,, सरोज देवी	,, चमेली देवी	
173.	खेड़ा	,, सोमा देवी	,, फाबूली देवी	
174.	,, -i	,, ललिता देवी	,, द्रोपदी देवी	
175.	,, -ii	,, रमेशी देवी	,, फूलबाई	

1	2	3	4	5
176.	रूपवास	श्रीमती राधा देवी	श्रीमती नर्बदा देवी	
177.	रलावता-I	,, कान्ता देवी	,, दुलादी देवी	
178.	,, II	,, हेमलता देवी	,, गुड्डी देवी	
179.	मोटूका-I	,, उषा देवी	,, कुन्ती देवी	
180.	,, -II	,, ममता देवी	,, कृष्णा देवी	
181.	अनंतवाडा	,, रामा देवी	,, विमला देवी	
182.	मूण्डघिस्या	,, उषा सैनी	,, विमला सैनी	
183.	बैसला का वास	,, गीता देवी	,, तुलसी देवी	

परिशिष्ट–14

(अतारांकित प्रश्न संख्या 321 का विवरण)

परिशिष्ट–'1'

उदयपुर संभाग की पंचायत समितिवार संख्या का विवरण
(जनगणना 1991 के आधार पर)

क्र.सं.	नाम जिला	पंचायत समिति	कुल जनसंख्या	जनजाति जनसंख्या
1	2	3	4	5
1.	उदयपुर	मावली	164468	30481
		गोंगुन्दा	121703	51081
		कोटड़ा	130449	116263
		झाडोल	147044	104744
		गिर्वा	177150	99408
		बड़गांव	123402	41925
		भीण्डर	169382	36624
		धरियावाद	164836	126520
		सलूम्बर	161630	86602
		सराड़ा	185497	105116
		खैरवाड़ा	206494	155125
2.	राजसमंद	भीम	104066	1996
		देवगढ़	63804	3118
		आमेट	71557	6233
		कुम्भलगढ़	113501	28514

1	2	3	4	5
		राजसमंद	108526	15600
		रेलमगरा	100294	8426
		खमनोर	112075	22358
3.	बांसवाड़ा	घाटोल	175991	136522
		गढ़ी	197876	106143
		तलवाड़ा	167896	123663
		पीपलखूंट	110617	103360
		बागीडोरा	137270	105402
		आनन्दपुरी	84905	78827
		कुशलगढ़	101900	96428
		सज्जनगढ़	103172	91733
4.	डूंगरपुर	डूंगरपुर	133212	110702
		बिच्छीवाड़ा	180805	150269
		आसपुर	146507	71056
		सागवाड़ा	160585	86746
		सीमलवाड़ा	195319	148349
5.	चित्तौड़गढ़	राशमी	65794	3674
		गंगरार	75031	5075
		बेगू	85822	9995
		भैंसरोड़गढ़	93027	23277
		चित्तौड़गढ़	135718	17297
		कपासन	72870	7047
		भोपालसागर	64086	7898

1	2	3	4	5
		डूंगला	77050	10527
		भदेसर	89539	6825
		निम्बाहेड़ा	110286	15214
		छोटी सादड़ी	84902	31039
		बड़ी सादड़ी	76910	13178
		प्रतापगढ़	159206	84615
		अरनोद	91408	58949

परिशिष्ट-'2'

सहरिया परियोजना क्षेत्र में चलायी जा रही योजनाओं का विवरण :—

1. कृषि उपकरण वितरण
2. रिवालविंग फण्ड
3. अंश पूंजी अनुदान
4. सामुदायिक डीजल पम्प सैट वितरण
5. सामुदायिक ट्यूब वैल निर्माण
6. एनिकट निर्माण
7. घरेलू विद्युत कनेक्शन
8. पुलिया निर्माण
9. आश्रम छात्रावास संचालन
10. निःशुल्क स्टेशनरी वितरण
11. आश्रम छात्रावास आधुनिकरण
12. आश्रम छात्रावास मरम्मत एवं रख–रखाव

13. नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा
14. शैक्षणिक भ्रमण
15. अंतर आश्रम छात्रावास खेल कूद प्रतियोगिता
16. प्रतिभावान विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति
17. नवीन आश्रम छात्रावास भवन निर्माण
18. हैण्ड पम्प स्थापना
19. दुर्घटना एवं बीमारी हेतु सहायता
20. अच्छे कार्य हेतु ईनाम
21. चेतना कैम्प आयोजना
22. पोस्टर एवं पम्पलेट्स मुद्रण
23. कोर बजट